चतुर्दश माला, खंड 21, अंक 4

गुरुवार, 27 जुलाई, 2006
5 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....60.....
Dated.....2 Aug 2007

(खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 4, गुरुवार, 27 जुलाई, 2006/05 श्रावण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 64 तथा 78	3–36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 77 तथा 79 और 80	36–76
अतारांकित प्रश्न संख्या 400 से 601	76–289
सभा पटल पर रखे गए पत्र	289–290
कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	290
सदस्यों द्वारा निवेदन	
सशस्त्र बलों में आतंकवादियों की कथित रूप से घुसपैठ के बारे में	291–300
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
लेबनान की स्थिति तथा भारतीयों को वहां से निकालना	301–303
डा. मनमोहन सिंह	301–303
नियम 377 के अधीन मामले	305–315
(एक) तमिलनाडु में नागापटिनम और वैलनकन्नी के बीच रेल लाइन बिछाने जाने की आवश्यकता	
श्री फ्रांसिस फैन्थम	305
(दो) कुर्दिस्तान, इराक में फंसे भारतीयों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री बाडिगा रामकृष्णा	305–306
(तीन) हिमाचल प्रदेश को जम्मू-कश्मीर से जोड़ने वाले सामरिक महत्व के संसारी-किलार-थिरोट मार्ग का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती प्रतिभा सिंह	306–307
(चार) वडोदरा और मुम्बई के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	307

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) कोयले पर रायल्टी दर की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंत नायक	308
(छह) त्रिपुरा में अगरतला सबरूम रेल लाइन को जोड़ने के लिए बजट प्रावधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री खगेन दास	308–309
(सात) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु निधि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	309–310
(आठ) जहानाबाद, बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110, 98 और 83 की मरम्मत और रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश प्रसाद सिंह	310
(नौ) "तमिलनाडु सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" का नाम पुन: "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" रखे जाने की आवश्यकता	
डा. के. धनराजू	310–311
(दस) कर्नाटक में चिकनगुनिया बीमारी फैलने से रोके जाने की आवश्यकता	
श्री एम. शिवन्ना	311–313
(ग्यारह) सोलहवीं शताब्दी के असम के वैष्णव संत श्रीमन शंकर देव के जन्म दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता	
डा. अरूण कुमार शर्मा	313–314
(बारह) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोके जाने की आवश्यकता	
डा. गिरधारी लाल भार्गव	314–315
नियम 193 के अधीन चर्चा	
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	315–346
डा. चिन्ता मोहन	315–322
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	322–334
श्री बसुदेव आचार्य	334–344
श्री रामजीलाल सुमन	344–350
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	350–357
श्री के.सी. पलनिसामी	357–360
श्री ब्रजेश पाठक	360–364
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	365–368

विषय		कॉलम
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	368–371
	श्री किरण माहेश्वरी	371–375
	श्री अधीर चौधरी	375–378
	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	378–380
	श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन''	380–382
	प्रो. एम. रामदास	383–387
	कुमारी ममता बनर्जी	387–396
	श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	396–400
	डा. एम. जगन्नाथ	401–406
	श्री एन.एन. कृष्णदास	406–408
	श्रीमती नीता पटैरिया	408–411
	चौधरी लाल सिंह	411–414
	डा. सी. कृष्णन	414–418
	श्री शैलेन्द्र कुमार	419–420
	श्री एम. शिवन्ना	420–425
	श्री गणेश सिंह	425–429
	श्री के.एस. राव	429–432
	श्री जोवाकिम बखला	432–434
	श्री राम कृपाल यादव	434–436
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	436–438
	श्री पी.एस. गढ़वी	438–440
	डा. बाबू राव मिडियम	440–441
	श्री सुनिल कुमार महतो	441–442
	श्री तापिर गाव	442–44
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	447
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	448–454
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	455–456
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	455–456

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 27 जुलाई, 2006/5 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं कल और परसों घटित हुई हैं, जो सारे देश के लिए चिंता का विषय हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, सभा में व्यवस्था बनाए रखिए। आपके उप नेता बोल रहे हैं और आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने मुझे इस मामले में सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैंने प्रश्न काल स्थगित करने के लिए कहा था।

[हिन्दी]

उसका एक कारण यह है कि असम गवर्नमेंट ने कहा है कि भारत की दो किलोमीटर जमीन बंगला देश ने हथिया ली है। असम सरकार यह कह रही है कि दो किलोमीटर हमारी जमीन बंगला देश ने छीन ली है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह कोई छोटा मामला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, प्रश्न काल के दौरान वे कार्यवाही में प्रतिदिन व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्वैश्चन आवर का क्या ताल्लुक है-असम सरकार कह रही है कि हमारी दो किलोमीटर जमीन बंगला देश ने छीन ली है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री यहां हैं। सभा के नेता यहां हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: प्रतिदिन यही हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बैठेंगे?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: दूसरा कारण यह है कि लश्करे तैयबा के पांच आदमी हमारी सेना के अंदर काम कर रहे थे, जबकि इनका कहना था कि कोई हमारी सेना में काम नहीं कर रहा है, अर्ध-सैनिक बलों में काम कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले को प्रश्न काल के बाद उठायें। मैं इस मामले को प्रश्न काल के बाद उठाने की अनुमति दे दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ये दोनों बातें बहुत ही चिंता का विषय हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक घंटे के समय में कुछ नहीं होने जा रहा है। कृपया इसे प्रश्न काल के बाद उठाएं। मैं आपको मध्याह्न 12 बजे के बाद उठाने की अनुमति दूंगा, अभी नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उस दिन इन्होंने घोषणा की थी कि एयरफोर्स के अंदर कोई नहीं हैं, लेकिन अब तो आर्मी के अंदर पाए गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सूचीबद्ध है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यह नहीं कह रहा कि आपका मामला महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इसे मध्याह्न 12 बजे उठाने का अनुरोध कर रहा हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सर, यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस आयेग तो आपको चांस देंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रबोध पाण्डा, प्रश्न संख्या 61

स्टेशनों पर ''ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम''

***61. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलगाड़ियों की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर 'ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम' (जी.पी.एस.) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रणाली के लिए किन-किन स्टेशनों का चयन किया गया है; और

(ग) इस प्रणाली को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रेलवे ने रियल टाइम यात्री सूचना प्रणाली के लिए रेल संचालन हेतु उपग्रह दूरसंचार (सिमरन) नामक एक पायलट परियोजना स्वीकृत की है। यह परियोजना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का प्रयोग करते हुए विकसित की जा रही है। यह परियोजना अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (अअमासं), लखनऊ और आईआईटी, कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है। इस पायलट परियोजना को यात्रियों के लिए रियल टाइम सूचना मुहैया कराने के लिए हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर विकसित करने के लिए स्वीकृत किया गया है।

सिमरन परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

* प्रत्येक गाड़ी की अवस्थिति, गति और संचलन की दिशा पर लगातार निगरानी रखने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना।
* स्टेशनों के प्रदर्श बोर्डों, आईवीआरएस, एसएमएस और इंटरनेट के माध्यम से यात्रियों और आम जनता के लिए गाड़ी चालन के बारे में रियल टाइम आधार पर सूचना का प्रचार करने के लिए तकनीकें विकसित करना।

(ख) यह एक इंजन आधारित प्रणाली है और स्टेशन आधारित नहीं है। इस परियोजना के अंतर्गत उपस्कर यात्री रेलगाड़ियों के इंजनों में मुहैया कराए जाएंगे और न कि स्टेशनों पर।

इस परियोजना का तीन खंडों पर परीक्षण किया जा रहा है:

* इलाहाबाद-कानपुर खंड (उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद मंडल)
* लखनऊ-कानपुर खंड (उत्तर रलवे का लखनऊ मंडल)
* चेन्नै-बेंगलुरू खंड (दक्षिण रेलवे का चेन्नै मंडल और दक्षिण पश्चिम रेलवे का बेंगलुरू मंडल)

(ग) इस पायलट परियोजना को मार्च, 2008 तक पूरा किए जाने की योजना है। इसके परिणाम के आधार पर भारतीयों रेलों पर इस प्रणाली को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया जाएगा।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय का बड़े विस्तृत उत्तर के लिए धन्यवाद दूंगा। किंतु फिर भी मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं और इसलिए मैं अपने पूरक प्रश्न पूछूंगा।

महोदय, वर्तमान जन उद्घोषणा प्रणाली अबोधगम्य सी है और रेल की स्थिति दिखाने वाला मानिटर बिलकुल संकेत रहित है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस एक बहुत परिष्कृत यंत्र है। इस यंत्र का उपयोग करने से प्लेटफार्मों पर प्लाज्मा स्क्रीन पर गाड़ी की स्थिति और संचलन और चित्र दिखाई जा सकते है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से उन स्टेशनों के नाम पूछे थे जहां ये

स्थापित किए गए हैं। किंतु माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि यह रेल इंजन आधारित प्रणाली है और स्टेशन आधारित नहीं है।

जब रेल इंजन पर जीपीएस स्थापित कर दिया जाता है तो यह उपग्रह चित्रण प्रणाली से संप्रेषण करना प्रारंभ कर देता है और अपनी स्थिति की जानकारी देता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न रखिए।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। आंकड़े और चित्र रेलवे स्टेशनों के निगरानी कार्यालयों में मदर कम्प्यूटर को भेजे जाते हैं। वह कम्प्यूटर चित्रों को स्टोर करता है और उन्हें स्टेशन के विभिन्न पाइंटों पर प्लाज्मा स्क्रीन पर रिले कर देता है। यदि मदर कम्प्यूटरों के प्रतिष्ठापन के लिए निगरानी कार्यालय तौर पर कोई स्टेशन नहीं सुझाया गया है और प्रदर्शन हेतु संबंधित स्टेशनों के प्लेटफार्मों का चयन नहीं किया गया है तो यह यंत्र किस तरह चर्चा करेगा? मैं उन स्टेशनों के नाम जानना चाहता हूं जिनका चयन मदर कम्प्यूटरों के प्रतिष्ठापन के लिए किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: वे पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि स्टेशनों के नाम नहीं बताए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका पूरक प्रश्न उत्तर पर आधारित होना चाहिए।

श्री आर. वेलु: महोदय, सभा की सूचना के लिए मैं यह बता दूं कि इस प्रणाली की घोषणा 15.8.2003 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की थी। उन्होंने कहा था कि रेलवे के बारे में सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दे रेलवे सुरक्षा संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन के पास भेजे जाएंगे। तदनुसार, 14 योजनाओं की घोषणा की गई है और यह योजना उनमें से एक है।

अब, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आते हैं, हम अब 24 उपग्रहों का उपयोग कर रहे हैं जो कि पहले से उपलब्ध है और किसी भी समय किसी भी स्थान वाले तीन उपग्रह रेल की स्थिति, रेल की गति, रेल की दिशा आदि के बारे में बताएंगे और यह केवल यात्रियों और जनता की सूचना के लिए है।

अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि रेलवे स्टेशनों में कुछ यंत्र होना आवश्यक है या नहीं, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से एक केन्द्रीयकृत सर्वर है जो सूचना प्राप्त करता है और इसे प्रत्येक स्टेशन को भेजता है। अत: हमें प्रत्येक स्टेशन में जीपीएस रिसीवर लगाने की जरूरत नहीं है। यह रिसीवर प्रत्येक चल स्टाक अर्थात रेल इंजनों में प्रतिष्ठापित है। प्रतिदिन लगभग 2000 यात्री रेल इंजन संचलन कर रहे हैं और प्रत्येक रेल में एक रिसीवर होगा जो कि प्रत्येक स्टेशन को सूचना भेजेगा जो कि डिस्प्ले बोर्ड पर रेल के संचलन आदि के बारे में प्रदर्शित होगी। ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि समयबद्धता का पालन किया जाए। अत: ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक स्वागत योग्य अवधारणा है। हमने इस प्रणाली के लिए तीन खंडों का चयन किया है। पहला है इलाहाबाद-कानपुर खंड, दूसरा है लखनऊ-कानपुर खंड और तीसरा है चेन्नई और बंगलौर खंड। प्रतिदिन तीन या चार गाड़ियों का परीक्षण किया जा रहा है। यह केवल एक प्रायोगिक परियोजना है। चेन्नई और बंगलौर के बीच परियोजना दिसंबर, 2006 में शुरू होनी है। अब, इस प्रायोगिक परियोजना के परिणाम देखकर ही हम इसे पूरे देश में फैला सकते हैं। इसकी अनुमानित लागत 92 करोड़ रु. है जिसका मतलब यह है कि इससे हम रेल के संचलन, समयबद्धता आदि के संबंध में जनता को दी जाने वाली सेवा में सुधार करेंगे।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, इस परियोजना का परीक्षण तीन खण्डों में किया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रायोगिक परियोजना में दक्षिण पूर्व रेल तथा पूर्व रेल को शामिल करने पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं।

श्री आर. वेलु: माननीय सदस्य को ज्ञात है कि यह एक प्रायोगिक परियोजना है। अत: यह व्यापक और बड़े आधार वाली परियोजना नहीं हो सकती है। इसके लिए हमने दो करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (आईआईटी, कानपुर), रेल मंत्रालय और दो उद्योग भागीदार नामत: ई-लाजिस्टिक्स, चेन्नई और टीसीएस, मुम्बई क्रमश: 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के दर से योगदान दे रहे हैं। इसमें दो करोड़ का व्यय अन्तर्ग्रस्त है और यदि आगे धनराशि की आवश्यकता पड़ी तो मैं इसकी जांच करूंगा कि यह आवश्यक है भी अथवा नहीं। यदि यह आवश्यक है तो मैं इसे उपलब्ध करवाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा हृदय प्रदेश है और मुगलसराय से लेकर नई दिल्ली तक जो मुख्य रेल मार्ग है, मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इलाहाबाद, कानपुर या उसके मुख्य रेलवे स्टेशनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाने की आप कोई व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: मैंने इस अनुपूरक का यद्यपि पहले ही उत्तर दे दिया है फिर भी दोहराते हुए मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि एक बार यह प्रायोगिक तौर पर सफल हो जाए तो भारत के पूरे रेलवे में यह लागू होगा।

श्री अनवर हुसैन: 'ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम' में अक्षांश और देशान्तर के संगणन में लगभग 30 मीटर तक की सायास आरोपित त्रुटि होने की संभावना है। इसमें अन्य खामियां भी हैं। किन्तु इन्वर्टेड डिफ्रेन्शियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (आईडीपीएस) इस प्रकार की त्रुटियों और खामियों से मुक्त है।

स्वचालन तथा संगणन में आईडीजीपीएस की खूबियों को देखते हुए तथा रेलवे नियंत्रण कक्ष में पेशेवर तनाव को कम करने में इसकी खूबियों को देखते हुए क्या सरकार जीपीएस के स्थान पर आईडीजीपीएस को लेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री आर. वेलु: माननीय सदस्य द्वारा यह नया सुझाव दिया गया है। जीपीएस परियोजना की कुशलता का परीक्षण करने हेतु इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। यदि यह हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं रहता है तो माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जाएगा।

सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी

+

*62. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र बलों के प्रत्येक विंग में महिला अधिकारियों का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सशस्त्र बलों में सेवा शर्तों के मामले में पुरुष अधिकारियों की तुलना में महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन सभी मामलों की जांच करने हेतु कोई कदम उठाए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

रक्षा सेनाओं में महिला अधिकारियों का प्रतिशत इस प्रकार है:

सेना	नौसेना	वायुसेना	सेना चिकित्सा कोर	सेन्य परिचर्या सेवा	सेना दंत चिकित्सा कोर
2.56%	2.86%	5.42%	13.58%	100%	18.92%

रक्षा सेनाओं में महिला अधिकारियों की सेवा शर्तें निर्धारित अनुदेशों द्वारा शासित होती हैं। रक्षा सेनाओं की चिकित्सा, परिचर्या और दंत चिकित्सा सेवाओं में महिलाओं को अल्पकालिक सेवा कमीशन और स्थायी कमीशन अधिकारियों, दोनों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन सेवाओं में अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला अधिकारी स्थायी कमीशन पाने के लिए भी पात्र हैं। महिला अधिकारियों को तीनों रक्षा सेनाओं की कुछ चुनिंदा शाखाओं में अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारी के रूप में भी, उन पर लागू होने वाली योजनाओं के अनुसार नियुक्त किया जाता है। किसी अधिकारी का वेतनमान उसके द्वारा धारित मूल रैंक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला अधिकारियों को उनके समतुल्य नियुक्त किए गए अल्पकालिक सेवा कमीशन पुरुष अधिकारियों की तुलना में कम वेतनमान नहीं मिलता है।

सरकार के हाल ही के एक निर्णय के अनुसार, तीनों रक्षा सेनाओं में अल्पकालिक सेवा कमीशन में महिला अधिकारियों को कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल (तथा वायुसेना और नौसेना में समतुल्य) का वेतनमान क्रमश: 2, 6 और 13 वर्षों की गणनीय सेवा के बाद मिलेगा।

तीनों सेनाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने से संबंधित मुद्दे की जांच सेनाध्यक्षों की समिति द्वारा की जा रही है।

डा. एम. जगन्नाथः महोदय, माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य के अनुसार महिलाओं की आबादी की तुलना में रक्षा बलों में महिला अधिकारियों का प्रतिशत अत्यल्प है।

अध्यक्ष महोदयः सभा की सदस्यता के बारे में क्या ख्याल है? क्या राजनीतिक दल इस पर विचार कर रहे हैं?

डा. एम. जगन्नाथः आजादी के लगभग साठ वर्षों के बाद जब हम महिलाओं को बड़े पैमाने में सशक्त बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो रक्षा बलों में उनका प्रतिनिधित्व अत्यल्प है। सेना, नौसेना, वायुसेना, आर्मी मेडिकल कोर और आर्मी डेन्टल कोर में उनका प्रतिनिधित्व क्रमशः 2.56 प्रतिशत, 2.86 प्रतिशत, 5.42 प्रतिशत, 13.58 प्रतिशत और 18.92 प्रतिशत है। केवल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में उनका प्रतिनिधित्व शत प्रतिशत है।

रक्षा बलों में महिलाओं के ऐसे न्यून प्रतिनिधित्व के कारणों का मैं माननीय रक्षा मंत्री से जानना चाहूंगा। क्या ऐसा उनके साथ किए जाने वाले भेदभाव के कारण है? हाल ही में समाचार पत्रों में कई खबरें छपी कि कुछ महिला अधिकारियों से त्याग पत्र देने को बाध्य किया गया और अब उनका 'कोर्ट मार्शल' हुआ तब उन्हें अपने मामले को ठीक ढंग से रखने का मौका नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री से वास्तविक स्थिति जानना चाहूंगा।

श्री प्रणब मुखर्जीः महोदय, जहां तक रक्षा सेवाओं का प्रश्न है, यह सत्य है कि पुरुष अधिकारियों के प्रतिशत की तुलना में महिला अधिकारियों का प्रतिशत बहुत कम है। माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि सशस्त्र बलों के कतिपय वर्गों में महिलाओं को बहुत पहले प्रवेश किया गया था। उदाहरणार्थ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति 1927 में मिली थी और आर्मी मेडिकल कोर में उन्हें 1943 में प्रवेश की अनुमति मिली। किन्तु अन्य सेवाओं में उन्हें हाल में जाकर 1991 में प्रवेश की अनुमति मिली। वर्ष 1991 में उन्हें कुछ अन्य सेवाओं में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। उससे पहले आर्मी मेडिकल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सेवा को छोड़कर महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वर्ष 1991 में यह निर्णय लिया गया कि अल्पकालिक सेवा कमीशन के लिए भी उनकी भर्ती की जानी चाहिए। ये आंकड़े उस प्रणाली का प्रतिबिंबन हैं।

अब, अधिकाधिक महिलाएं सशस्त्र बल में भर्ती में रुचि दिखा रही हैं। प्रशिक्षण, रैंक इत्यादि के संदर्भ में अल्पकालिक सेवा कमीशन में भी पुरुष और महिला अधिकारियों के बीच कतिपय भेदभाव थे। हाल ही में, मात्र एक माह पूर्व हमने निर्णय लिया है कि महिला अधिकारी और पुरुष अधिकारी समान रैंक धारण करेंगे। वे लेफ्टिनेंट के रूप में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात् दो, छह और तेरह वर्षों की मान्य सेवा के पश्चात वे कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक पाने के पात्र होंगे।

यह पुरुष अधिकारी और महिला अधिकारी दोनों पर लागू हैं। जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं कि सशस्त्र बलों में वेतन रैंक पर निर्भर होता है। अतएव जब रैंक में विसंगतियां हटायी गयी हैं तो वेतन में विसंगतियों को भी हटा दिया गया है। अल्पकालिक सेवा कमीशन में प्रशिक्षण क्षेत्र में भी नौसेना तथा वायुसेना के संदर्भ में कोई समस्या नहीं थी किंतु थल सेना में समस्याएं थी। जैसा कि माननीय सदस्यगण स्वीकारेंगे कि सशस्त्र बलों का काम आसान नहीं है। यह अधिक खतरनाक है। अतएव महिला अधिकारियों को 48 सप्ताह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। पहले अल्पकालिक सेवा कमीशन में उन्हें 24 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता था किन्तु अब हमने हाल में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार वे पुरुष अधिकारियों के समकक्ष होंगी और हर किसी को 49 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथः नहीं, महोदय। मैंने हाल ही की घटना के बारे में प्रश्न पूछा है जिसमें दो महिला अधिकारियों को त्यागपत्र देने पर मजबूर किया गया था। यह खबर समाचार पत्रों में छपी है। बैंगलोर में वायु सेना के बारे में एक मामले में एक महिला अधिकारी को कोर्ट मार्शल प्रक्रिया में अपने मामले को ठीक से रखने का अवसर नहीं दिया गया था। माननीय मंत्री ने इस बारे में उत्तर नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जीः जहां तक व्यक्तिगत मामलों का प्रश्न है, जब किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है, तो थल सेना, वायु सेना और नौसेना में इसके निपटान हेतु एक तय प्रक्रिया है। मामले के निपटान हेतु कोर्ट आफ इन्क्वायरी का गठन किया जाता है तथा इन दो मामलों में भी कोर्ट आफ इन्क्वायरी की जांच चल रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आपने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैंने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरा अनुपूरक प्रश्न कैसा? 'तीसरा अनुपूरक' पूछने की कोशिश न करें।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: नहीं, महोदय। मैं पहले अनुपूरक प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण पूछ रहा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। डा. एम. जगन्नाथ, मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। डा. एम. जगन्नाथ, मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें लिखकर दें और वह आपको उत्तर देंगे। मैंने अन्य माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा है। कृपया सहयोग करें। मुझे खेद है, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: महोदय, मैं यह अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

तीनों सेनाओं में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन स्वीकृत करने संबंधी मुद्दे का स्टाफ कमेटी के प्रमुखों द्वारा जांच की जा रही है। सभा पटल पर रखे गए उत्तर में यह बात शामिल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा। पुरुष अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी है। इस नीति को संभावित रूप से लागू होने के पश्चात् महिला अधिकारियों को कमीशन देने हेतु समय का अंतराल रहेगा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्थायी कमीशन प्राप्त करने हेतु महिला अधिकारियों को ऐसी अकादमियों के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए कोई व्यवस्था किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कतिपय स्थानों का चयन करने और माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक परीक्षा पास महिलाओं का नामांकन करने की संभावना है ताकि वे दो वर्षों अथवा चार वर्षों के प्रशिक्षण, जो पुरुष अधिकारियों के मामले में दिया जाता है, के पश्चात् सेना में जाने हेतु तैयार हो सकें।

श्री प्रणब मुखर्जी: ऐसा करना उल्टा काम करने जैसा है। पहला, यह निर्णय लिया जाना है कि महिला अधिकारियों को कमीशन दिया जाए। राष्ट्रीय सैन्य अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जैसी प्रतिष्ठित रक्षा संस्थाओं में भर्ती हेतु विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती है तथा जब एक बार महिला अधिकारियों हेतु स्थायी कमीशन खोल दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वे इन परीक्षाओं में बैठने की पात्र हो जाएंगी और उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उन्होंने यहां जो जवाब दिया है, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, यदि हम सशस्त्र बलों के प्रत्येक विंग में अगर देखें तो सेना में 2.56 प्रतिशत, नौसेना में 2.86 प्रतिशत और वायु सेना में 5.42 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती की गई है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि 1991 से ही सेना में महिलाओं की भर्ती का कार्य शुरू हुआ है और इसीलिए उनका प्रतिशत इतना कम है। लेकिन जो रक्षा मंत्रालय का दृष्टिकोण है, देखने से वह बहुत ही निराशावादी लग रहा है, शायद इसलिए कि या तो उसे महिलाओं पर भरोसा नहीं है कि महिलाएं सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा में आगे बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना सरकार द्वारा चलायी जा रही है क्योंकि एक तरफ सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, उनका स्टेटमेंट आता है, एक तरफ वे भर्ती के लिए कहते हैं कि हम सेना में महिलाओं को भर्ती करना चाहते हैं, जिससे महिलाएं और ज्यादा प्रोत्साहित हों, लड़कियों की भी इच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा स्टेटमेंट आता है कि महिलाओं को सुरक्षित रखने और आगे लाने में हमारा क्या रोल है? यह सवाल मैं इसलिए भी जानना चाहती हूं क्योंकि स्वयं आप मानते हैं कि महिलाओं का सेना में बहुत कम प्रतिशत है, सेना में आने के लिए महिलाओं की रुचि बढ़ रही है, सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है जिससे हम विश्वास कर सकें कि सेना में महिलाओं की भर्ती करने के विषय में आपका उन पर भरोसा है, कैसे आप सदन को भरोसा दिला सकेंगे?

अध्यक्ष महोदय: छोटा-छोटा प्वाइंट बनाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: हम सेना में भर्ती हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि माननीय सदस्य ने भी सेनाओं विशेषकर सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने हेतु महिलाओं

को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापन, बोर्डो और होर्डिंग्स देखे होंगे। परन्तु निश्चित रूप से माननीय सदस्य महोदय इस तथ्य से अवगत होंगे कि यहां तक उन सेवाओं में भी, जैसे मेडिकल कोर जिसे हमने 1943 में महिलाओं हेतु खोला था, उनका प्रतिशत पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है जबकि महिला डाक्टरों की कमी नहीं है। इस वजह से कि सशस्त्र बलों में जीवन काफी कठिन होता है, यहां तक कि पुरुष अधिकारी भी इसमें आना नहीं चाहते। 12,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। ये काफी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र हैं। यदि मेधावी लड़कों को कहीं अन्यत्र अवसर प्राप्त हो जाता है तो सशस्त्र सेवाओं में शामिल नहीं होते हैं। परन्तु निश्चित रूप से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम विभिन्न कैम्प यथा यूनिवर्सिटी कैम्पस, महाविद्यालयों में विभिन्न कैम्प लगाते हैं ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी सशस्त्र सेवाओं में शामिल हो सके। मेरा विश्वास है कि स्थायी कमीशन हेतु निर्णय हो जाने के पश्चात सम्भवत: सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने हेतु महिलाओं के लिए यह एक अन्य प्रोत्साहन होगा।

श्री लक्ष्मण सेठ: जहां तक मेरी जानकारी है, अन्य विकसित व विकासशील देशों के सशस्त्र बलों में अपने देश की अपेक्षा महिला अधिकारियों की संख्या काफी अधिक है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक महिला अधिकारियों की भर्ती किए जाने हेतु कोई नीतिगत दिशानिर्देश जारी करेंगे। अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की सेवा शर्तों सुनिर्धारित अनुदेशों द्वारा शासित होती हैं। उन्हें शासित करने वाले ये सुनिर्धारित अनुदेश क्या हैं? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सशस्त्र बलों के पुरुष अधिकारियों और महिला अधिकारियों के बीच इन अनुदेशों के मामले में कोई अंतर रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: डिटेल्स तो यहां नहीं मिलेंगे। लेकिन आप 'यस' और 'नो' बोल दीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक सेवा शर्तों में अंतर का प्रश्न है, मैंने पहले दिए गए अपने उत्तर में यह बता दिया है कि इन उत्तरों को दूर कर दिया गया है। मैंने सेवा शर्तें बता दी है। एक बार आप इन सेवाओं में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो लेफ्टिनेन्ट के रूप में आपकी भर्ती की जाती है। अधिमान्य सेवा की पहली तिथि से दो वर्षों के पश्चात् आपको कैप्टन का रैंक मिल जाएगा। इसके पश्चात् 6 वर्षों के बाद आपको मेजर का रैंक तथा उसके 13 वर्षों के पश्चात् लेफ्टिनेन्ट कर्नल का रैंक प्राप्त हो जाएगा, आदि-आदि। यह दो, छह और तेरह वर्षों में अवधि विनिर्दिष्ट पदोन्नति है। यदि आप कतिपय अन्य कारणों से अपात्र घोषित नहीं किए जाते हैं तो आपको पदोन्नति स्वत: मिलती जाएगी तथा इस क्षेत्र में पुरुष अधिकारियों और महिला अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: अध्यक्ष महोदय, जैसा यहां सदन की अन्य महिला साथियों ने प्रश्न उठाया है, सभी महिलाएं इस बारे में गंभीर हैं कि महिलाओं की स्थिति सेना में बहुत खराब दिखाई दे रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि महिलाओं को सेना में भर्ती कराने के लिए अभी जो नियम कानून बने हैं, उनमें संशोधन करने के लिए हम क्या कोशिश करने जा रहे हैं और कब तक हमारी कोशिश पूरी होगी?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी इस संबंध में पहले ही बता चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे अधिक से अधिक संख्या में सशस्त्र बलों में शामिल हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वे सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो रही हैं। हमने प्रक्रिया की शुरूआत वर्ष 1991 में की थी। यदि प्रतिशत के रूप में कुल आंकड़े को देखें तो पाएंगे कि इस देश में सशस्त्र बलों में 11 लाख सैन्य कर्मी हैं तथा इन 11 लाख सैन्य कर्मियों में महिलाओं की संख्या 3 प्रतिशत है। यह संख्या बहुत कम नहीं है। हमने सशस्त्र बलों में महिलाओं को भर्ती करने का निर्णय वर्ष 1991 में लिया था, इस निर्णय को 1992 में क्रियान्वित किया गया तथा वर्ष 1992 से 2005 तक में यह आंकड़ा है। परन्तु जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, कठिनाइयां हैं। यहां तक कि हमारी आवश्यकता के अनुरूप पुरुष भी सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो रहे हैं। जहां तक विशेषकर महिला अधिकारियों के लिए सेवा शर्तों का प्रश्न है, इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है और सुधार किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि इस सभा के सभी पक्ष सशस्त्र बलों में और अधिक महिला अधिकारियों की भर्ती किए जाने के पक्षधर हैं तथा माननीय मंत्री महोदय ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे।

आत्महत्या के मामले

*63. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सशस्त्र बलों में आत्महत्या के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो उनसे क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सेना, नौसेना तथा वायुसेना में वर्ष 2003, 2004, 2005 तथा 2006 (आज की तारीख तक) के दौरान आत्महत्या के मामलों की कुल संख्या क्रमश: 120, 116, 119* तथा 84 है।

आत्महत्या के सभी मामलों की जांच-पड़ताल समुचित अदालतों/जांच बोर्डों द्वारा की जाती है। इनके निष्कर्षों के विश्लेषण से यह पता चला है कि अधिकांश मामलों में, व्यक्ति विशेष द्वारा यह आखिरी कदम वैवाहिक कलह; चिकित्सा, वित्तीय अथवा संपत्ति संबंधी विवादों; विवाहेतर संबंधों, आदि जैसी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्याओं के कारण उठाया जाता है न कि व्यावसायिक अथवा संगठनात्मक कारणों की वजह से।

इस संबंध में, तीनों सेनाओं द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं:- वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अफसरों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक चर्चा को बढ़ाना ताकि व्यक्तिगत समस्याओं को जानकर अग्रलक्षी ढंग से उनके समाधान सुझाये जा सकें; यूनिट में मित्रता प्रणाली तैयार करना तथा सूचना देने तथा प्रतिपुष्टि करने की प्रामाणिक प्रणाली को सुदृढ़ करना; व्याख्यानों/प्रस्तुतियों का आयोजन करने के लिए तथा अफसरों/कार्मिकों को शिक्षित करने हेतु मनोवैज्ञानिकों तथा परामर्शदाताओं की सेवाओं का सदुपयोग करना; तनाव ग्रस्त कार्मिकों की पहचान करना तथा उनका मासिक उपचार करना तथा उन्हें परामर्श देना। वरिष्ठ अफसरों द्वारा इन उपायों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जा रही है। सेनाओं के सभी अफसरों तथा अन्य कार्मिकों को उपर्युक्त विषयों के संबंध में जागरूक कर दिया गया है।

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से उच्च पदस्थ अधिकारियों पर जवाबदेही निर्धारित नहीं होती, परन्तु सेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों के वक्तव्यों से यह साबित होता है कि वे निम्न पदस्थ कर्मिकों की मानसिक समस्याओं के प्रति निष्ठुर एवं उदासीन रवैया अपनाते हैं और यही रवैया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या की घटनाओं का कारण बनता है। ये अधिकारी आत्महत्या के पीछे के और अधिक बुरे पहलुओं को भी छिपाते हैं। हम आत्महत्या की घटनाओं के कारणों में उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा निभाई जा रही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका को कम नहीं आंक सकते हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह पता लगाने के लिए किसी जांच का आदेश देंगे कि क्या लेफ्टिनेंट सुष्मिता चक्रवर्ती की आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार जिम्मेदार है?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं यह आपका प्रथम प्रयास है।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, जहां तक लेफ्टिनेंट सुष्मिता चक्रवर्ती की आत्महत्या के मामले का संबंध है, यह अन्वेषणाधीन है। एक जांच बोर्ड गठित किया गया है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि गत पांच वर्षों में पुरुष अधिकारियों की तुलना में महिला अधिकारियों के आत्महत्या के मामलों की संख्या केवल पांच है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए।

परन्तु जैसाकि मैंने आपको बताया है कि सशस्त्र बलों के कार्मिकों की नौकरी सामान्य नहीं है। उन्हें लंबे समय तक परिवार से दूर रहना पड़ता है। हमारे जैसे गरीब देश में, हम अधिकारियों और इनसे नीचे के रैंक के कार्मिकों को शत प्रतिशत पारिवारिक आवास उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। उन्हें अन्तिम मोर्चे पर तैनात रहना पड़ता है जोकि अत्यधिक दुर्गम और दुसह्य वातावरण वाला होता है और सेना के साथ अन्य खतरे भी जुड़े होते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि इससे तनाव होता है और इसलिए हमने एक ऐसा तंत्र तैयार किया है जिससे हम लगातार स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, हमने अभी हाल में ही यह अनुदेश दिया है कि बेहतर कार्मिक प्रबंधन होना चाहिए और सैनिकों का कनिष्ठ नेताओं के साथ नियमित बातचीत से उनकी शिकायतों को तत्काल सुना जाना चाहिए।

*इसमें वर्ष 2005 में सेना में संबंधित आत्म हत्या के प्रयास के 15 मामले भी शामिल हैं।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत नहीं होंगे कि सेना में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है रैंक और चेन आफ कमांड। अतएव, वरिष्ठ अधिकारी के पास उत्तरदायित्व होता है और यह उच्च रैंक पर नहीं हो सकता है अन्यथा श्रृंखला टूट जाएगी। परन्तु कमांड के प्रत्येक चरण में सबसे निचले से सबसे ऊपर तक समुचित प्रविधि तैयार की जा रही है।

दूसरी समस्या जिसका हमें सामना करना होगा और जिससे हम नहीं बच सकते हैं, वह एक प्रकार का तनाव है जिसे हम अपने सशस्त्र बलों पर डाल रहे हैं। सेना मूलत: अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए और देश को आक्रमण से बचाने के लिए है। परन्तु आज हमारे सशस्त्र बलों का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक सुरक्षा हेतु सेवा में तैनात है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। परन्तु कड़वी सच्चाई यह है कि विशेषज्ञता प्राप्त बलों को जिसका हम निर्माण कर रहे हैं और जिस प्रकार के विश्राम की उनको जरूरत है, जिस प्रकार के अवकाश की उनको जरूरत है और जैसा प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है तथा कठिन एवं दुर्गम तैनाती के बीच और अंतर, दुर्गम तैनाती की अवधि में कमी, इन सब चीजों को हम कभी-कभी नहीं कर पाते हैं। इन सबका कभी-कभी पूरा असर होता है।

परन्तु, फिर भी, मैंने विकसित देशों के सशस्त्र बलों में आत्महत्या के मामले के अन्य समकालीन दर के आंकड़ों की जांच की है। संयुक्त राज्य अमरीका में यह प्रति लाख 17 है, ब्रिटेन में यह प्रति लाख 16 है, फ्रांस में यह प्रति लाख 24 है और भारत में यह प्रति लाख 10.8 है। यद्यपि यह प्रति लाख 10.8 ही है, परन्तु मैं संतुष्ट नहीं हूं। यदि हम इसमें और कमी कर सकते हैं, तो हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए और प्रत्येक मामले की जांच की जा रही है।

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: महोदय, क्या माननीय मंत्री जी ने 30 अप्रैल को आत्महत्या करने वाले कैप्टन सुमीत कोहली के परिवार के सदस्यों द्वारा षडयंत्र के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं?

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, जांच बोर्ड को पूरी-पूरी सूचना दे दी गई है और उन्हें मामले की जांच के अनुदेश दिए गए हैं ताकि हम मामले की तह तक पहुंच सकें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया था और उसका जो उत्तर आया है, उसे देखने से यह लगता है कि सेना केवल आत्महत्या करने वाले किसी सैन्य अधिकारी की व्यक्तिगत परेशानियों को ही आत्महत्या का कारण मानती है, ऐसा इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है। परंतु मेरी अपनी जानकारी के अनुसार इसके अतिरिक्त सेना की जो कार्य प्रणाली है वह भी एक प्रमुख कारण है, जैसे उन्हें समय पर छुट्टी नहीं मिलना, समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होना, आदि। इसके अतिरिक्त उनके वेतन-भत्तों आदि की सीमा भी बहुत कम है। ये भी कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनके संबंध में उन्होंने कोई बात नहीं कही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको अपनी बात संक्षिप्त रूप से कहनी चाहिए और अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या मंत्री महोदय सेना के जवानों के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फ्रीक्वैन्टली, प्रति तीन माह, प्रत्यक्ष रूप से कोई अधिकारी उनसे चर्चा करे, उनकी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का समाधान करे? उनकी जो वेतन वृद्धि वगैरह की समस्याएं हैं, क्या उसके लिए वेतन आयोग में उनके प्रतिनिधि को भेजकर उनके निराकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित कराएंगे? हम देखते हैं कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तुलना में सेना में काम करने वाले अधिकारियों के वेतन भत्ते बहुत कम हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये सब सुझाव हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या आप इस दृष्टिकोण से उनके वेतन भत्ते बढ़ाएंगे, उनकी छुट्टियों की समयावधि बढ़ाएंगे, साल में दो-तीन बार आवश्यकतानुसार उनको छुट्टी देने की व्यवस्था करेंगे और उचित चिकित्सा सुविधाएं आदि उपलब्ध कराएंगे?

अध्यक्ष महोदय: इतना बड़ी सप्लीमैंट्री नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैं अपने प्रश्न के जवाब में पहले ही यह उल्लेख कर चुका हूं कि हम अन्य बेहतर कार्मिक प्रबंध, सभी स्तरों पर बातचीत के द्वारा शिकायतों को शीघ्र सुनने, बार-बार अवकाश देने, लड़ाकू मोर्चे पर उच्च जोखिम वाले कार्मिकों की पहचान करने और उनको परामर्श देने, धार्मिक उपदेशकों द्वारा भी परामर्श देने, रेजिमेंट के चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ कमांडरों का प्रशिक्षण, मनोचिकित्सीय परीक्षण इत्यादि जैसे कदम उठा रहे हैं।

इन सबका ध्यान रखा जा रहा है, परन्तु कारकों पर गौर करना होगा। मेरे लिए "तीन माह के अंतराल पर" का सुझाव देना ठीक नहीं है उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के जंगलों से लेकर हिमाच्छादित हिमालय तक सेवारत सैन्य बलों की व्यापक समस्याओं और आवश्यकता को समझना चाहिए। यह कहना आसान है परन्तु इतने बड़े सैन्य बल को तीन माह के अंतराल पर हटाना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह सुझाव कार्यान्वित करने के लिए है।

श्री प्रणब मुखर्जी: अतएव, ये तकनीकी एवं संभारतंत्र की समस्याएं हैं जिन्हें हमें समझना होगा। मैं स्वयं अवकाशों को स्वीकार करता हूं कि हमें उन्हें अवकाश देना चाहिए। कुछ दिन पूर्व अपने सुरक्षा स्थिति की चर्चा की और इसका अभिप्राय क्या था? *...(व्यवधान)* मुझे पूरा करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसके नियम एवं प्रक्रियाएं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री गहलोत जी, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी: यदि माननीय सदस्य अपने ही प्रश्न का जवाब देने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। वह अपने ही प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक वेतन-मान का संबंध है, इसकी एक प्रणाली है। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो हमें यह कहना चाहिए कि रेलवे के लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए, जब हम डाकघरों की बात करते हैं, तो हमें यह कहना चाहिए कि डाक घर के लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए। वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है और इसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व संभव नहीं होगा। इस संबंध में एक स्थापित पद्धति है, स्थापित पद्धति के अनुसार इसका ध्यान रखा जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि डिफेंस फोर्स का यह उसूल, प्रिंसिपल एवं डेकोरम है, जो ज्यादा खुदकुशी, सूसाइड करने के हादसे फौज के अंदर होते हैं, फीमेल के अलावा मेल में भी होते हैं, बिंग ए एक्स-सर्विसमैन मेरी यह जानकारी है कि जब किसी जवान की कोई घरेलू परेशानी होती है, कोई ऐसा इंसीडेंट उसके घर में हो जाता है, जब वह किसी मौके पर अपने घर वालों के साथ शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है और छुट्टी की डिमांड करता है, उस समय उसकी बात को तरजीह नहीं दी जाती, सुना नहीं जाता, मैं समझता हूं कि उसी वक्त ऐसे हादसे होते हैं। डिफेंस फोर्स के अंदर जो डिसिप्लिन है कि छुट्टी के लिए सैक्शन कमांडर के पास जाना पड़ता है, अगर वह उसकी बात नहीं सुनता तो उसे हायर आफिसर, प्लाटून कमांडर या कम्पनी कमांडर के पास जाना पड़ता है, ये सारी हर्डल्स हैं, जब उसकी बात आगे नहीं पहुंचाई जाती तो उस वक्त ऐसे हादसे होते हैं। इसलिए मैं रक्षा मंत्री जी से जाना चाहता हूं कि इस प्रोसीजर में कोई नरमी लाने के, कोई ऐसे प्लान फौज के अंदर बनाएंगे ताकि उसकी परेशानियों को हायर आफिसर के सामने पहुंचाया जाए और इन हादसों को होने से रोका जा सके।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: वहां प्रणाली शुरू की गई है कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी शिकायतें बता सकते हैं। लेकिन समस्या वास्तविक है। इसी कारण हम लोग विवाहित कार्मिकों के लिए अधिक संख्या में पारिवारिक आवास प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका अपने परिवारों से लंबे समय तक अलग रहने को कम किया जा सके। सौभाग्यवश, सरकार ने पारिवारिक आवास परियोजनाओं हेतु यथेष्ठ धनराशि मंजूर की है, लेकिन इससे आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप से ही हो सकेगी। अत:, हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। बार-बार स्थान परिवर्तन, लघु अंतरालों पर बार-बार अवकाश, परामर्श और अवसाद का संकेत मिलते ही इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना और तत्पश्चात् उपयुक्त कदम उठाया जाना चाहिए; इन्हें तैयार करना होगा और हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि किसी भी महिला द्वारा की गई आत्महत्या के पीछे उसका व्यक्तिगत कारण बताया जाता है, जो मेरी समझ में नहीं आता है। सेना में अभी कुछ दिन पहले सुष्मिता

चक्रवर्ती ने आत्महत्या की थी, उसके पीछे भी यही कारण बताया गया कि इस महिला ने व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस संबंध में क्या किसी महिला कमीशन से कोई रिपोर्ट मंगवाई गई, किसी बाहर के संगठन से या डिफेंस के संगठन से कोई डिक्लेरेशन लिया गया?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मुझे डर है कि मैं यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि सेना के स्थापित नियम हैं। निश्चित रूप से वे लोग जिनके पास सूचना है, इसे जांच बोर्ड को दे सकते हैं लेकिन हम बाहर से जांच दल नहीं भेज सकते हैं। माननीय सदस्यगण समझेंगे कि विगत पांच वर्षों में आत्महत्या के पांच मामले हुए हैं। प्रत्येक मामले की जांच की गई है और जांच बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने इस पर ध्यान दिया है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस क्षेत्र में किसी प्रकार की नाम मात्र जांच के बारे में नहीं सोच सकता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, आपने जो उत्तर दिया, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी प्रोबलम्स हैं, जैसे बहुत कम समय में कहीं से कहीं पर उनका ट्रांसफर हो जाना, छुट्टी आवश्यकता से कम समय की देना और बड़े अधिकारियों द्वारा छोटे पदाधिकारियों का शोषण होना-ऐसी बहुत सी बातें सामने आई हैं। कुछ समय पहले फौज के एक आफिसर की मृत्यु हई, वह हत्या थी या आत्महत्या, उसका अब तक पता नहीं चल सका। उनके परिवार वालों का कहना था कि उनके ऊपर कुछ प्रेशर था या ऐसी कोई बात उन्हें पता थी, जिसके कारण उनकी हत्या हुई। मैं चाहती हूं कि बाहर भी हमारे फौजियों की मेंटल स्थिति ठीक रहे, वे मानसिक अवसाद में न जाए, कुछ वक्त के बाद उन्हें उनके परिवार वालों की फोटोग्राफ दिखाए जाएं, अगर उनका इमोशन उस ओर जा रहा है तो उन्हें घर भेज दिया जाए, क्या हम सेना में इस तरह के मापदंड अपनाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। ऐसा निश्चित एवं मुख्य रूप से उस तनाव एवं दबाव के कारण होता है जिसमें वे काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी काफी सहानुभूति रखते हैं और उन्होंने ऐसा कहा है। पूरे राष्ट्र को साहनुभूति है।

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक किसी व्यक्ति के प्रश्न का संबंध है, हमने मामले की जांच की है। निश्चित रूप से, परिजनों का महत्व है। उन्हें विश्वास में लिया गया था और उन्हें बताया गया था कि वास्तविक तथ्य क्या है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि इन सभी चीजों का कारण संगठनात्मक अथवा पेशागत नहीं है। यह अच्छी बात है, लेकिन हम कुशल लोगों को गंवा रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि यह एक व्यक्तिगत मामला है, तथापि हम कुशल लोगों को गंवा रहे हैं। रक्षा बलों के लिए कुशल लोगों की काफी आवश्यकता है।

हमारे सामने व्यक्तिगत मामलों की अनेक समस्याएं आ रही हैं। सेना कार्मिकों के परिवार के सदस्य-पत्नी एवं बच्चे-दूरस्थ स्थानों पर रह रहे हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं लेकिन सिविल प्राधिकारी उनकी समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। अत:, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के पास क्या तंत्र मौजूद है? उनकी कुछ समस्याएं निजी हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप सिविल प्राधिकारियों को किस प्रकार उत्तरदायी बनाते हैं?

अध्यक्ष महोदय: लगभग ये प्रश्न समान हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक सिविल प्राधिकारियों के साथ परस्पर क्रिया का संबंध हैं, प्रत्येक राज्य में राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड हैं तथा केंद्र में केंद्रीय सैनिक बोर्ड है। रक्षा सचिव निरंतर मुख्य सचिव के संपर्क में हैं और उनसे यह कह रहे हैं कि ये लोग हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और लंबी दूरी के कारण वे अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। अत:, जिला स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से करने के लिए कहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में काफी अच्छा सहयोग है, लेकिन कुछ अन्य राज्य है- जिनके नाम का उल्लेख मैं नहीं करना चाहूंगा- जहां से हमें समुचित उत्तर नहीं मिल रहा है। मैंने स्वयं इस मामले को राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ उठाया है। हाल ही में मैंने स्वयं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक की थी जिसके सदस्य मुख्य मंत्री हैं। हमने उनके साथ विचार-विमर्श किया है। मैंने समस्याओं को रेखांकित किया और उनके निजी हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है कि स्थिति में शीघ्र सुधार होगा।

डा. पी.पी. कोया: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने हैसियत एवं अनुभव के अनुरूप व्यापक उत्तर दिया है। मुझे इस पर काफी

खुशी है। मूल प्रश्न यह है। आत्महत्या की घटनाओं को न्यूनतम करने अथवा उन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

दुर्भाग्यवश, आत्महत्या किसानों के बीच, लोगों के अन्य वर्गों के बीच आम है और ऐसी ही स्थिति सेना में है।

अध्यक्ष महोदय: डा. कोया, उन्होंने इसका उत्तर विस्तारपूर्वक दिया है। उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है।

डा. पी.पी. कोया: अत:, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सूचना, संवाद, आई.ई.सी. क्रियाकलापों अथवा विशेष प्रशिक्षण द्वारा इस आत्महत्या दर पर नियंत्रण पाने की उनकी कोई निश्चित योजना है ताकि ऐसी घटनाओं की संख्या में कमी आ सके।

अध्यक्ष महोदय: आत्महत्या नहीं करने के लिए प्रशिक्षण।

श्री प्रणब मुखर्जी: हम प्रशिक्षण पर जोर दे रहे हैं; हम परामर्श पर जोर दे रहे हैं; हम तनाव कम करने पर जोर दे रहे हैं; हम अपेक्षित मामलों में राहत प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। चूंकि संख्या काफी अधिक है, अत: व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस प्रक्रिया में कुछ काफी कुशल कार्मिकों को खो रहे हैं। लेकिन, शायद मेरे लिए यह संकेत करना संभव नहीं होगा कि ऐसी स्थिति बन सकती है जो कि पूर्णतया आत्महत्या मुक्त हो। यह संभव नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें कमी लाने के लिए हमें अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए और हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

*64. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने तथा इन परियोजनाओं को लाभांश प्राप्त करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मानदण्डों के आधार पर परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभांश की अपेक्षित दर कितनी है;

(ग) क्या कई रेल परियोजनाओं में लाभांश की दर निर्धारित मानदण्डों से कम है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने इन परियोजनाओं से प्राप्त लाभांश को निर्धारित मानदण्डों के बराबर लाने के लिए उपाय किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। वर्तमान मानकों के अनुसार उन परियोजनाओं को अर्थक्षम समझा जाता है जो रियायती रोकड़ प्रवाह विधि के अंतर्गत 14% की प्रतिफल दर मुहैया कराती हैं।

(ग) और (घ) पिछड़े, पर्वतीय, आदिवासी, दूरस्थ एवं अल्पविकसित क्षेत्रों को संपर्क मुहैया कराने के लिए सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से ऐसी अनेक नई लाइन एवं आमान परिवर्तन परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो अपेक्षित प्रतिफल की दर मुहैया नहीं कराती। इन परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाली सूची संलग्न अनुबंध में दी गयी है।

(ङ) और (च) परियोजनाओं के वित्तपोषण में राज्य सरकारों की भागीदारी शामिल करने के लिए पहलें की गई हैं। कम यातायात/प्रतिफल वाली ऐसी लाइनों के निर्माण के मानकों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है ताकि वे लागत घटाने के लिए निम्नतर यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें।

अनुबंध

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
नई लाइन		
1.	अबोहर-फाजिल्का	86.44
2.	आगरा-इटावा बरास्ता फतेहाबाद और बाह	214.9
3.	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ	462.67

1	2	3
4.	अजमेर-पुष्कर	88.4
5.	अमरावती-नारखेड़	284.27
6.	अंगामाली-सबरीमाला	550
7.	आरा-सासाराम	1891.4
8.	अजीमगंज (नासीपुर)-जियागंज, घाट तक	22.78
9.	बेंगलौर-सत्यमंगलम	901.62
10.	बारामती-लोनाड	138.48
11.	ब्यास से डेरा बाबा जयमल सिंह	4.07
12.	डिब्रूगढ़ और नार्थ बैंक के बीच सम्बद्ध शाखा लाइनों सहित बोगीबील पुल	1767.36
13.	चंडीगढ़-लुधियाना	450
14.	छपरा-मुजफ्फरपुर	378.56
15.	दौसा-गंगापुर सिटी	208.83
16.	देवगढ़-दुमका	180.73
17.	देवगढ़-सुल्तानगंज, बांका-बरहट और बांगा भितिया रोड	312
18.	दुधनोई-देपा	22.33
19.	एकलाखी-बालूरघाट	282.74
20.	इटावा-मैनपुरी	129.7
21.	फतुआ-इस्लामपुर पुनर्स्थापन और शेखपुरा से नियौरा बरास्ता दनियावां	406.92
22.	गढ़वाल-रायचूर	108.91
23.	गांधीनगर-अदरेज मोती-कलोल	49.96
24.	गिरीडीह-कोडरमा	371.36
25.	गोधरा-इंदौर एवं देवास-मकसी	946.16
26.	गुलबर्गा-बिदर	369.7
27.	गुना-इटावा	432.46
28.	हाजीपुर-सगौली	324.66
29.	हरमुटी-इटानगर	156
30.	हसन-बेंगलुरू	412.91
31.	हतुआ-भटनी	200.73
32.	हावड़ा-अमटा	154.3
33.	हुबली-अंकोला	997.58
34.	जींद-सोनीपत	190.81
35.	जीरीबाम-इम्फाल रोड (तुपुल)	727.56
36.	काडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर	274.29
37.	काकिनाडा-पीठापुरम	66.14
38.	कालका-परवानू	27.23
39.	कारूर-सेलम	229.88
40.	खगड़िया-कुशेश्वरस्थान	162.87
41.	किच्छा-खातिमा	165.67
42.	कोडरमा-रांची	1033.04
43.	कोलायत-फलौदी	186
44.	कोसी पुल	341.41
45.	कोठापल्ली-नरसापुर	695
46.	कोट्टूर-हरिहर बरास्ता हरपनहल्ली	135.55
47.	कुमारघाट-अगरतला	879.99
48.	ललितपुर-सतना एवं रीवा-सिंगरौली	925
49.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	119.29
50.	मचेरला-नालगोंडा	243.17
51.	महाराजगंज-मसरख	113.75
52.	मंदारहिल-रामपुरहाट बरास्ता दुमका	254.07
53.	मनोहराबाद-कोठापल्ली	308
54.	मुंगेर-गंगा नदी पर रेल एवं सड़क पुल	981
55.	मुनीराबाद-मेहबूबनगर	497.47
56.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	210.79
57.	नांदयाल-येरागुंतला	173.32

1	2	3
58.	नांगल डैम-तलवाडा और मुकरियां तलवाडा साइडिंग का अधिग्रहण	300
59.	न्यू मयनागुडी-जोगीघोपा	894.38
60.	पटना-पटना और हाजीपुर के बीच सम्बद्ध लाइनों सहित गंगा पुल	684.47
61.	पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	517.63
62.	पुनतांबा-शिरडी	48.78
63.	राजगीर-हिसुआ-तिलैया और इस्लामपुर-नटेश्वर	245.17
64.	रामगंजमंडी-भोपाल	726.05
65.	रेवाड़ी-रोहतक	149.38
66.	सकरी-हसनपुर	89.7
67.	तालचेर-बिमलड़नेगढ़	726.96
68.	तानूर (कुट्टीपुरम)-गुरूवायूर	137.71
69.	हवड़ा-धर्ममान कार्ड को जोड़ने वाला कुमारकुंड बाईपास तक विस्तारसहित तारकेश्वर-विष्णुपुर	255.68
70.	तरनतारन-गोइंदवाल	37.51
71.	उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला	8000
72.	रामपुर के निकट रामपुर-लालकुंआ-काठगोदाम नई लाइन-ऊपरी सड़क पुल	18.05
आमान परिवर्तन		
1.	उदयपुर से उमरा तक विस्तार सहित अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़	455.71
2.	औणिहार-जौनपुर	85.92
3.	बांकूडा-दामोदर नदी परियोजना आमान परिवर्तन, बोवईचांदी-खन्ना, रैनानगर-चंचई और बांकूड़ा-मुकुटमणिपुर	282.7
4.	भिलडी-समदरी	165.66
5.	छिंदवाड़ा-नागपुर	244.74
6.	धर्मावरम-पकाला	383.79
7.	डिंडीगुल-पोलाछी-पालघाट और पोलाछी-कोयम्बतूर	294.99
8.	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ चरण I	343.17
9.	आनंदागर नौतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप	73.42
10.	गुंतूर-गुंतकल एवं पेंदाकल्लू से गुत्ती तक गुंतकल-कल्लारू नई लाइन	381.17
11.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंडिया	503.97
12.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	524.88
13.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	329.38
14.	कटखल-बैरभी	320.1
15.	कटिहार-जोगबानी और कटिहार-बरसोई-राधिकापुर	88.7
16.	कोल्लार-चिकबल्लापुर	492.98
17.	मिगरेंडिसा-डिट्टोकचेरा के बीच संरेखण सहित लमडिंग-सिलचर और बदरपुर से भरियाग्राम तक विस्तार	99.42
18.	संबंद्ध शाखा लाइनों सहित लमडिंग-डिब्रुगढ़, हैबरगांव-मैरवाड़ी तथा सेंचोआ जं.-सिलघट शहर	1496.42
19.	मदुरे-रामेश्वरम	194.5
20.	मनमदुरै-विरुद्धनगर	97.24
21.	मानसी-सहरसा और सहरसा-दौरम मधेपुरा-पूर्णिया	257.01
22.	मथुरा-अछनेरा	33.67
23.	मिरज-लातूर	515.57
24.	मुदखेड़-आदिलाबाद	199.06
25.	मैसूर-चामराजागर (चरण-I), मेट्टूपलायम तक विस्तार सहित	606.58
26.	नौपाडा-गुनुपुर	91.3
27.	नीमच-रतलाम	167.51

1	2	3
28.	सम्बद्ध शाखा लाइनों सहित नई जलपाईगुड़ी-सिलीगुडी-न्यू बोंगाईगांव	890.83
29.	पोपर रोड-बिलाडा	33.44
30.	प्रतापनगर-छोटा उदयपुर	148.61
31.	कोल्लम-तिरूनेलवेली-त्रिचांदूर और तेनकासी-विरुद्धनगर	697.7
32.	राजकोट-वेरावल, वेरावल से सोमनाथ तक नई लाइन सहित वांसजलिया से जेतलसर	359.8
33.	तोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारडगा	390
34.	संबद्ध शाखा लाइनों सहित रंगिया-मरकोंगसेलेक	915.7
35.	सादूलपुर-हिसार सहित रेवाड़ी-सादुलपुर	306.58
36.	रूपसा-बांगरीपोसी	124.85
37.	सकरी-लौकहा बाजार-निर्माली और सहरसा-फोरबेसगंज	355.81
38.	समस्तीपुर-खगड़िया और मानसी-खगड़िया	122.45
39.	शिमोगा-तालगुप्पा	441.26
40.	शोलापुर (होटगी)-गदग	342.7
41.	श्री गंगानगर-सरूपसर	143.92
42.	पिपावाव और सिहोर-पलिता तक विस्तार सहित सुरेंद्रनगर-भावनगर-रजुला-महुआ	440.19
43.	तिरुचिरापल्ली-नागौर-करैकल	172.69
44.	त्रिची-मानदुरै	201.92
45.	विल्लुपुरम-कटपाडि	235.68

[हिन्दी]

चालू रेल परियोजनाएं

***78. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चालू रेल परियोजनाओं पर होने वाले व्यय में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न रेल परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि के आबंटन के लिए कोई मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार, कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) विभिन्न चालू परियोजनाओं के लिए निधियों का आवंटन बढ़ाने के लिए मांगे की जाती रही हैं।

(ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के आवंटन में वृद्धि हुई है और वर्षवार आवंटन का ब्यौरा बजट प्रलेखों में उपलब्ध है।

(घ) सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। वर्धमान आंतरिक संसाधन सृजन के माध्यम से भी अतिरिक्त निधियों का आवंटन किया गया है। इन पहलों के साथ चालू परियोजनाओं को लगभग पांच वर्ष की समयावधि के भीतर पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न संख्या 64 के 'सी' और 'डी' भाग के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि 14 प्रतिशत से कम लाभांश वाले इलाकों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों और पहाड़ी तथा आदिवासी इलाकों को जोड़ने के लिए रेल परियोजनाएं ली जाती हैं। उनकी सूची भी इसमें दी गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वैसे इलाकों के चयन के मामले में क्या सरकार ने कोई मापदंड बनाए हैं, क्योंकि जो सूची दी गई है, उसमें भी कई तरह के विरोधाभास हैं?

महोदय, उस सूची में कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं जो अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। उसमें

बिहार के भी कई इलाके हैं, जैसे आरा, सासाराम, छपरा और मुजफ्फरपुर। इसके साथ-साथ पंजाब के लुधियाना और चंडीगढ़ भी पिछड़े इलाकों की सूची में दर्शाए गए हैं। अत: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों के चयन में क्या सरकार ने कोई मापंदड बनाए हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति, 1980 ने कतिपय मानदंडों की घोषणा की थी कि कहां-कहां पर नई लाइनें, आमान परिवर्तन आदि को परियोजना के रूप में स्वीकृति दी जा सकती है। यह खनिजों के दोहन के लिए हो सकती है, यह कतिपय मार्गों को जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदत्त करने के लिए उस लाइन पर यातायात कम करने के लिए मार्ग बनाने का काम हो सकती है। यह राजनीतिक कारणों के लिए हो सकती है, यह विकास केन्द्रों के लिए हो सकती है, यह अन्तत: पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों के लिए हो सकती हैं।

अब, माननीय सदस्य ने कहा है कि बिहार तथा अन्य स्थानों को शामिल नहीं किया गया है। उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि 36 परियोजनाएं बिहार में है तथा 41 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पंजाब, हरियाणा तथा अन्य जगहों में पिछड़े क्षेत्र नहीं हैं। ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए हमने कहा कि मानदंड केवल पिछड़ेपन आदि के संबंध में हैं। जैसा कि राज्य सरकार ने आकलन किया है। यदि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव आता है तो हम इस पर विचार करेंगे। यदि कोई माननीय सदस्य भी यह कहते हुए कोई प्रस्ताव लाते हैं: मेरे चुनाव क्षेत्र के किसी क्षेत्र विशेष को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह क्षेत्र अधिक पिछड़ा है, ऐसे प्रस्ताव पर लाभ की दर पर हम ध्यान दिए बगैर विचार किया जाएगा।

लाभ की दर को हम सामान्यत: व्यवहार्य लाभांश 14 प्रतिशत निर्धारित करते हैं। काफी समय पूर्व 1968 में मीरचन्दानी समिति ने इसका गहराई से अध्ययन करके कहा था: ''यह डिस्काउन्टेड कैश फ्लो मैथड पर 10 प्रतिशत है''। जिसे बाद में रेल मंत्रालय ने वर्ष 1992 में बढ़ाकर 14% कर दिया था। इसे बेहतर तरीके से समझने एवं इसकी व्याख्या करने के लिए बेहतर यही है कि मैं सभा को सूचित करूं कि यह डिस्काउन्टेंड कैश फ्लो मैथड क्या है। उदाहरणार्थ, आप 30 वर्षों के लिए एक परियोजना लेते हैं। आप प्रत्येक वर्ष के कैश फ्लो की गणना करते हैं तथा खर्च में निवल कमी था निवल आय में वृद्धि को ध्यान में रख कर प्रत्येक वर्ष के कैश फ्लो की पुन: गणना करते हैं।

उसके बाद, पूर्व निर्धारित छूट दर को लगाकर परियोजना के सभी वर्षों के लिए निवल कैश फ्लो का वर्तमान मूल्य निकाल लेते हैं। उसके बाद, परियोजना के आर्थिक जीवन के सभी वर्षों के निवल कैश फ्लो के वर्तमान मूल्य को जोड़ने से परियोजना की लागत निकलती है। परियोजना की लागत पर आप 14 प्रतिशत से गणना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि रेलवे न केवल पूंजीगत लागत हेतु बल्कि पूंजी निर्माण के लिए आय का सृजन करता है। पूंजी निर्माण का अर्थ है कि ह्रास भण्डार, विकास निधि, पेंशन निधि आदि के लिए कुछ धनराशि निर्धारित करना। आधुनिकीकरण एवं भविष्य के कार्यक्रमों के लिए रेलवे को इन सभी की आवश्यकता है। इसलिए परियोजना को स्वीकार करते समय हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं कि क्या यह 14 प्रतिशत की दर से लाभांश दे सकता है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको और भी कुछ पूछना है?

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': अध्यक्ष महोदय, मैंने इतना छोटा प्रश्न पूछा और इन्होंने इतना बड़ा उत्तर दे दिया, जिसका कोई मतलब नहीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप खुश हो जाइये।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': हमारे सवालों से इनके उत्तर का कोई लेना-देना नहीं था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको खुश होना चाहिए कि इतने छोटे प्रश्न का इतना बड़ा उत्तर दिया।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': मैंने कभी यह नहीं कहा कि बिहार की योजनाएं नहीं ली गईं, मैंने यह भी नहीं कहा कि आपके मापदण्ड क्या थे, हमने कहा कि जो मापदण्ड आपने यहां लिखे हैं, उसमें से आप कौन से मापदण्ड अपनाते हैं। मैंने यह भी नहीं कहा कि पंजाब की योजनाएं क्यों ली गईं, उसके बाद भी इन्होंने लम्बा उत्तर दे दिया। मेरे प्रश्न से आपके उत्तर का कोई मतलब नहीं है।

मैं दूसरा सप्लीमेंटरी यह पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के 'ई' और 'एफ' भाग के उत्तर में यह कहा है: ''राज्य सरकारों की भागीदारी शामिल करने के लिए पहल की गई है'' मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जहां उनके रेट कम करने की, उनकी कास्ट कम करने की चर्चा भी इन्होंने 'ई' और 'एफ' के उत्तर में की है, क्या आपने उनकी कास्ट कम करने की कोई कीमत आकलित की है और आकलित करने के बाद किन-किन

राज्य सरकारों को आपने भागीदारी के लिए, सहभागिता के लिए लिखने का काम किया है, यह बताने का प्रयास कीजिए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सरल हिन्दी का प्रयोग करें। अन्यथा उन्हें समझने में कठिनाई होगी।

श्री आर. वेलु: महोदय, यह जानकर कि हमारे पास लगभग 230 निर्माणाधीन योजनाएं है जिनकी लागत 53,000 करोड़ रुपये है, उनका वित्त पोषण करना मुश्किल हो रहा है, हमारे माननीय रेल मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों से अनुरोध करते हुए लिखा है कि वे प्रत्येक परियोजना में न्यूनतम 50 प्रतिशत की भागीदारी करें। पूर्व में भी, कुछ राज्य सरकारों ने कुछ योजनाओं में भागीदारी की थी। चाहे परियोजना एक नई लाइन की हो अथवा परियोजना आमान परिवर्तन की भी हो सकती है। लेकिन अब हमारे माननीय लालू जी ने पत्र लिखा है। अब तक किसी भी राज्य सरकार ने भागीदारी के लिए पत्र का उत्तर नहीं दिया है। यह मेरी पहली बात है।

दूसरी बात यह कि रेलवे में अब हम परियोजनाओं का वित्त पोषण करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सरकार से हमारे राष्ट्रीय परियोजना सहायता, सरकारी-निजी भागीदारी जो हमें अब बहुत आकर्षक लगती है, राष्ट्रीय रक्षा वित्त पोषण आन्तरिक स्रोतों से वित्त पोषण से धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं तथा उसके बाद हम बाजार में उतरते हैं। अब हम इस प्रकार से प्रबन्धन कर रहे हैं। अब इन सभी अव्यवहार्य परियोजनाओं जो निर्माणाधीन है के लिए वित्त पोषण करने के स्रोतों को ढूंढ़ना मुश्किल हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि रेलवे के पास 230 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं। जब श्री माधवराज सिंधिया इस देश के रेल मंत्री थे तो उस समय की गुना इटावा, इटावा मैनपुरी और आगरा इटावा रेलवे की परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हो सकीं।

अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि रेलवे का परियोजनाओं में लाभांश 14 प्रतिशत होता है, इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी रेलवे की परियोजना में जो लागत लगने वाली है, वह सात वर्षों में वसूल हो जाएगी। मेरा कहना है कि रेलवे कोई व्यापारिक या व्यावसायिक संगठन नहीं है, इसका सामाजिक दायित्व है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए। आप एक वरिष्ठ और सक्षम सदस्य है।

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, सामाजिक क्षेत्र में, बिजली का लाभांश तीन प्रतिशत है। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि यह प्रतिशत बहुत ज्यादा है। रेलवे की जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, वे समय पर पूरी नहीं होती। मेरी जानकारी है कि देश में कम से कम 138 परियोजनाएं शुरू तो हो गयी हैं, लेकिन उनके पूरे होने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी उत्पादन लागत बढ़ती जाती है। मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि रेलवे की जो परियोजनाएं निश्चित समय पर पूरी नहीं हो रही हैं, इसके चलते कितना लाभांश प्रभावित होगा?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि हम इन परियोजना पर वरीयता के आधार पर विचार करते हैं तथा वरीयता के बारे में मैंने पहले ही उल्लेख किया है। लेकिन अब, लागत में वृद्धि हो जाएगी। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं प्राथमिकता की बात नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा करने *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। मैं अगले प्रश्न पर आता हूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मेरे प्रश्न का जवाब तो दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आपको जवाब पसंद नहीं है, तो इसके लिए दूसरे प्रावधान हैं। आप इसे जानते हैं। शोर करने से कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उन्हें उत्तर पूरा करने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री आर. वेलु: जहां तक माननीय सदस्य का संबंध है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं। 348 परियोजनाओं में से 88 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमने रेलवे की परियोजनाएं पूरी नहीं की हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब हमारे पास 260 परियोजनाएं लंबित हैं, जिसमें से 105 परियोजनाएं दोहरीकरण की हैं, 15 परियोजनाएं आमान परिवर्तन की हैं, 17 परियोजनाएं नई लाइनों की हैं तथा 16 परियोजनाएं विद्युतीकरण की हैं, अर्थात् कुल मिलाकर 153 परियोजनाएं *...(व्यवधान)* आप पूछ रहे हैं कि क्या हमने उन्हें पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। यह संभव नहीं है क्योंकि हम अपने पास उपलब्ध वित्त को सभी योजनाओं हेतु वितरित करते हैं। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्य कहेंगे कि आप मेरी योजना की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? इसके बावजूद भी हम पिछली परियोजनाओं के हवाले से प्राथमिकता देने में लगे हैं कि ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं, जिन्हें इस वर्ष पूरा किया जाना है तथा जो कुछ आय प्रदान कर सकती हैं। हम ऐसी अन्य परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दे रहे हैं जिनसे आय प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि हम योजनाओं की अनदेखी कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस तथ्य को पहचान रहे हैं इसमें विलंब होने से लागत बढ़ेगी। परन्तु हम परियोजनाओं को पूरा करने के तौर-तरीके तलाश कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि हम जब परियोजनाएं बनाते हैं, उस समय हम अपनी आर्थिक सीमाओं को नहीं जानते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कई बार आप माननीय सदस्यों की ओर देखने के बदले अध्यक्ष की ओर भी देखते हैं, जिसके कारण आपके लिए और समस्याएं पैदा हो रही हैं।

मैं एक और प्रश्न की अनुमति दूंगा। मैं प्रश्न सं. 78 की अनुमति दूंगा क्योंकि यह संबंधित प्रश्न है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे उन्हें समय देना होगा क्योंकि उनका कोई नोटिस नहीं है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल परियोजनाओं में भारी वृद्धि हो रही है और उनकी लागत इसलिए बढ़ती जाती है, क्योंकि हर सरकार उसमें अपनी राजनैतिक सूची लगाती जाती है। इनकी सरकार आयी तो उसने अपनी सूची लगा दी, दूसरी सरकार आयी तो उसने अपनी सूची लगा दी, जिससे परियोजनाओं की लागत में लगातार वृद्धि होती जाती है। हमारा सीधा सवाल है कि जो राजनैतिक सूची बनाने और घटाने वाले लोग हैं, उन पर रोक लगाने के संबंध में सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, हम रेलवे में कोई राजनीतिक मानदंड लागू नहीं करते। हम हमेशा ही परियोजना के गुण-दोष देखते हैं। हम राजनीतिक मानदंड या ऐसी अन्य बातों की ओर ध्यान नहीं देते। हालांकि, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को देखते हुए निश्चित रूप से इन्हें उचित प्राथमिकता देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

***65. श्री मोहन रावले:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) इस समय प्रत्येक जोन में कितने मंडल कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे ने प्रत्येक रेलवे मंडल में कम से कम एक रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाकर विश्व स्तर का बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ चुने गए रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) इस समय भारतीय रेल पर सोलह रेलवे जोनों में 67 मंडल संचालित हैं। प्रत्येक रेलवे जोन में मंडलों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है:

	जोन का नाम और मुख्यालय	मंडलों की संख्या
1.	मध्य रेलवे, मुंबई	5
2.	पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	5
3.	पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर	3
4.	पूर्व रेलवे कोलकाता	4
5.	उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद	3
6.	पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	3
7.	उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	4
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी	5
9.	उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	5
10.	दक्षिण मध्य रेलवे, सिंकदराबाद	6
11.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर	3
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता	4
13.	दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली	3
14.	दक्षिण रेलवे, चेन्नै	5
15.	पश्चिम रेलवे, मुंबई	6
16.	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	3

(ख) और (ग) प्रत्येक रेलवे में कम से कम एक रेलवे स्टेशन को विश्व मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। बहरहाल, देश में रेलवे स्टेशनों पर उल्लेखनीय सुधार करने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण करने एवं सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रत्येक मंडल में से लगभग 5 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन घोषित किया गया है या महत्वपूर्ण स्टेशन के रूप में चिह्नित किया गया है।

(घ) स्टेशन सुविधाओं के सुधार के लिए चयनित 334 स्टेशनों का जोनवार ब्यौरा इस प्रकार है:

मध्य रेलवे	सोलापुर, अहमदनगर, गुलबर्गा, वाड़ी, दौंड, पुणे, कोल्हापुर, मिरज, सतारा, सांगली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणे, कल्याण, मनमाड, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, बल्लारशाह, आमला।
पूर्व रेलवे	हवड़ा, बर्धमान, रामपुरहाट, बोलपुर, तारकेश्वर, सियालदह, बिधाननगर रोड, दमदम जं., बारासात, राणाघाट, माल्दा टाउन, भागलपुर, जमालपुर, साहिबगंज, न्यू फरक्का, आसनसोल, दुर्गापुर, जसिडीह, मधुपुर, बैद्यनाथधाम।
पूर्व मध्य रेलवे	पटना जं., राजेन्द्र नगर, आरा, बक्सर, मोकामा, समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, मोतीहारी, सीतामढ़ी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, धनबाद, कोडरमा, बारकाकाना, डाल्टनगंज, पारसनाथ, मुगलसराय, सासाराम, गया, देहरी-आन-सोन, अनुग्रह नारायण रोड।
पूर्व तटीय रेलवे	भुवनेश्वर, कटक, पुरी, ब्रह्मपुर, भद्रक, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, रायगड़ा, दुवादा, टिटलागढ़, कान्टाबंजी, केसिंगा, बोलनगिर, संबलपुर।
उत्तर रेलवे	दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, मेरठ सिटी, कुरूक्षेत्र, लुधियाना, जालंधर सिटी, अमृतसर, फिरोजपुर, जम्मू तवी, देहरादून, बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार, रूड़की, अम्बाला कैंट, चंडीगढ़, शिमला, भटिंडा, सहारनपुर, धुरी, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, रायबरेली, प्रयाग।

उत्तर मध्य रेलवे	आगरा कैंट, मथुरा, आगरा किला, राजा की मंडी, कोसिकलां, झांसी, ग्वालियर, बांदा, उरई, धोलपुर, अलीगढ़ जं., इलाहाबाद जं., इटावा, कानपुर सेंट्रल, मिरजापुर।
पूर्वोत्तर रेलवे	गोरखपुर, लखनऊ जं., गोंडा, लखीमपुर, बादशाह नगर, छपरा जं., सिवान जं., देवरिया सदर, मंडुआडीह, आजमगढ़, हल्दवानी, लालकुंआ, रूद्रपुर सिटी, काशीपुर, मथुरा कैंट।
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	बारपेटा रोड, गोलपाड़ा टाऊन, न्यू बोंगाईगांव, रंगिया, डिब्रूगढ़ टाऊन, न्यू तिनसुकिया, मरयानी जं., सिमलुगुड़ी जं., न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, कटिहार, दार्जीलिंग, रायगंज, न्यू अलीपुरद्वार, कोकराझार, न्यू कूचबिहार, न्यूमाल जं., गोंसाईगांवघाट, गुवाहाटी, दीमापुर, लमडिंग जं., सिलचर, होजाई।
उत्तर पश्चिम रेलवे	अजमेर, उदयपुर सिटी, आबू रोड, पालना, रानी, बीकानेर, हिसार, श्री गंगानगर, भिवानी, सिरसा, जयपुर, रेवाड़ी, अलवर, बांदीकुई, दौसा, जोधपुर, जयसलमेड़, पाली मारवर, बारमेर, नागपुर।
दक्षिम रेलवे	चेंगलपट्टू, कटपाडि, अरक्कोणम, ताम्बरम, तिरूत्तानी, ईरोड, कोयमबत्तूर, पालघाट, कालीकट, मंगलौर, एर्णाकुलम, त्रिचूर, क्विलोन, त्रिवेंद्रम सेन्ट्रल, कन्याकुमारी, पांडिचेरी, विरूदाचलम, तिरुचिरापल्ली जं., तंजावुर, कुम्बकोणम, डिंडीगुल, मदुरै, तिरूनेलवेली, तूतीकोरीन, विरूदनगर।
दक्षिण मध्य रेलवे	अंगोल, विजयवाडा, राजामुंद्री, नल्लौर, काकिनाडा टाउन, हैदराबाद, सिकंदराबाद, काजीपेट, खम्मम, वारंगल, काचेगुडा, कुरनूल टाउन, निजामाबाद, बासार, महबूबनगर, तिरुपति, गुंतकल, रायचूर, कुडप्पा, अनंतपुर, गुंतूर, नालगोंडा, नंदयाल, नाडिकुडि, नरसारायपेट, नांदेड, औरंगाबाद, जलना, पारभानी, पारतुर।
दक्षिण पूर्व	खड़गपुर, बालासोर, मिदनापोर, संतरागाछी, मेचेडा, टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुडा, चक्रधरपुर, राजगंगपुर, बोकारो स्टील सिटी, पुरूलिया, बांकुरा, बिष्णुपुर, गरबेटा, रांची, हटिया, मुरी, रामगढ़-कैंट।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	बिलासपुर, रायगढ़, चम्पा, शहडोल, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, भाटपाड़ा, तिलडा, भिलाई पावर हाऊस, गोंदिया, राजनंदगांव, दोंगरगड़, तुमसार रोड, छिंदवाड़ा।
दक्षिण पश्चिम रेलवे	मैसूर, दावनगेरे, शिमौगा टाऊन, हसन, हावेरी, हुबली, बेलगाम, वास्को, होस्पेट, बल्लेरी, बेंगलुरू सिटी, यशवंतपुर, बेंगलूरू कैंट, मनदया, तुमकुर।
पश्चिम	सूरत, वापी, नवसारी, बांद्रा टर्मिनस, मुम्बई सेंट्रल, वड़ोदरा, आनंद, नडियाड, भरूच, अंकलेश्वर, रतलाम, इंदौर, दाहोद, उज्जैन, चित्तौड़गढ़, अहमदाबाद, मणिनगर, गांधीधाम, न्यू भुज, पालनपुर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, थान, वांकानेर, भावनगर, वेरावल, पोरबंदर, जुनागढ़, गांधीग्राम।
पश्चिम मध्य रेलवे	जबलपुर, कटनी, सतना, मैहर, सौगार, भोपाल, हबीबगंज, इटारसी, गुना, बीना, सवाईमाधोपुर, भवानीमंडी, बयाना, भरतपुर, गंगापुर सिटी।

(ङ) यह कार्य संभवत: फरवरी, 2007 तक पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल में मिलावट/कम मापना

*66. **श्री पी. मोहन:**
श्री सज्जन कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट और इन्हें कम मापने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 की पहली छमाही के दौरान मिलावट/कम मापे जाने के राज्य-वार कुल कितने मामले सरकार के सामने आए;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए डीलरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) पेट्रोल/डीजल की कीमत और उनमें मिलावट के लिए उपयोग में लाए जा सकने वाले बाजार में उपलब्ध विभिन्न अपमिश्रकों की कीमतों के बीच में भारी अंतर के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल की मिलावट की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। मिलावट के अतिरिक्त खुदरा बिक्री विक्रेताओं द्वारा पेट्रोल/डीजल के माप तोल में बेईमानी के मामले भी होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करती हैं और मिलावट और कम माप तोल में बेईमानी से संबंधित अनियमितताओं सहित विभिन्न अनियमितताओं में लिप्त पाए गए डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) और डीलरशिप करारों के तहत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज द्वारा किए गए निरीक्षण और पता लगाए गए मिलावट और कम माप तोल में बेईमानी के मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06
निरीक्षणों की संख्या	91844	104488	106310
मिलावट के संदिग्ध मामले	254	225	229
कम माप तोल में बेईमानी	319	241	542

1.1.2006 से 30.6.2006 के दौरान ओएमसीज द्वारा पकड़े गए मिलावट और मापतोल में बेईमानी के मामलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अवधि के दौरान ओएमसीज ने 15 डीलरशिप समाप्त कीं और 376 मामलों में बिक्री निलंबित की।

(घ) 1.8.2005 से एमडीजी के तहत प्रावधानों को और सख्त बना दिया गया है और अब उनमें प्रथम बार में ही मिलावट सिद्ध होने पर डीलरशिप की समाप्ति का उपबंध है। राज्य सरकारों से अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के तहत अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अपनी निरीक्षण मशीनरी को और तेज करने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त ओएमसीज को मिलावट पर नियंत्रण करने में नये प्रौद्योगिकीय उपाय शुरू करने के लिए कहा गया है। इन नई पहलों में खुदरा बिक्री केन्द्रों का आटोमेशन, पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले टैंक ट्रकों उनकी गतिविधि की निगरानी करने के लिए उन पर वैश्विक स्थिति पद्धति (जीपीएस) शुरू करना और मिलावट के लिए पीडीएस मिट्टी तेल के विपथन को रोकने के लिए इसमें मार्कर शुरूआत करना शामिल हैं।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1.1.2006 से 30.6.2006 तक के दौरान पकड़े गए मिलावट/कम माप के मामलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	21
अरुणाचल प्रदेश	1
बिहार	6
छत्तीसगढ़	6
दिल्ली	11
गुजरात	9
हरियाणा	36
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू-कश्मीर	5
झारखंड	17
कर्नाटक	6
केरल	11
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	20
उड़ीसा	15
पंजाब	48
राजस्थान	33
तमिलनाडु	19
उत्तर प्रदेश	60
उत्तरांचल	10
पश्चिम बंगाल	44
योग	395

धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता

*67. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इन धार्मिक स्थलों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान धार्मिक स्थलों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे दर्शाता हुआ एक ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को, उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त, धार्मिक स्थलों सहित पर्यटक स्थलों के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त धार्मिक स्थलों को दर्शाता हुआ एक ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

देश में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 10वीं योजना के पिछले 3 वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता और अवमुक्त राशि के साथ धार्मिक स्थलों के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2003-04	बौद्ध परिपथ के अंतर्गत अमरावती का एकीकृत विकास	300.00	300.00
2.		2003-04	बौद्ध परिपथ के अंतर्गत नागार्जुनसागर का विकास	500.00	500.00
3.		2004-05	हैदराबाद-नालगोंडा-खमाम पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	797.47	637.98
4.		2004-05	एक ग्रामीण पर्यटन गंतव्य के रूप में अनन्तपुर जिले में पुट्टापारथी का विकास	49.50	39.00
5.		2005-06	निचली कृष्णा घाटी बौद्ध परिपथ का एकीकृत विकास	800.00	240.00
6.	असम	2003-04	कामाख्या मंदिर के आसपास विकास	151.27	151.27
7.	बिहार	2003-04	मलिक इब्राहिम बायु के मकबरे और मंदिर का भूदृश्यांकन एवं विकास	134.00	134.00

1	2	3	4	5	6
8.		2003-04	बोधगया चरण-II की विकास योजना	462.53	370.00
9.		2003-04	बोधगया में माइनर कार्य	5.89	5.89
10.		2003-04	नव नालंदा महावीर का विकास	352.00	352.00
11.		2005-06	पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास की योजना के अंतर्गत बोधगया-राजगीर-नालंदा का विकास	768.12	614.50
12.	गुजरात	2003-04	सोमनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विकास	500.00	500.00
13.		2004-05	मोधेड़ा के सूर्य मंदिर के आसपास नवीकरण एवं विकास	118.93	95.14
14.	हरियाणा	2003-04	कुरूक्षेत्र, ज्योतिषर और पिपली में पर्यटक अवसंरचना का नवीकरण/सुदृढ़ीकरण	108.25	108.25
15.		2003-04	ज्योतिषर कुरूक्षेत्र में महाभारत रथ की संस्थापना	210.00	210.00
16.		2003-04	कुरूक्षेत्र, तपोवन पार्क का विकास (चरण-II)	125.84	125.84
17.		2003-04	आदि बदरी में स्थल का विकास	178.79	178.79
18.		2003-04	आदि बदरी में पुरातत्व परिसर का निर्माण	72.00	36.00
19.	हिमाचल प्रदेश	2004-05	कांगड़ा पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	800.00	640.00
20.	जम्मू एवं कश्मीर	2003-04	अमरनाथ यात्रा परिपथ पर अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	100.00	100.00
21.		2003-04	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटक परिपथ (खीर भवानी, बाबा रेशी, आशीमकान, अमरनाथ पवित्र स्थल, मटन पवित्र स्थल आदि) का एकीकृत विकास	735.00	735.00
22.		2004-05	लवडोरा काजीगुंड-आशरी-ए-शरीफ हजरतबल-हासन विल्ला में पर्यटक परिपथ	800.00	640.00
23.		2005-06	जम्मू एवं कश्मीर बालटाल पवित्र गुफा-पंचरत्नी-शेषनाग-पहलगाम में पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	700.00	560.00
24.		2005-06	उधमपुर में शिव खोली का विकास	411.51	329.20

1	2	3	4	5	6
25.	झारखण्ड	2004-05	तीर्थांकर-बोधिसत्व परिपथ का विकास	494.57	393.33
26.		2005-06	देवघर का एकीकृत विकास	417.57	334.05
27.	कर्नाटक	2003-04	हालेबिड में होयसाला मंदिर की प्रकाशपुंज व्यवस्था	61.04	61.00
28.		2004-05	उत्तरी कर्नाटक में बादामी-आईहोल-पट्टादकल-महाकुटा का एकीकृत विकास	800.00	800.00
29.		2004-05	दक्षिणी कर्नाटक में मेलकोटे-बेल्लूर-हालेबिड-श्रावणबेलगोला परिपथ का एकीकृत विकास	798.50	636.80
30.	केरल	2005-06	तीर्थ पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	704.45	563.36
31.	मध्य प्रदेश	2003-04	शिवपुरी के पास भाद्या कुण्ड का विकास	9.00	8.84
32.		2003-04	खजुराहो परिपथ में मंदिरों के पश्चिमी समूहों के आसपास विकास	190.80	190.80
33.		2004-05	ओंकारेश्वर का विकास	327.79	262.63
34.		2004-05	महेश्वर का विकास	136.00	108.60
35.		2004-05	उज्जैन में सिमहस्ता का विकास	110.66	88.48
36.		2004-05	अमरकंटक का गंतव्य विकास	489.60	391.68
37.		2005-06	सांची-भोपाल-भोजपुर-भीमबेटका-पंचमढ़ी पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	715.45	572.00
38.	महाराष्ट्र	2003-04	पंढरपुर का विकास	96.51	96.51
39.		2003-04	ज्ञानेश्वर महाराज में कवर्ड शेल्टर्स का निर्माण	93.62	93.62
40.		2003-04	पंढरपुर दीव और आलंडी परिपथ का विकास	400.00	400.00
41.		2003-04	पंढरपुर परिपथ में अतिरिक्त परियोजना	94.60	94.60
42.	उड़ीसा	2004-05	ललितगिरि, रत्नागिरि, उदयगिरि और लांगुडी में बौद्ध परिपथ का एकीकृत विकास	740.67	592.52
43.		2005-06	गंतव्य विकास के अंतर्गत पुरी जिले में सखी गोपाल का विकास	294.04	235.23
44.		2005-06	भुवनेश्वर-धौली-पुरी-कोणार्क पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	720.09	576.07

1	2	3	4	5	6
45.	पंजाब	2003-04	अमृतसर के आसपास पर्यटक अवसंरचना	81.00	23.30
46.	राजस्थान	2003-04	पुष्कर में डोरमीटरीज, टेंट प्लेटफार्म और सुलभ शौचालय	238.57	238.57
47.		2003-04	अजमेर में दरगाह शरीफ में विश्राम स्थली का निर्माण	187.00	187.00
48.		2003-04	पुष्कर का एकीकृत विकास	261.43	261.43
49.		2003-04	पुष्कर के लिए स्विस कोटेजेस और डीलक्स कोटेजेस की खरीद	100.00	100.00
50.		2003-04	अजमेर में पुष्कर मार्ग पर विश्राम स्थली का नवीकरण	68.50	54.80
51.		2005-06	उदयपुर-राजसमंद-चित्तौड़गढ़-बंसवाड़ा-डुंगरपुर जिलों में मेवाड़-वागढ़ परिपथ का एकीकृत विकास	580.00	464.00
52.		2005-06	राजस्थान में बरसाना, झील, कालियादेवी, कुंचारी, नीलकण्ठ, भृतहरि वाले बृजभूमि धार्मिक पर्यटन परिपथ का विकास	477.07	381.65
53.		2005-06	पुष्कर का एकीकृत विकास	434.04	347.23
54.	सिक्किम	2005-06	गोनजांग यूजेन डोंगा चोकोरलिंग नींगमा मानिस्ट्री का नवीकरण	6.67	1.33
55.	तमिलनाडु	2003-04	विवेकानंद परिपथ के भाग के रूप में रामेश्वरम का विकास	168.24	54.00
56.		2003-04	इरातिश्वर मंदिर की प्रकाशपुंज व्यवस्था	24.05	22.00
57.		2003-04	तंजावुर में श्री बृगदीश्वर मंदिर की प्रकाशपुंज व्यवस्था	16.50	165.0
58.		2003-04	विवेकनांद राक मेमोरियल में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	225.00	202.00
59.		2003-04	विवेकानंद राक की प्रकाशपुंज व्यवस्था	32.12	32.00
60.		2004-05	माबलीपुरम चरण-II की अवसंरचना और गंतव्य विकास	432.00	345.00
61.		2005-06	तमिलनाडु में रामेश्वरम का गंतव्य विकास	426.42	341.14
62.		2005-06	अरूपड्ई विडुगद पर्यटक परिफत (मुरूगन मंदिर परिपथ) का एकीकृत विकास	798.97	639.17

1	2	3	4	5	6
63.		2005-06	तमिलनाडु में जैन तीर्थ क्षेत्र परिपथ तिरूमलाई-मट्टुपट्टी-तिरूनाथर-पुनरू-वल्लीमलई	192.00	48.00
64.		2005-06	चोजानट्टु तिरूपथीगल पर्यटक परिपथ	500.00	400.00
65.		2005-06	आदि शंकर पर्यटक परिपथ का विकास	443.00	354.40
66.	उत्तर प्रदेश	2003-04	सारनाथ में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	352.00	316.00
67.		2003-04	अयोध्या में राम की पैड़ी का विकास और सौन्दर्यीकरण	98.18	98.18
68.		2004-05	मथुरा जिले में राधाकुण्ड और श्याम कुण्ड का नवीकरण	145.35	116.28
69.		2004-05	सहारनपुर जिले में मां शाकुम्बरी देवी मंदिर (2) बाबा हरिदास मंदिर और (3) गंगोह में कुतुब आलम दरगाह का विकास	49.28	40.00
70.		2004-05	वाराणसी में अस्सी घाट का विस्तार एवं विकास	464.78	362.00
71.		2004-05	गोवर्धन में कुसुम सरोवर का नवीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	100.77	80.66
72.		2005-06	इटावा में कालीवाहन मंदिर का सौन्दर्यीकरण	46.90	37.52
73.		2005-06	गढ़मुक्तेश्वर-बृजघाट का विकास	256.80	205.44
74.		2005-06	मथुरा जिले में गोवर्धन की छतरियों का नवीकरण और सौन्दर्यीकरण	58.60	46.88
75.		2005-06	घुईसारनाथ धाम, प्रतापगढ़ का विकास	258.09	206.47
76.		2005-06	वृन्दावन में गोवर्धन के लिए परिक्रमा पथ और वृन्दावन अनुसंधान संस्थान के साइट सर्वेक्षण प्लान की तैयारी	0.79	0.79
77.	उत्तरांचल	2003-04	हरिद्वार में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	192.00	173.00
78.		2004-05	बद्रीनाथ धाम पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	702.09	561.67
79.		2005-06	चमोली जिले में हेमकुण्ट साहिब-घनघरिया फूलों की घाटी परिपथ का एकीकृत विकास	653.54	522.83

1	2	3	4	5	6
80.		2005-06	केदारनाथ का विकास	453.13	362.50
81.		2005-06	एक पर्यटक गंतव्य के रूप में गंगोत्री (जिला उत्तरकाशी) का विकास	481.42	385.13
82.	पश्चिम बंगाल	2003-04	कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर परिसर का विकास	132.24	113.68
83.		2003-04	श्री शारदा मठ, दक्षिणेश्वर के सामने हुगली नदी के क्षेत्र में नहाने वाले घाटों की मरम्मत और घेराबंदी	62.82	62.82
84.		2005-06	कोलकाता में कालीघाट पुनर्विकास परियोजना	500.00	400.00

विवरण II

वर्ष 2006-07 के लिए प्राथमिकता प्रदत्त धार्मिक स्थानों की परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	गंतव्य	परिपथ
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश		बौद्ध परिपथ
2.	असम	कामाख्या और हाजो का सैटेलाईट तीर्थ टाऊनशिप	
3.	बिहार	मण्डेश्वरी मंदिर	बोधगया-नालंदा-राजगीर
4.	गुजरात	द्वारका	
5.	हरियाणा		कुरूक्षेत्र
6.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	तीर्थ परिपथ
7.	झारखण्ड	पारसनाथ	
8.	मध्य प्रदेश	1. पन्ना	1. अमरकण्टक-मंडला-डिंडोई
		2. माण्डु	2. होसंगाबाद-महेश्वर-ओंकारेश्वर-बरवानी
9.	महाराष्ट्र	ओंकारेश्वर	एलिफेंटा सहित बौद्ध परिपथ
10.	उड़ीसा		भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क
11.	पंजाब	ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन सहित आलम खास बाग सहित फतेहगढ़ साहिब	तीर्थ परिपथ

1	2	3	4
12.	राजस्थान	अजमेर शरीफ	
13.	सिक्किम		सोरांग में तीर्थ परिपथ
14.	तमिलनाडु	मदुरै, तंजावुर, कन्याकुमारी	
15.	त्रिपुरा	चतुर्दशी देवता बाड़ी	
16.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	1. आगरा-फतेहपुर सीकरी-मथुरा 2. वाराणसी-सारनाथ 3. ब्रजभूमि-वृंदावन
17.	उत्तरांचल	यमुनोत्री टिहरी	ऋषिकेश-हरिद्वार

पक्षियों के टकराने से हुई दुर्घटनाएं/घटनाएं

*68. **श्री के.एस. राव:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में विमान-संचालन प्रणाली खराब होने तथा सम्पर्क स्थापित न होने के कारण कितनी दुर्घटनाएं/घटनाएं हुईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पक्षियों के टकराने से कितनी दुर्घटनाएं/घटनाएं हुईं;

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं/घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में बढ़ते विमान यातायात को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने तथा जमीन और आकाश में विमान-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों में संचार की कमी तथा दिक्चालन में विफलता की वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई। तथापि, वर्ष 2003, 2004, 2005 तथा 2006 (आज तक) में संचार तथा दिक्चालन सुविधाओं के कारणों की वजह से क्रमश: 03, 04, 00 तथा 02 घटनाएं हुईं थीं।

(ख) पिछले 3 वर्षों में पक्षियों के टकराने की वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई। वर्ष 2003, 2004, 2005 तथा 2006 (आज तक) में पक्षी के टकराने की वजह से 130, 185, 189 तथा 40 घटनाएं हुईं थीं।

(ग) सरकार ने अनेक निरोधक उपाय सुनिश्चित किए हैं। जिन हवाईअड्डों पर अनुसूचित उड़ानें प्रचालित होती हैं उन पर पक्षियों के आकर्षित होने के कारणों की पहचान करने तथा ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए हवाई क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं। हवाईअड्डे के भीतर तथा बाहर पक्षियों के टकराव की घटनाओं को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे, कूड़े का उचित निपटान, जल भराव की रोकथाम, कूड़े के ढेरों को ढका जाना, आधुनिक वधशालाओं की स्थापना, पक्षियों को डराना तथा गोली मारना आदि।

(घ) और (ङ) जी, हां। हवाईअड्डे के 10 किलोमीटर के भीतर खुले में कूड़ा डालना एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए वायुयान अधिनियम 1934 को संशोधित किया गया है। दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर नए तीव्रगामी निकास टैक्सी वे का निर्माण भी किया जा रहा है। दिल्ली हवाईअड्डे पर रनवे अधिभोग की अवधि को कम करने के लिए एक समान्तर टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। दिल्ली तथा मुम्बई, हवाईअड्डों पर व्यस्ततम अवधि के दौरान डेडीकेटेड क्लियरेंस डिलीवरी पोजीशन का क्रियान्वयन किया गया है। दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर व्यस्ततम अवधि के दौरान सामान्य विमानन संबंधी विमानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर एटीसी स्वचालन प्रणाली का उन्नयन किया जा रहा है। दिल्ली हवाईअड्डे पर उन्नत भूतल आवागमन दिशानिर्देश एवं नियंत्रण प्रणाली (एएसएमजीसीएस) की संस्थापना की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता

हवाईअड्डों पर आटोमैटिक डिपेन्डैंस सर्विलेंस सिस्टम सी/कंट्रोलर पायलट डेटा लिंक कम्यूनिकेशन का प्रावधान किया गया है।

उड्डयन क्लब/अकादमियां

***69. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या नागर विमानन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे उड्डन क्लबों/अकादमियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन संस्थाओं में कितने उम्मीदवारों ने विमान चालक बनने के लिए प्रशिक्षण लिया;

(ग) क्या सरकार भविष्य में विमान चालकों की मांग को पूरा करने के लिए विमान चालक प्रशिक्षण हेतु और अधिक उड्डयन क्लब/अकादमियां स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) प्रदान किए जाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय की परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् सीपीएल हेतु प्रशिक्षण देने के लिए देश में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित 17 उड़ान क्लब/संस्थान है।

(ख) वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 में क्रमश: 386, 499 तथा 822 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) महाराष्ट्र के गोंदिया में राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान के नाम से एक प्रमुख उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) प्रस्तावित प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 2007-08 में प्रचालनिक हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण

***70. श्री गिरिधारी यादव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजनार्थ गठित मंत्रियों के समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो मंत्रियों के समूह द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मंत्रियों के समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (घ) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसरण में, निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे की जांच करने, और यह देखने के लिए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवा वर्ग की आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है, उद्योग जगत के साथ वार्तालाप शुरू करने हेतु मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है। इस मंत्री दल ने चार प्रमुख उद्योग परिसंघों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श किया तथा तीन विधिवेत्ताओं की राय भी प्राप्त की। उद्योग परिसंघ सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष में तो हैं, लेकिन आरक्षण के पक्ष में नहीं। कानूनी राय यह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण शुरू करने के लिए संवैधानिक संशोधन किया जाना आवश्यक होगा। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। इस अवस्था पर, कोई समय सीमा इंगित करना मुश्किल है।

विमानों और हेलिकाप्टरों का दुर्घटनाग्रस्त होना

***71. श्री मो. ताहिर:**
श्रीमती अर्चना नायक:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 के दौरान आज तक कितने युद्धक विमान और हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामत: जानमाल का कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या प्रत्येक दुर्घटना की जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) 1 जनवरी, 2006 से 20 जुलाई, 2006 तक की अवधि के दौरान तीन अलग-अलग दुर्घटनाओं में भारतीय वायु सेना के कुल 3 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। तथापि, इस अवधि के दौरान भारतीय सेना और भारतीय नौसेना का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। दुर्घटनाओं के बारे में ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	दुर्घटना की तारीख/स्थान	लड़ाकू विमान	हेलिकाप्टर	दुर्घटना का कारण	मारे गए पायलट/ सेना कार्मिक	मारे गए (सिविलियन)	संपत्ति की हानि (यदि कोई हो तो)
1.	17.1.06 जामनगर	मिग-21	–	फायरिंग के दौरान राकेट का विस्फोटन	–	–	–
2.	21.3.06 बाड़मेर राजस्थान	मिग-21	–	मानवीय चूक (नियंत्रकों का गलत प्रयोग)	दो पायलट	–	–
3.	8.6.06 जामनगर गुजरात	मिग-29	–	उड़ान के दौरान आग लगना	–	–	–

उपर्युक्त लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं के अलावा, एक किरण प्रशिक्षक विमान भी 18 मार्च, 2006 को बीदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें दो पायलट मारे गए।

रक्षा सेनाओं में प्रत्येक विमान दुर्घटना की जांच एक जांच-अदालत द्वारा करवाई जाती है और जांच-अदालत की सिफारिशों के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, रक्षा सेनाओं में उड़ान-सुरक्षा को और पुख्ता करने तथा इसका स्तरोन्नयन करने के लिए सतत तथा बहुमुखी प्रयास सदैव जारी रहते हैं। पायलटों के दक्षता स्तर, सही निर्णय लेने की योग्यता और स्थिति के अनुरूप जागरूकता में सुधार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। विमानों की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए देश तथा विदेश दोनों के ही मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ निरन्तर विचार-विमर्श भी किया जाता है। पक्षी-रोधी उपाय भी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारत-चीन रक्षा संबंध

***72. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा':**
श्री निखिल कुमार:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्री ने हाल ही में चीन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या रक्षा संबंधी मामलों पर भारत और चीन द्वारा किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) रक्षा मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 28 मई से 2 जून, 2006 तक चीन का दौरा किया जिसमें उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री जनरल काओ गंगचुआन से बातचीत की तथा चीन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री वेन जिआबो, केन्द्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल गुओ बाक्सीअंग तथा विदेश मंत्री ली जाओक्सिंग के साथ अलग-अलग बैठकें की। रक्षा मंत्री की चीन के रक्षा नेतृत्व के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तथा क्षेत्रीय सहयोग, भारत-चीन संबंध, रक्षा संबंधी आदान-प्रदान एवं वार्ता, सीमा संबंधी प्रश्न, विश्वास बहाली, उपाय, सूचना का आदान-प्रदान, आदि शामिल हैं। रक्षा मंत्री की यात्रा से भारत और चीन के बीच सैन्य क्षेत्र में उच्च स्तरीय आदान-प्रदान संबंधी तंत्र को संस्थागत रूप मिला है तथा इससे कई मुद्दों पर आपसी समझ-बूझ में और वृद्धि हुई है तथा

दोनों पक्षों के बीच विश्वास बढ़ा है। इस यात्रा के दौरान, भारत और चीन के बीच रक्षा क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग के लिए दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन में रक्षा संबंधी आदान-प्रदान तथा वार्ता, संयुक्त सैन्य अभ्यास एवं प्रशिक्षण, एक दूसरे के सैन्य अभ्यासों का अवलोकन, ढांचागत अध्ययन दौरों, एक दूसरे की सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षण, सेमिनारों में भाग लेने आदि के संस्थागत ढांचे की व्यवस्था है।

पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि

*73. **श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं और इनमें कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या इस वृद्धि का आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय करों में कमी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आगे और वृद्धि न होने देने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ताकि स्थिति पर नियंत्रण रहे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में हाल के वर्षों में बहुत तीव्र वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। भारतीय बास्किट का औसत जून, 2006 में 66.55 अमरीकी डालर प्रति बैरल था जो 14.7.2006 को अब तक के सबसे ऊंचे मूल्य 73.96 अमरीकी डालर/बीबीएल पर पहुंच गया जबकि इसकी तुलना में मार्च, 2002 में मूल्य स्तर 23.31 अमरीकी डालर/बीबीएल था। इस तथ्य के मद्देनजर कि हमारी क्रूड मांग का 76% आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है, बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में तदनुरूपी वृद्धि करना अनिवार्य हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण तेल विपणन कंपनियों के भार को आंशिक रूप से कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में दिल्ली में 6.6.2006 से क्रमश: 4 रुपये प्रति लीटर और 2 रुपये प्रति लीटर की मामूली वृद्धि की गई।

(ग) मुद्रास्फीति पर ईंधनों कीमतों में वृद्धि का प्रभाव मामूली आंका गया है, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में पेट्रोल और डीजल का वेटज क्रमश: 0.89% और 2.02% मात्र है।

(घ) से (च) सरकार ने हाल ही में डा. रंगराजन समिति द्वारा यथा अनुशंसित आयात समता मूल्यनिर्धारण के स्थान पर व्यापार समता मूल्यनिर्धारण के क्रियान्वयन द्वारा पेट्रोल और डीजल के संबंध में मूल्यनिर्धारण की पद्धति में संशोधन किया है। जून, 2006 में पेट्रोल और डीजल पर भी सीमा शुल्क 10% से कम करके 7.5% कर दिया है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी को कोई कठिनाई न हो सभी संभव उपाय किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद सरकार ने आम आदमी और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए पीडीएस मिट्टी तेल और एलपीजी के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। सरकार ने तीनों पणधारकों नामत: उपभोक्ताओं, सा.क्षे.उ. की तेल कंपनियों और सरकार के बीच समान रूप से भार में हिस्सेदारी के सिद्धांत को अपनाया है ताकि आम आदमी और समाज के कमजोर वर्गों के हित का संरक्षण किया जा सके। सरकार ने तेल कंपनियों के साथ मिलकर कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के भार को 87.5% को वहन करने का निर्णय लिया है जो 73,500 करोड़ रुपये बनता है और शेष केवल 12.5% भार पेट्रोल और डीजल मूल्यों में वृद्धि के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाना है। सरकार ने संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर न्यून वसूलियों के लिए आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए तेल विपणन कंपनियों को 2006-07 के दौरान 28,300 करोड़ रुपये के मूल्य के बाण्ड जारी करने का निर्णय लिया है। आम आदमी पर मूल्य के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकारों से किए गए अनुरोध के आधार पर आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु (केवल डीजल), उत्तरांचल, मणिपुर और असम 10 राज्य सरकारों ने हाल की मूल्य वृद्धि के भार को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में कटौती कर दी है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण परियोजनाएं

*74. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु चलाई जाने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु परियोजनाएं शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क साधा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी परियोजनाओं को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करता है।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न पुन: रोजगार/स्व-रोजगार योजनाओं में, अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित योजनाएं भी शामिल हैं:-

(क) पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित की जा रही भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियां;

(ख) भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियां;

(ग) भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियों के साथ विधवाओं/निशक्त भूतपूर्व सैनिकों के टिप्परों को लगाने की योजना;

(घ) रक्षा श्रेणी के तहत तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन;

(ङ) मदर डेरी बूथों का आबंटन;

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में (एनसीआर) सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन;

(छ) प्रादेशिक सेना के पारिस्थितिकीय कृतिक बल।

3. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कुछ राज्य सरकारों से भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगाने और परियोजना प्रस्ताव बनाने के लिए अनुरोध किया था।

4. महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तरांचल, बिहार और पंजाब सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के वास्ते प्रस्ताव तैयार किए हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके आगे की कार्रवाई के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भेज दिया गया था।

पर्यटन विकास हेतु धनराशि का आबंटन

*75. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पर्यटन के विकास हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के निमित्त धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विकास के लिए विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित/अवमुक्त कुल राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए धनराशि का पूर्णत: उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यटन मंत्रालय के पास निम्नलिखित प्रणाली हैं:-

1. स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से की जाती है।

2. मंत्रालय के घरेलू क्षेत्र कार्यालय भी परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए फील्ड स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

3. पर्यटन मंत्रालय परियोजनायें स्वीकृत करते समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ परामर्श करके परियोजना के समापन के लिए समय-सीमा भी निर्धारित करता है।

4. राज्य सरकारों पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में फार्म में परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति सूचित करने के लिए दबाव भी दिया जाता है।

5. प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में राज्य-स्तर की मानीटरिंग समितियों भी स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग करती है।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय अपनी निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों और प्राइवेट सेक्टर कम्पनियों के पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

1. गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास

2. भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता

3. आवास अवसंरचना-इमदाद के लिए प्रोत्साहन।

इनके अलावा, पर्यटकों के लिए उन्नत आवास सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय होटलों, हैरिटेज संपत्तियों, अपार्टमेंट होटलों, गेस्ट हाउसों, टाइम शेयर रिजार्टों, बेड एवं ब्रेकफास्ट इकाइयों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण करता है। निवेशक अनुकूल भू-नीतियों का अनुसरण करने, भूमि बैंकों का गठन करने और होटल परियोजनाओं को सिंगल विंडो क्लीयरेंस की नीति को अपनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों तथा भूमि की स्वामित्व वाली एजेंसियों के साथ भी निरंतर संपर्क में है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनंतिम तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-04			2004-05			2005-06		
		स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6	946.50	896.44	16	2827.19	2240.68	7	2615.82	1700.00
2.	असम	3	313.46	313.06	8	986.03	766.22	10	2140.00	1698.45
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	1044.60	700.00	9	1325.50	927.96	10	2240.16	1655.21
4.	बिहार	6	1019.42	913.89	7	1901.43	1527.71	3	1212.23	722.49
5.	छत्तीसगढ़	6	1005.00	364.00	6	1117.94	897.93	7	1775.59	1436.54
6.	गोवा	2	36.76	34.76	3	110.00	38.00	1	10.00	8.00
7.	गुजरात	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14	5	2011.58	1169.04
8.	हरियाणा	16	1215.38	879.23	6	693.55	513.64	7	639.71	515.77
9.	हिमाचल प्रदेश	4	182.32	85.00	12	2680.00	2161.00	6	1645.00	921.00
10.	जम्मू-कश्मीर	5	895.00	895.00	5	819.25	699.04	22	6656.01	5320.31
11.	झारखंड	2	1109.00	774.60	2	945.91	756.72	5	1227.27	697.76
12.	कर्नाटक	14	932.66	792.51	12	2461.76	1937.37	8	1706.52	1001.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	केरल	6	608.50	564.15	10	2283.63	1820.33	13	4858.88	3889.90
14.	मध्य प्रदेश	10	621.90	394.51	11	1595.19	942.21	12	3047.39	2419.54
15.	महाराष्ट्र	10	931.83	914.58	10	1620.62	925.30	9	2075.04	2419.54
16.	मणिपुर	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00	2	49.80	39.84
17.	मेघालय	2	40.22	24.92	2	963.30	807.91	1	5.00	4.00
18.	मिजोरम	5	567.70	186.75	6	1086.35	382.38	10	2273.41	1687.29
19.	नागालैंड	4	711.00	220.80	7	2250.69	1413.40	9	2528.97	1873.17
20.	उड़ीसा	5	419.55	138.50	8	1320.74	1059.38	10	2309.61	1586.44
21.	पंजाब	2	96.00	12.30	7	724.68	581.47	5	1437.67	1150.13
22.	राजस्थान	14	1644.81	1414.25	13	2616.61	1375.07	7	2591.87	2086.40
23.	सिक्किम	8	1151.09	681.49	8	660.81	531.33	14	2844.56	2213.74
24.	तमिलनाडु	14	1339.82	850.53	7	1308.92	705.83	19	4264.62	3007.68
25.	त्रिपुरा	6	450.17	135.16	1	20.00	16.00	3	716.26	569.43
26.	उत्तरांचल	4	230.44	203.94	7	2199.98	1750.73	13	2738.00	2193.18
27.	उत्तर प्रदेश	7	1115.80	916.26	9	1044.93	831.19	18	3905.23	3126.03
28.	पश्चिम बंगाल	10	717.44	384.34	10	513.04	407.43	5	989.35	792.48
29.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0.00	0.00	1	6.25	5.00
30.	चंडीगढ़	2	10.00	8.00	3	467.00	373.60	1	13.70	13.70
31.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0.00	0.00	2	29.79	25.92
32.	दिल्ली	17	3316.28	3222.13	8	628.85	511.00	2	20.00	17.00
33.	दमन व दीव	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00	4	262.28	208.61
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00	2	469.39	375.51
	कुल	207	24185.84	18073.76	217	37663.83	27371.97	253	61316.96	45793.76

टिप्पणी- इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आईटी, कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सवों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर

*76. **श्री. जी करूणाकर रेड्डी:**
श्री हितेन बर्मन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कच्चा तेल उत्पादक कंपनियों से उपकर वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 2006 तक पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए उपकर के माध्यम से सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों और अन्य संगठनों को विकास कार्यों के लिए कितनी राशि के ऋण/अनुदान दिये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मार्च, 2006 तक कच्चे तेल पर उद्ग्रहीत उपकर के माध्यम से लगभग 60830 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई है।

(ग) तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और अन्य संगठनों को जारी किये गए ऋणों/अनुदानों की राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ऋण	अनुदान
2003-04	520.00	77.21
2004-05	2211.83	75.18
2005-06	760.00	89.51

खानपान सेवा की गुणवत्ता

*77. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर खानपान सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान रेलगाड़ियों में/स्टेशनों पर घटिया भोजन की आपूर्ति/बिक्री के संबंध में जोन-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर दिए जाने वाले/बेचे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच करने तथा खान-पान सेवा में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (घ) जी नहीं। खानपान सेवाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें स्वच्छता, भोजन सेवाओं के मानक एवं गुणवत्ता को बनाए रखना, अच्छी गुणवत्ता की पैकिंग/जैवनश्य सामग्री का इस्तेमाल, व्यंजन-सूची में संशोधन, अनुमोदित स्रोतों से कच्ची सामग्री की खरीद आदि शामिल है। खानपान सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए रेल प्रशासन द्वारा नियमित/अचानक जांचों का आयोजन किया जाता है और निवारक कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2005-06 और 2006-07 (मई तक) में प्राप्त हुई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाली सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि रेल उपयोगकर्त्ताओं को स्वास्थ्यकर भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति हो, आधार रसोइयों और अन्य पाक इकाइयों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्यकर मानकों का अनुपालन किया जाता है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने आधार रसोइयों/पाक इकाइयों का नवीकरण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। पुराने/खराब फर्नीचर, भोजन सेवा उपस्करों और अन्य उपकरणों, गैस पाइपलाइनों आदि का बदलाव आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, सेवाओं की गुणवत्ता को अपग्रेड करने के लिए खानपान कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित और यथालागू एगमार्क मानकों के अनुसार प्रतिष्ठित सहकारी सोसायटियों से अच्छी गुणवत्ता की कच्ची सामग्री खरीदी जाती है। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा जोनल स्तर पर "सेवा निगरानी कक्षों" का गठन किया गया है ताकि तत्काल निवारक कार्रवाई की जा सके।

विवरण

क्र.सं.	रेलवे	वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 (मई तक)	शिकायतें			निरीक्षण		
			शिकायतों की संख्या	निराधार पाई गई	की गई कार्रवाई	निरीक्षणों की संख्या	संतोषजनक पाए गए	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्य	2005-06	118	7	111	446	123	323
		2006-07	44	25	19	84	42	42
2.	पूर्व	2005-06	6	6	0	12	0	12
		2006-07	0	0	0	2	0	2
3.	उत्तर	2005-06	187	26	161	648	43	605
		2006-07	36	2	34	122	59	63
4.	पूर्वोत्तर	2005-06	9	0	9	496	410	86
		2006-07	1	0	1	159	158	1
5.	पू.सी. रेलवे	2005-06	2	0	2	40	0	40
		2006-07	2	0	2	0	0	0
6.	दक्षिण	2005-06	245	174	71	2280	250	2030
		2006-07	17	12	5	277	12	265
7.	दक्षिण मध्य	2005-06	13	1	12	309	69	240
		2006-07	3	3	0	105	105	0
8.	दक्षिण पूर्व	2005-06	24	8	16	607	341	266
		2006-07	0	0	0	119	67	52
9.	पश्चिम	2005-06	61	21	40	781	266	515
		2006-07	10	6	4	20	8	12
10.	पूर्व मध्य	2005-06	19	2	17	657	517	140
		2006-07	3	1	2	42	29	13
11.	पूर्व तटीय	2005-06	25	6	19	229	0	229
		2006-07	0	0	0	25	0	25
12.	उत्तर मध्य	2005-06	46	40	7	660	316	284
		2006-07	131	0	0	250	80	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	उत्तर पश्चिम	2005-06	4	3	1	819	757	62
		2006-07	3	2	1	59	51	8
14.	दक्षिण पूर्व मध्य	2005-06	11	6	5	191	191	0
		2006-07	3	1	2	105	105	0
15.	दक्षिण पश्चिम	2005-06	22	3	19	206	80	126
		2006-07	15	0	15	70	12	58
16.	पश्चिम मध्य	2005-06	35	4	31	356	206	150
		2006-07	2	0	2	16	3	13
17.	आईआरसीटीसी	2005-06	202	20	182	313	207	106
		2006-07	225	0	225	544	391	153
	जोड़	2005-06	1029	327	700	9050	3776	5214
		2006-07	495	52	312	1999	1122	877

[हिन्दी]

सस्ते होटल और 'फूड प्लाजा'

*79. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सस्ते होटलों के निर्माण के लिए बड़े रेलवे स्टेशनों से सटे विभिन्न स्थलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे होटलों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में रेलवे निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विभिन्न स्थानों पर 'फूड प्लाजा' स्थापित करने का भी विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इनके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) 100 बजट होटल खोले जाने की योजना है। 5 स्टेशनों अर्थात् मदुरै, विजयवाड़ा, सिकंदराबाद, चंडीगढ़ और सियालदह के लिए निविदाएं खोली जा चुकी हैं। 15 और स्टेशनों पर स्थलों को अंतिम रूप दे दिया गया है और निविदा आमंत्रित किए जाने के लिए तैयार हैं। अन्य स्टेशनों के स्थलों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

(ग) जी, हां। इन बजट होटलों की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से की जाएगी।

(घ) निविदाएं 2 पैकेट प्रणाली अर्थात् तकनीकी एवं वित्तीय के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से खुली प्रतियोगी बोली के लिए आमंत्रित की जाती है।

(ङ) जी, हां।

(च) अभी तक 37 फूड प्लाजा खोले जा चुके हैं। 5 अन्य फूड प्लाजाओं के लिए लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और ये खोले जाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य 11 स्थलों के लिए निविदाएं

खोली जा चुकी हैं और उनकी संवीक्षा की जा रही है। 9 और स्थलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(छ) फूड प्लाजा स्थापित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

*80. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के 35 गैर-महनगरीय विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण किए जाने का विचार है और उन पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निविदाएं जारी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आधुनिकीकरण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई निजी भागीदारी आमंत्रित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 35 चुने गैर मैट्रो हवाईअड्डों को विश्व स्तर के अनुसार आधुनिक बनाने का निर्णय किया है जिसमें हवाईअड्डे की ओर तथा शहर की ओर के विकास पर बल दिया गया है। यह हवाईअड्डे अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, तिरूवनंतपुरम, लखनऊ, गोवा, मदुरै, मंगलौर, अगाती, औरंगाबाद, खजुराहो, राजकोट, वडोदरा, भोपाल, इन्दौर, नागपुर, विशाखापत्तनम, त्रिची, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, वाराणसी, अगरतला, देहरादून, इम्फाल, रांची, रायपुर, आगरा, चण्डीगढ़, दीमापुर, जम्मू और पुणे में स्थित हैं। क्षेत्रीय हवाईअड्डों के विकास के लिए गठित कृतक बल ने अन्य बातों के साथ-साथ हवाईअड्डे की ओर के तथा टर्मिनल भवन के विकास के लिए 4,662 करोड़ रुपए तथा 35 गैर मैट्रो हवाईअड्डों के शहरी विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। आधार संरचना पर समिति ने निम्नलिखित अनुमोदन किया है कि:-

(1) सभी 35 गैर मैट्रो हवाईअड्डों का विकास का कार्य किया जा सकता है।

(2) कुछ बड़े हवाईअड्डों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाली इकाईयों के गठन पर विचार किया जा सकता है।

(3) जबकि हवाईअड्डों की इसकी ओर के विकास का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है, शहरी ओर का विकास का कार्य पी.पी.पी. के माध्यम से किया जा सकता है।

(4) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाईअड्डों का विकास कार्य को अग्रता के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

35 गैर मैट्रो हवाईअड्डों के विकास कार्य के वर्ष 2010-11 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठते।

प्राचीन पांडुलिपियों को वापस लाना

400. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुरानी और प्राचीन पांडुलिपियां भारत से बाहर संग्रहालयों और अन्य स्थानों पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्राचीन भारत के इस अमूल्य खजाने को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) सरकार ने भारत की पाण्डुलिपियों का पता लगाने, सूची-पत्र तैयार करने, संरक्षित करने और उनका प्रसार करने के लिए 2003 में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन की स्थापना की है। यह मिशन जर्मनी, यू.के. तथा यू.एस.ए. में भारतीय पाण्डुलिपियों के ब्यौरे एकत्रित करने और उनकी सूची-पत्रों को संग्रहित करने के प्रयास कर रहा है। तथापि, देश के बाहर संग्रहालयों तथा संस्थानों में

भारतीय पाण्डुलिपियों का कोई वृहत्त सर्वेक्षण नहीं किया गया है। भारत की अमूल्य पाण्डुलिपि धरोहर को वापस लाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन डिजीटल प्रतियां बनाकर विदेशों में संग्रहों पर पाण्डुलिपियों का एक डिजीटल संबल सृजित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। मिशन भारत के अमूल्य पाण्डुलिपि खजाने के प्रलेखन और संरक्षण के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विस्तार करने में लगा है।

शहीदों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा

401. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहीदों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को रहने के साथ-साथ नि:शुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शहीदों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु जिला और तहसील स्तर पर छात्रावासों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) केवल 1962, 1965, 1971 के युद्धों, आपरेशन पवन, आपरेशन मेघदूत और भारत तथा विदेशों में विद्रोहिता रोधी संक्रिया सहित आपरेशन मेघदूत के बाद के सभी आपरेशनों में मारे गए/लापता हुए अथवा स्थाई रूप से निशक्त हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चे जो सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों/शैक्षिक संस्थानों, मिलिट्री/सैनिक स्कूलों और केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य स्कूलों अथवा कालेजों के साथ-साथ पूर्ण रूप से केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त संगठनों में अध्ययनरत हैं, वे निम्नलिखित शैक्षिक रियायतें पाने के पात्र हैं:-

(1) संबंधित शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन शुल्क (पूरी राशि) तथा अन्य शुल्क (इसमें कैपीटेशन फी तथा जमानत राशि शामिल नहीं है) (जिसमें स्कूल द्वारा स्कूल बस चलाने के लिए लिए जाने वाले प्रभार अथवा छात्रों के रेलवे पास के लिए अदा किया गया वास्तविक किराया अथवा बस किराया जो संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित हो, शामिल हैं) से पूरी छूट।

(2) बोर्डिंग स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रावास के पूरे प्रभारों को अदा करने के लिए अनुदान।

(3) पुस्तकों तथा स्टेशनरी की लागत: 250/- (दो सौ पचास रुपए केवल) प्रति छात्र प्रतिवर्ष अथवा छात्र द्वारा दावा की गई राश, इनमें से जो भी कम हो।

(4) वर्दी की लागत, जहां यह अनिवार्य है: प्रथम वर्ष में अधिकतम 810/- रु. (आठ सौ दस रुपए केवल) तथा उत्तरवर्ती वर्षों में प्रतिछात्र प्रतिवर्ष 350/- रु. अथवा छात्र द्वारा दावा की गई राशि, इनमें से जो भी कम हो।

(5) वस्त्र: प्रथम वर्ष के लिए 250/- रु. (दो सौ पचास रु. केवल) तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लिए प्रतिवर्ष प्रतिछात्र 150/- रु. अथवा छात्र द्वारा दावा की गई राशि, इनमें से जो भी कम हो।

उपर्युक्त शैक्षिक रियायतें केवल पहले डिग्री पाठ्यक्रम तक ही उपलब्ध होंगी।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नागपुर-नागभिंड रेल लाइन का आमान परिवर्तन

402. श्री सुबोध मोहिते: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नागपुर-नागभिंड रेल लाइन आमान परिवर्तन के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उक्त परियोजना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) नागपुर-नागभीर (106 किमी.) लाइन का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन का सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, इस लाइन के आमान परिवर्तन की लागत (-)5% के प्रतिफल की दर के साथ 141.56 करोड़ रु. आंकी गई है। लाइन की अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं पर भारी ग्रोफारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में इस कार्य को शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

कोटा जंक्शन पर स्थित रेलवे वर्कशाप का उन्नयन

403. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा जंक्शन पर स्थित रेलवे वर्कशाप के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इसका उन्नयन कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस टैंक वैगनों के लिए सुविधाओं का आवर्धन संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(ख) कार्य को 2003-04 में 2 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर अनुमोदित किया गया था। मार्च, 2006 तक 1.11 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है और 2006-07 में 47.60 लाख रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) इस कार्य को मार्च, 2007 तक पूरा किया जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों की दक्षता में सुधार हेतु योजनाएं

404. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एन सी सी के कैडेटों की दक्षता में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए कोई नई योजनाएं/कार्यक्रम आरंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों की विशेषकर गुजरात को एन.सी.सी. के क्रियाकलापों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) एन.सी.सी. के कैडेटों को विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित रक्षा प्रणाली से अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। गुणात्मक सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण और प्रभावशाली बनाने के लिए पर्वतारोहण, राइफल शूटिंग प्रतियोगिता, घुड़सवारी, पैरा सेलिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, माइक्रोलाइट विमान उड़ान और स्कूबा डाइविंग जैसे साहसिक क्रियाकलाप बड़ी संख्या में एन.सी.सी. के कैडेटों को मुहैया कराया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए गुजरात सहित विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से संबंधित राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों को आबंटित निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ऐसी कोई योजना प्रारंभ नहीं की गई है।

विवरण

गत प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों को आबंटित निधियां

क्र.सं.	निदेशालय का नाम	आबंटित निधियां (करोड़ रुपए में)			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.99	1.22	1.23	1.02
2.	बिहार और झारखंड	0.77	1.49	1.04	0.14
3.	दिल्ली	0.39	0.49	2.73	5.25
4.	गुजरात	0.63	0.83	0.77	0.84
5.	जम्मू-कश्मीर	0.28	0.4	0.4	0.49

1	2	3	4	5	6
6.	कर्नाटक और गोवा	0.82	1.13	1.27	0.79
7.	केरल और लक्षद्वीप	0.61	0.63	0.77	0.97
8.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	1.61	1.54	2.4	2.48
9.	महाराष्ट्र	1.3	1.83	2.41	3.06
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.61	0.96	1.06	1
11.	उड़ीसा	0.64	0.93	1	0.87
12.	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश	0.7	0.92	0.77	1.07
13.	राजस्थान	0.51	0.77	0.75	0.73
14.	तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार	0.75	1.17	0.92	1.13
15.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	1.64	2.37	3.43	4.36
16.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	1.01	1.6	1.7	2.98
	कुल	13.26	18.28	22.65	27.18

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति उप-योजना

405. श्री संजय धोत्रे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'अनुसूचित जाति उप-योजना' नाम की कोई विशेष योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या यह योजना सभी राज्यों के लिए लागू है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) अनुसूचित जाति उप-योजना (पहले विशेष संघटक योजना के रूप में ज्ञात) स्वयं में कोई योजना नहीं है। यह अनुसूचित जातियों के समग्र विकास हेतु छत्रक रणनीति है। योजना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए अनुसूचित जातियों के द्रुत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में योजना निधि निर्धारित करके अपनी वार्षिक योजना के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप-योजना तैयार करना और इसे क्रियान्वित करना अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) फिलहाल अनुसूचित जातियों की अधिक आबादी वाले 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति उप-योजना क्रियान्वित की जा रही है। अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत निधि प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अपनी वार्षिक योजना निधि से आबंटित की जाती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु योजनाएं

406. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री मोहन रावले:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन उद्योग के विकास में ''इनर लाइन परमिट'' एक बाधा है, जैसाकि दिनांक 15 मई, 2006 के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ''इनर लाइन परमिट'' का उत्सादन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की है। तथापि, पूर्वोत्तर के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 12709.57 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई हैं। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने कोलैटरल्स तैयार किए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्टों में भागीदारी हेतु उन्हें तैयार कर, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से एक पर्यटन गंतव्य के रूप में पूर्वोत्तर का संवर्धन एवं मार्केटिंग किया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) ''इनर लाइन परमिट'' राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और इसे मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, स्थानीय जरूरतों तथा पर्यटन रूझानों के आधार पर उनके द्वारा लागू किया जाता है या इनमें छूट दी जाती है। इस परमिट को समाप्त किए जाने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कोई समय-सीमा नहीं तय की गई है।

(ङ) पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के संवर्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

[अनुवाद]

विमान कम्पनियों के विलय/अधिग्रहण के संबंध में दिशा-निर्देश/नियम

407. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान कंपनियों के विलय/अधिग्रहण के मामले में विमानपत्तन की अवसंरचना के हस्तांतरण के संबंध में कोई दिशा-निर्देश/नियमों को तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइनों के विलय/टेक ओवर तथा विमानों की बिक्री/हस्तांतरण की स्थिति में हवाईअड्डा अवसंरचना के उपयोग के संबंध में अनुसरित की जाने वाली नीति बनाकर प्रकाशित की है। इस नीति की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

जो एयरलाइनें विलय/टेक ओवर अथवा विमानों की बिक्री/हस्तांतरण के अनुसरण में विमानों को टेक ओवर करती हैं उन्हें हवाईअड्डा जैसे पार्किंग बे, लैंडिंग स्लाट्स आदि, जिन्हें हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित किया जाता है, पर, बिना किसी भुगतान के, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन, अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति होगी:-

(1) जो एयरलाइनें विमानों को टेक-ओवर करती हैं उन्हें केवल उन अवसंरचना पर प्रयोक्त अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है जिन्हें एयरलाइन को गैर-भुगतान आधार पर दिया जाता है जैसे पार्किंग बे, लैंडिंग स्लाट आदि। अन्य सभी अधिकारों के लिए, हवाईअड्डा प्रचालक तथा एयरलाइन के बीच हुए लीज/बिक्री करार की शर्तें लागू हो सकती हैं।

(2) इस अवसंरचना पर स्वामित्व सरकार/हवाईअड्डा प्रचालक में निहित रहेगा और इसलिए, इसे किसी भी स्थिति में एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

(3) विमानों को टेक-ओवर करने वाली एयरलाइन द्वारा केवल उन अधिकारों के संबंध में प्रयोक्ता अधिकारों को प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, जिन्हें विमान हस्तांतरित करने वाली एयरलाइन द्वारा वास्तव में प्रयोग किया जा रहा है, जिन्हें विमान हस्तांतरित करने वाली एयरलाइन द्वारा वास्तव में प्रयोग किया जा रहा है। अन्य सभी अधिकारों को सरकार/हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा।

(4) ये प्रयोक्ता अधिकार विमानों को टेक ओवर करने वाली एयरलाइन को केवल उतने समय तक उपलब्ध रहेंगे जितने तक संबंधित अवसंरचना का वास्तविक उपयोग

हो रहा हो। यदि विमानों को टेक ओवर करने वाली एयरलाइनें संबंधित अवसंरचना का उपयोग नहीं करती हैं, तो उस अवसंरचना पर इसका प्रयोक्त अधिकार समाप्त हो जाएगा।

पार्वतीपुरम में रेलवे स्टेशन की स्थापना

408. श्री ए.बी. बेल्लारमिन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कन्याकुमारी जिले में पार्वतीपुरम में रेलवे स्टेशन की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) परिचालनिक, इंजीनियरी एवं वित्तीय दृष्टि से पार्वतीपुरम में एक रेलवे स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

रेलवे सुरक्षा कोष

409. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 में व्यपगत न होने वाले विशेष रेलवे सुरक्षा कोष की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) आज की तिथि तक इस कोष में कुल कितनी धनराशि है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण/प्रतिस्थापन में बकाया को 6 वर्ष की समय सीमा के भीतर दूर करने के लिए 1.10.2001 से 17,000 करोड़ रु. की एक अव्यपगत "विशेष रेल संरक्षा निधि" की स्थापना की गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	व्यय (शुद्ध)
2003-04	2583.77
2004-05	3677.78
2005-06	2783.14 (अनंतिम)

(ग) निधि की स्थापना से 13567.76 करोड़ रुपए (अनंतिम) निधि का विनियोग किया गया है और 31.3.2006 तक 12965.28 करोड़ रुपए (अनंतिम) का उपयोग किया गया है इसलिए 31.3.2006 को विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 602.48 करोड़ रुपए बकाया था। 2006-07 के बजट अनुमान के अनुसार इस निधि में 2115 करोड़ रुपए का अंशदान होगा।

राज्यों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का कोटा

410. श्री सुब्रत बोस: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के पेट्रोलियम उत्पादों का कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानक/मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए प्रत्येक राज्य हेतु पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पाद-वार कितना कोटा निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सरकार द्वारा पीडीएस मिट्टी तेल के अतिरिक्त किसी पेट्रोलियम उत्पाद के आवंटन के लिए राज्यवार कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल भारत सरकार द्वारा पूर्वाधार पर राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को आवंटित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2000 में अपनाई गई नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) के अंतर्गत वितरण के लिए मिट्टी तेल (एसकेओ) का आवंटन 2001-02 के प्रारंभ से 2003-04 तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष कम किया गया था। जबकि 2004-05 के लिए आरंभिक आवंटन अब अपना गए मानदंड पर आधारित था। आवश्यक आपातकालीन मांग को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त आवंटन किए गए। वर्ष 2005-06 के लिए आवंटन वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त आवंटनों सहित 2004-05 के स्तर पर बनाए रखे गए हैं। वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही तथा द्वितीय तिमाही के राज्यवार आवंटनों को पूर्व वर्ष अर्थात् 2005-06 के स्तर पर बनाए रखा गया है। वर्ष 2006-07 की पहली तथा द्वितीय तिमाही अप्रैल से सितंबर (के लिए पीडीएस मिट्टी तेल का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2006) (मी. टन में)	2006-07 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर, 2006) (मी. टन में)
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1454	1454
आंध्र प्रदेश	129289	129289
अरुणाचल प्रदेश	2314	2314
असम	64501	64502
बिहार	161857	161857
चंडीगढ़	3266	3267
छत्तीसगढ़	36734	36734
दादरा और नागर हवेली	695	695
दमन और दीव	529	529
दिल्ली	42121	42121
गोवा	4803	4803
गुजरात	185939	185940
हरियाणा	36404	36405
हिमाचल प्रदेश	12634	12634
जम्मू और कश्मीर	14489*	14489*
झारखंड	52793	52794
कर्नाटक	115369	115369
केरल	54077	54077
लक्षद्वीप	400#	000#
मध्य प्रदेश	122152	122152
महाराष्ट्र	319219	319219
मणिपुर	4976	4977
मेघालय	5100	5100
मिजोरम	1554	1554
नागालैंड	3328	3328
उड़ीसा	78744	78744
पांडिचेरी	3064	3064
पंजाब	59298	59298
राजस्थान	99728	99728
सिक्किम	1395	1395
तमिलनाडु	139732	139732
त्रिपुरा	7708	7708
उत्तर प्रदेश	310443	310443
उत्तरांचल	22462	22462
पश्चिम बंगाल	188025	188025
योग	2286596	2286203

*जम्मू और कश्मीर राज्य (लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर) के लिए आवंटन दो ब्लाकों में दिया गया है अर्थात् गर्मी (अप्रैल-सितंबर) में वार्षिक आवंटन के 40% की दर पर और सर्दी (अक्तूबर-मार्च) में वार्षिक आवंटन के 60% की दर पर। यह आवंटन जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के अलावा है। लद्दाख क्षेत्र के लिए जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को गर्मी के महीनों अर्थात् मई से अक्तूबर, जब मार्ग खुले रहते हैं, के दौरान पूरे वर्ष का आवंटन अर्थात् 3600 एमटी एसकेओ उठाने की अनुमति है।

#लक्षद्वीप के लिए छह महीनों (अप्रैल-सितंबर 2006) का अग्रिम आवंटन पहले ही सूचित कर दिया गया है।

आयुध निर्माणी में क्षमता का न्यून उपयोग

411. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इटारसी स्थित आयुध निर्माणी की उपयोग क्षमता क्या है;

(ख) क्षमता के न्यून उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निर्माणी की उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणी, इटारसी में मानक

मानव-घंटों में मशीन और जनशक्ति का उपयोग निम्न प्रकार था:-

वर्ष	% मशीन उपयोग	% मानव मानव-घंटे
2003-04	89.00	142.34
2004-05	84.77	139.04
2005-06	81.19	120.44

(ख) आयुध निर्माणी, इटारसी में मशीन क्षमता के कम उपयोग का कारण मुख्यत: कुछ तोपखाना गोला बारूद के प्रणोदक के मिले आर्डरों में कमी होना है।

(ग) संस्थापित क्षमता के अनुरूप आर्डर लेने की कोशिश करके और नए प्रणोदक का विकास करके क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किए जा रहे हैं।

स्टेशनों पर व्हील चेयरों की व्यवस्था

412. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेल मंत्रालय को सभी स्टेशनों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए व्हील चेयरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) रेलवे द्वारा विकलांगों को प्रयोक्ता अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) माननीय उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि रेल मंत्रालय संबंधित सभी स्टेशन मास्टरों को किसी रेलवे स्टेशन पर व्हील चेयर की अनुपलब्धता से संबंधित किसी विकलांग व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी करेगा तथा स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायित्व होगा। प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर ध्यानाकर्षण स्थान पर इसके लिए एक नोटिस हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अवश्य लिखा होना चाहिए जिसमें यह उल्लेख होगा कि व्हील चेयर कहां उपलब्ध है तथा अनुपलब्धता की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति स्टेशन मास्टर से संपर्क कर सकता है। स्टेशन मास्टर के टेलीफोन नं. का भी उल्लेख होगा।

(ख) आवश्यक अनुदेशों को सभी क्षेत्रीय रेलों को जारी कर दिया गया है।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के कार्यान्वयन (समान अवसर, अधिकार एवं पूर्ण सहभागिता की सुरक्षा) अधिनियम, 1995 के अनुसरण में, रेलवे ने लगभग ए तथा बी श्रेणी वाले स्टेशनों पर सात अल्पावधि सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इन निम्नलिखित अल्पावधि सुविधाओं को शेष बी श्रेणी वाले स्टेशनों पर मुहैया कराए जाने की योजना है:

(1) अवरोधक मुक्त प्रवेश के लिए मानक रैम्प

(2) विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था।

(3) फिसलनमुक्त मार्ग

(4) संकेतक

(5) प्रसाधन

(6) विकलांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त पीने के पानी के लिए नल।

(7) ''मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं'' बूथ

स्टेशनों पर सुविधाओं के अलावा, रेलवे ऐसे सवारी डिब्बे बना रही है जिसे व्हील तैयार उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। प्रसाधन सहित इस डिब्बे का लेआउट तथा व्हील चेयर का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए इस प्रकार की सुविधाओं के लिए मानदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। अगले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में इस प्रकार का कम से कम एक डिब्बा लगाए जाने की योजना है।

एन.एस.सी.एफ.डी.सी. द्वारा धनराशि जारी करना

413. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे; और

(ग) एन.एस.सी.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी ब्याज दर वसूल की जाती है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुसूचित जाति आबादी के अनुपात में 2006-07 के दौरान 170.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। जारी की गई राशि और लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

राज्य	जारी की गई राशि (30.6.2006 तक) (लाख रुपए)	लाभार्थी व्यक्ति
गुजरात	255.97	650
पंजाब	35.64	80
उत्तर प्रदेश	1693.20	8892

(ग) एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से निम्नलिखित दरों पर ब्याज लिया जाता है:

(i) 3% (5 लाख रुपए तक)

(ii) 5% (5 लाख रुपए से अधिक)

माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस - 2%

महिला समृद्धि योजना - 1%

विमान परिचारिकाओं की सेवाओं का पुनर्गठन

414. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों की विमान परिचारिकाओं की सेवाओं का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विमानन उद्योग में निजी आपरेटरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दोनों एयरलाइनें विमानन बाजार प्रतिस्पर्धा में बने रहने तथा अपनी सेवाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, दोनों एयरलाइनें अपने विमान बेड़े की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आधुनिक विमानों के अर्जन की प्रक्रिया में है। सरकार ने एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को नए विमान अर्जित करने के लिए अनुमोदन पहले से ही दे दिया है। इसके अलावा, दोनों एयरलाइनें सक्रिय रूप से बाजार की मांग तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपनी कीमतों को समायोजित कर रही हैं। साथ ही एअर इंडिया ने संवेदनशील मूल्य बाजार में बने रहने तथा गल्फ जैसे मार्गों पर अपने बाजार अंश को सुरक्षित रखने के लिए अप्रैल, 2005 में एअर इंडिया एक्सप्रैस नामक कम लागत वाली एयरलाइन को प्रारंभ किया है। इंडियन एयरलाइंस कम लागत वाले वाहकों द्वारा प्रदान किए गए कम किरायों का मुकाबला करने के लिए ईजी फेयर्स तथा अन्वैक्ड फेयर्स योजनाएं नामक विभिन्न संवर्द्धन योजनाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बाजार किराए प्रदान कर रही है।

डाकघरों के माध्यम से रेल टिकट की बिक्री

415. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे उपनगरीय और लंबी दूरी की यात्राओं में टिकटों की बिक्री हेतु डाक विभाग के साथ समझौता कर रहा है जैसाकि दिनांक 28 जून, 2006 के द टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) आरंभ में किन-किन स्थानों पर यात्रियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का विचार इस योजना को सभी राज्यों की राजधानियों में शुरू करने का है जहां पर टिकट के आरक्षण के लिए बहुत भीड़ होती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है।

[हिन्दी]

वीरांगना नामक विशेष बल का गठन

416. श्री बापू हरी चौरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वीरांगना नामक विशेष बल/दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन ट्रेनों के क्या नाम है जिनमें आरंभ में ऐसे बल/दल की तैनाती की जाएगी;

(घ) क्या रेलवे का विचार सभी ट्रेनों में ऐसे बल/दल की तैनाती का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) यह एक तथ्य है कि वीरांगना नाम से महिला पुलिस कर्मियों का एक समूह मंडल सुरक्षा आयुक्त/दिल्ली-II के पर्यवेक्षण में उपनगरीय क्षेत्रों में गाड़ियों में महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए कार्यरत है।

(ख) दिल्ली मंडल में कार्यरत वीरांगना नाम से कार्यरत एक कार्य दल है जिसमें आईपीएफ/1, एसआई/2, एचसी/4 के साथ एक नौजवान रे.सु.ब. महिला पुलिस कर्मियों का एक समूह शामिल है। उपनगरीय गाड़ियों के महिला डिब्बों में गैर कानूनी रूप से यात्रा कर रहे मर्द मुसाफिरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाती है। 6.6.2006 से 12.7.2006 की अवधि के दौरान इस डिब्बों में गैर कानूनी रूप से मर्द मुसाफिर यात्रा करते पाए गए और उन्हें गिरफ्तार करके रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 162 के तहत कार्रवाई की गई।

(ग) दिल्ली क्षेत्र में सभी उपनगरीय गाड़ियों के वीरांगना बल द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है।

(घ) जी, नहीं। जनशक्ति की कमी के कारण यह व्यावहारिक नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गांधी दाय स्थल परियोजना

417. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गांधी दाय स्थल परियोजना के लिए कतिपय स्थानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पलवल (हरियाणा) को गांधी दाय स्थल परियोजना में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जो 10 अप्रैल, 1919 को अमृतसर जाते हुए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किए जाने वाला स्थान होने के कारण एक ऐतिहासिक महत्व वाला स्थान है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) निम्नलिखित गांधी विरासत स्थलों को विकास हेतु चिह्नित किया गया है:-

(i) पोरबंदर (जन्म स्थान), (गुजरात)

(ii) मुम्बई (मणि भवन), (महाराष्ट्र

(iii) चम्पारण, (बिहार)

(iv) साबरमती, (गुजरात)

(v) मदुरै, (तमिलनाडु)

(vi) दांडी, (गुजरात)

(vii) सेवाग्राम आश्रम, (महाराष्ट्र)

(viii) पुणे, (महाराष्ट्र)

(ix) कोलकाता (बेलियाघाट), (पश्चिम बंगाल)

(x) गांधी स्मृति, (दिल्ली)

(xi) फीनिक्स सेटलमेंट, (द. अफ्रीका)

(xii) टॉल्स्टॉय फॉर्म, (द. अफ्रीका)

(xiii) पश्चिमोत्तर सीमांत, (पाकिस्तान)

(xiv) नोआखाली, (बांग्लादेश)

(xv) किंग्सली हॉल, ईस्ट एण्ड, (लंदन)

गांधी विरासत स्थलों के विकास हेतु पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित उप-समूह की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कुकुरमारा का एक पर्यावरण हितैषी पर्यटन स्थल के रूप में विकास

418. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से कुकुरमारा को एक पर्यावरण हितैषी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त रेल आरक्षण काउन्टर

419. श्री प्रहलाद जोशी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों पर संबंधित रेलवे स्टेशनों के अलावा अतिरिक्त रेल आरक्षण काउन्टर खोलने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ वर्तमान नियमों में कोई संशोधन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे अतिरिक्त रेल आरक्षण काउन्टरों को खोलने के लंबित अनुरोधों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई अनुरोध एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उनके शीघ्र निपटान के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मौजूदा यात्री आरक्षण प्रणाली के अनुसार बड़े शहरों, जिलों, मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों में उनके रेलवे स्टेशनों के अलावा अन्य स्थानों पर कंप्यूटरीकृत यात्री रेल आरक्षण सुविधा खोलने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

(1) महत्वपूर्ण पर्यटक अथवा हिल स्टेशनों एवं तीर्थ केंद्रों पर

(2) मेट्रो शहरों में सैटेलाइट स्टेशनों पर जहां 4 लाख से अधिक आबादी के साथ सघन आबादी वाला हो तथा 15 किमी. की परिधि में कोई यात्री आरक्षण केंद्र उपलब्ध न हो। मेट्रो तथा अन्य बड़े शहरों जहां शहरी आबादी में वृद्धि हो रही हो एवं मौजूदा यात्री आरक्षण केंद्र पर भीड़-भाड़ रहती हो में भी यात्री आरक्षण केंद्र खोला जा सकता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अतिरिक्त रेल आरक्षण केंद्र के लिए अनुरोध नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है एवं जहां कहीं भी उचित है, मुहैया कराए जा रहे हैं। इस प्रकार के अनुरोध पर आधारित स्वीकृत कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्रों की सूची जिन्हें अभी चालू किया जाना है, का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(च) और (छ) लंबित होने का मुख्य कारण है, संचार चैनलों की अनुपलब्धता और/या जिला मुख्यालय शहरों में राज्य सरकार से नि:शुल्क आवास का प्रावधान न होना।

विवरण

लंबित अनुरोध पर आधारित स्वीकृत कंप्यूटरीकृत यात्री रेल आरक्षण केंद्रों की सूची

अरुणाचल प्रदेश	1. देवमली
बिहार	2. बनमनखी
	3. हरि नगर
	4. जोगबनी
	5. कमतौल
	6. खजोली
	7. लौखा बाजार
	8. मझौलिया
	9. पंडौल
	10. पटना एयर पोर्ट
	11. राजनगर
	12. सकरी
गुजरात	13. अहवा

	14. अंजेर
	15. ऊना (गुजरात)
हरियाणा	16. गोहना
हिमाचल प्रदेश	17. लाहौल स्पीटी कीलॉग
जम्मू-कश्मीर	18. डोडा
	19. पुंछ
कर्नाटक	20. चल्लेकर रेलवे स्टेशन
केरल	21. कलाडी के लिए अंगामली
	22. इडुकी
महाराष्ट्र	23. नवापुर
राजस्थान	24. कुछमन सिटी
तमिलनाडु	25. मद्रास हाई कोर्ट
उत्तरांचल	26. परमार्थ निकेतन
	27. टिहरी गढ़वाल

[हिन्दी]

झारखण्ड की संस्कृति को बढ़ावा

420. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखण्ड की संस्कृति के संरक्षण तथा उसे बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) झारखंड राज्य में 10 केंद्रीय रूप से संरक्षिक स्मारक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं। ये स्मारक इस प्रकार हैं:-

1. हंसा, जिला रांची में आसुरा स्थल।
2. खूंटी टोला, जिला रांची में आसुरा स्थल।
3. जिला रांची में प्राचीन पाषाण मंदिर, जिसके भीतर एक छोटा शिवलिंग स्थित है,
4. खुंजला, जिला रांची में आसुरा स्थल।
5. सारीडकेल, जिला रांची में आसुरा स्थल।
6. आशिकपुर, जिला रांची में चंदन शहीद-पर्वत पर अशोक के शिलालेख।
7. आरजी मुकामपुर, जिला संथाल परगना में संभावित भूमिगत प्रकोष्ठ और मार्ग सहित बारादरी भवनों के अवशेष।
8. हदाफ, जिला संथाल परगना में जामी मस्जिद।
9. रूआम, जिला सिंहभूम में पुराना किला स्थल।
10. ईटागढ़, जिला सिंहभूम में प्राचीन टीला।

इन सभी स्मारकों के परिरक्षण की स्थिति अच्छी है और इन स्मारकों का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण पर किया गया व्यय इस प्रकार है:-

(लाख रु. में)

2003-04	2004-05	2005-06
82.39	70.72	73.55

झारखंड राज्य में विभिन्न अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि इस प्रकार है:-

(लाख रु. में)

	2003-04	2004-05	2005-06
एस और एफ की स्कीम	6.24	8.64	2.88
ललित कला अकादमी	2.00	2.00	2.00
पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र	5.50	8.45	7.60
संगीत नाटक अकादमी	13.20	12.30	32.83
जनजातीय संस्कृति का संवर्धन	शून्य	0.50	0.60

[अनुवाद]

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं

421. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2006-07 के लिए "ग्रामीण पर्यटन परियोजना" हेतु बेंगलौर ग्रामीण जिले में चन्नापाटना तथा बागलकोट जिले में इलकल को बढ़ावा देने हेतु चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा कर्नाटक में पर्यटन संबंधी अन्य परियोजनाएं भी विकसित की जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (च) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य एवं परिपथ के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ परामर्श करके निम्नलिखित योजनाओं के लिए प्राथमिकता दी है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	चन्नापाटना, जिला बंगलौर	ग्रामीण पर्यटन	50.00
2.	इलकल, जिला बागलकोट	ग्रामीण पर्यटन	50.00
3.	हम्पी	गंतव्य विकास	500.00
4.	लिंगामक्की	गंतव्य विकास	500.00
5.	बीजापुर-बीदर-गुलबर्गा	पर्यटक परिपथ	800.00

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

422. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत वित्तीय सहायता के दुरुपयोग में लिप्त पाए गए कुछ गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 के दौरान राज्यवार किन-किन गैर-सरकारी संगठनों को काली सूचीबद्ध किया गया है;

(ग) क्या आसान दिशानिर्देशों के कारण ये गैर-सरकारी संगठन कानून का नाजायज लाभ उठाकर अनुचित तरीकों से अपनी परियोजनाओं को स्वीकृत कराते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धोखेबाज गैर-सरकारी संगठनों की छल-कपट रोकने के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं, गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान की स्वीकृति हेतु दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षा उपाय होते हैं। गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने के पहले, संबंधित राज्य सरकारों की संस्तुति प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें लेखा-परीक्षित लेखे, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, लाभार्थियों की सूची, कर्मचारियों की सूची आदि शामिल हैं, को भी मंगाया जाता है और उनकी जांच की जाती है। सहायता अनुदान की उत्तरवर्ती जिलों की निर्मुक्ति, गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने और संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्टों के बाद ही की जाती है।

विवरण

2006 के दौरान कालीसूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों का नाम (राज्य-वार)

बिहार

1. केन्द्रीय अंग्रेजी अकादमी
2. यूथ मोबैलाइजेशन फार नेशनल एडवांसमेंट

गुजरात

1. आयुष प्रतिष्ठान

मध्य प्रदेश

1. ग्राम चेतना सेवा समिति

2. आदर्श शिवम समाज विकास सोसाइटी

विदेशी विमान कम्पनियों का परिचालन

423. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितनी विदेशी विमान कम्पनियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या कुछ विदेशी विमान कम्पनियां एअर इंडिया द्वारा उनके देश में उड़ान भरने के अधिकार की मांग किए बिना ही उड़ान भर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को को-लैंडिंग की भी अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए यातायात अधिकार पारस्परिकता के आधार पर विभिन्न देशों के साथ किए गए हमारे द्विपक्षीय हवाई सेवा करारों में विनिर्दिष्ट हैं। तथापि, इन यातायात अधिकारों को वास्तविक उपयोगिता संबंधित एयरलाइनों के वाणिज्यिक न्याय द्वारा मार्गदर्शित की जाती हैं। वर्तमान में, 50 देशों की 64 विदेशी एयरलाइनें भारत को/से प्रचालन कर रही हैं, जिनमें से 25 देशों की 25 विदेशी एयरलाइनें एकपक्षीय प्रचालन कर रही हैं। भारतीय अनुसूचित वाहक, जैसे एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, जेट एयरवेज तथा एयर सहारा, सब मिलकर 28 विदेशी देशों में प्रचालन कर रही हैं, जिनमें से वे 3 देशों में एकपक्षीय प्रचालन कर रही हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने तुर्कमेनिस्तान की नामित एयरलाइनों को अमृतसर-दिल्ली सेक्टर पर तथा श्रीलंका की नामित एयरलाइन को गया-दिल्ली सेक्टर पर बिना केबोटेज अधिकारों के साथ-लैंडिंग करने की सुविधा प्रदान की है।

रेल लाइनों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण

424. श्री अनन्त नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने उड़ीसा में जाजपुर से क्योंझर रोड तथा बांसपानी से बिमलागढ़ तक रेल लाइनों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मिनीरत्न का दर्जा

425. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम को मिनीरत्न का दर्जा देने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों को मिनीरत्न का दर्जा मिला हुआ है;

(ग) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को मिनीरत्न का दर्जा देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे उद्यम (सीपीएसईज), जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है, जिनकी परिसंपत्ति सकारात्मक है, जिन्होंने सरकार को देय किसी भी ऋण पर ऋण की अदायगी/ब्याज की अदायगी में चूक नहीं की है, जो बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी (सिवाए जहां पर बाह्य दाता अभिकरणों के मानक विनिर्दिष्टों के अंतर्गत अपेक्षित है) पर निर्भर नहीं हैं, मिनीरत्न की हैसियत पर विचार किए जाने के लिए पात्रित हैं। इसके अलावा, मिनीरत्न योजना के अंतर्गत अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए कम से कम 3 गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके बोर्ड का पुनर्गठन करना एक पूर्व शर्त है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 14.7.2006 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 46 उद्यम हैं, जिनकी हैसियत मिनीरत्न की है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों की सूची विवरण के रूप में दी गई है।

(ग) से (ङ) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम मिनीरत्न की हैसियत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इस बात पर निर्भर करते हुए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की अधिकार दिए गए हैं कि वह केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम की मिनीरत्न की हैसियत के बारे में निर्णय ले सकता है।

विवरण

दिनांक 14.7.2006 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनीरत्न उद्यमों की सूची

श्रेणी-I

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
3. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड
4. केन्द्रीय भण्डारण निगम
5. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6. कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
7. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
8. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
9. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
10. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड
11. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट
12. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
13. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
14. इरकान (इंटरनेशनल) लिमिटेड
15. कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड
16. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
17. एमएमटीसी लिमिटेड
18. एमएसटीसी लिमिटेड
19. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
20. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
21. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
22. नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड
23. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
24. आयल इंडिया लिमिटेड
25. विद्युत वित्त निगम लिमिटेड
26. पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
27. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
28. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
29. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
30. राइट्स लिमिटेड
31. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
32. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
33. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

श्रेणी-II

34. बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड
35. एजूकेशनल कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
36. फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
37. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
38. होस्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड
39. इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
40. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
41. मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड
42. मेकान लिमिटेड
43. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
44. पीईसी लिमिटेड
45. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
46. वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

गैर-अधिसूचित घुमन्तु तथा अर्ध घुमन्तु जनजातियों हेतु वित्तीय उपबंध

426. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-अधिसूचित घुमन्तु तथा अर्ध-घुमन्तु जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने आगामी पंचवर्षीय योजना में उचित वित्तीय उपबंधों तथा इन समुदायों के उत्थान के लिए क्षेत्रीय अधिकारों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन समुदायों के लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा उपयोग की गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इन समुदायों के कल्याण एवं विकास के लिए क्या उपाय किए गए;

(च) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजनाएं बना रही है जिससे कि इन जनजातियों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की भूमिका मिल सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) गैर-अधिसूचित घुमन्तु तथा अर्ध-घुमन्तु जनजातियों हेतु फिलहाल कोई अलग अनुसूचियां/सूचियां नहीं हैं। इन श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को सामान्यत: अपनी-अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है और ये व्यक्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

गैर-अधिसूचित घुमन्तु तथा अर्ध-घुमन्तु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन निम्नलिखित हेतु किया गया है:

(1) संपत्ति उपार्जन और स्व-रोजगार अवसरों द्वारा गैर-अधिसूचित, घुमन्तु तथा अर्ध-घुमन्तु 'जनजातियों' के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपेक्षित आर्थिक उपायों को निर्दिष्ट करना;

(2) इनकी विशिष्ट आवश्यकता के मद्देनजर, इन वर्गों को आर्थिक विकास पैकेज देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित मौजूदा चैनेलाइजिंग एजेंसियों को प्रयोग करने के उपायों की सिफारिश करना;

(3) इनके शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की पहचान करना; और

(4) ऐसी कोई सम्बद्ध या प्रासंगिक सिफारिश करना जिसे आयोग आवश्यक समझे।

स्काई बस मेट्रो

427. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोंकण रेलवे द्वारा विकसित स्काई बस मेट्रो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केरल सहित कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में स्काई बस मेट्रो के निर्माण का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) डा. पी.वी. इंदीरेसन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि जनता के उपयोग हेतु इसे प्रमाणित करने से पूर्व स्काई बस प्रौद्योगिकी के और विकास के लिए परीक्षण आयोजित किए जाएं। रेल मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2006-07 के बजट में 25 करोड़ रु. मुहैया कराए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पुणे नगर निगम तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने क्रमश: पुणे और हैदराबाद शहरों में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड से अनुरोध किया है।

कोच्ची में स्काई बस के लिए कोंकण रेलवे द्वारा वर्ष 2002 में प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर, केरल सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय से निधियों की व्यवस्था करने के लिए संपर्क किया है। राज्य सरकार से इस विषय में कोई अन्य परामर्श प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) स्काई बस प्रौद्योगिकी के सिद्ध हो जाने तथा जनता के उपयोग हेतु प्रमाणित हो जाने के पश्चात् कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा स्काई बस परियोजना लागू की जाएगी।

भारतीय रेल बिजली कंपनी

428. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ संयुक्त उद्यम में भारतीय रेल बिजली कंपनी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) प्रस्तावित कंपनी में रेलवे की इक्विटी कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। रेलवे अपने कर्षण उद्देश्य के लिए सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए नेशनल थर्मल विद्युत निगम (एनटीपीसी) के साथ संयुक्त उद्यम में बिजली संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(ख) एनटीपीसी के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम वाली बिजली संयंत्र की स्थापना के संबंध में केबिनेट नोट को 20.2.2006 को ऊर्जा मंत्रालय को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति से अनुमोदन लेने के लिए अगली कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने मंत्रिमंडल नोट के मसौदे को 19.5.06 को टिप्पणी के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया है।

(ग) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में रेलवे की भागीदारी 51% होगी।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि

429. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 से आज की तारीख तक पेंशन में वर्ष-वार कितनी वृद्धि की गई; और

(ग) पेंशन में उक्त वृद्धि का आधार क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) जी, हां। अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की पेंशन में 1.1.2006 से वृद्धि की गई थी जो कि वर्ष 2000 के बाद पहली वृद्धि है।

(ग) अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक अपेक्षाकृत कम आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और तीन न्यूनतम रैंक यथा सिपाही, नायक, हवलदार 5 वर्षों का मौजूदा सेवालाभ (वेटेज) दिए जाने के बावजूद पूरी पेंशन लेने के लिए अर्हक सेवा पूरी नहीं करते हैं। इसलिए उनके सेवालाभ (वेटेज) में क्रमश: 10, 8 और 6 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था बशर्ते अधिकतम अर्हक सेवा 30 वर्ष की हो। तथापि, यदि किसी व्यक्ति की उस समय के मौजूदा 5 वर्ष के सेवालाभ (वेटेज) के साथ 30 वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा है तो वह उसका लाभ प्राप्त करता रहेगा। 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की पेंशन 1.1.1996 के बाद के अधिकतम वेतनमान के संदर्भ में संशोधित की गई है।

[अनुवाद]

सैनिक विद्रोह की 150वीं वर्षगांठ हेतु धनराशि

430. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 में खालसा पंथ की 300वीं जयंती, वर्ष 2001 में महावीर की 2600वीं जन्मशती तथा वर्ष 2006 में महापरिनिर्वाण की 2550वीं जयंती पर कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या सैनिक विद्रोह के डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कोई धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) कुल आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) वर्ष 1999 में खालसा पंथ की 300वीं जयंती	100 करोड़ रु.
(ii) वर्ष 2001 में महावीर की 2600वीं जन्मशती	100 करोड़ रु.
(iii) वर्ष 2006 में महापरिनिर्वाण की 2550वीं जयंती	10 करोड़ रु.

(ख) से (घ) 150वीं वर्षगांठ जैसा कोई स्मारक कार्यक्रम अस्तित्वमान नहीं है। तथापि, सरकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय किया है तथा वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट भाषण में इस उद्देश्य के लिए 10 करोड़ रु. के प्रावधान की घोषणा की थी।

रेल में मुफ्त यात्रा सुविधा

431. श्री रनेन बर्मन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में किन-किन श्रेणियों तथा प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा सुविधा की अनुमति दी जा रही है;

(ख) इस कारण रेलवे को कितना वार्षिक घाटा हो रहा है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अपने राजस्व में सुधार के लिए मुफ्त यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या को घटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न कोटियों के यात्रियों को जारी मानार्थ पासों के कारण सालाना वित्तीय दायिता तकरीबन 11.00 करोड़ रु. है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलवे द्वारा निम्नलिखित कोटियों को मुफ्त यात्रा सुविधा मुहैया कराई जा रही है

(31.03.2006 तक स्थिति)

क्र.सं.	कोटि	व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (लागत गृह मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है)	12,666
2.	अर्जुन पुरस्कार/ओलंपिक पुरस्कार/एशियाई तथा राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक/द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता	563
3.	परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र (रक्षा कार्मिक) विजेता	431
4.	अशोक चक्र, शौर्य चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेता	462
5.	वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा वीरता के लिए पुलिस पदक (पुलिस कर्मी)	1,643
6.	रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य	17
7.	हिंदी के प्रचार-प्रसार में जुटे केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नागरिक प्रचारिणी सभा वाराणसी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा तथा अखिल भारतीय हिंदी संस्थान नामक चार संगठनों में प्रत्येक पदधारक	–
8.	भूतपूर्व रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री/उप रेल राज्य मंत्री	21
9.	भारत रत्न पुरस्कृत	4
10.	रेल मंत्री के विवेकाधीन शक्तियों के तहत जारी मानार्थ कार्ड पास	37
II.	**चैक पास**	
1.	रेलवे/बोर्ड सदस्यों के लिए रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री द्वारा उनकी विवेकाधीन शक्तियों के तहत जारी चैक पास	1853
2.	लाइसेंसधारी कुलियों तथा उनकी पत्नियों को जारी चैक पास (2005-06)	37,680

पर्यटन परियोजनाएं

432. श्री अर्जुन सेठी:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आठवी, नवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विशेषकर आठवीं तथा नवीं योजनाओं के दौरान स्वीकृत उन परियोजनाओं का पता लगाने के लिए जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) आठवीं, नवीं और दसवीं योजनाओं के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं की संख्या समेत उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता दर्शाता हुआ एक विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर मानीटरिंग की जाती है। स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की जांच हेतु स्वेदशी भारत पर्यटन कार्यालयों का भी उपयोग किया जाता है। अधूरी परियोजनाओं की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भी निरंतर सलाह दी गई है और कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रगति की जांच करने के उपरांत तथा आपसी विचार-विमर्श के आधार पर प्रत्येक परियोजना की समाप्ति हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। आठवीं और नवीं योजना की उन अधूरी परियोजनाओं के लिए, जिन्हें कि 31.3.2006 तक पूरा नहीं किया गया है, आगे कोई निधि जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

8वीं, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की अवस्थिति

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
		8वीं और 9वीं योजना			10वीं योजना		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अण्डमान एवं निकोबार	16	450.62	274.57	1	6.25	5.00
2.	आंध्र प्रदेश	83	1599.74	1415.06	30	6897.71	5427.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	54	1177.37	687.15	28	4670.66	3618.47
4.	असम	89	2444.70	1392.94	30	4187.62	3420.74
5.	बिहार	58	1043.28	540.92	24	4695.15	3933.70
6.	चण्डीगढ़	30	251.64	192.09	8	493.45	401.93
7.	छत्तीसगढ़	12	282.28	102.85	28	4482.26	3180.96
8.	दादर एवं नगर हवेली	11	94.01	35.85	4	37.86	32.38
9.	दमन एवं दीव	17	203.21	130.30	9	581.85	469.01
10.	दिल्ली	60	929.14	758.68	41	4728.27	4498.54
11.	गोवा	96	1520.02	957.22	7	157.26	83.26
12.	गुजरात	89	1843.35	951.24	19	3612.97	2524.92
13.	हरियाणा	86	1648.30	1363.30	39	3059.26	2625.36

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	हिमाचल प्रदेश	133	3095.67	2499.90	47	5254.19	3904.21
15.	जम्मू-कश्मीर	87	1976.06	1620.60	34	8499.22	7000.63
16.	झारखण्ड	18	520.19	318.25	9	3324.09	2546.96
17.	कर्नाटक	144	3310.76	2867.58	44	7955.01	5519.43
18.	केरल	104	4172.09	3052.04	43	9278.92	7503.89
19.	लक्षद्वीप	9	194.86	121.26	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	76	1549.73	1049.70	52	6055.87	4887.70
21.	महाराष्ट्र	135	4086.0	3239.99	41	5964.08	4889.13
22.	मणिपुर	66	1621.80	565.28	7	215.58	186.13
23.	मेघालय	37	602.22	229.07	9	1130.87	884.31
24.	मिजोरम	81	1501.73	1373.37	25	4068.62	2543.63
25.	नागालैण्ड	63	1052.42	935.73	26	5851.16	4083.74
26.	उड़ीसा	109	2256.44	1593.29	26	4427.96	3522.81
27.	पांडिचेरी	31	381.19	256.37	8	1185.16	948.50
28.	पंजाब	69	1248.88	695.18	16	2276.35	1794.12
29.	राजस्थान	130	2465.76	1912.23	44	7788.94	6580.32
30.	सिक्किम	104	1231.36	1041.94	43	5011.15	3723.68
31.	तमिलनाडु	137	2557.40	1955.50	52	8486.53	6222.70
32.	त्रिपुरा	67	1366.18	1148.20	16	1406.14	791.25
33.	उत्तर प्रदेश	89	1556.08	962.76	37	6261.18	5199.93
34.	उत्तरांचल	68	1455.31	1219.88	26	5765.92	4741.91
35.	पश्चिम बंगाल	101	1971.28	1312.50	31	2960.91	2280.40
	कुल	2559	53661.77	38772.79	904	140778.42	109977.04

रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए नई तकनीक

433. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे इंस्टीट्यूट आफ स्टाफ ट्रेनिंग ने रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए कोई नई तकनीक तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान परीक्षण के पश्चात् इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रेलवे द्वारा देश में इसके पूरे प्रयोग के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(च) इस नई तकनीक का प्रयोग करने हेतु रेलवे द्वारा कितना खर्च किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

भारत और अमरीका के बीच समझौता

434. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार तथा यू एस फेडरल एवीएशन अथारिटी के बीच देश में विमानपत्तनों तथा प्रबंधकीय कार्यों तथा तकनीकी क्षेत्रों में अन्य अवसंरचना के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) यू एस सरकार द्वारा नागर विमानन में एक करार ज्ञापन (एम ओ यू) प्रस्तावित किया गया है जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है:-

* नागर विमानन अवसंरचना, मानकों, प्रक्रियाओं, नीतियों, प्रशिक्षण तथा उपस्कर के विकास, सुधार तथा प्रचालन में तकनीकी तथा प्रबंधकीय सुविज्ञता प्रदान करना।
* नागर विमानन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
* हमारे नागर विमानन उपस्कर तथा वायु दिक्चालन सुविधा के लिए निरीक्षण एवं अशांकन करना।
* भारत में हवाईअड्डा प्रमाणन में सहयोग करना।

(ग) उपर्युक्त कथित करार के औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित होने के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इत्यादि नामक संबंधित कार्यान्वयन प्राधिकरण उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्रों के संबंध में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार फेडरल एविएशन अथारिटी आफ यू एस के साथ विशिष्ट तकनीकी सहायक करार करेंगे।

[हिन्दी]

डीजल की मूल्य वृद्धि का रेलवे पर प्रभाव

435. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल के मूल्य में हाल में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप रेलवे पर संभावित अतिरिक्त भार के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्रियों के हितों के प्रभावित किए बिना रेलवे का विचार इस अतिरिक्त वित्तीय भार की किस तरीके से संभालने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। डीजल के मूल्यों में हाल में ही वृद्धि के कारण, चालू वर्ष में लगभग 352 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि के व्यय का आकलन किया गया है।

(ग) रेलवे डीजल मूल्यों में वृद्धि के कारण मालभाड़ा और किराया में वृद्धि के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है और लागत में वृद्धि को अपने समग्र तरीकों से समाहित करेगी।

[अनुवाद]

नए रेल मंडल की स्थापना

436. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे पलक्कड़ मंडल के अंतर्गत क्षेत्र लेकर सलेम मंडल नामक एक नए रेल मंडल का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि नए मंडल के सृजन के परिणामस्वरूप पलक्कड़ मंडल को भारी राजस्व घाटा उठाना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो पलक्कड़ में और राजस्व अर्जन के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) सलेम पर एक नए मंडल के निर्माण की मांग को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। बहरहाल, प्रस्तावित सलेम मंडल के लिए विस्तृत भौगोलिक क्षेत्राधिकार को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) यह कहना बहुत जल्दी होगा कि इससे पालघाट मंडल के राजस्व में हानि होगी।

कोल्लम-शेंगगोटाई-तिरूनेलवेली रेल लाइन आमान परिवर्तन परियोजना

437. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल्लम-शेंगगोटाई-तिरूनेलवेली रेल लाइन आमान परिवर्तन परियोजनाओं में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त परियोजना पर कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) कोल्लम (क्विलोन)-शेंगगोट्टाई-तिरूनेलवली के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। इस परियोजना में, कोल्लम (क्विलोन)-पुनलुर और शेंगगोट्टाई-तेनकासी पर कार्य को 2006-07 में पूरा करने का लक्ष्य है। भूमि के मालिक कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जबकि कब्जा रेलवे को दिया जा चुका है। राज्य सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में कार्य को सुगम बनाने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

तेज गति वाली रेलगाड़ियां

438. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री काशीराम राणा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे देश में तेज गति वाली रेलगाड़ियां शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन रेल रूटों को चुना गया है; और

(ग) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूरत-हजीरा रेलवे लाइन का विकास

439. श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री हरिन पाठक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.) के माध्यम से सूरत-हजीरा रेलवे लाइन का विकास करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण भागीदारों ने वित्तीय सहयोग के लिए वचनबद्धता दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे इस परियोजना के लिए आर.वी.एन.एल. को निधियां आवंटित करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) गुजरात सरकार और एस्सार स्टील लिमिटेड से वित्तीय वचनबद्धता प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) परियोजना अनुमोदित हो जाने पर आवश्यक निधियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नीति

440. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त नीति से किन क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है; और

(घ) उक्त नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) एक मसौदा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार की गई है और उसे विभिन्न पणधारियों से टिप्पणियां मंगवाने के लिए परिचालित किया गया है। इस बीच सरकार ने कृषि कारोबार के संवर्धन के लिए समेकित रणनीति-खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विजन, रणनीति और कार्य योजना हेतु एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद

441. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पड़े शीर्ष पदों पर नियुक्ति में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये पद किन-किन तिथियों से रिक्त हैं;

(ग) क्या लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने संबद्ध मंत्रालयों से इस संबंध में प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 18.7.2006 की स्थिति के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किए गए सचेत निर्णय के रूप में आस्थगित रखे गए पदों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) में मुख्य कार्यपालकों के 18 पद और कार्यकारी निदेशकों के 59 पद रिक्त पड़े हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) लोक उद्यम चयन मंडल (पीएसईबी) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय प्रत्येक रिक्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को सूचित करता है। लोक उद्यम चयन मंडल इसके पश्चात 10 दिनों के भीतर कार्य के ब्यौरे को अंतिम रूप देता है और 30 दिन के भीतर आवेदन आमंत्रित करते हुए सभी संबंधितों को परिचालित करता है। आवेदन प्राप्त होने पर चयन संबंधी साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लोक उद्यम चयन मंडल की सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित की जाती हैं। अप्रत्याशित रिक्तियों के मामले में, जैसे ही लोक उद्यम मंडल को रिक्ति की सूचना दी जाती है, इसके द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चयन प्रक्रिया आरंभ की जाती है।

(ङ) सरकार ने पहले ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय पदों को भरने के लिए निश्चित समय-सीमा इंगित की गई है, ताकि लोक उद्यम चयन मंडल की सिफारिशें रिक्ति की तारीख से 6 माह पूर्व की जानी चाहिए और उन्हें अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय रिक्तियों का ब्यौरा

रिक्ति की अवधि	18.7.2006 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की संख्या	
	मुख्य कार्यपालक	कार्यकारी निदेशक
3 माह से कम	7	16
3 माह से अधिक, लेकिन 6 माह से कम	4	16
6 माह से अधिक, लेकिन 1 वर्ष से कम	1	17
1 वर्ष से अधिक	6	10
जोड़	18	59

[हिन्दी]

नौसेना वार रूम लीक मामला

442. **श्री संतोष गंगवार:**
श्री देविदास पिंगले:
श्री उदय सिंह:
श्री रशीद मसूद:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री अर्जुन सेठी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने नौसेना वार रूम लीक मामले के संबंध में देश के कई स्थानों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा बलों के कुछ अधिकारी गुप्त दस्तावेज मुहैय्या कराने में संलिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन प्राइवेट व्यक्तियों और सेवानिवृत्त अफसरों तथा अज्ञात व्यक्तियों सहित भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना के निलंबित अफसरों के विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3(1) (ग) और धारा 5 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख के तहत एक मामला दर्ज किया है, जिन्होंने रक्षा मंत्रालय से संबंधित वर्गीकृत दस्तावेजों/सूचना का अनधिकृत रूप से लेन-देन करने का षडयंत्र किया था। अभियुक्तों और कुछ अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के कार्यालयों, निवास स्थलों एवं फैक्टरियों पर 5 और 6 अप्रैल, 2006 को 18 स्थानों पर तथा 23 जून, 2006 को 20 स्थानों पर छापे मारे गए थे।

2. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) कुलभूषण पाराशर, लेफ्टिनेंट कमांडर (सेवानिवृत्त) रविशंकरन, भूतपूर्व विंग कमांडर, एस.एल. सर्वे, भारतीय वायुसेना, भूतपूर्व कमांडर विजेन्दर राणा, भारतीय नौसेना और भूतपूर्व कमांडर विनोद कुमार झा, भारतीय नौसेना के विरुद्ध मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली की अदालत में अभियोग-पत्र दायर किया है।

3. इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आगे जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच-पड़ताल पूरी किए जाने के लिए, इस स्तर पर, कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

443. **श्री रघुनाथ झा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सशस्त्र बलों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें नवीनतम मशीनों तथा उपकरणों से आधुनिकीकृत करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस योजना का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरों को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहण योजनाएं तैयार की जाती हैं। रक्षा सेवाएं दीर्घ कालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 15 वर्षीय दीर्घकालीन संदर्शी योजना तैयार करती हैं। 5 वर्षीय रक्षा योजनाएं इस दीर्घकालीन संदर्शी योजना का एक हिस्सा है तथा राष्ट्रीय अर्जन योजना इन्हीं 5 वर्षीय रक्षा योजनाओं पर आधारित है।

(ख) सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 10वीं रक्षा योजना (2002-07) के दौरान आबंटित की गई निधियों इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटित की गई निधियां
2002-03	18,882.09
2003-04	18,066.71
2004-05	25,840.05
2005-06 (संशोधित आकलन)	26,933.41
2006-07 (बजट आकलन)	29,990.83
कुल	1,19,713.09

(ग) रक्षा व्यय की प्रगति और अधिग्रहण योजना में शामिल इस समय चल रही नई योजनाओं की स्थिति की नियमित रूप से मानीटरी की जाती है और सतत रूप से समीक्षा की जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों (सीपीएम) की सूची में परमहंस तथा जगन्नाथ मंदिर को शामिल किया जाना

444. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से परमहंस तथा जगन्नाथ मंदिर को केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों (सीपीएम) की सूची में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी और जगन्नाथ मंदिर, जाजपुर को पहले ही राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पांतेपुर रेलवे हाल्ट को रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव

445. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बुधवाल रेल लाइन पर स्थित पांतेपुर रेलवे हाल्ट स्टेशन को एक स्थायी रेलवे स्टेशन बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पेंटेपुर रेलवे हाल्ट स्टेशन के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गरीब रथ वातानुकूलित रेलगाड़ियां

446. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने एक प्रायोगिक परियोजना के आधार पर पूर्णत: वातानुकूलित गरीब रथ रेलगाड़ियां शुरू कर दिए है जैसाकि वर्ष 2006-07 के रेलवे बजट में प्रस्तावित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन रेलगाड़ियों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या रेलवे को इन रेलगाड़ियों को अन्य रूटों पर शुरू करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गरीब रथ सवारी डिब्बे निर्माणाधीन हैं।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान।

(ङ) और (च) नई गाड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए विभिन्न स्तरों जैसे स्टेशन स्तर से, मंडल स्तर से, मुख्यालय स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के अनुरोध पूरे वर्ष लगातार प्राप्त होते रहते हैं और इतने व्यापक स्तर पर डाटा को संकलित नहीं किया जाता है। बहरहाल, रेल बजट में की गई उन घोषणाओं को छोड़कर चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त गरीबरथ गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

एलपीजी का उत्पादन

447. श्री दुष्यंत सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसोई गैस (एलपीजी) का उत्पादन करने वाली तेल कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एलपीजी के उत्पादन के लिए प्रत्येक कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उनकी उपलब्धियां क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार वर्ष 2006-07 में अपने कुछ संयंत्रों में एलपीजी के उत्पादन को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उत्पादन कर रही कंपनियों का ब्यौरा और उनका लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन गुजरात राज्य में गांधार में 64 टन प्रतिदिन (टीपीडी) एलपीजी और 41 टीपीडी नेफ्था का उत्पादन करने हेतु एलपीजी में वृद्धि के लिए 14.23 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से एक अतिरिक्त कन्डन्सेट वसूली इकाई स्थापित करने की योजना बना रही हैं।

इस परियोजना को पूर्णता कार्यक्रम अप्रैल, 2007 है।

विवरण

आंकड़े हजार मीट्रिक टन में (टीएमटी)

कंपनी का नाम	2003-04		2004-05		2005-06	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	1099	1221	1168	1205	1360	1354
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1018	1172	940	1095	910	1094
हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	497	477	485	464	484	461
भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	337	354	350	355	392	399
चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	195	191	298	267	385	407
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	46	48	45	49	51	50
मंगलौर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	201	231	266	283	243	275
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	52	46	59	47	48	47
कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड	400	423	*	423	*	337
गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	923	1088	938	1094	970	1042
आयल इंडिया लिमिटेड	50	51	50	49	50	48

*वर्ष 2004-05 और 2005-06 में एलपीजी के उत्पादन हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं था।

भारतीय बाजार में विदेशी तेल कंपनियों का प्रवेश

448. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी तेल कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी तेल कंपनियों के प्रवेश से देश को किस प्रकार लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) अन्वेषण और उत्पादन में देश में तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए सरकार की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) और सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए कोल बेड मिथेन (सीबीएम)

नीति है। ये दो पारदर्शी नीतियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से घरेलू और विदेशी दोनों किस्म की कंपनियों के लिए समान कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराती हैं।

अन्वेषण और उत्पादन में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कारण हैं:

(1) एक विशाल और भूवैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र अन्वेषित अथवा कम अन्वेषित रहता है।

(2) तेजी से अन्वेषण के लिए जोखिम धनराशि के अतिरिक्त आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों और भूवैज्ञानिक विचारों को आमंत्रित करने की तुरन्त आवश्यकता है।

परिशोधन में आटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई की अनुमति है। हालांकि परियोजना किसी पीएसयू के साथ मिलकर चलाने पर एफडीआई 26% तक सीमित है।

वर्तमान एफडीआई नीति के अनुसार 100% तक एफडीआई सभी क्रियाकलापों (परिशोधन को छोड़कर) के लिए स्वत: अनुमोदित की जा सकती है जिसमें बाजार अध्ययन और फार्मूलेशन, निवेश/वित्तपोषण, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए क्षेत्रपरक विनियमों के अध्यधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में विपणन के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करना शामिल हैं और पेट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक व्यापार और विपणन के मामले में भारतीय साझेदार/जनसाधारण के पक्ष में 5 वर्ष के भीतर 26% इक्विटी का विनिवेश शामिल हैं।

एलएनजी टर्मिनलों और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए आटोमेटिक रूट के तहत 100 एफडीआई की अनुमति है।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सरकार की पूर्व अनुमति से 100% एफडीआई की अनुमति है।

(ग) विदेशी कंपनियां जोखिम पूंजी और निवेशों के अलावा नई प्रौद्योगिकियां और नए भूवैज्ञानिक विचार ला सकती हैं।

इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार योजना

449. **श्री एन.एन. कृष्ण दास:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के लिए कोई पुनरुद्धार योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार पर एक प्रस्ताव लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष उनकी सिफारिशों के लिए प्रस्तुत किया गया है।

तेल कंपनियों द्वारा धनराशि का दुरूपयोग

450. **श्री ए. साईं प्रताप:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने गत दस वित्त वर्षों में सरकारी तेल कंपनियों के लेखा में अनियमितता तथा धनराशि के स्पष्ट दुरूपयोग का उल्लेख किया है जैसाकि 22 जून, 2006 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" (दिल्ली संस्करण) में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकारी तेल कंपनियों द्वारा धनराशि के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक लेखा परीक्षक करते हैं। पिछले 10 वर्षों की अपनी रिपोर्टों में अपनी वार्षिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों में सीएजी ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा निष्फल परियोजना खर्चों, परिसंपत्तियों का प्रयोग न होने, बकाया राशियों की वसूली में देरी, अपर्याप्त संविदा प्रबंधन आदि के कतिपय दृष्टांतों के बारे में उल्लेख किया है। मंत्रालय के साथ-साथ राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने इन लेखा परीक्षा टिप्पणियों को सीएजी की सलाह से निपटाने के लिए कार्रवाई की है। इन लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा विद्यमान प्रणालियों और कार्यविधियों में सुधार करने के लिए उपचारी तथा सुधारात्मक उपाय भी किए जाते हैं, साथ ही जहां भी आवश्यक समझा जाता है, दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में प्रशिक्षण सुविधाएं

451. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) में कितने पायलटों और अन्य तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) क्या यह संख्या आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या आईजीआरयूए में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) में मल्टी इंजन एन्डोर्समेंट तथा इस्ट्रूमेंट रेटिंग सहित वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) के लिए वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 में क्रमश: 10, 12 तथा 25 कैडटों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान इग्नुआ में क्रमश: 52, 10 तथा 08 सी पी एल धारक पायलटों को केवल मल्टी इंजन एन्डोर्समेंट तथा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) इग्नुआ से निकले पायलटों की संख्या से विमानन उद्योग की आवश्यकता अंशत: पूरी होती है। इस मांग को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित अन्य उड़ान क्लबों/संस्थाओं से सफल होकर निकलने वाले पायलटों से भी पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने लगभग 57 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के उन्नयन का प्रस्ताव रखा है। इसमें एकल इंजन तथा बहु इंजन वाले विमान शामिल करना, हेलीकाप्टरों का पुनर्निर्माण करना, रनवे का आधुनिकीकरण, होस्टल, हैंगर तथा कार्यालय के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण तथा सुल्तानपुर वायुक्षेत्र के निकट की भूमि का अर्जन शामिल है। इस उन्नयन से प्रतिवर्ष 40 प्रशिक्षणार्थी से बढ़कर प्रतिवर्ष 100 प्रशिक्षणार्थी हो जाएंगे।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को घाटा

452. **श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि के कारण सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के घाटे में कमी के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के घाटे को पूरा करने के लिए कुछ अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) यह अनुमान लगाया गया है कि 06 जून, 2006 से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की अल्प वसूलियों में कमी आएगी।

(ग) और (घ) सरकार ने चालू राजकोषीय वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के नुकसानों की भरपाई के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाए किए हैं:-

* वर्ष 2006-07 के दौरान 28,300 करोड़ रुपए मूल्य के तेल बाण्ड जारी करना।
* वर्ष 2006-07 के दौरान 24,000 करोड़ रुपए मूल्य की अल्प वसूलियों को अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा आपस में बांटना।
* पेट्रोल और डीजल की मूल्य निर्धारण प्रणाली में परिवर्तन।
* रिफाइनरियों से छूट।
* पेट्रोल व डीजल पर सीमा शुल्क में कमी।

[अनुवाद]

तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान पाइपलाइन परियोजना में भारत की भागीदारी

453. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान (टैप) गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल टीएपी परियोजना की संचालन समिति की 9वीं बैठक में एक प्रेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए 14-15 फरवरी, 2006 को आश्गाबात तुर्कमेनिस्तान गया था। संचालन समिति ने भारत को इस परियोजना में एक आधिकारिक सदस्य के रूप में सम्मिलित होने का न्यौता दिया। इस दौरान सरकार ने टीएपी परियोजना में भारत के सम्मिलित होने के प्रस्ताव को "सिद्धान्त रूप से" अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह मामला एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ उठाया गया है और उनसे कहा गया है कि वह परियोजना में सम्मिलित होने के भारत के निवेदन पर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ समुचित ढंग से बात करे।

[हिन्दी]

सुखोई जेट की खरीद

454. श्री मो. ताहिर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रूसी विमान निर्माता कंपनी से सुखोई जेट विमान खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने विमानों को खरीदे जाने का प्रस्ताव है तथा इसमें कितना खर्च आएगा; और

(ग) उक्त कंपनी से ये विमान प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार के पास रूस से सुखोई विमान की अतिरिक्त अधिप्राप्ति के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कोल बेड मिथेन के नए ब्लाक

455. श्री मित्रसेन यादव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के गवेषण हेतु देश में कतिपय ब्लाकों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने भी इसके लिए बोलियां दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गवेषण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। कोल बेड मिथेन नीति के तीसरे दौर (सीबीएम-3) के तहत, सरकार ने 10 ब्लाकों में अन्वेषण व उत्पादन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। निम्नलिखित आठ विदेशी कंपनियों ने कोल बेड मिथेन नीति के तीसरे दौर (सीबीएम-3) में बोलियां प्रस्तुत की हैं:-

1. ऐरो एनर्जी, आस्ट्रेलिया
2. सीडीएक्स गैस, संयुक्त राज्य अमरीका
3. एमओएलओपीओ, आस्ट्रेलिया
4. ओएमआईएमईएक्स, संयुक्त राज्य अमरीका
5. ईआईजी, आस्ट्रेलिया
6. बीपी, संयुक्त राज्य अमरीका
7. ज्यो पेट्रोल, फ्रांस
8. कोल गैस, संयुक्त राज्य अमरीका

(ङ) अन्वेषण कार्य सफल कंपनियों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर होने तथा संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस जारी किए जाने के पश्चात् आरंभ होगा।

विवरण

क्र.सं.	कोयला क्षेत्र	ब्लॉक का नाम	राज्य
1	2	3	4
1.	राज महल	आरएम-सीबीएम-2005/3	झारखंड
2.	बीरभूम	बीबी-सीबीएम-2005/3	पश्चिम बंगाल
3.	तातापानी-रामकोला	टीआर-सीबीएम-2005/3	छत्तीसगढ़

1	2	3	4
4.	मांड-रायगढ़	एमआर-सीबीएम-2005/3	छत्तीसगढ़
5.	सोहागपुर	एसपी(एन)--सीबीएम-2005/3	मध्य प्रदेश
6.	सिंगरौली	एसआर-सीबीएम-2005/3	मध्य प्रदेश
7.	कोटागुडेम	केजी(ई)--सीबीएम-2005/3	आंध्र प्रदेश
8.	बाड़मेर	बीएस(4)-सीबीएम-2005/3	राजस्थान
9.	बाड़मेर	बीएस(5)-सीबीएम-2005/3	राजस्थान
10.	गोदावरी उत्तर	जीवी(उत्तर)-सीबीएम-2005/3	आंध्र प्रदेश

विमानों की मरम्मत

456. श्री आलोक कुमार मेहता:
डा. के. धनराजू:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों के कई विमान कलपुर्जों की कमी के कारण मरम्मत/अनुरक्षण हेतु कार्यशालाओं में खड़े पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो वायुसेना और नौसेना के ऐसे विमानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) कल-पुर्जों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सशस्त्र बलों के लिए हिस्से-पुर्जों की अधिप्राप्ति करना एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। सशस्त्र बल समय-समय पर की जाने वाली निर्धारित समीक्षाओं के अनुसार विमान के हिस्से-पुर्जों की अग्रिम तौर पर अधिप्राप्ति करते हैं तथा सेनाओं के लिए आवश्यक हिस्से-पुर्जे एक पूर्व निर्धारित स्तर तक भंडार में रखे जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि खराब विमानों की संख्या न्यूनतम रहे।

भित्ति चित्र

457. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के भित्ति चित्र प्राकृतिक कारकों तथा पर्यटकों द्वारा गंदा किए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में इन प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों के संरक्षण के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भीमबेटका में प्रागैतिहासिक भित्ति-चित्र वाले केन्द्रीकृत रूप से संरक्षित शैलाश्रयों का भलीभांति परिरक्षण हो रहा है। संरक्षित शैलाश्रयों की निगरानी और देखरेख हेतु एएसआई द्वारा पर्याप्त स्टाफ तैनात किया गया है और संरक्षण के उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

स्वचालित पेट्रोल पंप

458. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) ने मुंबई में अपना प्रथम पूर्णत: स्वचालित पेट्रोल पंप खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वचालित पेट्रोल पंप पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी और अपमिश्रण को कितना रोक पाएंगे;

(घ) क्या आईओसी का विचार देश में अन्य शहरों/महानगरों में इसी प्रकार के बिक्री केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने हाल ही में अपने मुंबई स्थित एक खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) में आटोमेशन आरम्भ किया है। आटोमेशन प्रणाली में अन्य विशेषताओं जैसे कम्प्यूटरीकृत बिल तैयार करना आदि के अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्र से स्टाक, प्राप्तियां व बिक्री की निगरानी के लिए व्यवस्था है।

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही आटोमेशन प्रणाली से खुदरा बिक्री केन्द्रों से स्टाक प्राप्तियों व बिक्री की बेहतर निगरानी को सुगम बनाने की आशा की जाती है। प्रणाली

में उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर द्वारा लगातार इन प्रविष्टियों को रिकार्ड किया जा सकता है और कंपनी के मुख्यालय को दैनिक आधार पर स्वत: ही हस्तांतरित किया जा सकता है। इस प्रणाली से प्रति दिन आधार पर स्टाक का कुशल तरीके से मिलान सुनिश्चित करने के लिए भी आशा की जाती है जिससे इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के टैंकों में अनभीष्ट उत्पाद उतारे जाने की संभावनाएं कम होगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्तमान वर्ष अर्थात् 2006-07 के अंत तक, आईओसी की योजना इसके आटोमेशन कार्यक्रम के तहत देश के लगभग 1000 खुदरा बिक्री केन्द्रों को कवर करने की है। स्थानवार ब्यौरे कंपनी के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

रेल कंटेनर ढुलाई कारोबार

459. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी निजी क्षेत्र की कंपनियों ने रेल कंटेनर ढुलाई कारोबार हेतु अनुमति के लिए अपना पंजीकरण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन कंपनियों को रेल कंटेनर ढुलाई कारोबार के आबंटन हेतु कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेलों में कंटेनर गाड़ियों को चलाने के लिए चौदह (14) परिचालकों ने आवेदन किया है जोकि निम्नलिखित हैं:-

(i) मैसर्स पिपावाव रेल निगम लि.

(ii) मैसर्स गेटवे डिस्ट्रीपर्क लि.

(iii) मैसर्स भारतीय कंटेनर लि.

(iv) मैसर्स यूनाइटेड लाइन एजेंसीज आफ इंडिया (पी) लि. एंड जे.एम. बक्शी एंड कं.

(v) मैसर्स हिंद टर्मिनल प्राइवेट लि एंड एम एस सी एजेंसी (इंडिया) प्राइवेट लि.

(vi) मैसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्राइवेट लि. एंड सोनटा इन्वेस्टमेंट लि.

(vii) मैसर्स ईटा इंजीनियरिंग प्राइवेट लि. एंड दिनेश इंटरनेशन लि.

(viii) मैसर्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लाजिस्टर्क्स प्राइवेट लि.

(ix) मैसर्स मुंद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लि.

(x) मैसर्स साऊथ इंडिया कार्पोरेशन (एजेंसीज) लि.

(xi) मैसर्स दिल्ली असम रोडवेज निगम लि.

(xii) मैसर्स अदानी लाजिस्टिक्स एंड गुजरात अदानी पोर्ट लि.

(xiii) केंद्रीय मालगोदाम निगम

(xiv) मैसर्श बोथरा शिपिंग कंपनी एंड बगडिया प्रदर्स प्राइवेट लि.

(ग) से (ङ) सभी चौदह परिचालकों को "सैद्धांतिक" रूप से कंटेनर गाड़ियां चलाने की अनुमति दे दी गई है।

अमृतसर विमानपत्तन

460. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमृतसर में राजासांसी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के विस्तार हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) अमृतसर में राजासांसी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के उन्नयन के लिए पंजाब सरकार तथा संसद सदस्यों से निवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने रनवे के विस्तार तथा एप्रन के फैलाव सहित व्यस्ततम घंटों के दौरान 250 जाने वाले तथा 250 आने वाले यात्रियों की हैंडलिंग के लिए नए

टर्मिनल भवन के निर्माण संबंधी विभिन्न उन्नयन कार्य पूर्ण कर लिए हैं।

लोक-विद्या अकादमियों को अनुदान सहायता

461. डा. के.एस. मनोज: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों की लोक-विद्या अकादमियों को अनुदान-सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन लोक-विद्या अकादमियों को प्रदान की गई अनुदान सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नशाखोरी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

462. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के बीच नशाखोरी का बढ़ना चिंता का एक विषय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के बीच नशाखोरी को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। रिपोर्ट से पता चलता है कि 1970 से पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय युवाओं के बीच मादक द्रव्य सेवन का तरीका सदियों पुराने भांग और अफीम इस्तेमाल की बजाय हेरोइन धूम्रपान में बदल गया है, इसके बाद इंजेक्शन से हेरोइन लेते हैं और कई युवक और युवतियां परम्परागत गैर-इंजेक्शन के बजाय सीधे ही इंजेक्शन द्वारा मादक द्रव्य सेवन करते हैं। धीरे-धीरे हेरोइन की बजाय डेक्सट्रोपरोक्सीपीन जैसी सिंथेटिक ड्रग को इंजेक्शन से लेने का प्रचलन बढ़ रहा है।

(ग) मंत्रालय मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरूपयोग निवारण योजना क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न स्थानों जैसे समुदाय, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्थाओं, जेलों इत्यादि में जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श, उपचार, उत्तरवर्ती देखभाल और पुनर्वास सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस समय इस उद्देश्य के लिए पूर्वोत्तर में 46 नशा-मुक्ति केन्द्र और 8 परामर्श केन्द्र चल रहे हैं।

[हिन्दी]

तेल और गैस की खोज में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश

463. श्री रशीद मसूद: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेल और गैस की खोज में विदेशी कंपनियों को निवेश करने से रोका गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई नई नीति बनाने तथा नए उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये नई नीति और उपाय कब तक लागू किए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने कोल बेड मिथेन नीति के साथ-साथ नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत एक अंतरांष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) प्रणाली के अंतर्गत भागीदारी करने के लिए विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराया है। इन नीतियों के तहत इन चक्रों के माध्यम से ब्लाकों के लिए विदेशी कंपनियों के साथ-साथ भारतीय निजी कंपनियां भी बोली लगा रही है।

[अनुवाद]

ताज एक्सप्रेस का विस्तार

464. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताज एक्सप्रेस की झांसी तक बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 2279/2280 (पुराना नं. 2179/2180) ताज एक्सप्रेस को 01.07.2006 से झांसी तक बढ़ाया जा चुका है।

निजी एयरलाइनों द्वारा उड़ानें रद्द करना

465. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी एयरलाइनों द्वारा गुजरात के विभिन्न विमानपत्तनों से आने-जाने वाली उड़ानों को रद्द करने, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) यात्रियों से, सामान के गायब होने/खोने उड़ान में विलंब/रद्द होने की स्थिति में टिकटों की वापसी, व्हील चेयर जैसी सुविधाएं प्रदान करने से इंकार करना, उड़ान के विलंब होने की स्थिति में भोजन/स्नैक्स, इत्यादि संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यद्यपि इस संबंध में राज्य-वार कोई डाटा तैयार नहीं है। वर्ष 2005-06 के दौरान, निजी अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा गुजरात के विभिन्न शहरों को/में प्रचालित होने वाली 20354 अनुसूचित उड़ानों में से 410 उड़ानें मुख्य रूप से खराब मौसम, तकनीकी तथा प्रचालनात्मक कारणों से रद्द कर दी गई।

(ग) सभी एयरलाइनों को सुझाव दिया गया कि उन्हें अपनी निजी वेबसाइटों पर स्पष्ट रूप से यात्रियों को प्रदान की जा रही दोनों नि:शुल्क तथा प्रभार योग्य विभिन्न सुविधाओं को दर्शाना चाहिए ताकि यात्री हवाई टिकटों को बुक करने से पूर्व इन सुविधाओं को जान सकें। प्रचालकों को भी अपनी तयशुदा वचनबद्धता बनाए रखने की सलाह दी गई है।

नौपाडा-गुनपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

466. श्री गिरिधर गमांग: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में नौपाडा-गुनपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) पूर्व तटीय रेल जोन द्वारा परिवर्तन लाइन के क्रियान्वयन और उसके निष्पादन में विलंब के क्या कारण है; और

(ग) नौपाडा से थेरूवली तक बड़ी लाइन को जोड़ने की एक विस्तार परियोजना के रूप में गुनपुर से थेरूवली तक की बड़ी लाइन के सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) नौपाडा-गुनपुर आमान परिवर्तन परियोजना पर वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमश: 12.38 करोड़., 12.82 करोड़ तथा 7.32 करोड़ रु. खर्च किए गए। वर्ष 2006-07 के दौरान इस परियोजना के लिए 34 करोड़ रु. के बजट परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) परिचालनिक प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस परियोजना की प्रगति हो रही है।

(ग) गुनपुर से थेरूवेली तक लाइन के विस्तार हेतु अद्यतन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा परियोजना को व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाना

467. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री कैलाश बैठा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने लोकप्रिय यात्री रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या को बढ़ाने के काम में कोई प्रगति की है जैसाकि वर्ष 2006-07 के लिए रेल बजट में प्रस्तावित था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में काम कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) 180 रेलगाड़ियों का पहले ही स्थायी आधार पर आवर्धन किया जा चुका है। आवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात पैटर्न, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

डेबोलिम विमानपत्तन

468. श्री अल्फोंसो चर्चिल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेबोलिम विमानपत्तन और उसके आसपास का क्षेत्र भारतीय नौसेना के स्वामित्व में है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौसेना के स्वामित्व में वास्तव में कुल कितना क्षेत्र है; और

(ग) भारतीय नौसेना ने यह भूमि किस तारिख को अधिग्रहित की थी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौसेना के स्वामित्व में लगभग 1781 एकड़ का क्षेत्र है।

(ग) डेबोलिन विमानपत्तन को, 1961 में गोवा को मुक्त कराने के बाद, वर्ष 1962 में भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया गया था। बाद में, रनवे (हवाई पट्टी) को बढ़ाने के साथ ही नौसेना सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त भूमि 1972 और 1992 में अधिगृहीत की गई थी।

अनधिकृत पेट्रोल पंप

469. श्री रामकृपाल यादव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा जम्मू और कश्मीर में हजारों अनधिकृत पेट्रोल पंप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनधिकृत पेट्रोल पंपों को राज्य सरकार ने सरकारी नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके लाइसेंस जारी किए हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ये अनधिकृत पेट्रोल पंप अपमिश्रण के मामलों में भी संलिप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अनधिकृत पेट्रोल पंपों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार को जानकारी मिली है कि विभिन्न राज्यों में अनधिकृत छोटे डीलर अथवा बैरल भंडारण केन्द्र हैं, जो पेट्रोल/डीजल बेचते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पेट्रोल/डीजल बेचने पाले अनधिकृत चिन्हित यूटिलिटी पंपों/बैरल केन्द्रों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:-

राज्य	संख्या
उत्तर प्रदेश	11000
राजस्थान	1000
बिहार	88
जम्मू और कश्मीर	20
आंध्र प्रदेश	5

(ग) यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर आदि कुछ राज्य सरकारों ने छोटे डीलरों और यूटिलिटी पंपों (बैरल भंडारण केन्द्रों) को ग्रामीण इलाकों में खुदरा डीजल बेचने का लाइसेंस जारी किया है। ऐसे यूटिलिटी पंप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिकृत किसी तेल कंपनी के नहीं हैं, अत: ये अनधिकृत है।

(घ) और (ङ) चूंकि ये यूटिलिटी पंप किसी तेल कंपनी के नहीं हैं, अत: ये तेल कंपनियों के किसी निरीक्षण/गुणवत्ता निरीक्षण जांच के अधीन नहीं आते हैं, जैसे कि तेल कंपनियों के अपने नियमित खुदरा बिक्री केन्द्र आते हैं। फिर भी, राज्य सरकार मिलावट के मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी नियंत्रण आदेशों के तहत ऐसे पंपों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ऐसे अनधिकृत पंपों को चिन्हित करने और उन्हें बंद करने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

दक्षिण रेल के अंतर्गत निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं

470. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण रेलवे के अंतर्गत निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं और इन परियोजनाओं में प्रत्येक परियोजना हेतु आवंटित की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपर्याप्त धनराशि आवंटन के कारण अधिकांश परियोजना का कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) प्रत्याशित लागत, 2005-06 की समाप्ति पर संभावित परिव्यय तथा 2006-07 के दौरान मुहैया कराए गए परिव्यय को दर्शाते हुए दक्षिण रेलवे के अंतर्गत निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	2005-06 की समाप्ति पर प्रत्याशित परिव्यय	परिव्यय 2006-07
1	2	3	4	5
	नई लाइन			
1.	करूर-सेलम (85 किमी.)	229.88	73.7	5
2.	अंगामाली-सबरीमाला (116 किमी.)	550	6.62	8
3.	तनूर (कुट्टीपुरम)-गुरूवायूर (36 किमी.)	137.71	8.16	5
	आमान परिवर्तन			
1.	मदुरई-रामेश्वरम (161 किमी.)	194.80	91.23	20
2.	त्रिची-मनामदुरै (150 किमी.)	202.32	71.16	50.02
3.	क्यूलोन-तिरूनेलवेल्ली-तिरूचेन्दुर तथा तेनकासी-विरुद्धनगर (357 किमी.)	698.27	207.68	50.69
4.	तिरूचिरापल्ली-नागौर-कराईकल (200 किमी.)	135.25	63.45	9.00
5.	विल्लूपुरम-कटपड़ी (161 किमी.)	235.68	16.36	25
6.	थन्जौर-विल्लूपुरम (192 किमी.)	356.89	109.79	100.00
7.	कुडालौर-सेलम वाया वृद्धाचलम (191 किमी.)	550.52	87.74	80.00
8.	डिंडीगुल-पोलोच्ची-पालघाट और पोलोच्ची-कोयम्बतूर (224.88 किमी.)	343.17	0	1
9.	मनामदुरै-विरुद्धनगर (66.55 किमी.)	97.24	0	1
	दोहरीकरण			
1.	मदुरै-डिंडीगुल (अंबादुतरै-कोडैकनाल रोड सहित) (62.05 किमी.)	97.81	15	30.00
2.	ईरूगुर-कोयम्बतूर (17.70 किमी.)	38.66	17.41	5
3.	अरीपट्टी-कोरूकुपेट तीसरी लाइन (18 किमी.)	132.02	40.14	21
4.	पट्टामिराम-तिरूवल्लूर-चौथी लाइन (15.06 किमी.) और तिरूवल्लूर-अरक्कोणम-तीसरी लाइन (26.83 किमी.)	47.00	15.57	28.50

1	2	3	4	5
5.	चेन्नै बीच-कोरूकुपेट तीसरी लाइन (4.1 किमी.)	59.58	4.90	0.50
6.	चेन्नै बीच-अट्टीपट्टू चौथी लाइन (22.1 किमी.)	50.3	10	0.50
7.	कालीकट-मंगलौर (221 किमी.)	501.42	485.2	8.00
8.	चेपड़-हरीपद कहीं-कहीं दोहरीकरण (5.28 किमी.)	17.36	2.99	2
9.	चेपड़-कायनकुलम (7.76 किमी.)	26.23	7.49	2
10.	एर्णाकुलम-मुलातुरूती (17.37 किमी.)	58.23	36.5	16
11.	शोरूनूर-कालीकट (86 किमी.)	169.42	150.27	4
12.	मावेलिकारा-चेंगनूर (12.3 किमी.)	45.99	7.62	10
13.	मावेलिकारा-कायनकुलम (7.89 किमी.)	26.81	11.76	10
14.	मुलातुरूती-कुरूपंटारा (24 किमी.)	79.94	0.01	2
15.	चेंगनूर-चिंगावनम (26.5 किमी.)	99.69	0	4.99
	महानगर परिवहन परियोजना			
1.	थिरूमलाई-वेल्लाचेरी चरण-II (11.17 किमी.)	233.08	227.52	5.56
2.	वेल्लाचेरी से सेंट थामस माउंट तक—द्रुत परिवहन प्रणाली का विस्तार (5 किमी.)	415.59	0	1
	रेल विद्युतीकरण			
1.	विलूपुरम-तिरूचिरापल्ली (178 किमी.)	87.81	0	5

(ख) और (ग) संसाधनों की उपलब्धता और लाइन की परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश

471. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कोई निवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु किए जा रहे अन्य संवर्धानत्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परियोजनाओं को राज्य-वार दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003-04	2004-05	2005-06 (दिसंबर, 2005 तक)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	465.57	797.67	441.04
असम	257.79	245.76	40.83

1	2	3	4
बिहार	–	25.32	51.96
छत्तीसगढ़	–	32.61	6.48
दिल्ली	–	2.50	36.77
गोवा	17.00	25.00	47.58
गुजरात	165.85	262.15	258.88
हरियाणा	185.94	183.34	132.39
हिमाचल प्रदेश	99.18	75.51	166.98
जम्मू-कश्मीर	108.78	74.78	35.36
झारखंड	–	–	48.28
कर्नाटक	151.49	425.32	302.55
केरल	192.53	152.86	285.35
मध्य प्रदेश	88.93	45.62	172.45
महाराष्ट्र	529.03	778.67	907.72
मणिपुर	108.41	–	–
मेघालय	–	12.14	–
मिजोरम	110.50	12.30	–
नागालैंड	40.75	–	17.35
उड़ीसा	–	63.31	3.93
पांडिचेरी	–	24.54	–
पंजाब	163.00	538.23	340.90
राजस्थान	86.00	35.83	61.47
तमिलनाडु	274.03	310.60	498.25
त्रिपुरा	33.07	–	–
उत्तर प्रदेश	263.19	591.76	570.17
उत्तरांचल	5.37	87.88	156.31
पश्चिम बंगाल	132.96	325.74	284.61

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे विमानपत्तन

472. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने विमानपत्तन हैं;

(ख) इनमें कितने विमानपत्तन मुनाफा कमा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे विमानपत्तनों को राज्य सरकारों और निजी कंपनियों को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित 127 हवाई अड्डे हैं।

(ख) दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों सहित केवल 10 हवाई अड्डे लाभ अर्जित कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में रसोई-यान सुविधा

473. **श्री कैलाश बैठा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने ऐसी रेलगाड़ियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है जिनमें वर्ष 2006-07 के दौरान रसोई-यान सुविधा उपलब्ध कराई जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सत्याग्रह एक्सप्रेस में रसोई-यान सुविधा उपलब्ध कराने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) नीति के अनुसार राजधानी/शताब्दी/प्रीमियर/सुपरफास्ट और मेल/एक्सप्रेस

गाड़ियों में पैंट्री यान लगाए जाते हैं। राजधानी एक्सप्रेस लंबी दूरी की प्रीमियर/सुपरफास्ट गाड़ियां, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां, जिनकी दोनों दिशाओं में यात्रा समय 24 घंटे से अधिक का होता है, में पैंट्री यान के आबंटन को प्राथमिकता दी जाती है और शेष गाड़ियों में उन गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें गलियारे की व्यवस्था होती है।

सत्याग्रह एक्सप्रेस सहित विभिन्न गाड़ियों में पैंट्री यानों की व्यवस्था करने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह पैंट्री कारों की उपलब्धता और परिचालनिक संभाव्यता पर निर्भर होता है।

एलएनजी का आयात

474. **श्री वी.के. दुग्गर:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किन-किन देशों से कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का आयात किया गया; और

(ख) उक्त आयात पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स पेट्रोनेट (एलएनजी) लिमिटेड (पीएलएल) ने कतर से अपने दहेज एलएनजी टर्मिनल के लिए वर्ष 2004-05 में 2.5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और वर्ष 2005-06 में 5.0 एमएमटी एलएनजी का आयात किया जिसका मूल्य क्रमश: लगभग 1700 करोड़ रुपए और 3250 करोड़ रुपए मूल्य था।

इसके अतिरिक्त मैसर्स शैल हजीरा ने वर्ष 2005-06 के दौरान हजीरा स्थित अपने 2.5 एमएमटी एलएनजी टर्मिनल के लिए एलएनजी के कुछ कार्गों आयात किए थे।

पर्यटन के लिए बहुआयामी योजना

475. **श्री काशीराम राणा:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक बहुआयामी योजना अपनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों को शामिल किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी सहायता राशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

* प्राथमिक राष्ट्रीय गतिविधि के रूप में पर्यटन विकास को कायम रखते हुए इसका संरक्षण करना
* एक पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना एवं इसे कायम रखना
* भारत के मौजूदा पर्यटन उत्पादों में सुधार करना तथा बाजार की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका विस्तार करना
* विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना
* ग्रामीण एवं लघु इकाई पर्यटन पर विशेष बल देना
* नागरिक सुविधाओं तथा नागरिक प्रशासन, सुशासन एवं सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित मामलों पर भी ध्यान देना; और
* एकीकृत पर्यटन परिपथों एवं गंतव्यों का विकास करना।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन अवसंरचना विकास, राज्य की सांस्कृतिक छवि को प्रदर्शित करने वाले मेलों एवं उत्सवों, जिनका राष्ट्रीय महत्व होता है और आईटी संबंधित पर्यटन संवर्धन योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए, पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक योजना (2006-07) में 439.00 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

कटास राज मंदिर का जीर्णोद्धार

476. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर एक कटास राज मंदिर के जीर्णोद्धार में होने वाले खर्च को वहन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पाकिस्तान को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अपमिश्रण को रोकने हेतु विदेशी कंपनियों के साथ करार

477. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण को रोकने के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तेल कंपनियों के कर्मचारियों को अपमिश्रण रोकने हेतु प्रशिक्षण देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे अपमिश्रण को रोकने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की जांच करने के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आटो ईंधनों में मिलावट की जांच करने की दृष्टि से सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को निम्नलिखित उपाय करने को कहा है:

(1) बाह्य एजेंसियों द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) का निरीक्षण प्रमाणीकरण और आडिट करना,

(2) अपमिश्रकों में मार्कर प्रणाली लागू करना।

(3) मोटर स्प्रिट (एमएस), उच्च गति डीजल (एचएसडी) और मिट्टी तेल ले जाने वाले टैंक ट्रकों के संचलन की वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से निगरानी।

(4) स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा नमूनों का अपचयन/परीक्षण।

(5) खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन।

उपर्युक्त उपायों को कार्यान्वित करने के लिए ओएमसीज समुचित कंपनियों/एजेंसियों को लगा सकती हैं।

(ग) से (ङ) अपमिश्रण की जांच के लिए निरीक्षण/परीक्षण करने वाले ओएमसीज कर्मचारी अपमिश्रण की जांच हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से प्रशिक्षित व सुसज्जित है। जब कभी नई प्रक्रियाएं/प्रणालियां लागू की जाती है, ओएमसीज के संबंधित कर्मचारियों को नई प्रक्रियाओं/प्रणालियों का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।

इन नए उपायों से आटो ईंधनों के अपमिश्रण की जांच होने की आशा की जाती है।

[हिन्दी]

कांगड़ा-जोगिन्दर नगर रेल लाइन का सर्वेक्षण

478. **प्रो. चन्द्र कुमार:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांगड़ा-जोगिन्दर नगर रेल लाइन के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) रेलवे ने इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पठानकोट-कांगड़ा-जोगिन्दर नगर के आमान परिवर्तन का अद्यतन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 189.5 किमी. लंबी लाइन की लागत (-)22.04% प्रतिफल की दर के

साथ 1316.16 करोड़ रु. आंकी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की कमी के कारण इसको शुरू नहीं करने की अनुशंसा की गई है।

[अनुवाद]

हेलीकाप्टर पायलटों के सत्यापन हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति

479. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय के पास गत तीन वर्षों से 150 से अधिक हेलीकाप्टर पायलटों की योग्यता और कौशल का सत्यापन करने के लिए कोई हेलीकाप्टर उड़ान प्रचालन निरीक्षक नहीं है जैसा कि दिनांक 11 जुलाई, 2006 के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकाप्टर पायलटों की योग्यता और कौशल का सत्यापन करने के लिए योग्य निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। देश में योग्य हेलीकाप्टर पायलटों की कमी तथा इस तथ्य के कारण, कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) तथा उद्योग से कोई पायलट पीएसयू/उद्योग द्वारा पेश परिलब्धियों तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में इस पद के लिए निर्धारित वेतनमान के बीच अंतर के कारण उड़ान प्रचालन निरीक्षक (हेलीकाप्टर) के तौर पर सेवा करने को इच्छुक नहीं है, उड़ान निरीक्षक/उड़ान प्रचालन निरीक्षक (हेलीकाप्टर) का पद दिनांक 16.8.2004 से रिक्त है। तथापि, प्रचालनों में संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित परीक्षक दक्षता जांच कर रहे हैं। डीजीसीए के हेलीकाप्टर प्रकोष्ठ से जुड़े यूरोपियन यूनियन के हेलीकाप्टर सलाहकार की सेवाओं का इस्तेमाल भी डीजीसीए द्वारा किया जा रहा है।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग को पहले एक उपयुक्त उम्मीदवार मिला था किंतु अपनी अनिच्छा के कारण उसने आयोग में व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग नहीं लिया। तब से डीजीसीए इस पद को भरने के लिए प्रयास कर रहा है और इस रिक्ति को रोजगार समाचार 22-28 जुलाई, 2006 में पुन: विज्ञापित किया गया है।

[हिन्दी]

बायो-डीजल की खरीद

480. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने बायो-डीज़ल खरीदना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनियों ने कंपनी-वार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का तेल खरीदा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्तूबर, 2005 में एक बायो-डीजल क्रय नीति तैयार की है। यह नीति 1.1.2006 से प्रभावी है और सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा बायो-डीजल खरीदने पर एक उद्देश्य कथन है। अन्य बातों के साथ-साथ यह नीति पूरे देश में ओएमसीज के 20 क्रय केन्द्रों की पहचान करती है जहां ये कंपनियां, उन बायो-डीजल निर्माताओं से, जो निर्धारित सुपुर्दगी मूल्य पर तकनीकी विनिर्देशन पूरा करने के बाद उनके साथ पंजीकृत होते हैं, ऐसा बायो डीजल खरीदेंगी, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता हो, ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि वे पहचाने गए किसी भी स्थान पर अभी तक बायो डीजल की खरीद नहीं कर पाए हैं।

तथापि, आईओसी ने सूचित किया है कि उनके अनुसंधान एवं विकास विभाग ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान निम्न ब्यौरों के अनुसार कुछ बायो डीजल का प्रापण किया है।

2003-04 मैसर्स प्योर एनर्जी कारपोरेशन, यूएसए से 57.62 रुपए प्रति लीटर की दर पर 7 कि.ली.

मैसर्स लुब्रिज़ाल इंडिया लिमिटेड से 53 रुपए प्रति लीटर की दर पर 9 कि.ली.

2004-05 मैसर्स गुजरात ओलियोकेम से 54.21 रुपए प्रति लीटर की दर पर 92 कि.ली.

साथ ही, एचपीसीएल ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 2004 में ब्रिहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बीईएसटी), मुंबई के साथ क्षेत्र परीक्षण करने के लिए लुब्रिझाल इंडिया लिमिटेड, मुंबई से 20 मी. टन बायो डीजल तथा प्योर एनर्जी, यूएसए से 20 मी. टन बायो डीजल का स्रोतीकरण किया है। 40 मी. टन बायो डीजल का प्रापण करने में लगभग 32,40,000 रुपए की लागत आई।

[अनुवाद]

अवैध एलपीजी कनेक्शन

481. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एलपीजी वितरकों द्वारा अवैध रूप से रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) दोषी वितरकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से एलपीजी कनेक्शन जारी करने संबंधी शिकायतों के 5 सिद्ध मामले दर्ज किए हैं-

गुजरात	–	1
उड़ीसा	–	1
पंजाब	–	2
उत्तर प्रदेश	–	1

(ग) ओएमसीज द्वारा विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

कोल बेड मीथेन का अन्वेषण

482. श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2004 में कोल बेड मीथेन ब्लाक के अन्वेषण संबंधी सौंपे गए कार्य में तेजी लाने के लिए तीसरी साझेदारी को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने ब्लाक बीएस (3)-सीबीएम-2003/2 में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण से संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए तीसरे भागीदार को शामिल करने का सुझाव देते हुए इस मंत्रालय को पत्र लिखा है। तथापि, संविदा की शर्तों के अनुसार कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हजिरा पत्तन को मुंबई-दिल्ली रेल लाइन से जोड़ा जाना

483. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजिरा पत्तन को मुंबई-दिल्ली रेल मार्ग के साथ रेल द्वारा जोड़े जाने के संबंध में रेल विकास निगम लिमिटेड, हजिरा पत्तन लिमिटेड, गुजरात औद्योगिक विकास निगम और गुजरात समुद्री (मैरीटाइम) बोर्ड के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) 13.01.2005 को निम्न पार्टियों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे:-

(1) रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)

(2) हजारी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

(3) गुजरात औद्योगिक विकास निगम

(4) एस्सार स्टील लिमिटेड

(5) गुजरात मेरीटाइम बोर्ड।

समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सूरत-हजीरा नई रेलवे लाइन को उपरोक्त वर्णित पार्टियों के इक्विटी सहभागी के तौर पर विशेष प्रयोजन-योजना (एसपीवी) को सृजित करके परियोजना को लागू करना था।

उड़ानों में विलंब/उड़ानों को रद्द किया जाना

484. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में विलंब और उनके रद्द होने के मामलों में वृद्धि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) उड़ान प्रचालन की दक्षता में सुधार करने और अनावश्यक विलंबों को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को संबंधित यात्रियों से बैग गायब होने/खोने, देरी/रद्दकरण के मामले में टिकटों का पुनर्भुगतान, विलंबित उड़ानों के मामले में भोजन/नाश्ता जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने इत्यादि से इस वर्ष 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सभी एयरलाइनों को सलाह दी गई है कि वे अपनी-अपनी वेबसाइट पर यात्रियों को दी जा रही दोनों तरह की नि:शुल्क तथा सशुल्क संबंधी विभिन्न सुविधाओं को सुस्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करें ताकि यात्रियों को हवाई टिकटें बुक कराने से पहले इनकी जानकारी रहे। प्रचालकों को समय-समय पर अनुसूचित प्रचालनों की एकनिष्ठा बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। विशेषकर दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों पर व्यस्ततम घंटों के दौरान यातायात की तंगी होने के कारण, होने वाली देरी से बचने के लिए एक ही समय में दो रनवे का उपयोग, एटीसी कार्यप्रणाली में सुधार, रेपिड एक्जिट टैक्सी वे का निर्माण, व्यस्ततम घंटों के दौरान सामान्य विमानन पर प्रतिबंध इत्यादि जैसे उपाय किए गए हैं।

गरीबी रेखा से नीचे स्थित परिवारों को मिट्टी के तेल की बिक्री

485. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री हरिन पाठक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल की बिक्री को केवल गरीबी रेखा से नीचे स्थित परिवारों तक ही सीमित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर रसोई गैस (एलपीजी) सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, रहने वाले गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार इस निर्णय के लागू हो जाने के बाद से इस सुविधा से वंचित हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार मिट्टी का तेल कहां से प्राप्त करेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) एक दीर्घावधिक मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और कराधान के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयीन समिति का गठन किया था, ताकि तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति, क्षेत्र में अपेक्षित निवेश, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की आवश्यकता, तथा तेल कंपनियों द्वारा मूल्यों के स्वायत्त समायोजन के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना करने को ध्यान में रखते हुए मूल्यों का स्थिरीकरण/यौक्तिकरण किया जा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट 17.2.2006 को भेज दी थी।

सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ सिद्धांत रूप से डा. रंगराजन समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया है कि रियायती मिट्टी तेल का वितरण केवल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों तक सीमित रखा जाए। इस निर्णय के कार्यान्वयन की रीतियां अभी तैयार नहीं की गई हैं।

[हिन्दी]

बेयरों को मुआवजा

486. डा. रामलखन सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने ठेकेदारों द्वारा नियोजित तथा रसोईयानों में कार्यरत बेयरों के अचानक दुर्घटना की स्थिति में उपचार बीमा और जीवन सुरक्षा हेतु कोई प्रबंध किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस संबंध में कोई नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या रेलवे का विचार बेयरों के जीवन की सुरक्षा के लिए एकमुश्त मुआवजा धनराशि अदा करने हेतु ठेकेदारों को अनुदेश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) श्रीमान, रसोईयान चलाने वाले निजी लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों की बहाली अपने निबंधन एवं शर्तों पर करते हैं तथा वे रेलवे अथवा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं होते। बहरहाल, जैसाकि लाइसेंस करार में निर्धारित किया गया है। लाइसेंसधारी कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए निर्मित सभी आवश्यक श्रम अधिनियमों एवं कानूनों को मानने के लिए बाध्य हैं।

रेलगाड़ी/रेलगाड़ी के बाहर दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु होने/चोट लगने के संबंध में सभी पीड़ितों जिनके पास समुचित यात्रा प्राधिकार हो, को क्षतिपूर्ति देने के लिए रेलवे को उत्तरदायी बनाने का प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पीड़ितों/आश्रितों को रेल दावा अधिकरण में दावा पेश करना होता है जो मामले के गुणावगुण पर आधारित निर्णय देता है।

जनजातीय संग्रहालय

487. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जनजातीय संग्रहालयों को स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इन संग्रहालयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे अस्पताल, नागपुर में अनियमितताएं

488. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर मंडल में स्थित रेलवे अस्पताल में अनियमितताओं के मामले रेलवे के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान संसूचित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त रेलवे अस्पताल में रोगियों को समुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान में नागपुर में मध्य रेलवे के अंतर्गत एक रेलवे अस्पताल है तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत एक पाली क्लीनिक तथा दो स्वास्थ्य इकाइयां हैं। नागपुर में मध्य रेलवे के अंतर्गत रोगियों को देखने के लिए 6 विशेषज्ञों की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त रेलवे अस्पतालों को स्थिति के आधार पर बाहर से विशेषज्ञों को बुलाने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ बीमारियों की जांच निजी क्लीनिकों/प्रयोगशालाओं से करवाने का अधिकार उन्हें सौंपा गया है।

भारत और आइसलैंड के बीच विमान सेवा समझौता

489. श्री संजय धोत्रे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और आइसलैंड के बीच कोई विमान सेवा समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते से भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) विमान सेवा करार की आवश्यक विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:

(1) दोनों देशों को अपनी इच्छा के अनुसार एयरलाइनों को नामित करने का अधिकार होगा।

(2) नामित एयरलाइनें, 2 मध्यवर्ती गंतव्यों और 2 गंतव्य से आगे स्थानों तक प्रति सप्ताह 14 उड़ानें प्रचालित कर सकती हैं।

(3) प्रत्येक पार्टी को करार में उल्लिखित कुछ विशेष परिस्थितियों में दूसरी पार्टी द्वारा नामित की गई किसी एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुज्ञा को रद्द करने, निलंबन करने या सीमित करने का अधिकार होगा।

(ग) एक बार हस्ताक्षरित करार से दोनों देशों के बीच विमान संपर्क स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का संचरण

490. श्री के.एस. राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैस के संचरण, स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क और विपणन व्यवसाय में कितनी एजेंसियां/कंपनियां लगी हुई हैं;

(ख) संचरण गैस पाइपलाइनों हेतु आवश्यकता और उपलब्धता क्षमता कितनी है;

(ग) प्राकृतिक गैस संचरण, गैस विपणन और गैस वितरण नेटवर्क के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए संबद्ध आचार संहिता लागू करने हेतु विनियामक प्राधिकरण द्वारा कौन सी प्रणाली प्रयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक एजेंसी को केवल एक व्यवसाय करने की अनुमति देने और अतिरिक्त क्षमता वाली ट्रांसमीशन पाइपलाइनों को विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपयोग के लिए विनियमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) के साथ-साथ गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) और असम गैस कंपनी लिमिटेड (एजीसीएल) जैसी अन्य कंपनियां भी प्राकृतिक गैस के संचरण में लगी हुई हैं। स्थानीय और गैस वितरण में सम्मिलित कंपनियों में महानगर गैस लिमिटेड, त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड, सेन्ट्रल यूपी गैस लिमिटेड, ग्रीन गैस लिमिटेड, जीजीसीएल आदि शामिल हैं।

गैस विपणन में लगी कंपनियों में गेल, ओएनजीसी, ओआईएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, जीएसपीसीएल, जीजीसीएल, एजीसीएल, शैल हजीरा, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड आदि शामिल हैं।

(ख) गेल के पास लगभग प्रतिदिन 130 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) गैस परिवहन क्षमता वाला 5739 किलोमीटर लम्बा पाइपलाइन नेटवर्क है। जीएसपीएल और एजीसीएल का भी क्रमश: गुजरात और असम राज्यों में पाइपलाइन नेटवर्क है।

(ग) से (ङ) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, धारा 21 की उपधारा (2) के तहत प्राकृतिक गैस के भंडारण, संचरण, वितरण, विपणन और बिक्री से जुड़ी कंपनियों पर शासित करने वाली आचार संहिता के रूप में "संबद्ध आचार संहिता" निर्धारित करता है।

अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि "परन्तुक यह है कि प्राकृतिक गैस के विपणन और सामान्य कैरियर पर या संविदा कैरियर आधार पर प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु पाइपलाइनों के निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार जैसे दोनों कार्यों में लगी हुई किसी कंपनी के मामले में, बोर्ड ऐसी कंपनियों से अपेक्षा रखेगा कि वह विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संबद्ध आचार संहिता का अनुपालन करे और बोर्ड द्वारा यथा अनुमत ऐसी अवधि के अंदर पाइपलाइन के स्वामित्व सहित प्राकृतिक गैस के विपणन और परिवहन कार्यों को अलग करे और केवल उक्त अवधि के अंदर ही, ऐसी कंपनी को प्रथम प्रयोग का अधिकार होगा।"

विनियामक बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत संबद्ध आचार संहिता सहित विभिन्न मामलों पर समुचित विनियमन अधिसूचित किए जाएंगे।

हिंडन एयरस्पेस का सिविल एयरक्राफ्ट के लिए उपयोग

491. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिंडन एयरस्पेस का सिविल एयरक्राफ्ट के लिए उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या एच.एस. खोला की अध्यक्षता वाली समिति ने यह सिफारिश की है कि हिंडन एयरस्पेस का सिविल एयरक्राफ्ट के लिए उपयोग किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के साथ मामले को उठाया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन

492. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, हां।

(ख) आयोग के सदस्यों के नाम और पदनाम निम्नलिखित हैं:

नाम और पदनाम

1. श्री मोहम्मद हमीद अंसारी, अध्यक्ष
2. श्री माइकल पी. पिंटो, उपाध्यक्ष
3. श्री हरचरन सिंह जोश, सदस्य
4. वेनलामा चोस्फेल जोटपा, सदस्य
5. ले.जन. (अवकाशप्राप्त) ए.एम. सेठना, सदस्य
6. प्रो. जोया हसन, सदस्य
7. डा. दिलीप पडगांवकर, सदस्य।

रेलगाड़ियों में जल की गुणवत्ता

493. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा सवारी डिब्बों में जल भरने के लिए क्या प्रणाली अपनाई जाती है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा विशेषकर विभिन्न रेलगाड़ियों में रसोई यानों में सप्लाई किए जा रहे जल की गुणवत्ता की कोई जांच की जा रही है; और

(ग) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) सवारी डिब्बों में पानी टंकियों को लचीले पाइपों का उपयोग करके जोकि चुनिंदा स्थानों पर इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए मेन वाटर पाइप लाइन से जुड़े होते हैं, से भरा जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। विभिन्न रेल परिसरों जैसे प्लेटफार्मों पर लगे नलकों में और अन्य यात्री परिसरों के लिए सप्लाई किए जा रहे पानी, पैंट्री यानों आदि सहित सवारी डिब्बों में भरे जाने वाले पानी की रेलवे के चिकित्सा विभाग द्वारा आवधिक तौर पर जीवाणु विज्ञान संबंधी उपयुक्तता जांच और अवशिष्ट क्लोरीन तत्व की पेय योग्यता की जांच की जाती है। सामान्यत: 90% से 92% नमूने मानक स्तर तक पाए जाते हैं। शेष जांचों के परिणामों का विश्लेषण किया जाता है और अपेक्षित निवारक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

स्मारकों और विरासत स्थलों को रात में देखना

494. श्री रामदास आठवले: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ताजमहल की तर्ज पर विभिन्न स्मारकों/विरासत स्थलों को सामान्य जनता द्वारा रात में देखने हेतु खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्मारकों/विरासत स्थलों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हावड़ा-सियाखला-चंपादंगा के बीच नई रेल लाइन

495. श्री सांताश्री चटर्जी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुबली जिलों में फुरफुराह के रास्ते हावड़ा-सियाखला-चंपादंगा के बीच नई रेल लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) सिखाला के रास्ते डानकुनी (हावड़ा-बर्धमान कोर्ड लाइन पर) से चंपादंगा तक और सिखाला से बडगछिया तक नई लाइन के निर्माण के लिए वर्ष 2000-01 में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस रेल संपर्क की निर्माण लागत (कुल लंबाई 41.50 किमी.) उसके समय के मूल्य स्तर पर (-)12.28% प्रतिफल की दर सहित 87.67 करोड़ रु. आंकी गई थी। इस रेल लाइन को अलाभप्रद प्रकृति को होने, चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड और संसाधनों की भारी तंगी को ध्यान में रखते हुए इस समय इस कार्य को शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन

496. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तब संशोधित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा वायुयान अधिनियम, 1934 में प्रस्तावित संशोधनों से सरकार/नागर विमानन महानिदेशालय को अन्य बातों के साथ-साथ, हवाई अड्डों तथा संचार/दिक्चालन/निगरानी व हवाई यातायात प्रबंधन (सीएनएस/एटीएम) सुविधाओं पर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण करने, हवाई यातायात नियंत्रण में संलिप्त कार्मिकों को लाइसेंस प्रदान करने, तथा नागर विमानन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने में मदद मिलेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि नागर विमानन महानिदेशालय संरक्षा निगरानी कार्यकलापों का निष्पादन प्रभावी ढंग से कर रहा है। दण्ड-राशियों में प्रस्तावित वृद्धि से वांछित प्रतिबंधात्मक प्रभाव पाने की संभावना है और इस प्रकार इससे अनुपालन का स्तर बहुत अधिक बढ़ेगा।

(ग) इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक संसद के आगामी सत्र में लाए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पोली-क्लिनिकों में चिकित्सा सुविधाएं तथा दवाएं

497. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में अब तक कितने भूतपूर्व सैनिक पोली-क्लिनिक स्थापित किए गए हैं तथा इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन पोली-क्लिनिकों में चिकित्सा सुविधाओं तथा दवाइयों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन पोली-क्लिनिकों के कार्य को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) सरकार द्वारा 31 मार्च, 2008 तक भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत कुल 227 पोली-क्लिनिक स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के 222 पोली-क्लिनिक पहले से ही काम कर रहे हैं। आज तक 3,12,223 भूतपूर्व सैनिक पेंशनर भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के सदस्य हैं। उनके अधिकृत आश्रित भी इस योजना से लाभ उठाते हैं।

(ख) से (घ) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पहली अगस्त, 2003 से लागू की गई थी और निर्माणात्मक चरण में है। अधिकांश पोली-क्लिनिकों में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति और दवाओं की उपलब्धता संतोषजनक है। इस योजना के तहत एक पोली-क्लिनिक मामूली बीमारियों का इलाज करने के अलावा मरीजों को पेनलबद्ध अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों में बड़ी और जटिल बीमारियों के इलाज हेतु भेजने के लिए एक रेफरल प्वाइंट भी है। इस योजना के तहत ऐसे 519 अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को अभी तक पेनलबद्ध किया जा चुका है।

असम में पर्यटक स्थलों का विकास

498. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असम में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लागत क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं। 10वीं योजनावधि के दौरान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असम राज्य सरकार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
1.	खोरा में कैम्पिंग साइट	142.00	142.00
2.	कामाख्या में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण	80.00	64.00
3.	भालुकपुंग में एथनिक ग्राम का विकास	45.00	45.00
4.	माजुली द्वीप रिजार्ट	382.25	325.21
5.	मौली उत्सव	05.00	04.00
6.	रंगोली बिहू उत्सव	12.05	09.60
7.	ब्रह्मपुत्र के साथ रीवर फ्रंट का विकास	30.00	30.00
8.	संकेतक	25.00	25.00
	कुल	721.30	644.81
	वर्ष 2003-2004 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं		
1.	गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के आस-पास विकास	151.27	151.27
2.	हाथी उत्सव, 2004 असम	04.19	03.75
3.	असम में अगरटोली रेंज काजीरंगा में एकीकृत परिसर	158.00	158.00
	कुल	313.46	313.02
	वर्ष 2004-2005 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं		
1.	असम में पूर्वोत्तर यात्रा परिपथ का विकास	437.75	350.00
2.	गुवाहाटी में पर्यटक आगमन-सह-स्वागत केन्द्र	384.00	284.80
	कुल	821.75	634.00

वर्ष 2005-2006 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	असम में पूर्वोत्तर परिपथ का विकास	280.00	224.00
2.	कापोपठार (असम) में यात्री निवास का निर्माण	30.00	05.76
3.	असम के काजीरंगा में साहसिक पर्यटन का विकास	44.95	35.90
4.	कोकराझार में प्रस्तावित इको-टूरिज्म विकास परियोजना	460.00	368.00
5.	मानस-गुवाहाटी-काजीरंगा का परिपथ विकास	781.00	624.80
6.	असम पर्यटन हेतु आईटी परियोजना	47.80	43.00
7.	रंगाली बीहू उत्सव मनाना	10.00	8.00
8.	दिहिंग-पटकई उत्सव मनाना	5.00	4.00
9.	धुब्री-गोलपाड़ा-गुवाहाटी-सिल्चर-करीमगंज पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	432.28	345.82
10.	11 से 14 फरवरी, 2006 तक काजीरंगा उत्सव	5.00	4.00
11.	चाय पर्यटन उत्सव, 2005 मनाना	5.00	5.00
	कुल	2,101.03	1,668.28

गैस आपूर्ति के लिए "गेल" और ओएनजीसी के बीच समझौता

499. श्री सुग्रीव सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. के बीच हाल ही में किसी गैस बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी निबन्धन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) उक्त समझौते के अंतर्गत तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. विभिन्न तेल क्षेत्रों से गैस की कितनी आपूर्ति करेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) गैस की आपूर्ति के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा ओएनजीसी के बीच 7 जुलाई, 2006 को गैस आपूर्ति करार (जीएसए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

जीएसए की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं—

* ओएनजीसी के मौजूदा क्षेत्रों से एपीएम गैस के लिए जीएसए किया गया है।
* करार हस्ताक्षरित होने की तारीख से पन्द्रह वर्षों के लिए जीएसए मान्य है।
* गैस का मूल्य लागू सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।
* ले जाएं या भुगतान करें - गेल समायोजित वार्षिक संविदा प्रमात्रा का 90% उठाएगी या उसके लिए भुगतान करेगी।
* विक्रेता की आपूर्ति बाध्यता - ओएनजीसी वार्षिक संविदा प्रमात्रा की 90 आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
* यदि उपलब्ध आपूर्ति दबाव में कमी आती है, तो विक्रेता द्वारा एक वर्ष का नोटिस दिया जाएगा ताकि क्रेता सुविधा की स्थापना कर सके।
* एक माह में दो बार बीजक भेजना तथा भुगतान 7 दिनों के अंदर करना।

(ग) ओएनजीसी द्वारा संविदा के तहत आपूर्ति की जाने वाली गैस की प्रमात्रा ओएनजीसी के दीर्घकालिक गैस प्रोफाइल-2000 (एलटीजीपी-2000) में दिए गए उत्पादन प्रोफाइल के अनुसार होगी। एलटीजीपी-2000 के अनुसार गैस की उपलब्धता आगामी वर्षों में लगभग 50.50 मिलियन मानक घटन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) के मौजूदा स्तर से कम होने की संभावना है।

एनसीआरएलएम की रिपोर्ट

500. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **अल्पसंख्यक मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एनसीआरएलएम) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) इन पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप देगा?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) 31 अक्टूबर, 2006।

कार्गो सेवा के लिए एयर इंडिया द्वारा समझौता

501. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया (एआई) पश्चिम एशियाई भाड़ा प्रेषण कम्पनी फाल्कन ग्रुप के साथ खाड़ी और यूरोप के देशों तक कार्गो ले जाने के समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते को कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा; और

(घ) इस समझौते से एयर इंडिया को क्या-क्या लाभ होने की सम्भावानएं हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) मामला विचाराधीन है।

मुस्लिम समुदाय संबंधी सच्चर समिति

502. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **अल्पसंख्यक मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित राजेन्द्र सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप देगी?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) समिति के लिए आवासीय व्यवस्था, स्टाफ और अवसंरचनात्मक सहयोग और समिति के समेकन, समाकलन और विश्लेषण के लिए संगत सूचना/आंकड़े प्रदान करने में कुछ अपरिहार्य विलम्ब हुआ, जिसके कारण इस उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2006 तक बढ़ाया गया है।

एफपीआईस को राजसहायता

503. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में, विशेषत: आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उद्यमियों को कुल कितनी राजसहायता और क्या अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ख) आंध्र प्रदेश के आर्थिक रूप से व्यवहार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों संबंधी परियोजनाओं को गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण I

(लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003-04	2004-05	2005-06 (दिसंबर, 2005 तक)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	465.57	797.67	441.04
असम	257.79	245.76	40.83
बिहार	–	25.32	51.96
छत्तीसगढ़	–	32.61	6.48
दिल्ली	–	2.50	36.77
गोवा	17.00	25.00	47.58
गुजरात	165.85	262.15	258.88
हरियाणा	185.94	183.34	132.39
हिमाचल प्रदेश	99.18	75.51	116.98
जम्मू-कश्मीर	108.78	74.78	35.36
झारखंड	–	–	48.28
कर्नाटक	151.49	425.32	302.55
केरल	192.53	152.86	285.35
मध्य प्रदेश	88.93	45.62	172.45
महाराष्ट्र	529.03	778.67	907.72
मणिपुर	108.41	–	–
मेघालय	–	12.14	–
मिजोरम	110.50	12.30	–
नागालैंड	40.75	–	17.35
उड़ीसा	–	63.31	3.93
पांडिचेरी	–	24.54	–
पंजाब	163.00	538.23	340.90
राजस्थान	86.00	35.83	61.47
तमिलनाडु	274.03	310.60	498.25
त्रिपुरा	33.07	–	–
उत्तर प्रदेश	263.19	591.76	570.17
उत्तरांचल	5.37	87.88	156.31
पश्चिम बंगाल	132.96	325.74	284.61

विवरण II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में आंध्र प्रदेश के लिए वर्ष-वार अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव

वर्ष	अनुमोदित
1997-1998	1
1998-1999	1
1999-2000	3
2000-2001	1
2001-2002	2
2002-2003	4
2003-2004	13
2004-2005	27
2005-2006	24
2006-2007	1
कुल	77

गैर-अ.जा./अ.ज.जा. व्यक्तियों के साथ शादीशुदा अ.जा./अ.ज.जा. की महिलाओं के बच्चों को लाभ

504. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री रामदास आठवले:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ विवाह करने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति की महिलाओं के बच्चों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लाभ प्रदान करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) अनुसूचित जाति की महिला द्वारा गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करने की स्थिति में उनके बच्चों को अनुसूचित जातियों का लाभ देने संबंधी मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को उनकी राय जानने के लिए भेजा गया है। अनुसूचित जनजाति के संबंध में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल की मूल्य वृद्धि से अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति

505. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**
श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्र और राज्य सरकारों को अर्जित होने वाले अतिरिक्त राजस्व के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान कितनी धनराशि के अर्जन का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अतिरिक्त आय को पेट्रोलियम उपभोक्ताओं के साथ बांटने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के मामले में, मूल्य वृद्धि के कारण अतिरिक्त राजस्व वर्धमान उत्पाद शुल्क के रूप में है। चूंकि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क का पर्याप्त भाग विशिष्ट (नियत) है अत: मूल्य संशोधन से इसमें परिवर्तन नहीं होता है। पिछले अर्थात् 6.6.2006 को हुए मूल्य संशोधन के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी पेट्रोल और डीजल के मामले में क्रमश: लगभग 0.25 रुपया प्रति लीटर और 0.13 रुपया प्रति लीटर बनता है।

जहां तक बिक्री कर का संबंध है, इसे राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न दरों पर लगाया जाता है और यह मूल्यानुसार प्रकृति का होता है। तथापि, आम आदमी पर मूल्य वृद्धि का भार कम करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध के आधार पर दस राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु (केवल डीजल), उत्तरांचल, मणिपुर और असम ने हाल ही में हुई मूल्य वृद्धि के भार को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में कमी की है।

(ग) से (ङ) आम आदमी और समाज के कमजोर तबकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने इस वृद्धि का भार तीन हितधारकों अर्थात् उपभोक्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और सरकर पर समान रूप से डालने का सिद्धांत अपनाया। तेल कंपनियों के साथ-साथ सरकार ने कच्चे तेल की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का 73,500 करोड़ रुपए की राशि का 87.5 प्रतिशत भार स्वयं वहन करने और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का बकाया 12.5% भाग उपभोक्ताओं द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया है।

सरकार ने जून, 2006 में पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क 10% से कम करके 7.5% कर दिया है। सरकार ने इन संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की अल्प वसूलियों की तेल विपणन कंपनियों को आंशिक तौर पर भरपाई करने के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 28,300 करोड़ रुपए के बांड जारी करने का भी निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदलना

506. **श्री पी. मोहन:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार कुछ मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का सुपर फास्ट मेल/एक्सप्रेस श्रेणी में कोटि उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(ग) क्या रेलवे के पास इन सुपर फास्ट रेलगाड़ियों को चलाने के लिए वर्तमान में उच्च क्षमता वाले इंजन पर्याप्त संख्या में हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) सुपरफास्ट गाड़ियों से यात्रा समय तुलनात्मक रूप से कम लगता है क्योंकि पूरी दूरी पर औसत गति बड़ी लाइन पर न्यूनतम 33 किमी. प्रति घंटा तथा मीटर लाइन पर न्यूनतम 45 किमी. प्रति घंटा होती है।

(ग) और (घ) इस समय भारतीय रेल ने विभिन्न प्रकार के उपयुक्त डीजल तथा बिजली रेल इंजनों को लगाया हुआ है जो सुपरफास्ट गाड़ियों को चलाने के लिए पर्याप्त हैं। पैसेंजर इंजनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

डीजल इंजन		बिजली इंजन	
4000 अश्व शक्ति (एचपी)	28	5000 एचपी	380
3100 एचपी	570	6000 एचपी	48

चन्द्रकोना मार्ग रेलवे स्टेशन और मेचिदा के बीच नई रेल लाइन

507. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे में बारास्ता घाटल चन्द्रकोना मार्ग रेलवे स्टेशन और मेचिदा के बीच एक नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) घटल होकर पंसकुरा (मेचेडा) के नजदीक से चंद्रकोण रोड तक नई लाइन के निर्माण के सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो चुका है।

अहमदनगर-बीड परली-बैजनाथ रेलवे लाइन का निर्माण

508. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदनगर-बीड परली-बैजनाथ नई रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ग) उक्त परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 105 गांवों में 1464.77 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। अहमदनगर-नारायणदोह (15 किमी) खंड पर, 5 गांवों में 56.14 हेक्टेयर भूमि को अधिगृहीत किया जा चुका है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुका है।

(ख) मार्च, 2006 तक व्यय 15.06 करोड़ रुपए है।

(ग) कार्य को पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है।

गुड्स शेडों का निर्माण

509. श्री अर्जुन सेठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पूर्व तटीय रेलवे के अंतर्गत भद्रक रेलवे स्टेशन पर गुड्स शेड के निर्माण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या निर्माण कार्य आरंभ हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। भद्रक स्टेशन पर पहले से ही एक गुड्स शेड है। बहरहाल, इसे हाफ-रेक प्वाइंट से फुल रेक प्वाइंट में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) भद्रक स्टेशन पर अतिरिक्त लाइन की व्यवस्था, प्लेटफार्म सहित मौजूदा लाइन का विस्तार और शंटिंग नेक एक अनुमोदित कार्य है जिस पर 1.3388 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2006-07 के लिए 0.72 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2006-07 में 23.47 लाख रुपए की लागत से लदान/उतराई प्लेटफार्म पर छतदार शेड का 40 मीटर तक विस्तार करने के लिए कार्य को भी स्वीकृति दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) अतिरिक्त लाइन और शंटिंग नेक का विस्तार भी पूरा हो चुका है। प्लेटफार्म का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना को अक्तूबर, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर कार्यों की सम्भलाई

510. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर संचालन कार्य संपूर्ण विश्व के बड़े विमानपत्तनों पर अपनाई जा रही पद्धति के विरुद्ध विविध एजेंसियां कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता विमानपत्तन पर वर्तमान में नियुक्ति करने वाली एजेंसियों का कार्य-वार कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का सम्पूर्ण नियंत्रण एकल प्राधिकरण को सौंपने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विविध एजेंसियां कार्यों की सम्भलाई कर रही हैं। यहां तक कि विश्व भर के बड़े हवाई अड्डों पर भी विविध एजेंसियां विभिन्न कार्यों को करती हैं।

(ख) दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता हवाई अड्डों पर नियुक्त एजेंसियों का कार्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है: हवाई यातायात नियंत्रण, संचार तथा दिक्चालन प्रणाली, हवाई अड्डा टर्मिनल तथा एयर साइड प्रबंधन, बचाव एवं अग्नि शमन, कार्गो हैंडलिंग से संबंधित कार्य भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं। तथापि, 3.5.2006 से आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली तथा सीएसआई हवाई अड्डा, मुम्बई पर हवाई अड्डा टर्मिनल तथा एयरसाइड प्रबंधन, बचाव एवं अग्निशमन तथा कार्गो हैंडलिंग के कार्य संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा किए जा रहे हैं। विमानों की उड़नयोग्यता, हवाई संरक्षा से संबंधित कार्य नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा, मौसम सूचना भारतीय मौसम विभाग द्वारा, सुरक्षा परिधि तथा अपहरण रोधी जांच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा, कानून व्यवस्था राज्य पुलिस द्वारा, अप्रवास जांच अप्रवास ब्यूरो द्वारा, कस्टम जांच विभाग द्वारा, हवाई अड्डा स्वास्थ्य सेवाएं, पीत ज्वर टीकाकरण कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय, वनस्पति संगरोधन कार्य वनस्पति संगरोधन विभाग द्वारा, यात्रियों का चैक-इन, विमान प्रचालन, पंजीकृत बैगेज का एक्सरे एयरलाइनों द्वारा, मुद्रा विनियम बैंकों द्वारा, डाक तार सेवाएं डाक तार विभाग द्वारा, रेल आरक्षण भारतीय रेल द्वारा, उड़ानों की ग्राउण्ड हैंडलिंग एअर इंडिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा उड़ानगत केटरिंग कार्य उड़ान केटररों द्वारा किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के पर्यटक गन्तव्यों के बीच सम्पर्क

511. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से कोवलम, कुमारकाम, मुन्नार और बेकल नामक चार प्रमुख गन्तव्यों के बीच संपर्क को उन्नत बनाने के उद्देश्य से एक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लड़ाकू विमानों और हेलिकाप्टरों की कमी

512. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों और हेलिकाप्टरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायुसेना का विचार 126 लड़ाकू विमान और 80 हेलिकाप्टर खरीदने का है जिससे कि यह अपनी हवाई क्षमता को सुदृढ़ कर सके जैसा कि दिनांक 18 जून, 2006 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सके लिए कौन से ब्रांड के लड़ाकू विमानों का चयन किया गया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) सरकार, सुरक्षा परिवेश की सतत पुनरीक्षा करती है तथा तदनुसार उपयुक्त उपस्कर शामिल करने का निर्णय लेती है और पर्याप्त रक्षा तैयारी हेतु अन्य प्रबंध करती है। वायु सेना के लिए अपेक्षित लड़ाकू विमान तथा हेलिकाप्टरों की खरीद, स्थापित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। इस प्रक्रिया में, ऐसी बड़ी खरीदों के संबंध में संविदा के निष्पादन हेतु 2 से 3 वर्ष की समय-सीमा की परिकल्पना की गई है। और अधिक ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

विशेष सुरक्षा बल

513. **श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल की स्थापना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस/केरोसिन उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड

514. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रसोई गैस और अन्यत्र प्रयोग को रोकने के उद्देश्य से रसोई गैस और केरोसिन उपभोक्ताओं के लिये राशन कार्डों की तर्ज पर स्मार्ट कार्ड आरम्भ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्ड को आरम्भ करने के पीछे क्या विचार है;

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा; और

(घ) आरम्भ में इसे कौन-कौन से राज्यों में लागू किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) अभीष्ट लाभार्थियों के लिए राजसहायता के बेहतर लक्ष्य निर्धारण को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रयोगात्मक आधार पर पीडीएस मिट्टी तेल के वितरण के लिए स्मार्ट कार्ड आरम्भ करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जटरोपा की वाणिज्यिक खेती

515. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जटरोपा की वाणिज्यिक खेती के बारे में रेलवे की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार जटरोपा की वाणिज्यिक खेती के लिए निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम भागीदारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संयुक्त उद्यम के अंतर्गत जटरोपा खेती हेतु कौन-कौन से स्थलों की पहचान की गई है; और

(ङ) रेलवे को इससे वार्षिक रूप से कितने राजस्व के अर्जन की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेलवे के पास जटरोफा सहित वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए मौजूदा नीति संयुक्त उद्यम पर आधारित है। नीति के अंतर्गत, संयुक्त उद्यम भागीदार को रेल भूमि पर जटरोफा करकस सहित वृक्षारोपण करने की अनुमति राजस्व में भागीदारी के आधार पर है।

वृक्ष लगाने वाले को वृक्षारोपण की सभी लागत को वहन करना है वहीं रेलवे इसके बदले भूमि प्रदान करती है।

(घ) वाणिज्यिक आधार पर जटरोफा का वृक्षारोपण पूर्वोत्तर रेलवे के झांसी में शुरू किया गया है।

(ङ) चूंकि रेलवे इस योजना के बहुत ही प्रारंभिक चरण में है, वार्षिक प्रतिफल को निश्चित करना संभव नहीं क्योंकि यह योजना स्थान, आकार, प्रजाति आदि के साथ पौधों की कीमत के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में आपातकालीन कोटा

516. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा जंक्शन से अहमदाबाद को जाने वाली रेलगाड़ियों में आपातकालीन कोटे का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे का विचार इन रेलगाड़ियों में आपातकालीन कोटे की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूरोपीय देशों के साथ समझौता ज्ञापन

517. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री सांताश्री चटर्जी:
श्री श्रीचंद कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में रेलवे अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) रेलवे के विकास के लिए विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। रेल मंत्री जी के प्रतिनिधित्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 23.6.2006 से 7.7.2006 तक यू.के., फ्रांस, आस्ट्रेलिया, इटली तथा जर्मनी गया था।

(ख) और (ग) प्रतिनिधिमंडल रेलवे प्रौद्योगिकी में प्रणालियों, पद्धतियों तथा अद्यतन विकास को देखने के लिए रेल सुविधा केंद्रों का भ्रमण किया। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार तथा रेल प्राधिकारियों के साथ आपसी सहयोग पर विचार-विमर्श किया। भ्रमण के दौरान भारतीय रेल तथा फेरोवी डेलो स्टाटो एसपीए (इटली रेल) के बीच 3.7.06 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पश्चिमी गलियारे का विकास

518. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से दिल्ली तक बरास्ता वडोदरा-अहमदाबाद-पालनपुर-जयपुर-दिल्ली पश्चिमी गलियारे का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 2006-07 के रेल बजट में समर्पित रेल माल गलियारा परियोजना के पश्चिमी गलियारे को शामिल किया गया है। यह गलियारा जवाहराल नेहरू बंदरगाह से शुरू होकर वडोदरा, अहमदाबाद, पालमपुर तथा रेवाड़ी होते हुए तुगलकाबाद तथा दादरी तक जाएगा। इस गलियारे में ज्यादातर कंटेनर यातायात संचालित होगा। पश्चिम गलियारे की लागत तकरीबन 11,466 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

आगरा का विश्व विरासत शहर के रूप में विकास

519. श्री सज्जन कुमार:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ताजमहल को देखने कितने विदेशी पर्यटक आए;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने आगरा को विश्व विरासत शहर के रूप में विकसित करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर अनुमानित कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ताज महल को देखने आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या
2003	2,50,716
2004	3,64,997
2005	5,93,637

(ख) विरासत शहर अधिसूचित करने के लिए प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम 1959 में कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम

520. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री अनवर हुसैन:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम पुन: चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके क्रियान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रगति की गई है;

(घ) क्या 15-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कई मंत्रालयों की सीधी विभागीय भूमिका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार इसके लिए अलग से बजट प्रावधान, प्रशासनिक नियंत्रण तथा क्रियान्वयन की निगरानी किस प्रकार से करेगी?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) जी, हां। कार्यक्रम का ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नए कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में सलाह दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(च) कार्यक्रम में शामिल की गई विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग किया जाएगा और आवश्यक हुआ तो इसमें वृद्धि की जाएगी। संबंधित राज्यों, मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए जिम्मेदार है।

विवरण I

"अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम"

(क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

1. एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य है—उपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं का सम्पूर्ण विकास। इसके लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जैसे पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षीकरण, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा। आईसीडीएस प्रोजेक्ट और आंगनवाड़ी केन्द्र एक निश्चित संख्या में अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गांवों/प्रखण्डों में स्थापित किए जाएंगे। ताकि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को भी उचित रूप से मिल सके।

2. विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत, यह सुनिश्चित

किया जायेगा कि ऐसे विद्यालयों की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गांवों/क्षेत्रों में स्थापित की जायें।

3. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन

उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम एक चौथाई जनसंख्या की सेवा करते हों।

4. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

एरिया इंटेंसिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केन्द्रीय योजनागत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक अवसंरचना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के महत्व को देखते हुए, यह कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित व प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बनायी एवं कार्यान्वित की जाएगी।

6. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना

सरकार, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सभी सम्भव सहायता देगी ताकि यह अपने कार्यकलापों को अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ व व्यापक कर सके।

(ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

7. गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रमों के उद्देश्य हैं:- गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(ख) स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना के दो मुख्य घटक हैं: शहरी स्वरोजगार योजना और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत भौतिक और आर्थिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रसुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(ग) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना और एक टिकाऊ समुदाय व सामाजिक, आर्थिक अवसंरचना का निर्माण करना। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 200 जिलों में शुरू किया गया है तथा इन जिलों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को इस कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है, बचे हुए जिलों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन का निश्चित प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए उस समय तक निर्धारित किया जाएगा, जब तक इन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं कर लिया जाता है। साथ ही, आबंटन का निश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की काफी आबादी है।

8. तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन

अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में लगा हुआ है या दस्तकारी द्वारा अपनी उपजीविका कमाता है। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और उजीविका क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए, सभी नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कतिपय संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे और "उत्कृष्टता केन्द्रों" के रूप में उन्नत किए जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों का चयन उसी आधार पर किया जाएगा।

9. आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को 1994 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य, अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। सरकार इस निगम को अधिक इक्विटी सहायता देकर इसे सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है जिससे कि यह निगम अपने उद्देश्यों को पूर्णत: प्राप्त कर सकेगा।

(ख) स्वरोजगार योजना के निर्माण और उसे बनाये रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के

लिए कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ, शामिल हैं:- खेती के लिए ऋण, लघु उद्योगों व छोटे कामधंधों के लिए ऋण, रिटेल ट्रेड, व्यावसायिक व स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण, घर के लिए ऋण व अन्य छोटे ऋण। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण का निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है।

10. राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) राज्य सरकार को यह सलाह दी जायेगी कि पुलिस कार्मिकों की भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाये। इसके लिए चयन समितियों के अवयव, प्रतिनिधि होने चाहिए।

(ख) केन्द्र सरकार भी, केन्द्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती करते समय इसी प्रकार की कार्रवाई करेगी।

(ग) रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। इन मामलों में भी, संबंधित विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी व विश्वसनीय गैर-सरकारी संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जायेगी जिसमें इन संस्थाओं को सहायता दी जाएगी।

(ग) अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना

11. ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इन्दिरा आवास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भौतिक व आर्थिक लक्ष्यों का निश्चित प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

12. अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम की योजनाओं के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देती है। जिससे इन बस्तियों में जन सुख-सुविधाएं और मूल सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों तथा इन समुदायों की घनी आबादी वाली नगरों/मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिले।

(घ) साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

13. साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम

साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित के रूप में अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में ऐसे जिला व पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अत्यधिक कुशल, निष्पक्ष और निरपेक्ष अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में और अन्य कहीं भी, सांप्रदायिक तनाव को दूर करना जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की प्राथमिक ड्यूटियों में होना चाहिए। इस संबंध में इनका कार्य निष्पादन इनकी पदोन्नति नियमित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए।

14. साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन

उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा में हिस्सा लेते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्रता से सूचीबद्ध किया जा सके।

15. साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

विवरण II

15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भूमिका निभाने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का विवरण

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय
4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (डीजीई एण्ड टी)
5. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
6. शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
8. गृह मंत्रालय
9. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय।

पेट्रोलियम क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग

521. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**
श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने हाल ही में चीन का दौरा किया है तथा ऊर्जा सहयोग के संबंध में चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कुछ चीनी फर्मों ने पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग करने की रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश को ऐसे दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग से कितना लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) मंत्री जी ने संघाई कोआपरेशन आर्गेनाइजेशन (एससीओ) सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संघाई, चीन का दौरा किया था। कार्यसूची में विशेष रूप से इस क्षेत्र में ऊर्जा से संबंधित मामलों सहित व्यापक रूप से अन्य मामलों को शामिल किया गया था। वहां किसी तेल और गैस परियोजना विशेष पर चर्चा नहीं की गई।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

522. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2006 से रिपोर्ट की गई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना के प्रथम दृष्टया कारण क्या हैं तथा इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय की गई;

(ग) इनमें कितने जान एवं माल का नुकसान हुआ था तथा घायल व्यक्तियों तथा मृतकों के रिश्तेदारों को दुर्घटना-वार कितना मुआवजा/अनुग्रह सहायता दी गई;

(घ) क्या रेलवे ने ऐसी दुर्घटनाओं के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणान निकले तथा दोषी पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध दुर्घटना-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या रेलवे की आय बढ़ाने के लिए नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप रेल दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है, जैसा कि दिनांक 28 जून, 2006 के 'अमर उजाला' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(छ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) रेल दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रेलवे द्वारा तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) जनवरी, 2006 से जून, 2006 की अवधि के दौरान 109 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 81 व्यक्ति मारे गए और 150 व्यक्ति घायल हुए हैं। इन 109 दुर्घटनाओं में से 10 की जांच रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा और शेष की जांच विभागीय जांच समितियों द्वारा की गई है/की जा रही है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई सहित यथाआवश्यक कार्रवाई की जाती है। इन मामलों में अनुग्रह राशि के रूप में कुल 256500/- रुपये का भुगतान किया गया है। बहरहाल, दावा मुकदमा दायर किए जाने और रेल दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत किए जाने के बाद मुआवजा देय होता है। दुर्घटनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) जी नहीं। संरक्षा भारतीय रेल का एक प्राथमिक विषय है और इसके साथ समझौता नहीं किए जाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है।

(ज) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए सतत आधार पर हरसंभव उपाय किए जाते हैं। उन उपायों में गतायु परिसंपत्तियों को बदलना, रेलपथ, चल स्टाक, सिगनल प्रणाली तथा अंतर्पाशन

प्रणालियों के उन्नयन एवं अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, कर्मचारियों पर निगरानी रखने और संरक्षित पद्धतियों के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर संरक्षा अभियान एवं निरीक्षण शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या के रुझान में गिरावट आई है जो 2000-01 में 473 से घटकर 2005-06 में 234 रह गई हैं। चालू वित्त वर्ष में भी जून, 2006 तक 57 परिणामी दुर्घटनाएं हुई हैं जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि यह संख्या 63 थी। सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण

क्र.सं.	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटना की किस्म	गाड़ी सं.	रेलवे	संक्षिप्त विवरण	क्षति की लागत	प्रथम दृष्टया कारण	जांच की किस्म	उत्तरदायित्व	रेल कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	हताहत		अनुग्रह राशि/ मुआवजा
											मारे गए	घायल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	2501 एक्सप्रेस	पूर्व मध्य	10 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए	2050000	पटरी की टूटफूट	विभागीय	गश्तकर्मी, सहायक इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ, कनिष्ठ इंजीनियर/ रेलपथ और स्टेशन मास्टर	कर्मचारियों को कोटियों के लिए वेतनवृद्धि रोकने से लेकर सेवा से हटाने तक	-	-	-
2.	3.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मालगाड़ी	पश्चिम	8 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	450000	पटरी की टूटफूट	विभागीय	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-
3.	5.1.06	बिना चौकीदार वाले	3020 एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	1	-	देय नहीं
4.	6.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मालगाड़ी	उत्तर	7 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	210000	पटरी की टूटफूट	विभागीय	रेलपथ निरीक्षक	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
5.	10.1.06	टक्कर	2815 एक्सप्रेस और कोचिंग फास्टर	पूर्व मध्य	कोचिंग फास्टर स्टार सिगनल को अनदेखा करने के बाद 2815 एक्सप्रेस के साथ टकरा गया जो स्टेशन में प्रवेश कर रही थी	190000	कोचिंग फास्टर के ड्राइवर द्वारा सिगनल को अनदेखा किया जाना	विभागीय	बिजली ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, स्टाफमैन और ट्रैफिक प्रबंधक	कर्मचारियों को विभिन्न कोटियों के लिए वेतनवृद्धि रोकने से लेकर सेवा से हटाने तक	-	5	देय नहीं
6.	11.1.06	बिना चौकीदार वाले	मालगाड़ी	उत्तर	गाड़ी इंजन एक बस से टकरा गया	200	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	-	8	देय नहीं
7.	12.1.06	टक्कर	4888 एक्सप्रेस और मालगाड़ी	उत्तर	4888 एक्सप्रेस का पार्श्व खड़ी हुई मालगाड़ी के साथ टकरा गया	1490000	स्टेशन कर्मचारियों ने मालगाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित किए बिना 4888 को गुजरने की अनुमति दे दी	विभागीय	गार्ड, एक्टिंगमैन और स्टेशन मास्टर	सेवा से हटाना	-	-	-
8.	12.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	449 पैसेंजर	पूर्वोत्तर	4888 एक्सप्रेस का का पार्श्व खड़ी हुई मालगाड़ी के साथ टकरा गया	450	ड्राइवर ने सिगनल को अनदेखा किया	विभागीय	ड्राइवर, डीजल सहायक, स्टेशन मास्टर, चौकीदार	वेतनवृद्धि रोकना	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	12.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	दक्षिण पूर्व	3 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	655000	सलाखी छल्लों द्वारा कटी गई	विफलोय	सलाखी तत्व	लागू नहीं	-	-	-
10.	12.1.06	बिना चौकीदार वाले	2973 एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	200000	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विफलोय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	1	-	देय नहीं
11.	12.1.06	बिना चौकीदार वाले	6044 एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य	गाड़ी इंजन एक अटोरिक्शा से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विफलोय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	3	7	500
12.	15.1.06	बिना चौकीदार वाले	1077 एक्सप्रेस	उत्तर	गाड़ी इंजन एक ठंटा सूबे से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विफलोय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	3	1	देय नहीं
13.	17.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	662 पैसेंजर	दक्षिण	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	-	अत्यधिक अनुप्रस्थ स्तरीय विचलन और इंजन के पहियों का घुरा घिसा तक होना	विफलोय	(1) कनिष्ठ इंजीनियर (2) वरिष्ठ इंजीनियर/ तीसरे	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
14.	17.1.06	बिना चौकीदार वाले	5631 एक्सप्रेस	पूर्व मध्य	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	5000	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विफलोय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	4	-	देय नहीं
15.	18.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	उत्तर	9 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	240000	कारण अंतत: सिद्ध नहीं हो सका	विफलोय	इंजीनियरी एवं यांत्रिकी कर्मचारी	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
16.	18.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	2053 एक्सप्रेस	उत्तर	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	-	कटि को सही प्रकार से सेट और पैडलाक नहीं किया गया था	विफलोय	स्टेशन मास्टर	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
17.	23.1.06	बिना चौकीदार वाले	176 पैसेंजर	पूर्वोत्तर	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	20000	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विफलोय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	1	-	देय नहीं
18.	25.1.06	बिना चौकीदार वाले	3163 एक्सप्रेस	पूर्व	गाड़ी इंजन एक ठंटा सूबे से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विफलोय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	6	10	देय नहीं
19.	25.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	दक्षिण पूर्व	11 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	12392456	छेड़खेड़	विफलोय	सलाखी तत्व	लागू नहीं	-	-	-
20.	26.1.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	पूर्व मध्य	5 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	6900000	छेड़खेड़	विफलोय	सलाखी तत्व	लागू नहीं	-	-	-
21.	6.2.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	पूर्व मध्य	13 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	15300000	पटरी की टूटफूट	विफलोय	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	9.2.06	चौकीदार वाले	8008 एक्सप्रेस	पूर्व तट	गाड़ी इंजन की एक मालवाही कार से टक्कर हुई	50000	फाटक बंद करने में चौकीदार की विफलता	विभागीय	चौकीदार	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
23.	10.2.06	बिना चौकीदार वाले	4059 एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन की एक ट्रैक्टर से टक्कर हुई	16100	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	2	-	देय नहीं
24.	15.2.06	आग लगना	2415 एक्सप्रेस	पश्चिम मध्य	इंजनरूम में आग लग गई	1000000	अधिक तापन के कारण बिजली का शार्ट सर्किट	विभागीय	मैसर्स खुल्लर ब्रदर्स, इंदौर और गार्ड	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
25.	16.2.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	230 पैसेंजर	पूर्व तट	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	-	पटरी और कोच की खराबी	विभागीय	(1) सेक्शन इंजीनियर/पश्चिम (2) सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
26.	15.2.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	दक्षिण	1 मालडिब्बा पटरी से उतर गया	-	आर-2 सिंग स्क्रीनेट की टूटफूट	विभागीय	आरक्षण कर्मचारी	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
27.	19.2.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	3 एनएनएम पैसेंजर	दक्षिण पूर्व मध्य	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	-	अनुप्रस्थ स्तर में विचलन	विभागीय	कनिष्ठ इंजीनियर/ रेलपथ और सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ	वेतनवृद्धि रोकना	-	-	-
28.	22.2.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मैटोरियल ट्रेन	पूर्वोत्तर	4 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	500	समग्री उतराई कर्मचारियों की लापरवाही	विभागीय	(1) कनिष्ठ इंजीनियर/रेलपथ (2) पीडब्ल्यूएस (3) गार्ड	कर्मचारियों को विभिन्न कोटियों के लिए वेतनवृद्धि रोकने से लेकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति तक	-	-	-
29.	24.2.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मालगाड़ी	पूर्व तट	5 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	6062000	पटरी की टूटफूट	विभागीय	मैसर्स एनएमडीसी	लागू नहीं	-	-	-
30.	24.2.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	238 पैसेंजर	पूर्व तट	1 सवारीडिब्बा पटरी से उतर गया	-	इंजीनियरी कर्मचारियों द्वारा पटरी के निकट रखे पत्थर लुढ़क गए	विभागीय	कनिष्ठ इंजीनियर/ निर्माण	एक वर्ष के लिए वेतनवृद्धि रोकना	-	-	-
31.	25.2.06	बिना चौकीदार वाले	482 पैसेंजर	दक्षिण मध्य	गाड़ी इंजन एक कार से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	2	-	देय नहीं
32.	25.2.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	पूर्वोत्तर सीमा	5 मालडिब्बे पटरी से उतर गया	50000	अत्यधिक अनुप्रस्थ स्तरीय विचलन	विभागीय	कनिष्ठ इंजीनियर/ रेलपथ, कनिष्ठ इंजीनियर सी एंड डब्ल्यू और गार्ड	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	26.2.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	3049 एक्सप्रेस	उत्तर	गाड़ी इंजन और आठ सवारीडिब्बे पटरी से उतर गए	6125500	छेड़छाड़	रेल संरक्षा अनुभाग	जलती तल्प	लागू नहीं	1	2	16000
34.	26.2.06	बिना चौकीदार वाले	6345 एक्सप्रेस	दक्षिण	गाड़ी इंजन एक ट्रक से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विफलीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	3	1	देय नहीं
35.	26.2.06	विविध	234 पैसेंजर	दक्षिण पश्चिम	एक टिपर गाड़ी से रगड़ खा गया	-	टिपर ड्राइवर की लापरवाही	रेल संरक्षा अनुभाग	(1) टिपर लारी का ड्राइवर (2) चेई-2/रेलपथ	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	1	10	38000
36.	1.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	551 पैसेंजर	पूर्वोत्तर	10 सवारीडिब्बे पटरी से उतर गए	1569630	रेल कर्मचारी की लापरवाही	रेल संरक्षा अनुभाग	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	5	7000
37.	1.3.06	बिना चौकीदार वाले	2बीजे पैसेंजर	पश्चिम मध्य	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	6500	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विफलीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	3	1	देय नहीं
38.	2.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मल गाड़ी	दक्षिण पश्चिम	1 मालडिब्बा पटरी से उतर गया	4649675	गर्म धुरा	विफलीय	(1) झांसी खलासी के कर्मचारी (2) गार्ड	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
39.	4.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	4164 एक्सप्रेस	उत्तर	जब गाड़ी फूलपलहार स्टेशन में प्रवेश कर रही थी तब गाड़ी इंजन और 2 सवारीडिब्बे पटरी से उतर गया	35000	कांटों का गलत परिचालन	विफलीय	कनिष्ठ इंजीनियर/ सिगनल और सहायक स्टेशन मास्टर	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
40.	7.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मल गाड़ी	दक्षिण मध्य	11 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	2016248	धुरा का खोल ब्रेकेज	विफलीय	डी एंड डब्लू कर्मचारी	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
41.	10.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	3बीजे पैसेंजर	दक्षिण पूर्व मध्य	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	-	रेलपथ पर शिलाखंड का गिरना	विफलीय	प्राकृतिक आपदा	लागू नहीं	-	-	-
42.	10.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मल गाड़ी	पूर्व तट	1 मालडिब्बा पटरी से उतर गया	3036000	मालडिब्बा खराबी	विफलीय	कांटा खलासन	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
43.	10.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	536 पैसेंजर	पूर्व मध्य	जब गाड़ी स्टेशन से प्रस्थान कर रही थी तब 2 सवारीडिब्बे पटरी से उतर गए	146000	सवारीडिब्बा खराबी	विफलीय	कनिष्ठ इंजीनियर	1 वर्ष के लिए संबंधी प्रक्रम के साथ वेतनमान में 2 चरणों में कटौती	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44.	11.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	पश्चिम	25 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	600000	पटरी की टूटफूट	विभागीय	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-
45.	11.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	347 पैसेंजर	दक्षिण मध्य	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	95000	डीजल लोको खराबी	विभागीय	सेक्शन इंजीनियर डीजल	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
46.	15.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	1 पैसेन्जर पैसेंजर	उत्तर	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी तब 4 सवारीडिब्बे पटरी से उतर गए	1000	अधिक गति	विभागीय	ड्राइवर	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
47.	20.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	3019 एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	58673	ड्राइवर द्वारा स्टार्टर सिग्नल की उपेक्षा	विभागीय	(1) ड्राइवर (2) डीजल सहायक (3) गार्ड	कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए वेतनवृद्धि रोकने से लेकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति तक	-	-	-
48.	20.3.06	बिना चौकीदार वाले	798 पैसेंजर	दक्षिण	गाड़ी इंजन एक ट्रक से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	1	5	देय नहीं
49.	21.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	4315 एक्सप्रेस	उत्तर	1 सवारीडिब्बा पटरी से उतर गया	55000	चक्कर का अटकना	विभागीय	सी एंड डब्ल्यू कर्मचारी	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
50.	24.3.06	बिना चौकीदार वाले	314 पैसेंजर	पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	-	9	देय नहीं
51.	25.3.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	4649 एक्सप्रेस	उत्तर	1 सवारीडिब्बा पटरी से उतर गया	-	पटरी और कोच की खराबी	विभागीय	इंजीनियरों एवं खोंमेकी कर्मचारी	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
52.	25.3.06	चौकीदार वाले	2016 एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रक्टर से टकरा गया जिसके फलस्वरूप गाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया	25000	चौकीदार की लापरवाही	विभागीय	चौकीदार, सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
53.	1.4.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	6012 एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य	गाड़ी इंजन और 2 सवारीडिब्बे पटरी से उतर गए	18000	कांटे सुरक्षित नहीं किए गए	विभागीय	सहायक स्टेशन मास्टर और प्वाइंटमेन	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54.	6.4.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मेल गाड़ी	उत्तर पश्चिम	2 वातानुकूलित पटरी से उतर गए	70000	पटरी की मरम्मत	विफलीय	चीफ डेपो इंजीनियर/रेलपथ और डेपो इंजीनियर/रेलपथ	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
55.	7.4.06	बिना चौकीदार वाले	613 पैसेंजर	पूर्वोत्तर सीमा	गाड़ी इंजन एक मवेशी से टकरा गया	3000	सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	विफलीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	2	-	देय नहीं
56.	7.4.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मेल गाड़ी	दक्षिण पश्चिम	3 वातानुकूलित पटरी से उतर गए	-	कांटों का गलत परिचालन	विफलीय	(1) स्टेशन मास्टर (2) केबिनमैन	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
57.	10.4.06	विविध	5273 एक्सप्रेस	उत्तर	पटरी के निकट खनिज एक मेवेशी गाड़ी से टकरा गया	560000	मेवेशी ट्रैफिक की सुरक्षा	रेल संरक्षा अनुभाग	मेवेशी ट्रैफिक	लागू नहीं	2	6	25000
58.	15.4.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	261 पैसेंजर	पूर्व मध्य	3 वातानुकूलित पटरी से उतर गए	30000	पटरी अनुरक्षण और ट्रैक्शन एंड के बीच अधिक अंतराल के कारण चालकयान पहिये के नीचे कांटों के परिचालन के कारण दो	विफलीय	केबिनमैन, लीवरमैन, चीफ डेपो इंजीनियर/सिग्नल, डेपो इंजीनियर/सिग्नल	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
59.	23.4.06	बिना चौकीदार वाले	2553 एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर	गाड़ी इंजन एक ट्रक से टकरा गया	19894	सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	रेल संरक्षा अनुभाग	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	-	9	17000
60.	24.4.06	आग लगना	911 डाउनडेड स्पेशल	उत्तर मध्य	1 वातानुकूलित में आग लग गई	825000	चालनशील सामग्री की चुराई	विफलीय	अज्ञात चाली	लागू नहीं	-	-	-
61.	25.4.06	बिना चौकीदार वाले	8029 एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व मध्य	गाड़ी इंजन एक ट्रक्टर से टकरा गया	385000	सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	विफलीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	1	1	20000
62.	26.4.06	बिना चौकीदार वाले	मेल गाड़ी	पूर्व	गाड़ी इंजन एक लारी से टकरा गया	6500	सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	विफलीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	1	-	देय नहीं
63.	26.4.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	472 पैसेंजर	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन और 2 वातानुकूलित पटरी से उतर गए	-	अनुरक्षण का नियंत्रण	विफलीय	गैंगमैन और डेपो इंजीनियर/रेलपथ	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
64.	27.4.06	बिना चौकीदार वाले	2661 एक्सप्रेस	दक्षिण	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	25000	सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	विफलीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	1	-	देय नहीं
65.	28.4.06	चौकीदार वाले	2402 डाउन एक्सप्रेस	पूर्व मध्य	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	160000	चौकीदार की सुरक्षा	विफलीय	चौकीदार	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	2	1	14500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66.	30.4.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मल गाड़ी	दक्षिण	22 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	8470263	मालडिब्बा का पूर्ण पटरी गिर गया	विभागीय	सरक्षण कर्मचारी	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्यवाई प्रगति पर है	-	-	-
67.	1.5.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मल गाड़ी	पूर्व	19 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	-	पटरी की नई टूटफूट	विभागीय	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाई	-	-	-
68.	2.5.06	बिना चौकीदार वाले	9005 मेल	पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रेक्टर से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	1	2	देय नहीं
69.	2.5.06	चौकीदार वाले	9023 एक्सप्रेस	उत्तर	गाड़ी इंजन एक ट्रक से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	1	-	देय नहीं
70.	3.5.06	बिना चौकीदार वाले	9119 एक्सप्रेस	पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रेक्टर से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	1	-	देय नहीं
71.	3.5.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	के-93 ईएमयू	मध्य	3 सकरीडिब्बे पटरी से उतर गए	-	पटरी की टूटफूट	रेल संरक्षा अधिकारी	कोई नहीं	लागू नहीं	-	-	-
72.	4.5.06	बिना चौकीदार वाले	8005 एक्सप्रेस	पूर्वी तट	गाड़ी इंजन एक ट्रेक्टर से टकरा गया	22425	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	3	-	देय नहीं
73.	4.5.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	4 डाउन पैसेंजर	दक्षिण पूर्व मध्य	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	-	अनुप्रस्थ स्तर में विचलन	विभागीय	सेक्शन इंजीनियर/ रेलपथ और गैंगमेन	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्यवाई प्रगति पर है	-	-	-
74.	10.5.06	बिना चौकीदार वाले	4520 एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रेक्टर ट्रॉली से टकरा गया	16000	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	2	4	देय नहीं
75.	16.5.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	3 अप पैसेंजर	दक्षिण पूर्व मध्य	2 सकरीडिब्बे पटरी से उतर गए	1400000	तोड़फोड़	रेल संरक्षा अधिकारी	शरारती तत्व	लागू नहीं	-	1	5500
76.	16.5.06	विविध	2 एक्सप्रेस पैसेंजर	उत्तर	फाटक सं. 34-बी की सिगनल सीढ़ी से टकराने के बाद 2 चक्के पटरी से गए	5000	फाटक सं. 34-बी को फाटक सिगनल की सीढ़ी द्वारा उल्लंघन	रेल संरक्षा अधिकारी	सिगनल कर्मचारी	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्यवाई प्रगति पर है	-	2	10000
77.	16.5.06	बिना चौकीदार वाले	259 पैसेंजर	पश्चिम	गाड़ी इंजन एक कार से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	2	-	देय नहीं
78.	17.5.06	बिना चौकीदार वाले	2164 एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य	गाड़ी इंजन एक ऑटोरिक्शा से टकरा गया	28988	सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्त्ता	लागू नहीं	4	-	देय नहीं
79.	19.5.06	विविध	4553 एक्सप्रेस	उत्तर	एक पेड़ गिर गया और गाड़ी में अटक गया	-	शरारती तत्वों द्वारा पेड़ का काटा जाना	रेल संरक्षा अधिकारी	शरारती तत्व	लागू नहीं	-	4	15000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80.	19.5.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मालगाड़ी	पूर्व तट	गाड़ी इंजन और 8 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	16532000	बेढ़बेढ़	विचाराधीन	सतर्कता तंत्र	लागू नहीं	-	-	-
81.	19.5.06	बिना चौकीदार वाले	466 पैसेंजर	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रक से टकरा गया	3000	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	1	1	देय नहीं
82.	21.5.06	बिना चौकीदार वाले	749 पैसेंजर	दक्षिण	गाड़ी इंजन एक ट्रेक्टर से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	-	1	देय नहीं
83.	22.5.06	बिना चौकीदार वाले	2079 एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम	गाड़ी इंजन एक टिपर ट्रक्की से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	7	1	देय नहीं
84.	24.5.06	टक्कर	मालगाड़ी और कन्स्ट्रक्शन इंजन	पूर्व मध्य	स्टाफ इंजन मालगाड़ी के साथ टकरा गया	5500	कन्स्ट्रक्शन के सुपरवाइजर द्वारा ट्रेन सिग्नल की उपेक्षा	विचाराधीन	डीजल ड्राइवर, डीजल खलासी	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	2	देय नहीं
85.	24.5.06	बिना चौकीदार वाले	356 पैसेंजर	उत्तर मध्य	गाड़ी इंजन एक ट्रेक्टर से टकरा गया	1000	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	2	1	देय नहीं
86.	26.5.06	विविध	5012 एक्सप्रेस और 402 पैसेंजर	उत्तर मध्य	दोनों गाड़ियों के चार सिग्नल प्रदर्श बोर्ड से टकरा गए	16000	सिग्नल प्रदर्श बोर्ड द्वारा उल्लंघन	विचाराधीन	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	7	देय नहीं
87.	28.5.06	बिना चौकीदार वाले	ट्रैफिक पैसेंजर	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रेक्टर से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	1	1	देय नहीं
88.	30.5.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	बीजी-524 डिस्पू इंजन	पूर्व	1 सवारीडिब्बा पटरी से उतर गया	-	गाड़ियों के संचालन के दौरान मार्ग का परिवर्तन	विचाराधीन	(1) केबिनमैन (2) स्टेशन मास्टर	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
89.	30.5.06	बिना चौकीदार वाले	5312 एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर	गाड़ी इंजन एक ट्रेक्टर ट्रक्की से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	3	1	देय नहीं
90.	30.5.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	2617 एक्सप्रेस	कोंकण	1 सवारीडिब्बा पटरी से उतर गया	1000	भारी वर्षा के कारण पटरी पर कीचड़ जमना	विचाराधीन	प्राकृतिक आपदा	लागू नहीं	-	-	-
91.	6.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मालगाड़ी	उत्तर मध्य	15 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	17099000	मालडिब्बा खराबी	विचाराधीन	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-
92.	7.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	245 पैसेंजर	पूर्वोत्तर	1 सवारीडिब्बा पटरी से उतर गया	450	ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाया जाना	विचाराधीन	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93.	8.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	उत्तर	2 वैगनडिब्बे पटरी से उतर गए	45500	ब्रेक बंधन	विभागीय	सी एंड डब्ल्यू और कारखाना कर्मचारी	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
94.	8.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	4810 एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	263151	वेल्डन की खराबी	विभागीय	वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ, सेक्शन इंजीनियर/ रेलपथ और पैडमन्सूस	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-
95.	9.6.06	बिना चौकीदार वाले	माल गाड़ी	उत्तर	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	900	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	2	-	देय नहीं
96.	9.6.06	बिना चौकीदार वाले	6 एचबीजे पैसेंजर	उत्तर	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	10000	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	2	2	देय नहीं
97.	11.6.06	बिना चौकीदार वाले	4 अहारी पैसेंजर	दक्षिण पूर्व मध्य	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	2	4	देय नहीं
98.	11.6.06	बिना चौकीदार वाले	1 अहएफ पैसेंजर	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	1	1	देय नहीं
99.	13.6.06	बिना चौकीदार वाले	310 पैसेंजर	पश्चिम	गाड़ी इंजन एक रिक्शा से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	1	4	देय नहीं
100.	14.6.06	बिना चौकीदार वाले	525 डीएमयू	पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ऑटोरिक्शा से टकरा गया	-	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	2	-	देय नहीं
101.	15.6.06	विविध	4005 एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर	गाड़ी इंजन पटरी के निकट खड़े एक ट्रक से टकरा गया	-	पटरी के निकट ट्रक के धुरे की टूटफूट	रेल संरक्षा अनुभाग	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	30	88000
102.	22.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	दक्षिण पश्चिम	9 वैगनडिब्बे पटरी से उतर गए	-	पटरी और वैगनडिब्बे की खराबी	विभागीय	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-
103.	23.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	माल गाड़ी	पश्चिम मध्य	2 वैगनडिब्बे पटरी से उतर गए	800000	पटरी की टूटफूट	विभागीय	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-
104.	26.6.06	बिना चौकीदार वाले	5048 एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर	गाड़ी इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया	55200	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	1	-	देय नहीं
105.	28.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	10 बीजे पैसेंजर	दक्षिण पूर्व मध्य	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	-	अनुप्रस्थ स्तर में विचलन	विभागीय	कनिष्ठ इंजीनियर/ रेलपथ और गैंगमेट	अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर है	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106.	29.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	मेल गाड़ी	पश्चिम	3 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	105000	मालडिब्बा उलटने और कमीरत का गलत प्रबंधन	विचाराधीन	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-
107.	29.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	1548 एक्सप्रेस	मध्य	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	100000	पटरी और इंजन की खराबी	विचाराधीन	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-
108.	30.6.06	गाड़ी का पटरी से उतरना	2557 एक्सप्रेस	उत्तर मध्य	4 सवारीडिब्बे पटरी से उतर गए	35000	गाड़ी द्वारा डायमंड क्रासिंग पर दो भाग लिख जाना	विचाराधीन	जांच प्रगति पर है	जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई	-	-	-
109.	30.6.06	बिना चौकीदार वाले	497 पैसेंजर	उत्तर पश्चिम	गाड़ी इंजन एक ट्रक से टकरा गया	12000	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं	1	-	देय नहीं

[अनुवाद]

नेमाम में रेलवे वर्कशाप स्थापित किया जाना

523. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरूवनन्तपुरम के निकट नेमाम में रेलवे वर्कशाप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियां

524. श्री चाडिगा रामकृष्णा:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 से रक्षा उत्पादों का उत्पादन करने के लिए निजी उत्पादन कंपनियों को कितने लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए;

(ख) क्या हाल ही में सरकार ने रक्षा उत्पादों का निर्माण करने वाले कुछ निजी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2001 से रक्षा क्षेत्र में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) आया?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) मई, 2001 से अब तक निजी विनिर्माण कंपनियों को रक्षा उत्पादन तैयार करने के लिए 28 आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। जिन कंपनियों ने रक्षा मदों के उत्पादन के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए हैं उनमें से किसी भी कंपनी को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(घ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार रक्षा क्षेत्र में लाइसेंस देने की व्यवस्था के तहत मई, 2001 से अप्रैल, 2006 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) की कुल राशि 0.24 करोड़ रुपए है।

एल्यूमिनियम ताबूतों की आपूर्ति

525. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने हाल ही में कारगिल युद्ध के बाद तथाकथित रूप से बहुत ऊंची दरों पर घटिया किस्म के एल्यूमिनियम ताबूतों की आपूर्ति करने के लिए सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों तथा अमेरिका स्थित अंत्येष्टि सेवा कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका स्थित कंपनी से खरीदे गए ताबूतों की प्रक्रिया बहुत ही अवैध पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) अस्त, 1999 में अल्यूमीनियम के 500 ताबूतों और 3000 शव थैलों की खरीद संबंधी एक मामला जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वाशिंगटन में तैनात तत्कालीन सैन्य अताशे मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अरुण राय, सेना मुख्यालय में मास्टर जनरल आयुध शाखा के तत्कालीन निदेशक कर्नल एस.के. मलिक, सेना मुख्यालय में ओ जी ओ शाखा के तत्कालीन संयुक्त निदेशक कर्नल एफ.बी. सिंह, अमेरिका में टैक्सास स्थित मैसर्स ब्यूट्रन एवं बैजा कास्केट एंड फ्यूनरल सप्लाई के लिए श्री विक्टर बैजा जूनियर के विरुद्ध भारतीय सेना के लिए अल्यूमीनियम के घटिया ताबूतों तथा शव थैलों की खरीददारी में धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के संबंध में एक नियमित मामला दर्ज किया है। इस चरण में जांच पूरी करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम को पोतों की आपूर्ति

526. **श्री गुरूदास दासगुप्त:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने चालू वर्ष के दौरान अपने अपतटीय कार्यों के लिए संशोधित कड़ी शर्तों तथा डिफरेन्शियल पोजिशनिंग के साथ 26 पोतों की आपूर्ति हेतु बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पांच वर्षों की संशोधित संविदा अवधि से तथा उनके वास्तविक मापदंडों में व्यापक संशोधन करने से एक भी भारतीय जहाजरानी कंपनी बोली नहीं लगा सकेगी जिसके परिणामस्वरूप ठेका प्रमुख विदेशी पोत मालिकों द्वारा हड़प लिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने गतिशील तैनाती (डीपी) क्षमता वाले 30 पोतों (लंगर हैण्डलिंग टग/उत्पादन आपूर्ति पोत/अपतटीय आपूर्ति पोतों) को भाड़े पर लेने हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं।

(ख) कुल 38 निविदा दस्तावेज बेचे गए हैं। निविदा देने की अंतिम तिथि 19.07.2006 थी पर बोली पूर्व चर्चाओं के परिणामस्वरूप इस तिथि को 3.8.2006 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ओएनजीसी भारतीय पोत स्वामियों की एसोसिएशन (आईएनएसए) के साथ लगातार संपर्क बनाये हुए है और उनसे आग्रह कर रही है कि वे सुरक्षा संबंधी कठोर मानकों की अपेक्षाएं पूर्ण करने हेतु, विशेष रूप से गहरे समुद्र में बढ़ रहे परिचालनों के मद्देनजर, अपने पोतों को समुन्नत कर डीपी-1 किस्म का बनायें। भारतीय पोत स्वामियों की सुविधा के लिए ओएनजीसी में भाड़े पर लेने की अवधि 2-3 वर्ष से बढ़ाकर 5+1 वर्ष करने का भी प्रावधान किया है और पोतों को डीपी-1 किस्म में समुन्नत करने हेतु उनकी तैनाती के समय को आगे पीछे करने की भी अनुमति दे दी है।

सरकार अपने सुरक्षा मानकों के उन्नयन हेतु ओएनजीसी के प्रयासों का समर्थन करती है क्योंकि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात

527. **श्री सुब्रत बोस:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल तथा डीजल तैयार रूप में/कच्चे रूप में आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग कुल कितनी मात्रा में पेट्रोल तथा डीजल का आयात किया गया है;

(ग) क्या इन उत्पादों की खरीद तेल उत्पादक देशों के साथ द्विपक्षीय संविदाओं के जरिए की जाती है या बाजार से मौके पर ही खरीद की जाती है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग कितनी मात्रा में खरीद की गई है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान द्विपक्षीय संविदाओं के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(च) तैयार रूप में पेट्रोल, डीजल तथा कच्चे तेल से संबंधित 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार बकाया आपूर्ति ठेकों का ब्यौरा क्या है तथा संबंधित मामलों में संविदा मूल्य कितना था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) पेट्रोल और डीजल का तैयार रूप में आयात किया जाता है। हमारी रिफाइनरियों की कच्चे तेल की मांग का लगभग 76% हिस्सा भी आयात किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित पेट्रोल और डीजल की मात्रा निम्नवत है-

(मात्रा ह. मी. टन में)

उत्पाद	2003-04	2004-05	2005-06 (अनंतिम)
पेट्रोल	-	233	485
डीजल	100	814	733

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कंपनियां मौके पर ही खरीद आधार पर पेट्रोल और डीजल का आयात कर रही हैं।

(घ) उक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान द्विपक्षीय संविदाओं के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने वाले देश मलेशिया, यू.ए.ई., सऊदी अरब तथा कुवैत हैं।

(च) विभिन्न मियादी संविदाओं के तहत, विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियों से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों को कच्चे तेल की 38.21 मि.मी. टन मात्रा बकाया है। द्विपक्षीय करारों में, केवल परिमाण निर्धारित होता है तथा मूल्य, आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा माह-दर-माह आधार पर कच्चे तेल के घोषित आधिकारिक बिक्री मूल्य (ओएसपी) पर आधारित होता है।

ग्रामीण टिकट बुकिंग सेवा

528. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण बेरोजगार युवकों की सहायतार्थ नई ग्रामीण टिकट बुकिंग सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवकों को एजेंसी देने के लिए क्या मानदंड हैं;

(घ) एजेंसियों को प्रदान किए गए कमीशन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत रेलवे को अनुमानित कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) पूर्व मध्य रेलवे के 50 'डी' श्रेणी वाले स्टेशनों को ग्रामीण टिकट बुकिंग सेवा (जीटीबीएस) के चयन के लिए नामित किया गया है जिनमें से 17 जीटीबीएस को अंतिम रूप दिया गया है तथा 6 और स्टेशनों को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 27 स्टेशनों के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) जीटीबीएस का चयन वाणिज्यिक, वित्त तथा परिचालन विभाग से मंडल के तीन अधिकारियों वाली समिति द्वारा स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाकर आवेदन लेने के बाद किया जाता है। जीटीबीएस को निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करनी चाहिए:-

(1) आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। बहरहाल, अगर कोई अन्य आवेदक उपलब्ध नहीं होता है तो शैक्षणिक योग्यता में मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक द्वारा छूट दी जा सकती है।

(2) आवेदक को गांव के मुखिया अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया आचरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिससे यह पता चले कि वह अच्छे चरित्र का व्यक्ति है तथा वह लंबित आपराधिक मामले से मुक्त है।

(3) अपने कार्यालय अथवा आवास में टेलीफोन कनेक्शन रखने वाले आवेदक को तरजीह दी जाएगी।

(4) आवेदक को सेवित स्टेशन का स्थानीय निवासी होना चाहिए।

(5) आवेदक को रेलवे के पास 10,000 रुपए का वापसी सुरक्षित जमा राशि देने के लिए तैयार होना चाहिए। संविदा के पूरा होने/समाप्त होने पर, लंबित बकाए को सुरक्षित जमा राशि में समायोजित किया जाएगा तथा शेष राशि जीटीबीएस को वापस की जाएगी।

(घ) जीटीबीएस यात्रियों से प्रति टिकट 0.50 रुपए का सेवा प्रभार वसूलने के लिए प्राधिकृत है।

(ङ) चूंकि योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए इस योजना से आय में वृद्धि का निर्धारण करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशों में पर्यटन कार्यालय

529. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों की पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशों में भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत में कितने विदेशी पर्यटक आए तथा वर्ष 2006-07 के दौरान कितने विदेशी पर्यटक आने की संभावना है; और

(ङ) निकट भविष्य में पर्यटकों के संभावित आगमन से निपटने के लिए क्या बुनियादी व्यवस्थाएं की गई हैं/किये जाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) विदेशों में भारत पर्यटन की प्रभावी मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय अपने विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के कार्य की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

(ग) भारत में पर्यटन का संवर्धन करने तथा देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय अपने 13 भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेशी पर्यटक सृजक बाजारों में अनेक संवर्धनात्मक गतिविधियों का संचालन करता है। इन गतिविधियों में विज्ञापन देना, मेलों में प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा रोड शोज का आयोजन करना, ब्रोशर का प्रकाशन करना तथा संयुक्त विज्ञापन समर्थन और मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा करने के लिए मीडिया कर्मियों, यात्रा प्रचालकों एवं राय निर्माताओं को आमंत्रित करना शामिल है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2006 (जून तक) के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या
2003	2726214
2004	3457477
2005	3915324 (अनंतिम)
2006 (जून तक)	2154890 (अनंतिम)

(ङ) पर्यटन मंत्रालय, राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों, केन्द्र सरकार की संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन अवसंचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

(1) गंतव्यों तथा परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास।

(2) भारती राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता।

(3) आवास अवसंरचना इमदाद को प्रोत्साहन।

इनके अलावा, पर्यटकों के लिए उन्नत आवास सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय होटलों, हैरिटेज संपत्तियों, अपार्टमेंट होटलों, गेस्ट हाउसों, टाइम शेयर रिजार्टों, बेड एवं ब्रेकफास्ट इकाइयों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण करता है। निवेशक अनुकूल भू-नीतियों का अनुसरण करने, भूमि बैंकों का गठन करने और होटल परियोजनाओं को सिंगल विंडो क्लीयरेंस की नीति को अपनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों तथा भूमि की स्वामित्व वाली एजेंसियों के साथ भी निरंतर संपर्क में है।

पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

530. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड तथा नियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पिछड़े तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित की हैं। ये स्कीमें परियोजना विशिष्ट हैं न कि राज्य अथवा क्षेत्र विशिष्ट। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता की दर सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लगत के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है तथा दुर्गम क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्र में 33.33% है जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है। दुर्गम क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परियोजनाओं को गत तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-2004	2004-2005	205-2006 (दिसम्बर, 2005 तक)
असम	257.79	245.76	40.83
हिमाचल प्रदेश	99.18	75.51	116.98
जम्मू-कश्मीर	108.78	74.78	35.36
मणिपुर	108.41	–	–
मेघालय	–	12.14	–
मिजोरम	110.50	12.30	–
नागालैंड	40.75	–	17.35
त्रिपुरा	33.07	–	–
उत्तरांचल	5.37	87.88	156.31

[अनुवाद]

रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात

531. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ प्रतिष्ठित निजि कंपनियों को विदेशों से सीधे रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात करने के लिए विशेष दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पहचान की गई ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी रक्षा प्रौद्योगिकियां निर्धारित की हैं जिनका इन कंपनियों द्वारा आयात किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, उन प्रमुख निजी कंपनियों का पता लगाने का एक प्रस्ताव है जिन्हें रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2005 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार रक्षा मदों के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के बराबर माना जा सकता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीस्कोपिक लाभ बहाल करना

532. **श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने यात्रियों को एंड-टु-एंड किराए का टेलीस्कोपिक लाभ पुन: दे दिया है जिसे 1 अप्रैल, 2006 से बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने तत्काल आरक्षण योजना में कोई परिवर्तन किया है या कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) 1.4.2006 से पहले उपलब्ध टेलिस्कोपिक किरायों के लाभ को 15.6.2006 से पुन: बहाल कर दिया गया है।

(ग) और (घ) हाल ही में, तत्काल योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:-

(1) तत्काल योजना के अंतर्गत टिकट बुक कराने की अग्रिम आरक्षण अवधि को पांच दिन तक बढ़ा दिया गया है।

(2) इस योजना के अंतर्गत अब प्रतीक्षा सूची टिकट जारी किए जा रहे हैं।

(3) तत्काल टिकट को इंटरनेट के द्वारा बुक किया जा सकता है।

(4) गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान के 24 घंटे पहले तत्काल सुनिश्चित टिकट को रद्द करने के लिए उसे सुपुर्द किये जाने पर तत्काल प्रभार सहित टिकट के कुल भाड़ा प्रभार के 25% धन वापसी की सुविधा प्रारंभ की गई है।

(5) उन गाड़ियों में जहां प्रारंभ से गंतव्य तक टिकट बुक करने की मांग पर्याप्त नहीं है, वहां रेलवे को इंटरमीडिएट स्टेशन कोटा निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जहां यातायात पद्धति को ध्यान में रखते हुए तत्काल योजना के अंतर्गत टिकट जारी किया जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों की संख्या

533. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल में कार्मिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेलवे गाड़ियों में अपराधों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की संख्या 67,056 है।

(ख) जी, हां। रेलवे सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) दिसम्बर, 2003 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 और रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया और रेलवे सुरक्षा बल को रेल यात्रियों और यात्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। गाड़ी मार्गरक्षण और एक्सप्रेस कंट्रोल के लिए सौंपी गई अतिरिक्त ड्यूटियों का निष्पादन दक्षतापूर्वक करने के लिए रेल सुरक्षा बल की तादाद में संवर्द्धन करने से संबंधित दो प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन हैं। प्रस्ताव का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है।

(1) अराजपत्रित संवर्ग में 24,034 नए पदों का सृजन।

(2) राजपत्रित संवर्ग में 173 नए पदों का सृजन।

अमरीका के ज्वाइन्ट चीफ आफ स्टाफ जनरल का दौरा

534. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के ज्वाइन्ट चीफ आफ स्टाफ जनरल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) संयुक्त राज्य अमरीका के चेयरमैन ज्वाइन्ट चीफ आफ स्टाफ, जनरल पीटर पेस ने 4-7 जून, 2006 तक भारत का दौरा किया।

(ख) यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच विकसित हो रहे संबंधों के ढांचे के भीतर मौजूदा रक्षा संबंधों और पहल की समीक्षा की गई। भारतीय वार्ताकारों के साथ उनका विचार-विमर्श, दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बनाए रखने और उसमें बढ़ोत्तरी करने, हिन्द महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा समस्याओं और सीमा-पार के आतंकवाद पर भी केन्द्रित रहा। दोनों पक्षों की सशस्त्र सेनाओं के बीच प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई थी। हाल ही में हुई शांगरीला वार्ता पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ था।

लड़ाकू स्क्वैड्रनों की संख्या (नफरी)

535. श्री रघुनाथ झा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2005-2017 की अवधि के दौरान विमानों के नियोजित प्रवेश के बावजूद दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं योजना अवधियों के अंत में प्राधिकृत संख्या की तुलना में लड़ाकू स्क्वैड्रनों की संख्या में कोई कमियां बनी रहेंगी; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में प्राधिकृत संख्या को बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार सुरक्षा परिवेश की लगातार समीक्षा करती है और तदनुसार समुचित उपस्कर शामिल करने तथा गुणता और मात्रा की दृष्टि से युद्धक क्षमता में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त रक्षा तैयारी हेतु अन्य व्यवस्थाएं करने का निर्णय लेती है। इस संबंध में और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

माल ढुलाई गलियारा परियोजना

536. श्री वसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना के लिए पटरी बिछाने के कार्य को आउटसोर्स करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस संबंध में बोली के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में रिक्तियां

537. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री धनुषकोडी आर. अतिचन:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में सुरक्षा श्रेणी सहित बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान आरंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं कि जनशक्ति की कमी के कारण सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) खाली पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और पद जब भी खाली होते हैं, खाली पदों को भरने के लिए हमेशा कदम उठाए जाते हैं। 1.4.2006 को 86,340 संरक्षा कोटि सहित लगभग 1,66,569 पद रिक्त थे।

(ग) भारतीय रेलवे पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलगाड़ियों की संरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाता है। कर्मचारियों की संख्या की अनुवीक्षा करते समय रेलगाड़ी परिचालन पर विशेष जोर दिया जाता है और तथ्य का ध्यान रखा जाता है ताकि अधिकतम संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करके आउटपुट की वांछित गुणवत्ता प्राप्त की जा सके।

ट्रेनों से माल ढुलाई के लिए प्रोत्साहन

538. श्री पी.एस. गड्डावी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने ट्रेनों से माल ढुलाई के लिए कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रोत्साहनों से रेलवे को और व्यवसाय प्राप्त करने में किस हद मदद मिली है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। कई प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई हैं। इन योजनाओं में कार्गो संग्रहीकरण तथा पारंपरिक रूप से खाली आ रहे डिब्बों की दिशा में यातायात, बेहतर रेल कुशल, माल यातायात में संवर्धन के जरिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा, ग्राहक क्षेत्रीय रेलों के साथ दीर्घकालिक विशेष प्रोत्साहन योजनाओं में शामिल हो सकते हैं।

(ग) इन योजनाओं के सही-सही परिमाणात्मक प्रभाव का आकलन लगाना मुश्किल है। बहरहाल, पिछले वित्त वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही जून, 2006 तक (अमूमन) माल आमदनी में 14.08% की वृद्धि हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग

539. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की और अन्तर्राष्ट्रीय रेल मार्ग, विशेषकर पड़ोसी देशों में, खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाएं

540. श्री ए.वी. वेल्लारमिन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ एवं पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, हां। प्रस्ताव के मूल्यांकन के पश्चात त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी खंड को विद्युतीकृत करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

खाद्य प्रौद्योगिकी पार्क

541. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपने राज्यों में खाद्य प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत, खाद्य पार्कों में निरंतर बिजली सप्लाई, जल सप्लाई, शीतागार/बर्फ संयंत्र/माल गोदाम सुविधाओं, बहिस्राव उपचार संयंत्र, गुणवत्ता नियंत्रण और विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के सृजन के वास्ते विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठनों/सहकारी संस्थानों को सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% तक और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जिसकी अधिकतम सीमा सामान्य सुविधाओं के लिए 4.00 करोड़ रुपये है। विभिन्न राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त ऐसे पूर्ण और व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों को उक्त सहायता देने पर विचार किया जाता है जो बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा विधिवत मूल्यांकित हों और संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा संस्तुत हों। उक्त सहायता सीधे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की जाती है।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों अर्थात 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान खाद्य पार्कों-एक जिला हरिद्वार, (उत्तरांचल) में, एक जिला अलवर (राजस्थान) में, एक राजमुंद्री, पूर्वी गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश) में और एक कुण्डली जिला सोनीपत (हरियाणा) में - की स्थापना के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से 4 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया है और अपेक्षित सहायक सूचना/स्पष्टीकरण मंगाए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान खाद्य पार्कों के लिए अनुमोदित की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	खाद्य पार्क का स्थान	खा.प्र.उ.मं. द्वारा अनुमोदित की गई सहायता (लाख रुपये में)
1.	महाराष्ट्र	पालुस, जिला सांगली	400.00
2.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	227.89
3.	पश्चिम बंगाल	सुल्तानपुर, दक्षिण 24 परगना	200.28
4.	पश्चिम बंगाल	मालदा	387.00
	कुल		1215.17

वर्ष 2004-05 के दौरान खाद्य पार्कों के लिए अनुमोदित की गई वित्तीय सहायता

1.	तमिलनाडु	नीलकोट्टई इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिला डिण्डीगुल	325.00
2.	उत्तर प्रदेश	सहजनवा, गोरखपुर	323.11
3.	पश्चिम बंगाल	शंकरपुर, जिला पूर्वा मेदिनीपुर	178.92
4.	पश्चिम बंगाल	संखरेल, हावड़ा	400.00
	कुल		1227.03

वर्ष 2005-06 के दौरान खाद्य पार्कों के लिए अनुमोदित की गई वित्तीय सहायता

1.	केरल	अट्टूर	388.00
2.	महाराष्ट्र	कापसी, ताल्लुका कामटी, नागपुर	397.50
3.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	379.88
	कुल		1165.38

नियंत्रण रेखा से घुसपैठ

542. श्री दुष्यंत सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रण रेखा से घुसपैठ में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और पूर्ववर्ती वर्ष के तनदुरूप आंकड़ों से किस तरह तुलनीय है; और

(ग) सीमा-पार से आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) नियंत्रण रेखा के पार से जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास जारी हैं तथा इन्हें कारगर ढंग से निष्क्रिय किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में जनवरी-जून, 2006 के दौरान वर्ष 2005 में इसी अवधि के बीच 91 व्यक्तियों की घुसपैठ की तुलना में 169 व्यक्तियों की घुसपैठ आंकी गई थी। सीमापार आतंकवाद से निपटने के लिए सेना द्वारा

अपनाई गई रणनीति में एक एकीकृत सक्रिय घुसपैठ रोधी रणनीति स्थापित की गई है। इस रणनीति में बहु-स्तरीय व्यवस्थाएं की गई हैं जिनमें सैन्य टुकड़ियों की अग्रिम स्तर पर तैनाती, अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों की तैनाती, नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाना, बाड़ के साथ-साथ एक दूसरे स्तर की तैनाती, भीतरी प्रदेशों में अनवरत आपरेशन चलाना तथा छोटे स्तर पर विकास करके तथा सामुदायिक परियोजनाएं लगाकर स्थानीय लोगों का 'दिल और दिमाग' जीतना भी शामिल है। सेना अन्य आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवादियों से निपटने के की अपनी रणनीति की लगातार समीक्षा करती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जम्मू और कश्मीर में हिंसा स्तर नियंत्रण में रहे।

[हिन्दी]

नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन

543. श्री कैलाश बैठा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को बरास्ता नरकटियागंज-गोरखपुर लाइन से चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण

544. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में अभी तक परियोजना-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें किस दर पर मुआवजा दिया जा रहा है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) भूमि अधिग्रहण के लिए अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ग) भूमि अधिग्रहण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा वही उसे पूरा भी करती है। भूमि अधिग्रहण की कोई अनंतिम तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रक्षेपास्त्रों का निर्यात

545. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रक्षेपास्त्रों विशेषकर ब्रह्मोस का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी देश के साथ वार्ता की गई है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों से प्राप्त प्रत्युत्तर सहित ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रक्षेपास्त्रों का निर्यात कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण विश्व-स्तरीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करे?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) ब्रह्मोस रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम परियोजना है और भारत तथा रूस सरकारों ने पहले ही यह निर्णय लिया हुआ है कि संयुक्त रूप से विकसित इस प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग भारत तथा

रूस की सशस्त्र सेनाओं में किया जाएगा तथा इस प्रणाली को मित्र राष्ट्रों को निर्यात किया जायेगा।

(ग) से (ङ) इस प्रक्षेपास्त्र के निर्यात की संवेदनशीलता को देखते हुए इस संबंध में ब्यौरे देना संभव नहीं है।

(च) समान गुणता व्यवस्था के जरिए दोनों देशों के बीच संघटकों तथा उप-प्रणालियों के आदान-प्रदान के द्वारा दोनों देशों में विश्व स्तरीय गुणता मानक सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक गुणता आश्वासन प्रणाली बनाई गई है।

केरोसीन और रसोई गैस का बफर स्टाक

546. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरोसीन और रसोई गैस का स्टाक तेजी से कम होता जा रहा है और देश के कुछ भागों में केरोसीन की काफी किल्लत महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में केरोसीन और रसोई गैस का बफर स्टाक बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) पीडीएस मिट्टी तेल एक आबंटित उत्पाद है और भारत सरकार राज्यों को तिमाही आधार पर इसका आबंटन करती है। उपभोक्ताओं को पीडीएस मिट्टी तेल का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास 24.7.06 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न राज्यों में उनके आपूर्ति स्थलों पर मिट्टी तेल का समग्र स्टाक 23 दिनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त था। पीडीएस मिट्टी तेल के अतिरिक्त तेल कंपनियां आवश्यकतानुसार खुले बाजार में मिट्टी तेल बेचती हैं।

जहां तक एलपीजी का संबंध है, ओएमसीज के पास 24.7.06 को अखिल भारतीय स्तर पर उनके विभिन्न राज्यों के आपूर्ति स्थलों में एलपीजी का समग्र स्टाक 11.5 दिनों के लिए पर्याप्त था।

(ख) देश में मिट्टी तेल और एलपीजी का बफर स्टाक बनाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कंप्यूटरों की खरीद

547. **श्री रघुनाथ झा:** क्या रक्षा मंत्री कंप्यूटरों की खरीद के बारे में 24 नवम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कंप्यूटर, सर्वर, पेरीफरल तथा नेटवर्किंग उपस्करों की खरीद देश भर में फैले विभिन्न सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाती है। ऐसी खरीद का रिकार्ड मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार केवल एक सीमित अवधि तक रखा जाता है और प्रश्नाधीन अवधि के लिए संपूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

बंगलौर-मैसूर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

548. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर-मैसूर रेलवे लाइन परियोजना के विद्युतीकरण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त परियोजना पर आज तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्तमान में, बंगलौर-मैसूर लाइन को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे की रेल परियोजनाएं

549. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जामनगर से अहमदाबाद तथा विरामगाम से मेहसाना तक के रेलवे लाइन के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव पश्चिम रेलवे से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, अहमदाबाद-जामनगर लाइन के अहमदाबाद-वीरमगांव खंड पर दो बड़ी आमान लाइनें पहले से ही मौजूद हैं तथा वीरमगांव-सुरेन्द्रनगर (65 किमी.) खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण को 2006-07 के दौरान किये जाने की स्वीकृति दी गई है ताकि इस खंड पर यातायात का निर्धारण किया जा सके।

पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में संशोधन

550. श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में संशोधन के बारे में 2 मार्च, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मामले की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सरकार को गुजरात सरकार का एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि पेट्रोलियम नियमावली-2002 के नियम 43 में संशोधन करके पोत भंजन क्रियाकलापों को उसमें सम्मिलित कर लिया जाये ताकि विस्फोटक विभाग द्वारा समुद्र तट पर आने के पश्चात पोतों का निरीक्षण करे।

इस मंत्रालय को प्रस्तावित संशोधन के मसौदे पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), नौवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और गुजरात सरकार के पत्तन एवं परिवहन विभाग की राय प्राप्त हो गई है।

पीईएसओ की टिप्पणियां भेजते समय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ यह भी सुझाव दिया कि पेट्रोलियम नियमावली के नियम 43(घ) के अधीन पोत भंजन क्रियाकलापों को सम्मिलित करने के लिए नियम 43 में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने यह भी सुझाव दिया कि यदि जरूरी हो तो उस नियम में इस आशय का समुचित संशोधन कर दिया जाये कि राज्य सरकार के अधिकरणों द्वारा कारखाना एक्ट और नियमों के अधीन 43(घ) के तहत हाट वर्क प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की इस राय पर इस्पात मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय और गुजरात की राज्य सरकार की टिप्पणियां मांगी गई थी। नौवहन मंत्रालय की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है।

अहमदाबाद और उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन

551. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अहमदाबाद और उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन कार्य के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। उदयपुर-अहमदाबाद मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सांसदों से मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ग) अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है जिसके अनुसार 342 किमी लंबी लाइन के आमान परिवर्तन की लागत 4.91% के प्रतिफल की दर सहित 1010.57 करोड़ रुपए आंकी गई है।

[हिन्दी]

बम खोजी उपकरणों की खरीद

552. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में खोज और तलाशी कार्यों के लिए हाइ-टेक बम खोजी उपकरणों की खरीद की कई योजना थी जैसाकि दिनांक 13 जुलाई, 2006 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना रेलवे के पास मंजूरी हेतु लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर खोज और तलाशी कार्यों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जोनल रेलवे के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों को बम खोजी योजना के अंतर्गत कवरेज किया जाना है। हाल ही में, सभी रेलों को महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इस प्रकार के उपस्कर जैसे बम खोजी उपस्कर तथा क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा आदि स्थापित करने के लिए खरीदने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। बहुत से रेलों के पास पहले से ही हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स तथा डाग-स्क्वायड मौजूद हैं।

(घ) बम विस्फोट के बाद मुंबई (मध्य तथा पश्चिम रेलवे) में रेल सुरक्षा बल की दो अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा, पश्चिम तथा मध्य रेलवे में नजदीकी मंडलों से अतिरिक्त बल को मुंबई बुलाया गया है। मुंबई में 11 रेलवे स्टेशनों पर रेल परिसरों में निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में 22 (रेल सुरक्षा बल) स्नीफर डाग्सों को मुंबई में किसी प्रकार की तोड़-फोड़ से बचने के लिए तैनात किया गया है। उनके द्वारा पता लगाए जाने की स्थिति में तत्काल किसी अनजान/यात्री डिब्बे के अंदर तथा प्लेटफार्म पर पड़ी हुई लावारिस संदेहास्पद वस्तु से सतर्क रहने के लिए तथा राजकीय रेल पुलिस/रेल सुरक्षा बल/रेल कर्मचारी को रिपोर्ट करने के लिए सभी यात्रियों को सतर्क तथा जागरूक करने के लिए गहन प्रचार तथा लोक जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। रेल सुरक्षा बल कर्मियों को रेलवे स्टेशन पर जांच करने के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स भी मुहैया कराए गए हैं। राजकीय रेल पुलिस तथा राज्य पुलिस के साथ तुरंत संपर्क बनाए रखने हेतु यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र में प्रभावकारी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए व्यवस्था की जा रही है। रेल सुरक्षा बल को अतिरिक्त जनशक्ति, आधुनिक सुरक्षा उपस्करों/यंत्रों, समवर्ती अतिरिक्त वैधानिक अधिकार आदि मुहैया कराये जाने का प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्रों को और उन्नत बनाने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। रेल सुरक्षा बल के लिए एक व्यापक आसूचना उन्मुख कार्यक्रम पहले से ही विचाराधीन है।

नागपुर विमानपत्तन

553. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या नागर विमानन मंत्री नागपुर विमानपत्तन के बारे में 9 मार्च, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2077 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत नागपुर विमानपत्तन को महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास कंपनी लि. (एम.ए.डी.सी.) को हस्तांतरित करने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): नागर विमानन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार अब संयुक्त रूप से नागपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हेकिल स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं।

[अनुवाद]

रेलवे रसोईघरों/कुकिंग इकाइयों की अस्वास्थ्यकर दशा

554. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को आधार रसोईघरों एवं अन्य कुकिंग इकाइयों में विद्यमान दशाओं से संबंधित रिपोर्टों की जानकारी है जो कि काफी शोचनीय और अस्वास्थ्यकर है और रसोई कर्मचारी भी अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित एवं शिक्षित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और रेलवे इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) रेलवे द्वारा प्रयोक्ताओं को स्वास्थ्यकर खाद्य प्रदान करने तथा साथ ही सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, हां। कर्मचारी शिक्षित हैं और व्यैक्तिक स्वास्थ्य शास्त्र और कार्यस्थान स्वास्थ्य शास्त्र में भारतीय खानपान एवं पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रशिक्षित हैं। वास्तव में बेस किचन में रोटी और चपाती कार्य करने की मेजों पर बनाई जाती हैं न कि फर्श पर जैसे कि अखबार की रिपोर्टों में छपा है। बेस किचन सहित खाने-पकाने के क्षेत्र और अपनी स्वास्थ्यजनक स्थिति में सुधार, उसके उपस्करों और खाने की गुणवत्ता का विकास एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन विकास निगम जो कि भारतीय रेलवे पर खानपान की गतिविधियों का प्रबंध करता है, ने बेस

किचन और खानपान के मानकों में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) नए उपस्करों जैसे फ्लाईकैचर, चिमनी, मसाला ग्राइंडर, आलू छिलने वाले, शीत भंडारण आदि की संस्थापना, (2) आवधिक अंतराल के बाद बेस किचन में रंग-रोगन एवं सफेदी कराना, (3) व्यैक्तिक स्वास्थ्य शास्त्र पर प्रशिक्षण देना, (4) कर्मचारियों को नई वर्दी देना, (5) विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा खाने का परीक्षण कराना, और (6) बेस किचन के आधुनिकीकरण के कार्य को भारतीय रेल तकनीकी एवं आर्थिक सेवाओं (राइट्स) को सौंपना।

भेल द्वारा प्राप्त निर्यात आदेश

555. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात आदेश का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भेल ने चालू वर्ष और आगामी वर्षों के दौरान अपने निर्यात आदेश को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा प्राप्त किये गये प्रमुख निर्यात आदेशों का देशवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सूडान :	राष्ट्रीय विद्युत निगम, सूडान से कोस्ती में थर्मल विद्युत योजना पर आधारित 4×125 मेगावाट स्टील टरबाइन।
ओमान :	पेट्रोलियम डेवलेपमेंट, ओमान से टर्न-की आधार पर ऊर्जा संयंत्रों पर आधारित 2 गैस टरबाइन।
ओमान :	पेट्रोलियम डेवलेपमेंट, ओमान से सेन्टीफ्यूगल कम्प्रेसर पैकेज।
ईथोपिया :	ईथोपियन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन से 2 × 230 कि.वा. क्लास सब-स्टेशन।
अफगानिस्तान :	42 मे.वा. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट।
सूरीनाम :	एनवीईबीएस, सूरीनाम से ट्रांसफार्मर।
सीरिया :	एसपीसी, सीरिया से 40 सेटों के वेल हैंड्स का क्रयादेश।
पोलैंड एवं जर्मनी :	पीवी मोड्यूल्स के लिए क्रयादेश।

(ख) और (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान भेल ने निर्यात आदेशों के लिए 2040 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। भेल प्रोजेक्ट निर्यातों को और अधिक बढ़ाने के लिए रणनीति पर सतत कार्य कर रही है।

सैनिक कल्याण बोर्डों की स्थापना

556. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्नाटक के कौन-कौन से जिलों में सैनिक कल्याण बोर्ड कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कौन से जिलों में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या पांच हजार से ज्यादा है;

(ग) क्या उन जिलों में सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, जहां पांच हजार से कम भूतपूर्व सैनिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) कर्नाटक राज्य में 11 जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हैं। ये हैं- बेंगलूर (शहरी), बेंगलूर (ग्रामीण), बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्ग, कारवाड, कोडागू/मेडीकरी, मंगलौर, मैसूर और शिमोगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की संख्या का रखरखाव जिला सैनिक बोर्ड-वार किया जाता है। बेंगलूर (शहरी), बेलगांव और कोडागू/मेडीकरी जिला सैनिक कल्याण बोर्डों में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 5000 से अधिक है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

557. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन करने के लिए अपनी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के तहत विभिन्न पणधारियों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता देता है। योजना स्कीम के तहत, केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों, आईआईटी और विश्वविद्यालय उक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों की संपूर्ण लागत तक सहायता-अनुदान के पात्र हैं। सभी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां उक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए सामान्य क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 33% तक और दुर्गम क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 50% तक सहायता-अनुदान की पात्र हैं।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य-वार दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। इस प्रकार सृजित की गई प्रयोगशाला सुविधाएं सामान्य हैं और उपभोक्ता, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य पणधारी खाद्य उत्पादों की जांच के लिए इनसे लाभ उठा सकते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003-04	2004-05	2005-06	कुल सहायता अनुदान (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान निकोबार	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	–	175.19	175.19
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
4.	असम	–	–	245.50	245.50
5.	बिहार	–	–	–	–
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–
10.	दिल्ली	–	11.25	37.86	49.11
11.	गोवा	–	–	–	–
12.	गुजरात	–	–	137.40	137.40
13.	हरियाणा	–	–	–	–
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–
16.	झारखंड	–	25.00	–	25.00
17.	कर्नाटक	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
18.	केरल	–	–	–	–
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	–	–	14.85	14.85
21.	महाराष्ट्र	–	–	–	–
22.	मणिपुर	–	–	–	–
23.	मेघालय	–	–	–	–
24.	मिजोरम	–	–	–	–
25.	नागालैंड	–	–	–	–
26.	उड़ीसा	–	–	–	–
27.	पांडिचेरी	–	–	–	–
28.	पंजाब	–	–	71.57	71.57
29.	राजस्थान	–	–	–	–
30.	सिक्किम	–	–	–	–
31.	तमिलनाडु	–	–	130.84	130.84
32.	त्रिपुरा	–	–	–	–
33.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–
34.	उत्तरांचल	–	–	–	–
35.	पश्चिम बंगाल	–	–	145.85	145.85

उत्तरी बंगाल से सिक्किम तक रेल लाइन

558. श्री मणि कुमार सुब्बा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी बंगाल से सिक्किम तक रेल लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित रेल लाइन का कोई व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) सिवोक से सिंगतम तक नई लाइन का सर्वेक्षण कार्य 2000-01 में किया गया था जिसके अनुसार 60 किमी लंबी लाइन के निर्माण की लागत (-)34% नकारात्मक प्रतिफल की दर से 1099 करोड़ रुपए आंकी गई थी। परियोजना को अलाभप्रद प्रकृति, संसाधनों की कमी और चालू परियोजनाओं पर भारी ओफारवर्ड के कारण शुरू नहीं किया जा सका। बहरहाल, मांग के आधार पर, सिवोक से रंगपो तक नई लाइन के सर्वेक्षण कार्य को 2006-07 के बजट में शामिल किया गया है।

66 हॉक वायुयान की खरीद

559. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वायुसेना के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में किस प्रकार का वायुयान प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन से 66 हॉक वायुयान खरीदने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार का वायुयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक वायुयान नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे वायुयान को खरीदने का क्या औचित्य है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भारतीय वायुसेना के कार्मिकों के उड़ान प्रशिक्षण के लिए इस समय एचपीटी-32, किरण एमके-1, किरण एमक-1ए तथा मिग-21 विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) सरकार ने इंग्लैंड की मैसर्स बीएई सिस्टम्स से 66 हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आधुनिक विमान है। बीएई सिस्टम्स उड़ान योग्य अवस्था में 24 विमानों की आपूर्ति करेगी तथा शेष 42 विमानों के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे तथा भारत में हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा इनका विनिर्माण किया जाएगा।

व्हील चेयरों की कमी

560. डा. एम. जगन्नाथ: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोकोमोटिव नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जा रही व्हील चेयरों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने हेतु व्हील चेयरों के डिजाइन का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) व्हील चेयरों के डिजाइन में अधिक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक विनिर्देशन बीआईएस संख्या आईएस-7454-1991 और आईएस 8086-1991 के अनुसार व्हील चेयरों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) बीआईएस विनिर्देशनों के साथ व्हील चेयरों का एकमात्र विनिर्माता है।

झारग्राम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाना

561. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में झारग्राम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्टेशन पर प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस निर्माण कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। झारग्राम एक 'डी' श्रेणी वाला स्टेशन है। मानदंडों के अनुसार इस रेलवे स्टेशन पर मध्यम ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों का पहले से ही प्रावधान है। इस स्टेशन की प्लेटफार्म सतह में कोई खामी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मनमाड-दौंड रेल लाइन का दोहरीकरण

562. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनमाड-दौंड रेल लाइन का दोहरीकरण करने का कार्य धनराशि की कमी के कारण रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, नहीं। यह एक अनुमोदित कार्य नहीं है।

ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु गुरुकुलों की स्थापना

563. श्री के.एस. राव: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए गांवों में गुरुकुलों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार किन-किन स्थानों को पहचान की गई है;

(ग) इनकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(घ) ग्रामीण भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने में ग्रामीण पर्यटन की कितनी क्षमता है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) देश के भीतर तथा बाहर भारतीय कला एवं संस्कृति के आयामों को फैलाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से ग्रामीण पर्यटन उत्पाद के विकास हेतु पहचान किए गए स्थलों पर गुरुकुल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि विभिन्न ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर विविध कला एवं शिल्प कौशल का प्राथमिक अनुभव हासिल करने हेतु पर्यटक को सक्षम बनाया जा सके तथा पर्यटक आगमन में और वृद्धि हो सके।

(ख) और (ग) उन प्रस्तावित गुरुकुल स्थलों के नाम, जहां कि अगले पर्यटक मौसम से लाभ हासिल करने के लिए विभिन्न कलाओं एवं कलाकारों का संवर्धन किया जाना है, निम्नानुसार हैं:-

- पोचमपल्ली (जिला नालगोंडा, आंध्र प्रदेश)
- रघुराजपुर (जिला पुरी, उड़ीसा)
- होडका (जिला कच्छ, गुजरात)
- प्राणपुर (जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश)
- अरनामुला (जिला पठानमथिट्टा केरल)।

(घ) ग्रामीण पर्यटन का संवर्धन ग्रामीण स्थलों पर पर्यटक आगमनों को बढ़ावा दे सकता है और इसी प्रक्रिया में यह कला एवं शिल्प गतिविधियों के माध्यम से आमदनी के अलावा पर्यटक प्रबंधन सेवाओं से आय से युवाओं को लाभ देने समेत ग्रामीण आजीविका को मजबूती प्रदान कर सकता है।

घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता

564. श्री अधलराव शिवाजीराव पाटील:
श्री रशीद मसूद:
श्री सुब्रत बोस:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों (पीएसईज) के कामगारों की सांविधिक बकाया राशि काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भुगतान हेतु घाटे में चल रहे इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए किसी प्रस्ताव की मंजूरी दी है जैसा कि दिनांक 19 मई, 2006 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इनमें से किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का पुनरुद्धार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) सरकार ने संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरे के अनुरूप दिसम्बर, 2005 तक लम्बित वेतन/मजदूरी तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान के लिए भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत हानि उठा रहे सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों को 140.31 करोड़ रुपये (वास्तविक आधार पर) की राशि मुहैया कराने का अनुमोदन दे दिया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में निर्धारित नीति के अनुसार, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी जैव्य उद्यमों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव करती है। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर पुनरुद्धार योजनाओं पर विचार किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 15 उद्यमों में से 12 उद्यमों के मामले बीआरपीएसई को प्रस्तुत किये गये हैं। अभी तक सरकार ने एक उद्यम नामत: हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. के पुनरुद्धार का अनुमोदन किया है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	अनुमोदित राशि (वास्तविक आधार पर)
1.	एन्ड्रु यूल एंड कम्पनी लि.	29.47
2.	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्स लि.	9.92
3.	भारत आप्थल्मिक ग्लास लि.	1.79
4.	बर्न स्टेंडर्ड कंपनी लि.	3.25
5.	भारत वैगन एण्ड इंजी. कं. लि.	3.40
6.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	10.18
7.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	28.13
8.	एचएमटी (एमटी) लि.	9.92
9.	एचएमटी (वाचेज) लि.	18.11
10.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि.	5.92
11.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	8.02
12.	नेपा लि.	7.07
13.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.	0.27
14.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	2.26
15.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	2.60
	योग	140.31

कोलकाता और चेन्नई विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

565. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री एस.के. खारवेलथन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोलकाता और चेन्नई विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) यद्यपि, आधुनिकीकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्य विधि का निर्णय अभी किया जाना है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने कोलकाता हवाई अड्डे पर 225 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से कार पार्किंग सुविधा आदि सहित एक नए अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान ब्लाक की योजनाएं बनाई हैं। इसके पश्चात्, नए अंतर्राष्ट्रीय आगमन ब्लाक का निर्माण किया जाएगा। एएआई ने रनवे का विस्तार करने तथा नए अंतर्देशीय टर्मिनल भवन और 11 अतिरिक्त बे के निर्माण की योजनाएं विकसित करने की कार्रवाई आरम्भ की हैं। एक नए एकीकृत कार्गो परिसर का निर्माण शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है।

चेन्नई हवाई अड्डे पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले ही 23.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल ब्लाक के विस्तार तथा सुधार के लिए निर्माण कार्य हाथ में ले चुका है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 20 अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण भी कर रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास आगे एक नए अन्तर्देशीय टर्मिनल भवन के निर्माण की योजनाएं हैं जिनके लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से 583 हैक्टेयर भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

बोफोर्स के कल-पुर्जों की खरीद में अनियमितताएं

566. श्री रामदास आठवले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोफोर्स के कल-पुर्जों की खरीद में बरती गई अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जांच पूरी हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) आपरेशन विजय के दौरान दिनांक 24 अगस्त, 1999 की एक संविदा के प्रति बोफोर्स के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की खरीद का एक मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच के लिए सौंपा गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है। इस मामले की जांच प्रगति पर है।

[अनुवाद]

हवाई यात्रियों के बीच तपेदिक संक्रमण

567. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हवाई यात्रियों के बीच तपेदिक संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए एयरलाइन उद्योग को कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जैसा कि दिनांक 29 जून, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) एयरलाइन प्रचालक द्वारा उड़ान के दौरान तपेदिक के संक्रमण के जोखिम से बचने हेतु कुछ कदम उठाने के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) सरकार ने इसके अनुपालन के लिए सभी प्रचालकों को एक परिपत्र जारी किया है।

पायलटरहित विमान "लक्ष्य" का विनिर्माण

568. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि. (एचएएल) ने पायलटरहित विमान "लक्ष्य" का विनिर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे कितने विमानों का विनिर्माण किया गया है और इन्हें भारतीय वायुसेना को उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विमानों को अन्य देशों को बेचने का है;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से देशों ने इस विमान की खरीद में उत्सुकता दिखाई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वायुसेना में अभी तक तीन विमानों को शामिल किया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

चाय बागान क्षेत्रों में पर्यटन का विकास

569 श्री सांताश्री चटर्जी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य के चाय बागान क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत चाय पर्यटन परिपथ के विकास के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 388.98 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत परियोजना में, चिन्हित चाय बागानों में आतंरिक मार्ग, कार पार्किंग, पटरी क्षेत्र, भू-दृश्य निर्माण, जल-आपूर्ति प्रणाली, जल-शुद्धिकरण प्रणाली, अपशिष्ट निपटान प्रणाली, बिजली एवं प्रदीप्तिकरण प्रणाली, चारदीवारी तथा संकेतक आदि मदें सामिल हैं।

अन्य देशों के लिए उड़ान भरने हेतु निजी एयरलाइनों को अनुमति

570. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थानों के लिए उड़ान भरने की अनुमति देने का क्या मापदंड है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में किसी निजी एयरलाइन को अनुमति देते समय मापदंड में ढील दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अधीन, अन्तर्देशीय क्षेत्र में 5 वर्ष का निरन्तर प्रचालनों का अनुभव तथा कम से कम 20 विमानों का बेड़ा रखने वाले भारतीय अनुसूचित वाहकों को यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत तथा सऊदी अरब में खाड़ी देशों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के बीचों की पर्यटन आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषणा

571. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य के पूवर से लेकर कोवलम बीचों को पर्यटन आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) वेली-कोवलम-पूवर क्षेत्र में पर्यटन विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए केरल राज्य सरकार की ओर से पर्यटन मंत्रालय को एक विचार प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, ऐसे क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

गैसोहाल पर लेवी

572. श्री सुबोध मोहिते: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई लेवी गैसोहाल को तेल विपणन कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से अक्षम बना रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र सरकारों द्वारा लगाई गई लेवी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गैसोहाल पर लेवी को कम करने के लिए विभिन्न वर्गों से कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैसोहाल पर लेवी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

ओबीसी और एससी/एसटी का जनसंख्या संबंधी सर्वेक्षण

573. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के सटीक आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों की संख्या कितनी है जो देश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े भारत की जनगणना 2001 की रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। अन्य पिछड़े वर्गों की सही-सही जनसंख्या निर्धारित करने के लिए कोई राष्ट्रीय सर्वे नहीं किया गया है।

(ग) ऐसा कोई आकलन उपलब्ध नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

574. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक कितनी रही तथा वर्ष 2006-07 हेतु कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावित है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार स्वीकृति हेतु लम्बित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकृति प्रणाली को सरल बनाने तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य की फुटकर बिक्री, बागवानी तथा मादक पेयों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। 01.04.2005 से 31.03.2006 की अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक 182.93 करोड़ रुपये थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कोई प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यूनिट, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के विचारार्थ लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ों में वृद्धि

575. **श्री अशोक कुमार रावत:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन मुठभेड़ों में कितने सैनिक और आतंकवादी मारे गए; और

(घ) सेना पर आतंकवादी हमलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। सुरक्षा बलों के हावी हो जाने के कारण आतंकवादी सेना के साथ सीधे टकराव से बच रहे हैं।

(ग) जनवरी से जून, 2006 के दौरान सेना ने 268 आतंकवादियों को मारा। इसी अवधि के दौरान मारे गए कुल सिपाहियों की संख्या 23 है।

(घ) सेना पर आतंकवादियों के हमले रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का उन्नयन और इसमें सुधार लाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें किए गए उपायों में शामिल हैं आसूचना एकत्र करने में सुधार करना, सैन्य स्थापनाओं की सुरक्षा की समय-सीमा पर समीक्षा, निगरानी और क्षेत्र-प्रभुत्व के लिए गश्त तेज करना, तीव्र प्रतिक्रिया दल की तैनाती तथा निकटवर्ती क्षेत्र में संक्रिया के आधार पर सहयोगपूर्ण आसूचना देना, सिपाहियों के लिए अत्याधुनिक शस्त्रों एवं उपस्करों का प्रावधान, आदि।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को रियायती दर पर वित्त

576. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को आय अर्जन संबंधी योजनाएं शुरू करने हेतु रियायती दरों पर वित्त मुहैया कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित व जारी गयी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वस्तुत: कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा इससे कितने लोग लाभान्वित हुए;

(घ) क्या सरकार को कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन निधियों का दुरूपयोग किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी;

(च) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी ब्याज दर भारित की जाती है; और

(छ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और जारी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग निधि और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारित ब्याज दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(छ) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की योजनाओं के बारे में लक्षित समूह के बीच पर्याप्त जागरूकता सृजन करें और ऋण-प्रक्रिया को आसान बनाएं। इन्हें यह भी सलाह दी गई है कि ऋण-संवितरण आवश्यकता-आधारित होना चाहिए, ताकि निधि का समुचित रूप से उस उद्देश्य के लिए प्रयोग हो, जिसके लिए इन्हें संवितरित किया जाता है।

विवरण I

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा आबंटित व जारी की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		आबंटन* राशि	जारी राशि+	आबंटन* राशि	जारी राशि+	आबंटन* राशि	जारी राशि+	आबंटन* राशि	जारी राशि+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	22.00	1150.00	11.00	250.00	10.00	200.00	10.00	0.00
2.	असम	7.91	95.68	3.15	80.20	4.00	250.00	1.90	0.00
3.	बिहार	13.00	7.50	9.00	170.00	9.58	30.00	9.98	0.00
4.	छत्तीसगढ़	4.66	25.00	4.32	108.19	1.50	150.00	2.00	90.00
5.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.21	15.00	0.34	24.70	0.26	10.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	1.00	50.00	0.50	50.00	0.50	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	10.00	350.00	7.42	350.00	6.90	280.00	7.00	0.00
8.	गोवा	2.52	46.67	0.50	28.45	1.00	41.87	0.91	0.00
9.	हरियाणा	3.40	200.00	3.00	176.00	3.00	300.00	3.00	54.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	हिमाचल प्रदेश	2.00	182.84	2.50	250.00	2.00	185.93	2.00	39.55
11.	जम्मू-कश्मीर	1.00	15.00	0.81	40.60	1.00	2.00	1.00	0.00
12.	झारखंड	6.00	270.30	1.00	0.00	3.00	25.00	2.99	0.00
13.	कर्नाटक	18.00	1690.77	10.00	1000.00	10.05	1005.00	10.00	251.70
14.	केरल	35.95	3067.50	23.84	1697.50	26.00	2334.00	11.42	350.00
15.	मध्य प्रदेश	11.42	492.50	6.66	148.75	3.00	100.00	6.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	29.00	2684.00	20.00	1960.00	22.00	1700.00	12.00	850.00
17.	उड़ीसा	7.00	50.00	5.00	50.00	3.70	50.00	2.57	0.00
18.	पंजाब	4.00	43.00	2.83	200.00	3.00	230.00	3.00	0.00
19.	पांडिचेरी (संघ रा.क्षे.)	1.40	50.00	1.45	50.00	0.85	85.03	0.50	50.02
20.	राजस्थान	4.56	114.68	4.93	293.40	4.00	400.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	4.19	125.00	4.10	267.90	3.52	352.02	2.94	0.00
22.	तमिलनाडु	18.00	1075.00	8.00	800.00	13.50	1350.00	8.50	0.00
23.	त्रिपुरा	3.98	0.00	2.72	99.03	1.50	50.00	2.95	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	23.00	550.00	16.00	616.00	20.00	158.00	20.00	94.50
25.	उत्तरांचल	0.09	9.00	3.00	52.75	1.04	104.46	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	15.00	750.00	11.30	600.00	8.82	400.00	5.36	200.00
	कुल	249.29	13109.44	163.37	9363.47	163.72	9793.31	126.02	1980.37

* राशि करोड़ रुपए।

+ राशि लाख रुपए।

विवरण II

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई धनराशि और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06	
		प्रयुक्त निधि	लाभान्वित व्यक्ति	प्रयुक्त निधि	लाभान्वित व्यक्ति	प्रयुक्त निधि	लाभान्वित व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1469.60	24065.00	381.13	135.00	284.52	400
2.	असम	280.28	274.00	40.00	220.00	50.00	780

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	467.44	10.00	9.22	623.00	169.92	31
4.	छत्तीसगढ़	94.40	40.00	29.84	137.00	113.26	343
5.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1.74	25.00	34.28	72.00	5.42	30
6.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	100.00	55.00	13.25	78.00	78.36	0
7.	गुजरात	1069.56	615.00	433.28	880.00	231.72	590
8.	गोवा	49.90	26.00	20.49	15.00	14.53	23
9.	हरियाणा	200.00	940.00	0.00	769.00	325.00	1239
10.	हिमाचल प्रदेश	234.16	256.00	153.78	500.00	252.67	227
11.	जम्मू-कश्मीर	10.00	30.00	45.60	97.00	0.00	9
12.	झारखंड	0.00	540.00	142.83	0.00	75.02	50
13.	कर्नाटक	1740.77	7757.00	1015.65	6628.00	936.23	6732
14.	केरल	2887.90	11900.00	1297.53	5362.00	2223.13	7648
15.	मध्य प्रदेश	919.51	1292.00	180.11	507.00	418.64	400
16.	महाराष्ट्र	2745.48	5570.00	1954.19	6941.00	1685.35	4069
17.	उड़ीसा	265.84	105.00	84.42	495.00	58.95	163
18.	पंजाब	50.00	629.00	43.00	321.00	250.02	435
19.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	81.10	173.00	68.89	176.00	85.03	280
20.	राजस्थान	182.67	278.00	115.62	792.00	282.87	906
21.	सिक्किम	100.00	170.00	25.46	300.00	257.90	717
22.	तमिलनाडु	901.26	28717.00	882.10	29799.00	886.83	54993
23.	त्रिपुरा	47.42	0.00	0.00	190.00	0.00	75
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	1138.00	899.89	4770.00	1045.22	2000
25.	उत्तरांचल	0.00	40.00	9.00	74.00	52.75	206
26.	पश्चिम बंगाल	630.42	1675.00	423.31	2857.00	573.19	1510
	कुल	14529.45	86320.00	8302.87	62738.00	10356.53	83856.00

विवरण III

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दरों को दर्शाता विवरण

ऋण का प्रकार	निगम से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को ब्याज-दर (प्रतिवर्ष)	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से लाभार्थियों को अधिकतम ब्याज-दर (प्रतिवर्ष)
आवधिक ऋण	3%	6%
माइक्रो फाइनेंस	2%	5%
महिला समृद्धि योजना	1%	4%
महिलाओं के लिए नई स्वर्णिमा	1%	4%
स्वयं सक्षम	2%	5%
शिक्षा ऋण	1.5%	4%
मार्जिन मनी	3%	6%

गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का निजीकरण

577. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे विमानपत्तनों के निजीकरण हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ान घंटों में वृद्धि

578. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पायलटों के 1000 उड़ान घंटों की वार्षिक सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रस्तावित कदम से पायलटों पर और अधिक कार्य दबाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन विकास

579. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को, उन पर्यटक स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनको उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाएं दर्शाता हुआ एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	गंतव्य	परिपथ	कार्यक्रम/मेले/त्सव	ग्रामीण पर्यटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1. चारमीनार और गोलकोण्डा सहित हैदराबाद 2. वारंगल 3. नेलौर (पुलिकट झील)	1. समुद्रतट परिपथ विजाग 2. बौद्ध परिपथ 3. कलाहस्ती-कनिपक्कम-तालाकोना परिपथ	1. काकटिया कार्यक्रम 2. गलकोण्डा कार्यक्रम 3. विजयनगर उत्सव 4. कलिंग	1. कुंचीपुडी (विजयवाड़ा के पास) 2. धरमकरम (कुटुपारथी के पास) 3. सुरभी (पोचमपल्ली के पास)
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. लोहित जिले के परशुराम कुंड में सुविधाएं 2. डंबुक में हैरिटेज स्थल (स्टोन रामपार्ट) का नवीकरण एवं संरक्षण	1. तिनसुकिया (असम)- नामसई-तेजु-वालोंग-डोंगी	1. अरुणाचल उत्सव 2. सियांग नदी उत्सव 3. न्योकुम/मोपिन उत्सव 4. बौद्ध महोत्सव	1. लिगु ग्राम, अपर सुबंसिरी जिला
3.	असम	1. कामाख्या और हाजो का सैटेलाइट तीर्थ टाउनशिप 2. सिवसागर समागम केन्द्र और 3. गुवाहाटी के होटल ब्रह्मपुत्र अशोक में वेलनेस सेंटर	1. ओरांग-तेसपुर-नामेरी-भालुकपोंग-त्वांग पर्यटक परिपथ	1. रंगोली उत्सव 2. देहिंग-पटकई 3. चाय पर्यटन 4. काजीरंगा हाथी उत्सव	1. सिवसागर जिले में चारीदेव सुकाफा नगर
4.	बिहार	1. मंडेश्वरी मंदिर	1. बोधगया-नालंदा-राजगीर	1. बौद्ध महोत्सव 2. राजगीर महोत्सव 3. सोनपुर मेला 4. छठ महोत्सव	1. पटहारकथी (गया के पास)
5.	छत्तीसगढ़	1. चित्रकूट फाल 2. राजीम	1. जगदलपुर परिपथ	1. बस्तर कार्यक्रम 2. मल्हार कार्यक्रम 3. सिरकूर उत्सव 4. राजीम उत्सव	1. चिल्पी (कान्हा राष्ट्रीय पार्क के पास) 2. चूरी हसदेव बंगो बांध के पास)

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	कामनवेल्थ खेलों के लिए मास्टर प्लान के अनुसार अवसंरचना का विकास	–	–	सूचित किया जाएगा।
7.	गोवा	–	1. उत्तरी गोवा परिपथ 2. दक्षिणी गोवा परिपथ	1. शिगमो उत्सव 2. गोवा कार्निवाल	–
8.	गुजरात	1. चम्पानेर पावागढ़ 2. गिर 3. द्वारका	1. जूनागढ़-वेरावल-पोरबंदर	1. नवरात्री 2. तारनेतर 3. अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 4. शरद उत्सव	दांडी वाडनगर नागेश्वर
9.	हरियाणा	1. सूरजकुंड 2. सोनीपत-एथनिक इंडिया 3. बडकल	1. कुरूक्षेत्र	1. कुरूक्षेत्र-सूफी उत्सव 2. हैरिटेज उत्सव पिंजौर 3. कला और शिल्प उत्सव, करनाल 4. एक और मेला संसूचित किया जाना है।	सूचित किया जाएगा।
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	1. जनजातीय क्षेत्रों में ईको पर्यटन 2. तीर्थ परिपथ	1. ग्रेट हिमालयन रन 2. प्री-वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग 3. कुल्लू दशहरा 4. शिमला ग्रीष्म उत्सव	1. शिमला में मशोबरा ग्राम 2. धर्मशाला के पास बारोह ग्राम 3. गुरुकुल ओरिएंटिड ग्राम
11.	जम्मू-कश्मीर	(क) भदेरवाह, किश्तवार, पुंछ, राजौरी, लखनपुर-सारथल, कोकेरनाग, लेह और कारगिल के पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट पर्यटन अवसंरचना परियोजाएं (ख) पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पटनीटाप के पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं	कारगिल में पर्यटक परिपथ का विकास	1. जून 2006 में विशाल कार्यक्रम 2. जश्ने-कश्मीर 3. जम्मू उत्सव 4. नवरात्रा उत्सव, वैष्णों देवी 5. गुलमर्ग उत्सव	(क) (साफ्टवेयर कार्ययोजना) पांच ग्रामों अर्थात् द्रुंग, पहलगांव, झेरी, सुर्रीसर और गगनगीर हेतु समर्थन (ख) राज्य सरकार द्वारा पहचान किए जाने वाले दस नए ग्रामों के लिए समर्थन

1	2	3	4	5	6
		(ग) मुबारक मंडी, चरण-1 में हैरिटेज भवन का नवीकरण (घ) जम्मू में गोल्फ कोर्स (ङ) श्रीनगर में क्षतिग्रस्त टीआरसी का पुनर्निर्माण			
12.	झारखंड	1. राजमहल 2. पारसनाथ	1. रांची-रामगढ़-राजारप्पा-तेनूघाट-हजारीबाग-पदमा इटखोरी	1. हजारीबाग उत्सव 2. एयरशो रांची 3. हिजला 4. जगन्नाथ रथ यात्रा	1. अमादूबी, जिला सिंहभूम 2. खरसावन, जिला सरायकेला खरसावन
13.	कर्नाटक	1. हम्पी 2. लिंगामक्की	1. बीजापुर-बिदार-गुलबर्गा 2. सदर्न वाइल्डरनेस सर्किट	1. बंगलौर हब्बा 2. संसूचित किया जाना है 3. हम्पी 4. करावली	1. चेनपूतना ग्राम-बंगलौर 2. अलकान ग्राम-बगालकोटे
14.	केरल	1. वागामोन 2. कुमारकोम 3. पदनाभापुरम पैलेस 4. तिरूपुनिथुरा	1. दक्षिणी ईको पर्यटन	1. मालाबार महोत्सव 2. बोट शो 3. हाथी उत्सव 4. निशागांधी उत्सव	1. कथक्कली कास्ट्यूम ग्राम 2. कायर ग्राम 3. स्पाइस ग्राम
15.	मध्य प्रदेश	1. पन्ना 2. मांडु	1. अमरकंटक-मंडला-डिंडोई 2. होशंगाबाद-महेश्वर-ओंकारेश्वर-बरवानी	1. खजुराहो उत्सव 2. ट्रेबल मार्ट 3. पचमढ़ी	1. दत्तिया में सिवरा 2. मंडला में रामनगर 3. महेश्वर में कोई ग्राम
16.	महाराष्ट्र	1. कुंकरेश्वर	1. एलीफेण्टा सहित बौद्ध परिपथ 2. फोर्ट परिपथ	1. एलीफेण्टा 2. एलोरा 3. कालीदास 4. चिकलधारे	1. कोल्हापुर के पास ग्राम 2. गुरुकुल के लिए पुणे के पास ग्राम
17.	मणिपुर	1. नोंग्मेचिंग (गोल्फ कोर्स के साथ ईको पार्क) 2. इम्फाल	1. इम्फाल-विष्णुपुर-सेन्द्रा-चूड़ाचांदपुर	1. मणिपुर पर्यटन उत्सव 2. मणिपुर पर्यटन मिलन 3. लुई-नगाई-नी उत्सव 4. केयूटी उत्सव	एन्द्रो, खोंगियम और नोन

1	2	3	4	5	6
18.	मेघालय	1. जोवाई के आस-पास गुफाओं का संरक्षण एवं विकास 2. तुरा	1. विलियम नगर-जकरेम-जोवाई 2. शिलांग-चेरापूंजी जोवाई मापलांग	1. शीत पर्यटन उत्सव 2. शिलांगशरद उत्सव 3. नांगक्रम उत्सव 4. वांगला उत्सव	निर्णय लिया जाना है।
19.	मिजोरम	1. चलतलांग 2. चलफिल्ह	1. दक्षिणी हरांगचाकवान, तावीपुईज, लांगटलाई, साहिया, वामबुक, संगाऊ, एस. वनलाईफाई 2. पूर्वी- केट्टुम, एन. वनलाईफाई, पूर्वी लुंगदार, खाउबंग, फरकान, जोखावथार, हनलान	1. चपचार कुट 2. थालफावांग कुट 3. अनथुरियम उत्सव 4. बाद में निर्णय लिया जाएगा	-
20.	नागालैंड	1. कोहिमा जिले में टूपहेमा पर्यटक यात्रा गंतव्य 2. जूनहेबोटो जिले में आइजूटो	1 जूनहेबोटो तुएनसांग-कीफरी 2. गर्वनर का कैंप (गोखा)-नुई लैंड क्षेत्र (दीमापुर)-जलुकी (पेरेन)	1. टोकु ईमांग 2. मेटुमन्यू 3. हार्नबिल कार्यक्रम 4. कार्यक्रम-कल्चरल नाइट वैराइटी शो	पहचान किया जाना है।
21.	उड़ीसा	1. चिल्का	1. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क 2. सिम्पलीपाल-चांदीपुर-तलसारी-पंचलिंगमेश्वर 3. अराकू घाटी-सोनबेडा-कोरपुट-मलकागिरी	1. श्रीक्षेत्र वसंत उत्सव 2. इकामरा 3. पुरी समुद्र तट उत्सव 4. कोणार्क उत्सव	1. डयेनिंग बाडी ग्राम धूलबारी जिला 2. खेलियाजाली ग्राम
22.	पंजाब	1. रोपड़ 2. फतेहगढ़ साहिब (आम खास बाग के साथ ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन सहित) 3. कपूरथला	1. स्वतंत्रता संग्राम परिपथ 2. दिल्ली-अमृतसर तीर्थ परिपथ	1. रायपुर जिले के किला रायपुर ग्राम में ग्रामीण ओलंपिक्स (ग्रामीण खेल) 2. फिरोजपुर जिले के अभोर में कीन्नू उत्सव 3. पंजाब उत्सव (मेला) 4. कपूरथला में शिल्प मेला	1. ग्राम पाल्डी (जिला गुरदासपुर) 2. ग्राम कलानोर (जिला गुरदासपुर) 3. ग्राम मेइसर खाना (जिला (भटिंडा)

1	2	3	4	5	6
23.	राजस्थान	1. अजमेर शरीफ 2. जैसलमेर	1. ईको टूरिज्म सर्किट 2. स्मारकों की प्रकाशपुंज व्यवस्था	1. हैरिटेज उत्सव 2. राजस्थान दिवस समारोह 3. पुष्कर मेला 4. मरूस्थल उत्सव	पहचान किया जाना है।
24.	सिक्किम	1. सरमसा में मनोरंजन पार्क का विकास 2. सोरंग में तीर्थ केन्द्र	1. उत्तरी सिक्किम के फोडांग और मंगन में पर्यटक केन्द्रों का विकास 2. पूर्वी सिक्किम के असम लिंगजे और खेदी ट्रेक रूट का विकास	1. नांची उत्सव 2. गंगटोक शीत उत्सव 3. रांवगला उत्सव 4. माघे मेला 5. मांगन उत्सव 6. ग्यालसिंग (पेलिंग)	1. दक्षिणी सिक्किम में रोंग ग्राम 2. पश्चिमी सिक्किम में थारपू ग्राम
25.	तमिलनाडु	1. मदुरई 2. तंजावुर 3. कन्याकुमारी	–	महाबलीपुरम विशाल उत्सव	सूचित किया जाएगा।
26.	त्रिपुरा	1. चतुर्दशी देवता बारी	1. उत्तर-पश्चिम त्रिपुरा परिपथ का विकास	सूचित किया जाएगा।	जायचन्द्रपुर
27.	उत्तर प्रदेश	1. अलीगढ़	1. आगरा-फतेहपुर सीकरी-मथुरा 2. वाराणसी-सारनाथ 3. ब्रजभूमि-वृंदावन	1. सारनाथ में बौद्ध महोत्सव 2. लठमार होली 3. देव दीपावली	सूचित किया जाएगा।
28.	उत्तरांचल	1. यमनोत्री 2. टिहरी	1. ऋषिकेश-हरिद्वार (विशाल परियोजना) 2. बिंदसार-बैजनाथ-मानेसर	1. देहरादून विरासत उत्सव 2. गढ़वाल उत्सव 3. कुमाऊं उत्सव 4. पूर्णागिरि उत्सव	1. ग्राम त्रिजुगी नारायण, जिला रूद्रप्रयाग
29.	पश्चिम बंगाल	1. गोके 2. कालीमपोंग 3. फ्लासी	1. स्वतंत्रता परिपथ 2. चाय पर्यटन 3. समुद्रतट परिपथ	सूचित किया जाएगा।	सूचित किया जाएगा।

रेलवे जोनों में वनरोपण

580. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न जोनों में वनरोपण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व तट रेलवे द्वारा वनरोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो पूर्व तट जोन द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पूर्व तट रेलवे के लिए चालू वर्ष हेतु लक्ष्य 3.5 लाख पौधों का रखा गया है (जिसमें 2 लाख पौधे जट्रोफा के शामिल हैं)। पिछले वर्ष के दौरान, पूर्व तट रेलवे ने 1.5 लाख जट्रोफा के पौधों सहित 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यकों का शोषण

581. श्री बृज किशोर त्रिपाठी क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने विभिन्न राज्यों में हो रहे अल्पसंख्यकों के शोषण के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों के शोषण हेतु जिम्मेदार पाए गए संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सूचना दी है कि उसने इस तरह का कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम को वैगन उपलब्ध कराना

582. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे खाद्यान्नों की ढुलाई हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को अनुपयुक्त वैगनों की आपूर्ति कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों की ढुलाई हेतु उपयुक्त घोषित वैगनें मुहैया कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों हेतु दी जाने वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति बंद करना

583. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्यों को दिया जा रहा अनुदान बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों द्वारा विद्यार्थियों को पूर्व में दी गयी छात्रवृत्ति पर राजसहायता जारी करने का कार्य लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या करण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार अन्य पिछड़े वर्गों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अनुदान प्रदान करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तुंगभद्रा एक्सप्रेस का विस्तार

584. डा. एम. जगन्नाथ: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को सिकन्दराबाद-कुरनूल टाउन तुंगभद्रा एक्सप्रेस के परिचालन को गुंतकल के रास्ते धरमवरम तक बढ़ाए जाने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 7607/7608 सिकन्दराबाद-कुरनूल टाउन-तुंगभद्रा इंटरसिटी एक्सप्रेस अप के धर्मावरम तक विस्तार का परीक्षण किया गया था परंतु परिचालनिक एवं संसाधन की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

पायलटों/सह-पायलटों की कमी

585. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइनों में पायलटों और सह-पायलटों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइनों में इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स में जबकि पायलटों की कोई कमी नहीं है, एलाइंस एयर में बी-737 तथा ए.टी.आर. विमान बेड़े, प्रत्येक में 10 पायलटों की कमी है। एअर इंडिया एवं एअर इंडिया एक्सप्रैस में क्रमश: 85 तथा 22 पायलटों की कमी है।

(ग) एअर इंडिया तथा एलाइंस एयर, रिक्त पदों को भरने के लिए अपने देश के अतिरिक्त विदेशी बाजार से भी, अतिरिक्त पायलटों को लेकर भर्ती करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पायलटों की कमी से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं, यथा:-

(1) कुछ खास शर्तों के तहत पायलटों को 58 वर्ष के बजाए 65 वर्ष की आयु तक विमान प्रचालन की स्वीकृति दी गई है, (2) इग्नुआ में पायलटों की संख्या बढ़ा कर 100 करने का प्रस्ताव है, (3) महाराष्ट्र के गोंदिया नामक स्थान पर राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है और (4) टाइप रेटेड विदेशी पायलटों को विमान प्रचालन की अनुमति दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उड़ानों की भीड़भाड़ कम करना

586. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें निकट भविष्य में विदेशों के विमानपत्तनों के सीधी विमान सेवा मुहैया कराकर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उड़ानों की भीड़भाड़ कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे सतत आधार पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

(ख) दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों की पुनर्संरचना तथा आधुनिकीकरण संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा करने के लिए कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, चेन्नई तथा कोलकाता हवाईअड्डों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय तथा गैर-महानगरीय हवाईअड्डों पर मौजूदा टर्मिनलों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण, नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर के निर्माण, विमानों के पार्किंग स्टैण्डों के विस्तार तथा वृद्धि तथा रनवे तथा सम्बद्ध सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार, शहर से टर्मिनल तथा टर्मिनल से शहर के बीच प्रवेश प्रणाली में सुधार तथा प्रभावी टैक्सी वे प्रणाली के प्रावधान जैसे कार्य आरम्भ किए गए हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण कोटा में वृद्धि

587. **श्री रामदास आठवले:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में उनके लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में हो रही वृद्धि दर का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (घ) अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या

के प्रतिशत के अनुपात में आरक्षण दिए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जनगणना 2001 के अनुसार, कुल आबादी की 16.23 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है।

[अनुवाद]

सैन्य कानूनों की समीक्षा

588. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सैन्य कानूनों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कई पक्षों से कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित कर पाना संभव नहीं है।

विवरण

सैन्य कानूनों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इन कानूनों में, सशस्त्र सेनाओं की संक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार तथा इन्हें अद्यतन न्यायिक निर्णयों और नतीजों के अनुरूप बनाए जाने हेतु समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। अभी तक तीनों सशस्त्र सेना अधिनियमों यथा सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 तथा वायुसेना अधिनियम, 1950 में सोलह (16) संशोधन किए जा चुके हैं।

सशस्त्र सेनाओं में न्याय प्रशासन की मौजूदा प्रणाली में, कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अथवा रक्षा कार्मिकों की सेवा-मामलों संबंधी शिकायतों की सुनवाई करने के लिए किसी स्वतंत्र न्याय निर्णयन फोरम का प्रावधान नहीं है। उच्चतम न्यायालय, विधि आयोग तथा संसद की प्राक्कलन समिति ने पूर्व में इस पहलू की ओर ध्यान आकर्षित किया था तथा इस संबंध में सिफारिशें की थीं। यह मामला पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता रहा है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने एक स्वतंत्र सशस्त्र सेना अधिकरण गठित करने का प्रस्ताव किया है और तदनुसार 20 दिसंबर, 2005 को राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने इस विधेयक को जांच हेतु रक्षा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया था। स्थायी समिति ने सशस्त्र सेना अधिकरण विधेयक, 2005 से संबंधित अपनी 10वीं रिपोर्ट, जो 23 मई, 2006 को लोक सभा में पेश की गई थी और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी, में इस विधेयक के बारे में कई सिफारिशें की हैं।

स्थायी समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सैन्य अधिनियमों की व्यापक समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए ताकि उन्हें अन्य प्रजातांत्रिक देशों में अपनाए जा रहे मानदंडों के अनुरूप बनाया जा सके। स्थायी समिति ने आगे यह भी इच्छा व्यक्त की है कि चूंकि प्रस्तावित अधिकरण तीनों सेनाओं के मामलों को देखेगा, अत: एक समान अनुशासनिक संहिता बनायी जाए ताकि सशस्त्र सेना कार्मिकों को मिलने वाले न्याय में एकरूपता लाई जा सके।

भारत-म्यांमार गैस पाइपलाइन

589. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश के बजाय देश के पूर्वोत्तर हिस्से से भारत-म्यांमार गैस पाइपलाइन के वैकल्पिक मार्ग हेतु व्यवहार्यता अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने बांग्लादेश को बाईपास करते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों के रास्ते भारत को म्यांमार गैस की निकासी हेतु एक पाइपलाइन के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार कराई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन म्यांमार पक्ष के साथ समझौते पर निर्भर करेगा। यह मामला म्यांमार सरकार के साथ उठाया गया है।

तिरूवनंतपुरम में इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर

590. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तिरूवनंतपुरम में इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, नहीं।

तिरूवनंतपुरम में इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट केरल राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

तेल एवं गैस के नए भंडारों का पता लगाना

591. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री रशीद मसूद:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय क्षेत्रों में तेल एवं गैस के नए भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी मात्रा में भंडार के होने का अनुमान लगाया गया है;

(ग) इन भंडारों से व्यावसायिक उत्पादन कब तक आरम्भ होने की संभावना है; और

(घ) इन खोजों से घरेलू मांग की कितनी पूर्ति होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएलसीज) व्यवस्था में, वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 (जुलाई, 2006 तक) के दौरान कुल 24 तेल व गैस खोजें हुई। ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने अपने नामांकन ब्लाकों में वर्ष 2005-06 के दौरान 5-5 हाइड्रोकार्बन खोजें की हैं। ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ये खोजें मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। उत्पादन की राशि उनकी वाणिज्यिकता तथा तत्पश्चात् उनकी विकास योजनाओं पर निर्भर करेंगी। चूंकि पूरा उत्पादन घरेलू बिक्री तथा खपत के लिए किया जा रहा है, अत: यह सारा उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भेजा जाएगा।

विवरण I

निजी/जेवीएस द्वारा पिछले दो वर्षों (जुलाई 2006 तक) के दौरान की गई हाईड्रोकार्बन खोजें

2005-06	आरजे-ओएन-90/1 (राजस्थान)	कैर्न	एनआई#2	यू.ई.
			जीएस-वी-1	यू.ई.
			एनसी-पश्चिम-1	यू.ई.
	सीबी-ओएन-2 (गुजरात)	जीएसपीसी	तारापुर-1	यू.ई.
	सीबी-ओएन-3 (गुजरात)	एस्सार आयल लिमिटेड	ईसएयू-1	यू.ई.
	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 (पूर्वी अपतट)	आरआईएल	धीरूभाई-18	यू.ई.
			धीरूभाई-19	यू.ई.
			धीरूभाई-22	यू.ई.
			धीरूभाई-23	यू.ई.
	एनईसी-ओएसएन-97/2 (पूर्वी अपतट)	आरआईएल	धीरूभाई-20	यू.ई.
			धीरूभाई-21	यू.ई.
	केजी-ओएसएन-2001/3 (पूर्वी अपतट)	जीएसपीसी	केजी-8	यू.ई.
	केजी-ओएसएन-2001/2 (पूर्वी अपतट)	आरआईएल	धीरूभाई-24	यू.ई.
			धीरूभाई-25	यू.ई.

	आरजे-ओएन-90/1 (राजस्थान)	सीईआईएल	एनई-1	यू.ई.
	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 (पूर्वी अपतट)	ओएनजीसी	डीडब्ल्यूएन-यू-1 डीडब्ल्यू-ए-1	यू.ई. यू.ई.
2006-07	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 (पूर्वी अपतट)	ओएनजीसी	डीडब्ल्यूएन-डब्ल्यू-1	यू.ई.
	आरजे-ओएन-90/1 (राजस्थान)	केर्न	एनपी-2 एमए-6	यू.ई. यू.ई.
	केजी-ओएसएन-2001/3 (पूर्वी अपतट)	जीएसपीसी	केजी-17	यू.ई.
	पन्ना-मुक्ता (मुंबई अपतट)	बीजीईपीआईएल	एसडब्ल्यूपी-1	यू.ई.
	आरजे-ओएन-90/6 (राजस्थान)	एफओसीयूएस	एसजीएल#1	यू.ई.
	सीबी-ओएनएन-2000/1 (गुजरात)	जीएसपीसी	सानंद पूर्व (1)	यू.ई.

विवरण II

आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान हाईड्रोकार्बन की खोजें

बेसिन/राज्य	प्राप्ति/खोज	तत्स्थान (ओ+ओईजी), एमएमटी
केजी तटीय-आंध्र प्रदेश	तुरपुतुल्लू	0.27
असम एंड असम अराकान-असम	मेकेपुर	2.04
कच्छ सौराष्ट्र	बी-9	2.26
पश्चिमी अपतट	आरवी-1	आकलन नहीं किया गया है
केजी उथला जल	जीएस-15ई	0.72

आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान आईड्रोकार्बन की खोजें

क्षेत्र/संरचना	आरंभिक तत्स्थान भण्डार (तेल+ओईजी), (एमएमटी)
उत्तरी मोरान	0.39
बाजालोनी	2.31
उत्तरी चांदमारी	2.53
बागजान	5.10
दक्षिणी मोरान	0.06

[हिन्दी]

'पैलेस आन व्हील्स' रेलगाड़ी

592. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 'पैलेस आन व्हील्स' रेलगाड़ी द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(ख) क्या अन्य खंडों में इसी प्रकार की रेलगाड़ियां चलाए जाने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त मांगों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ये रेलगाड़ियां कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारतीय रेल की कोचिंग सेवाओं की लाभदायिता की गणना नहीं की गई है। बहरहाल, रेलवे द्वारा अंतिम तीन वर्षों के दौरान पैलेस आन व्हील्स के चालन से अर्जित किया गया राजस्व निम्नानुसार है:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अर्जित किया गया राजस्व
2003-04	1103.38
2004-05	1423.10
2005-06	1571.76

(ख) से (घ) जी, हां। कर्नाटक सरकार में एक लग्जरी पर्यटक गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में रेलवे एवं कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम (केएसटीडीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस रेलगाड़ी के लिए कोच के अभिकल्प के नक्से को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस रेलगाड़ी को चलाने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना में बालिकाओं को आरक्षण

593. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति की छात्राओं को अन्य देशों में अध्ययन करने में समर्थ बनाने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना में उनको आरक्षण प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी छठी रिपोर्ट (चौदहवीं लोक सभा) मई, 2006 में सिफारिश की है कि अनुसूचित जातियों आदि के अभ्यर्थियों के लिए समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए कम से कम 30% स्थान आबंटित करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।

आईटीडीसी के होटलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण

594. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के विभिन्न होटलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी होटल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर होने वाला अनुमानित व्यय होटल-वार कितना है; और

(घ) उक्त अतिरिक्त कमरों का निर्माण-कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) सरकार को दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के विभिन्न होटलों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत आमान परिवर्तन

595. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत सभी छोटी रेल लाइनों पर आमान परिवर्तन कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए आमान परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने वाली शेष छोटी रेल लाइनों की लंबाई कितनी है;

(घ) क्या नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत छोटी रेल लाइनों के आमान परिवर्तन को पूरा करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दो मंडलों में 701 किमी-पहला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तथा दूसरा मध्य रेलवे।

(घ) और (ङ) बालाघाट-जबलपुर, बालघाट-कटंगी तथा नागपुर-छिंदवाड़ा खंडों पर आमान परिवर्तन संबंधी कार्य शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुविधाओं को वापस लेना

596. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमानपत्तनों पर यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों पर उपलब्ध उक्त सभी सुविधाओं को वापस लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) यात्रियों को निःशुल्क प्रदान की जा रही सुविधाओं में, अन्य सुविधाओं के साथ-साथ बैगेज ट्रालियां, पेयजल, उड़ान, सूचना प्रदर्शन, बाल/शिशु लाबी, लाउंज, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष टायलेट तथा आरक्षित कार पार्क, टायलेट सुविधा, प्रस्थान, आगमन तथा ट्रांजिट लाउंज, उड़ान उद्घोषणा, स्वचालित सीढ़ियां, आरक्षित लाउंज, कन्वेयर बैल्टें, उड़ान तथा दिग्दर्शक प्रणाली आदि शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

काकपिट में पायलटों की अनिवार्य आवश्यकता

597. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक ओर देश में पायलटों की कमी है और दूसरी ओर हजारों पायलट अभी भी बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में काकपिट में एक भारतीय और एक विदेशी पायलट की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस निर्णय से भारतीय पायलटों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) विमानन सैक्टर में अचानक आई वृद्धि के कारण एक विशेष प्रकार के रेटिंग वाले विमानचालकों की मांग में वृद्धि हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में काफी संख्या में विमानचालकों की आवश्यकता है जिन्हें भारत में सभी उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वार्षिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे उद्योग में विमानचालकों की कमी का अनुभव किया जा रहा है। सरकार द्वारा बेरोजगार विमानचालकों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ख) मांग और पूर्ति (उपलब्धता) के बीच अन्तर को कम करने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है, जिसमें विमानचलाकों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक परिवहन प्रचालनों के लिए उनके लाइसेंसों के विशेषाधिकार का निर्वाह करने के लिए शर्त सहित आयु सीमा को 65 वर्ष तक बढ़ाना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के प्रशिक्षण आधार संरचना का स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण करना जिससे इसकी प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाया जा सके, गौंदिया, महाराष्ट्र में विश्व स्तर का उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना तथा डीजीसीए एयरोक्लब आफ इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण विमान द्वारा उड़ान क्लबों को सहायता देना।

(ग) से (ङ) एक आदेश जारी किया गया है जिसमें डीजीसीए को यह शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं कि वे एक ही बार में केवल बारह सप्ताह की अवधि के लिए ही विदेशी विमानचालकों को, भारतीय विमान-चालकों के साथ प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए काकपिट में जाने की अनुमति दे। ऐसा किए जाने से एक किसी विशेष प्रकार के विमान पर प्रकार पृष्ठांकन के लिए भारतीय विमानचालकों को प्रशिक्षण में सुविधा मिलेगी जिससे भारतीय विमानचालकों की रोजगार योग्यता में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर महिलाओं को सुरक्षा

598. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विमानपत्तन महिलाओं के लिए असुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विमानपत्तनों पर महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तिरूवनंतपुरम में टर्मिनल का आधुनिकीकरण

599. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरूवनंतपुरम में प्रस्तावित आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का क्रियान्वयन किस चरण में है;

(ख) क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) का तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर 245 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर संबंधित अवसंरचना सहित दो फेजों में एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण का एक प्रस्ताव है। दिनांक 06.02.2006 को आयोजित पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ अनुमोदित किया। इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी (आर्थिक कार्य पर मंत्रिमंडल समिति) से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई पहले से ही प्रारंभ कर दी गई है।

विमानों की मरम्मत

600. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कलपुर्जों की कमी के कारण विमानों की मरम्मत में समस्या का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने विमान उड़ान भरने लायक नहीं हैं;

(ग) विमानों की मरम्मत में उक्त विलंब के कारण इंडियन एयरलाइन्स को कितने राजस्व की क्षति हुई है; और

(घ) विमानों की शीघ्र मरम्मत कराने हेतु इंडियन एयरलाइन्स द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) साधारणतया, लगभग 6 ए-320 विमान अनुसूचित रखरखाव के लिए खड़े कर दिये हैं। इस समय, 12 ए-320 विमान फालतू कलपुर्जे की कमी के कारण नहीं, बल्कि प्रमुख रखरखाव/इंजनों की कमी के साथ-साथ अनुसूचित अनुरक्षण जांचों के लिए खड़े हैं।

(ग) विभिन्न विमानों के अनुसूचित अनुरक्षण के अधीन होने तथा विभिन्न समयावधियों के कारण राजस्व की वास्तविक क्षति की गणना करना कठिन है।

(घ) चूंकि इंजिनों की कमी के कारण मुख्यत: विमान खड़े हैं, इंडियन एयरलाइंस लि. बाहरी एजेंसियों से इंजिन ओवर हाल की आउटसोर्सिंग जनवरी/फरवरी, 2007 तक 3 अल्पावधि लीज इंजिनों को निरन्तर रखे रहकर, 3 और इंजिनों को अल्पावधि के आधार पर लीज पर लेकर तथा एक इंजिन उन्नयन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करके इंजिनों की उपलब्धता बढ़ाने के सभी संभव उपाय पुरजोर तरीके से कर रही है।

नवसृजित सेलम मंडल का कार्य करना

601. **श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवसृजित सेलम मंडल ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त हेतु पर्याप्त धन का आबंटन किया गया है और क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) कार्यक्षमता को बेहतर करने के दृष्टिकोण से सेलम पर एक नए मंडल के निर्माण की मांग को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। बहरहाल, मंडल ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि इसके विस्तृत भौगोलिक क्षेत्राधिकार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस विषय में दक्षिण रेलवे से एक परियोजना रपट प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है।

(ख) प्रस्तावित सेलम मंडल को कई कोष आबंटित नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक इसके विस्तृत भौगोलिक क्षेत्राधिकार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** एल.टी. सं. 4506/2006]

पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी. सं. 4507/2006]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): महोदय, मैं राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 36 के अंतर्गत न्यास बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2006 जो 6 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 403(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एल.टी. सं. 4508/2006]

अपराह्न 12.01 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन के प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा दिनांक 26 जुलाई, 2006 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 26 जुलाई, 2006 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.02 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

सशस्त्र बलों में आतंकवादियों की कथित रूप से घुसपैठ के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, आप मिनिस्टर साहब को बीच में खड़ा न होने के लिए बोलिये।

अध्यक्ष महोदय: आप उसे छोड़िये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है। मंत्रीगण गलियारे में खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय: हां, उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। इसका पालन सभी को करना चाहिए। वहां पर कोई आपसी बातचीत अथवा कोई बैठक नहीं होनी चाहिए। ये सभी बातें सभा के बाहर होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। कल और आज के समाचार-पत्रों में ये बातें छपी कि

[अनुवाद]

सेना ने अपने तीन जवानों को लश्कर-ए-तैयब्बा के साथ संबंध रखने के आरोप में बंदी बनाया है। पुलिस ने भी इस आतंकी संगठन के कुरियर के रूप में काम करने के आरोप में दो कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया है। इन पांचों को इस संगठन का हिस्सा बताया गया है। तीन पुलिसकर्मियों और बीएसएनएल फ्रैन्चाइजी के एक मैनेजर सहित लगभग एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तंत्र (माड्यूल) के भंडाफोड़ के बाद से भूमिगत हुई एक महिला को पकड़ने के लिए एक अभियान चल रहा है। जिन दो जवानों को गिरफ्तार किया गया है वे पुंछ जिले के गुरसाई के रहने वाले है और उनके फलां-फलां नाम हैं तथा वे पिछले तीन वर्ष और सात माह से लश्कर-ए-तैयब्बा के लिए काम कर रहे थे। आतंकवादियों के साथ कथित रूप से संबंध रखने के आरोप में पूछताछ करने के लिए तीन जवानो को बंदी बनाया गया है।

[हिन्दी]

ऐसी बहुत सी बातें समाचार-पत्रों में छपी हैं। श्री एम.के. नारायणन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने पहले ही पत्र लिखकर सारे देश को, मुख्यमंत्रियों को सावधान किया था। हमारे लीडर आफ दी हाउस और डिफेंस मिनिस्टर ने यहां पर उस दिन कहा कि हमने जांच की है और जांच में यह सही नहीं पाया गया।

अध्यक्ष महोदय, लश्कर-ए-तैयबा के लोग जो सेना में इतने महीनों से काम कर रहे थे, उन्हें सेना ने पकड़ा और उनके बारे में स्पष्ट तौर पर सूचना दी। यह देश के लिए बहुत खतरनाक मामला है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा देश में बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार है। सिमी और लश्कर-ए-तैयबा के लोगों पर देश भर में नजर रखी जा रही है। उनका सेना में प्रवेश कर जाना और सेना में लगातार काम करते रहना बहुत ही खतरनाक है। यहां श्री शिवराज पाटिल और श्री जायसवाल जी ने कहा कि वे सेना के जवान न होकर राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। क्या सेना और अर्द्ध सैनिक बलों में कोई अंतर है? सेना, अर्द्ध सैनिक बलों या वहां पर काम करने वाले पुलिस मैनों में लश्कर-ए-तैयबा के लोगों का प्रवेश करना देश के लिए बहुत खतरनाक है। यह भी लिखा है कि उनको पहले एंटी टेरोरिस्ट कामों में भी लगाया गया था। जिनके जिम्मे टेरोरिज्म को रोकना था, वही उनके साथ शामिल हों, तो आप समझ सकते हैं कि टेरोरिज्म कैसे नहीं फैलेगा। हमारा कहना है कि ऐसी गंभीर बात पर यहां पर वक्तव्य दिया जाये और उस पर बहस की जाये। उस बहस में इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा समाचार बहुत ही महत्व का है। असम के मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि हमारी दो किलोमीटर जमीन *...(व्यवधान)*

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, क्या यह एक मामला उठाने के बाद दूसरा मामला भी उठायेंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक संबंधित मामला है। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, भारत की दो किलोमीटर जमीन बंगलादेश ने गायब कर ली है। यह असम के मुख्यमंत्री ने कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक अलग मामला है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हमने आरोप नहीं लगाया है। असम के मंत्री ने आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री यहां है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान की जमीन बंगलादेश ले जाये और वहां अपनी बार्डर फोर्स बढ़ा दे और सरकार सोई रहे और इस पर कोई चिंता प्रकट न करे, कोई वक्तव्य न दे। ...*(व्यवधान)* यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे देश की दो किलोमीटर जमीन गयी है या नहीं गयी है और उस जमीन का क्या हुआ? यहां पर लीडर आफ दि हाउस और प्रधान मंत्री जी भी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, यह हमारे देश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता बोल रहे है और आप उन्हें टोक रहे है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: असम के एक मंत्री ने ऐसा कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

असम के एक मंत्री ने यह बात कही है और उन्होंने इस गंभीर मामले को उठाया है। सरकार को सभा में इन दोनों गंभीर मामले के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, एक ही माननीय सदस्य दो विषय कैसे उठा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे मैं देखूंगा, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद श्री रेवती रमन सिंह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: महोदय, यह ऐसा कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर विचार करूंगा। यह आपका क्षेत्राधिकार नहीं है। यह मेरा क्षेत्राधिकार है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसके बारे में निर्णय लूंगा। आप क्यों परेशान होते हो?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री रेवती रमन सिंह की टिप्पणियों को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्रीमान मल्होत्रा, आप निराश क्यों हो रहे हैं? मैंने आपकी बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में से नहीं हटवाया है और इन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। कोई भी टिप्पण कर सकता है लेकिन मैंने उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में से नहीं निकाला है। आप क्यों निराश हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: क्या इस सभा में इस मामले पर हर किसी का यही विचार है? चलिए हम श्री रेवती रमन सिंह की बात सुनते है। वह इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वक्तव्य देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री यहां पर है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, अभी मल्होत्रा साहब ने सदन में एक अच्छी परम्परा स्थापित की है कि एक साथ कई मामले उठाए जा सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में भी इस तरह की परम्परा के लिए रूलिंग देने की कृपा करें।

मान्यवर, लश्कर-ए-तोयबा का जो मामला उन्होंने उठाया है, इसे देखने का उनका एंगल दूसरा है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि श्री आर.के. नारायणन ने आज से आठ महीने पहले एक पत्र लिखकर भेजा था जिसमें उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि ऐसी इनफिल्ट्रेशन हो रही है। मुझे जहां तक याद है, रक्षा मंत्री जी ने इससे डिनाई किया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, चिल्लाइए मत।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह: महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उससे डिनाई किया था और कल राज्य सभा में माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी ने कहा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसका उल्लेख न करे। आप इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको यह पता है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, माननीय रक्षा मंत्री ने वायुसेना के संबंध में इस बात से इंकार किया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी ने कहा कि वे लोग मिलिटरी में नहीं है, बल्कि अर्द्ध सैनिक बल में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक गंभीर प्रश्न है और इस तरह से दोनों मंत्रियों के बयान में विरोधभास है। मैं इस गंभीर मामले में आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप रक्षा मंत्री जी को सदन में इस विषय पर बयान देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद योगी आदित्य नाथ बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, सेना के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री नारायणन जी ने आशंका व्यक्त की थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने हाथ मत उठाइए। मैं केवल उन्हीं सदस्यों के नाम बुलाऊंगा जिन्होंने नोटिस दिए है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमान त्रिपाठी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप एक पार्टी के नेता है। कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डाले।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह आपको शोभा नहीं देता है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, रक्षा मंत्री जी ने कल ही एक दिन पहले इसी सभा में इस मुद्दे का स्पष्ट रूप से नकार दिया। ...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री भी यहां पर सभा में बैठे हैं। सरकार के पास इस मुद्दे का उत्तर होना चाहिए। क्योंकि यह एक बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए। मैंने इस सभा के एक माननीय सदस्य को बोलने के लिए पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): महोदय, मंत्री जी इस विषय पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया हाथ मत खड़े कीजिए। मैं केवल उन्हीं माननीय सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जिन्होंने सूचना दी है। मैं इसे चर्चा में तब्दील नहीं कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: महोदय, हम लोग परसों इसी सदन में मुंबई चर्चा कर रहे थे और उस समय सेना से संबंधित बातें जब यहां पर उठी थीं तो माननीय गृह मंत्री जी ने उन्हें एक सिरे से नकार दिया था।

महोदय, यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। सेना जैसे गंभीर विषय, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को जिस हल्केपन से लिया जा रहा है, वह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और आतंकवादी संगठनों को जिस प्रकार से क्लीन चिट देने की होड़ राजनीतिक संगठनों में लगी हुई है, उस पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। यह एक गंभीर स्थिति है कि इसी सदन में इस बात का खंडन होता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और कल गृहमंत्री जी ने जवाब दिया कि वे लोग सेना के नहीं, बल्कि अर्द्ध सैनिक बलों के हैं। अगर वे अर्द्ध सैनिक बलों के हैं तो भी इसके लिए गृहमंत्री जी सीधे-सीधे जिम्मेदार होते हैं और इसके लिए गृहमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए।

महोदय, चाहे अर्द्धसैनिक बल हों जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स भी है। ये लोग भी जम्मू-कश्मीर के अंदर और देश के सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे संगठनों को भारत-बांग्लादेश सीमा पर भी तैनात किया गया है। अगर इन अर्द्धसैनिक बलों में लश्करे तोइबा या अन्य आतंकवादी संगठनों के लोग हैं, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक संकेत है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया रिपीट न करें।

योगी आदित्यनाथ: मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी के वक्तव्य की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सदन को जो गुमराह किया है कि सेना के जवान नहीं हैं और इस प्रकार की स्थिति नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब बहुत हो गया, और कोई अनुरोध न करें, क्योंकि आपने अपनी बात कह दी है।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: महोदय, इस समय देश में राजनीतिक संगठनों में जो यह होड़ लगी हुई है, कुछ लोग सिमी जैसे संगठनों को क्लीन चिट दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं और आपको इससे प्रसन्न होना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है और आपने सूचना समय पर नहीं दी है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। माननीय सदस्य और प्रो. मल्होत्रा ने मामले को मेरे द्वारा इंकार किए जाने के बारे में मुद्दा उठाया है जिसका कि विपक्ष के नेता द्वारा टिप्पणियां करते समय हवाला दिया गया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उत्तर दिया जा रहा है।

श्री प्रणब मुखर्जी: यह हवाला भारतीय वायुसेना के दो कार्मिकों के बारे में था न कि थलसेना के कार्मिकों के बारे में। निश्चित रूप से, माननीय सदस्य को इसमें अंतर करना होगा। माननीय सदस्य रेवती रमन सिंह ने कहा था कि मैंने सभा को गुमराह किया था तो यह सभा को गुमराह करना नहीं है। यह मामला अगस्त, 2005 से संबंधित है। इसके बाद हमने जांच की और पाया कि वह सूचना सही नहीं थी। अत:, इसमें कोई विरोध नहीं है।

थलसेना के तीन कार्मिकों से संबंधित सूचना सही है। मेरे पास प्रारंभिक सूचना उपलब्ध है और मैं इसे आपको बता सकता हूं। ये तीन व्यक्ति जम्मू और कश्मीर लाइट इनफैंट्री के नायक मो. शरीफ कलीस। जम्मू और कश्मीर लाइट इनफैंट्री के लांस नायक शकील इकबाल कजास और 12 जम्मू और कश्मीर लाइट इनफैंट्री के राइफल मैन अब्दुल हक कलास को जून के महीने में किसी समय गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो पूछताछ की प्रक्रिया में जम्मू-कश्मीर पुलिस के सिपाही को भी निरुद्ध किया गया था। आगे की पूछताछ के बाद इन तीन व्यक्तियों के नाम सामने आए और इन्हें निरुद्ध किया गया। गृह मंत्री जी ने सभा को गुमराह नहीं किया है, यद्यपि वे जम्मू कश्मीर राइफल्स से जुड़े हैं और दोनों राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात है, इनमें से एक जम्मू कश्मीर में तैनात है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): अत: वे थल सेना से नहीं जुड़े हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: निसंदेह, वे थल सेना से जुड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह कहा है, उन्हें स्थिति स्पष्ट करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जनरल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं यह नहीं कह रहा हूं। वे इस समय राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत हैं। इसलिए तथ्यात्मक रूप से, यह सही नहीं है। वे थलसेना से जुड़े हैं परंतु इस समय वे राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत है। अत:, सभा को गुमराह करने का प्रश्न नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह अच्छा नहीं लगता, आप एक अनुशासित सदस्य हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: असम और बांग्लादेश के मुद्दे के बारे में आपका क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय: अब वह आपको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी: मुझे नहीं मालूम कि वह क्यों चिल्ला रहे हैं परंतु जब माननीय सदस्य ने इस मामले का उल्लेख किया है तो निश्चित रूप से वह सरकार को तथ्यों का पता लगाने के लिए कुछ समय देंगे और उसके बाद मैं उन्हें सूचित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। कृपया विघ्न मत डालिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम रक्षा मंत्री जी के बयान से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 12.14 बजे

(तत्पश्चात् श्री विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको बाहर जाने का अधिकार है परंतु आप ऐसा समस्या उत्पन्न किए बिना करें।

[हिन्दी]

आप लोग बैठ जाइए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.15 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य*

लेबनान की स्थिति तथा भारतीयों को वहां से निकालना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री ने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर स्वत: वक्तव्य देने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद लेबनान में मौजूदा हालात से वाकिफ हैं। इस संबंध में सदस्यों की चिंता को देखते हुए, मैं सदन को वहां के मौजूदा हालात और उत्पन्न हुई स्थिति पर हमारी प्रतिक्रियाओं विशेषकर, भारतीय नागरिकों जो लेबनान में बढ़ते संकट से प्रभावित हुए हैं, को मदद देने हेतु हमारे द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पश्चिम एशिया हमारा विस्तृत पड़ोस है और उस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से हमारी सुरक्षा और हमारे महत्वपूर्ण हित प्रभावित होते हैं। हम लेबनान-इस्राइल सीमा के आस-पास इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष बढ़ने से बहुत अधिक चिंतित हैं। इन घटनाक्रमों से इस क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है और स्थिति काफी नाजुक हो गई है।

12 जुलाई को भारत में हिजबुल्ला संगठनों द्वारा दो इस्राइली सैनिकों के अपहरण की निंदा की थी और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए। कम से कम देश के प्रधान मंत्री के प्रति तो सम्मान प्रकट कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांति से आइए। आपका स्वागत है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप वापस आ गए हैं।

डा. मनमोहन सिंह: इसके साथ ही, हमने इस्राइल द्वारा अत्यधिक और अंधा-धुंध सैन्य प्रतिशोध की भी कड़े शब्दों में निंदा की थी। हमने विशेष तौर पर चिंता व्यक्त की थी कि इस्राइली सैन्य बलों की कार्रवाई से निर्दोष नागरिकों, जिनमें महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल हैं, की हत्याएं हुई हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है जिससे और भी अधिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हम उन हमलों की भी निंदा करते हैं जिनमें लेबनान में तैनात 4 संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की मौत हो गयी है।

भारत ने फिलस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण (पैलेस्टियन नेशनल अथारिटी) के मंत्रियों और फिलस्तीनी विधायी परिषद (पैलेस्टियन लेजिस्लेटिव काउन्सिल) के सदस्यों की पूर्णत: अनुचित गिरफ्तारी और उन्हें बंदी बनाए रखने की भी निंदा की है। फिलस्तीनी लोगों के विधिवत् चुने गए प्रतिनिधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।

ऐसे देश, जिसका गृह-युद्ध के दो दशकों बाद बड़ी मेहनत से पुनर्निर्माण हुआ है, के विध्वंश का कोई भी सभ्य राष्ट्र समर्थन नहीं कर सकता। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि लेबनान की सरकार द्वारा जारी की गई अपील के जवाब में, सरकार ने लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए मानवीय और राहत प्रयासों में 10 करोड़ रुपए का अंशदान देने का निर्णय लिया है।

हमारी राय में, वहां पर लड़ाई तुरन्त बंद होनी चाहिए ताकि लेबनान की बर्बादी रुक सके और मानवीय आधार पर मदद पहुंचाई जा सके। सभी तरफ से तत्काल हिंसा रुकनी चाहिए और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। कूटनीति के कामयाब होने से दीर्घकालीन हल निकल सकेगा जिसमें क्षेत्र की सभी पार्टियां शामिल हों और उनकी वाजिब चिंताओं पर ध्यान दिया जाए ताकि स्थिति का व्यापक तौर पर और बातचीत के जरिए समाधान हो सके।

उस देश में बसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण हमारी मुख्य चिंता रही है। 17 जुलाई को सुरक्षा स्थिति के और बिगड़ने का पूर्वानुमान लगाते हुए, सभी भारतीय नागरिकों विशेषकर जो दक्षिणी लेबनान में रह रहे हैं, को सलाह दी गई थी कि वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में उचित एहतियात बरतें। समाधान करने के लिए सलाह-मशविरे किए गए कि लेबनान में बसे हमारे नागरिकों, जो लौटने के इच्छुक हैं, को किस तरह भारत सुरक्षित वापस लाया जाए। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे बेरूत में भारतीय दूतावास जिसे वहां उत्पन्न स्थिति के संबंध में आवश्यक परामर्श और अद्यतन जानकारी मुहैया कराने के लिए हिदायतें दी गई हैं, के संपर्क में रहें।

चूंकि बेरूत हवाई अड्डा बंद था और बेरूत और दमिस्क के बीच सड़क मार्ग असुरक्षित था, इसलिए यह महसूस किया गया कि भारतीय नागरिकों को बेरूत बंदरगाह के जरिए निकालना सबसे उपयुक्त रहेगा। चार भारतीय नौसेना पोतों-आई.एन.एस. मुंबई, आई.एन.एस. ब्रह्मपुत्र, आई.एन.एस. बेतवा और आई.एन.एस. शक्ति

*ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-4500/2006

[डा. मनमोहन सिंह]

जो लाल सागर क्षेत्र में थे, को भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने में मदद के लिए बेरूत भेजा गया।

भारतीय नागरिकों की निकासी का पहला प्रयास 21 जुलाई, 2006 को किया गया। 598 भारतीय नागरिकों को तथा मानवीय आधार पर, नेपाल, लेबनान और श्रीलंका के नागरिकों को आई.एन.एस., मुंबई द्वारा बेरूत से निकालकर साइप्रस में लरनाका पहुंचाया गया। लरनाका से, एयर इंडिया ने उन भारतीयों को मुम्बई और चेन्नै पहुंचाने के लिए हवाई जहाजों का प्रबंध किया।

बेरूत से भारतीयों की दूसरी निकासी 24 जुलाई को की गई। इसमें 887 लोग थे जिनमें 784 भारतीय, 41 नेपाली, 57 श्रीलंका और 5 लेबनानी नागरिक थे। सभी भारतीय नागरिकों और नेपाल तथा श्रीलंका के नागरिकों को लरनाका से हवाई जहाज द्वारा भारत पहुंचाया गया और वे सुरक्षित पहुंच गए हैं। निकासी का तीसरा चरण 26 जुलाई को पूरा किया गया जिसे मिलाकर बेरूत से निकले लोगों की कुल संख्या 1870 है जिनमें 1687 भारतीय नागरिक हैं।

हमारा अनुमान है कि लड़ाई शुरू होने के समय लगभग 12,000 भारतीय नागरिक लेबनान में थे। उनमें अधिकतर अर्द्ध-कुशल और अकुशल कामगार हैं जो खेतों और फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। इनमें से अधिकांश लोगों ने लेबनान छोड़ने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ लोगों ने वहीं रहने का निश्चय किया है। कुछ लोग संचार-व्यवस्था में व्यवधान के कारण बेरूत नहीं पहुंच पाए होंगे। हमें अब तक बेक्का घाटी में एक ग्लास फैक्ट्री पर हुए हवाई हमले में एक भारतीय नागरिक के मारे जाने की पुष्टि हुई है।

हमारा दूतावास बेरूत में अभी काम कर रहा है और वह विभिन्न संगठनों और एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए हुए है जिनसे भारतीय नागरिक संबद्ध थे। फिलहाल, हमारे नौसेना पोत इस क्षेत्र में बने रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भारतीय नागरिकों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेबनान में हालात को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकों की आगे और निकासी की योजना बनाई जाएगी।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के एक हिस्से के रूप में, हमारी 672 भारतीय अधिकारियों और सैनिकों की एक टुकड़ी भी है। हमारे शांति-सैनिक सुरक्षित हैं, वे इस समय अपनी बैरकों में हैं।

मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने कितनी मुस्तैदी से और सफलतापूर्वक मुसीबत में पड़े हमारे साथी नागरिकों की मदद के लिए कार्रवाई की है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): हताहतों को आपकी उपस्थिति में मुआवजा दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कल मैंने आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन का अग्रणी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कृपया बैठ जाए। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाए। मुझे अत्यन्त खेद है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम प्रधान मंत्री जी के बहुत आभारी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल श्री डी.वी. सदानन्द गौडा के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं चर्चा के लिए अनुमति देने को तैयार हूं। अब कुछ और नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री सदानन्द गौडा के वक्तव्य को रिकार्ड किया जाएगा। मैं चर्चा की अनुमति प्रस्ताव के माध्यम से दूंगा। प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दीजिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं यहां वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को आरम्भ नहीं करने दूंगा। नियम मुझे इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा को अपराह्न 1.30 बजे तक स्थगित किया जाता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.35 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 1.35 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 1.35 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) तमिलनाडु में नागापटिनम और वैलनकन्नी के बीच रेल लाइन बिछाने जाने की आवश्यकता

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रेल मंत्री नागापट्टीनम और वैलनकन्नी के बीच रेल लाइन की स्थापना के लिए सहमत हो गए थे जिसके लिए वैलनकन्नी स्थित श्राइन आफ अवर लेडी आफ हेल्थ ने रेलवे को 10 प्रतिशत अग्रिम धनराशि पहले ही अदा कर दी है।

बार-बार अनुरोध, कई अभ्यावेदनों और आधारशिला रखे जाने के बावजूद भी, रेलवे लाइन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। पूर्व रेल मंत्री ने भी श्राइन आफ अवर लेडी आफ हेल्थ के पुरोहित को यह आश्वासन दिया था कि कार्य जल्द ही आरम्भ हो जायेगा।

माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस परियोजना को शीघ्र से शीघ्र आरम्भ किया जाए क्योंकि इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब की वजह से लाखों तीर्थयात्री समस्या का सामना कर रहे हैं।

(दो) कुर्दिस्तान, इराक में फंसे भारतीयों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री बाडिगा रामकृष्णा (मछलीपत्तनम): भारतीयों विशेषकर आंध्र प्रदेश के निवासियों के साथ खाड़ी देशों में शोषण और दुर्व्यवहार की एक और घटना सामने आई है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी, खम्मम, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद जिले के लगभग 90 व्यक्तियों को एक खाड़ी एजेंट ने इराक में कुर्दिस्तान की एक कम्पनी को बेच दिया। इस एजेंट ने प्रत्येक व्यक्ति से 1.5 से 2 लाख रुपये लिये और उन्हें अप्रैल, 2006 को पर्यटक वीजा से दुबई भेजा और उन्हें एसीसी कम्पनी में रोजगार प्रदान करा दिया। किन्तु जैसे ही पर्यटक वीजा की अवधि पूरी हुई तो पुलिस की वर्दी में कुछ उप-एजेंट उनके पास गए और कहा कि उन्हें भारत वापस भेजा जायेगा क्योंकि वीजा अवधि पूरी हो गई है और कुछ दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिये। किन्तु, वास्तव में इन कामगारों को 50,000 डालर में कुर्दिस्तान की अरेबिक इंटरनेशनल कम्पनी को बेच दिया गया। उनकी वास्तविक कठिनाइयां यहां से आरम्भ होती है। इन लोगों के साथ केवल 4 डालर प्रतिदिन अदा करके 16 से 18 घन्टे काम लेकर दासों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। कम्पनी उन्हें समुचित भोजन भी नहीं दे रही है। यदि वे काम करने से मना करते हैं तो उन्हें लोहे की छड़ों से पीटा जाता है।

आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री ने कुर्दिस्तान से भारतीय लोगों की रिहाई के लिए शहरी विकास मंत्री और गृह मंत्री से भी बात की थी। किंतु, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कूटनीतिक और राजनैतिक चैनलों के माध्यम से तत्काल उपाय किए जाएं और इन व्यक्तियों को तत्काल छुड़ाया जाए।

(तीन) हिमाचल प्रदेश को जम्मू-कश्मीर से जोड़ने वाले सामरिक महत्व के संसारी-किलार-थिरोट मार्ग का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): मुझे इस बार अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाहौल एवं स्पीति तथा चम्बा जिले के पांगी उपमंडलों के जनजातीय क्षेत्रों का विस्तार से दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ। संसारी-किलार-थिरोट सड़क के नाम से प्रसिद्ध सड़क सामरिक महत्व की होने के कारण इसका रख-रखाव सीमा संगठन द्वारा किया जाता है। जो मनाली-लेह सड़क को टांडी पर जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर के साथ बटोट पर जोड़ती है। यह सड़क जम्मू और कश्मीर के किश्तवार-डोडा क्षेत्र से होकर गुजरती है इसलिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सम्पर्क की जीवन रेखा है। मैंने देखा है कि इस सड़क का रखरखाव अच्छा नहीं है, कतिपय स्थानों पर सड़क ऊंची-नीची है और कुछ हिस्से को छोड़कर सारी सड़क टूटी-फूटी है और कई स्थानों पर इसे चौड़ा किये जाने की आवश्यकता है।

मेरे स्थल निरीक्षण अनुभव के आधार पर मैं तत्काल कार्यवाही के लिए निम्नलिखित सुझाव देती हूं:-

1. टांडी से थिरोट तक सड़क का पुनर्निर्माण

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

2. थिरोट से उधमपुर के निकट मडग्राम तक सड़क पर तारकोल बिछाना और इसे पक्का बनाना

3. उधमपुर और टिंडी के बीच तीन पुलों का तत्काल निर्माण किया जाए क्योंकि यहां बर्फ पिघलने से बाढ़ आती है जिससे यातायात प्रभावित होता है

4. बम्बल पर सड़क को सपाट बनाना क्योंकि वन संबंधी मंजूरी पहले ही ली जा चुकी है।

5. सिद्ध मंदिर और किलार पुल के बीच सड़क को सपाट बनाना और चौड़ा करना।

6. किलार पुल और संसारी नाला के बीच सड़क पर तत्काल तारकोल बिछाना और पक्का बनाना।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन सुझावों पर गौर करें और विशेष बजटीय आबंटन, मशीनरी और उपकरण प्रदान करके तत्काल कार्यवाही करें जिससे कि सामरिक महत्व की इस सड़क का रख-रखाव सार्वजनिक एवं राष्ट्र हित में हो पाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव-उपस्थित नहीं।

(चार) वडोदरा और मुम्बई के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि वडोदरा और मुंबई के बीच जीवीएफओ प्रणाली के आधार पर एक एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अहमदाबाद-मुंबई खंड पर भारी यातायात घनत्व है और विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहले ही अपनी क्षमता से ज्यादा भीड़-भाड़ है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित एक्सप्रेस मार्ग के लिए सर्वेक्षण कार्य और भूमि अधिग्रहण शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाए। गुजरात सरकार ने एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित संरेखण की और 300 मी. चौड़ी भूमि नियत कर ली है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

मैं संसद के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह समयबद्ध सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू करे।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जुएल ओराम-उपस्थित नहीं।

(पांच) कोयले पर रायल्टी की दर की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत नायक (क्योंझर): कोयला उत्पादन करने वाले राज्य विशेषरूप से उड़ीसा भारी घाटे का सामना कर रहे हैं क्योंकि कोयले की रायल्टी दर में निश्चित समय के बाद संशोधन नहीं किया जा रहा है। खान और खनिज अधिनियम, 1957 के अनुसार रायल्टी दर में प्रत्येक तीसरे वर्ष संशोधन किया जाना चाहिए। क्योंकि वित्त आयोग ने भी केन्द्र सरकार के समक्ष यही सिफारिशें की हैं। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र सरकार खनिजों विशेष रूप से कोयले की रायल्टी दर में संशोधन करने की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। फलस्वरूप कोयला भंडार वाले राज्यों को भारी घाटा हो रहा है। उड़ीसा राज्य को वार्षिक रूप से 750 करोड़ रु. का घाटा हो रहा है। राज्य पहले ही वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, चूंकि इसे सूखा, बाढ़, चक्रवात जैसी किसी न किसी प्राकृतिक आपदा को झेलना ही पड़ता है। चूंकि उड़ीसा और कोयला उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों की मांग न्यायोचित भी है, इसलिए मेरी यह मांग है कि कोयले पर रायल्टी दर में संशोधन अविलंब किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत-उपस्थित नहीं।

(छह) त्रिपुरा में अगरतला सबरूम रेल लाइन को जोड़ने के लिए बजट प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, त्रिपुरा के लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि अगरतला से सबरूम तक रेल लाइन का विस्तार किया जाए। वर्ष 1998-99 में अगरतला-सबरूम पर नई बड़ी लाइन के सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई और प्रारम्भिक सर्वेक्षण शुरू किया गया। वर्ष 2004-05 में सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन बनाया गया और पूर्व सीमांत रेलवे प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2005 के आरंभ में रेलवे बोर्ड को यह रिपोर्ट भेजी गई। यह परियोजना निम्नलिखित कारणों से राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है:

1. एक बार रेल लाइन का सबरूम तक विस्तार होने पर वह राज्य की शेष 50 प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

2. दक्षिण त्रिपुरा प्राकृतिक गैस, रबड़ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है जिनका अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं की वजह से दोहन नहीं किया जा सका है।

3. मुख्य भूमि से राज्यों में वस्तुओं और आवश्यक जिन्सों के संचलन के लिए बांग्लादेश के माध्यम से विद्यमान

अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रोटोकाल मार्ग का दोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। जिनको इसके आगे रेल द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जा सकता है।

4. एक बार सबरूम से रेल संपर्क हो जाने पर विद्यमान बांग्लादेश रेलवे नेटवर्क के माध्यम से केवल 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित चेत्तगांग पत्तन को जोड़ने में सरल होगा।

5. यह संपर्क हो जाने पर त्रिपुरा अनेक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य के लिए गेटवे बन सकता है।

6. एक बार इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इसका संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

अत: मैं पुरजोर मांग करता हूं कि वर्ष 2006-07 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों में इस परियोजना हेतु एक बजटीय प्रावधान किया जाए।

(सात) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, देश में आजादी के 58 साल बीत जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अत्यधिक दयनीय है, कहीं विद्यालय नहीं तो कहीं अध्यापकों की कमी है। देश के कुल दस लाख चार हजार स्कूलों में स्थिति यह है कि ग्रामीण अंचल के 30 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों की इमारतें आज तक पक्की नहीं हैं जबकि शहरी इलाके में प्राथमिक भवनों के पक्का न होने की संख्या 25.70 प्रतिशत है, देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, जहां सभी प्राथमिक स्कूलों की इमारतें पक्की हों।

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा देश के 29 राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के बाद ये तथ्य सामने आए हैं, जिसके अनुसार 41 हजार 79 प्राथमिक स्कूलों की कोई इमारत नहीं है, 14.60 प्रतिशत स्कूलों में केवल एक ही क्लास रूम है, 35.26 प्रतिशत स्कूलों में दो क्लास रूम और 39.96 स्कूलों में तीन अथवा उससे ज्यादा क्लास रूम हैं। एक लाख सात हजार 842 स्कूलों में केवल एक क्लास रूम है, जिनमें 94.73 प्रतिशत स्कूल ग्रामीण इलाके में और 5.17 प्रतिशत स्कूल शहरी इलाके में है। असम में 66.22 प्रतिशत स्कूलों में सिर्फ एक ही क्लास रूम है, 68.48 प्रतिशत क्लास रूमों की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि 31.52 प्रतिशत क्लास रूमों की मरम्मत करने की जरूरत है।

शिक्षा हमारी तरक्की का आधार है, ग्रामीण अंचल की प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है। सरकार को चाहिए कि वह प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु धन अवमुक्त करे, जिससे बच्चों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(आठ) जहानाबाद, बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110, 98 और 83 की मरम्मत और रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद से गुजरने वाली एन.एच. 110, 98 और 83 अतिवृष्टि से जीर्ण-शीर्ण हालत में पहुंच गई है, जिससे बिहार की राजधानी पटना से गया, जहानाबाद, अरवल आने-जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। एन.एच. 83 पर दो वर्षों से पुल टूटा हुआ है, जिसे नहीं बनवाया गया है। एन.एच. 110 जहानाबाद से बिहार शरीफ तक जीर्ण-शीर्ण हालत में है। एन.एच. 98 अगनूर से पाली विक्रम तक बिल्कुल ही खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन तीनों एन.एच. में अविलम्ब मरम्मत का काम शुरू हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-उपस्थित नहीं।

श्री प्रभुनाथ सिंह-उपस्थित नहीं।

(नौ) "तमिलनाडु सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" का नाम पुन: "राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना" रखे जाने की आवश्यकता

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम): राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केन्द्र सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसका व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वयं इच्छुक हो। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत रूप से प्रायोजित और सहायता प्राप्त है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायतों के माध्यम से देश के 200 जिलों में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

[डा. के. धनराजू]

यह आश्चर्यजनक है कि पिछली तमिलनाडु सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर "तमिलनाडु सरकार ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना" कर दिया है। जिन लोगों को रोजगार दिया गया, उन्हें इसी के नाम के अंतर्गत पहचान पत्र भी जारी किए गए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। माननीय प्रधान मंत्री और केन्द्र सरकार के संबंधित ग्रामीण विकास मंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार को इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए और केंद्र सरकार की टीमों द्वारा राज्यों का दौरा करके आवधिक निरीक्षण भी किया जाना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा न हो। इस योजना का नाम पुन: "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" कर दिया जाना चाहिए और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अत: मैं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का आवश्यक कार्रवाई करने हेतु ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(दस) कर्नाटक में चिकनगुनिया बीमारी फैलने से रोके जाने की आवश्यकता

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): चिकनगुनिया वायरल बुखार मच्छरों से फैलता है। अब तक लाखों लोग चिकनगुनिया बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं।

पहले यह बीमारी केवल उत्तरी कर्नाटक में ही व्याप्त थी। अब यह बंगलोर नगर, ग्रामीण बंगलोर, टुमकुर, कोलार, चामराजनगर तथा अन्य जिलों में व्यापक रूप से प्रकट हो चुकी है। अब तक चिकनगुनिया 101 तालुकों तथा 15 जिलों में व्याप्त है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह हैजा, मलेरिया की तरह फैलेगी तथा हजारों व्यक्तियों को मारने वाली महामारी बन जाएगी।

केन्द्र सरकार को प्रभावित जिलों में वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों को अविलंब भेजना चाहिए तथा इस पर ध्यान देना चाहिए कि बीमारी और नहीं फैले। अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति करे तथा इस बीमारी से पीड़ित लोगों को समय पर उपचार मिलना सुनिश्चित करे।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा। यह मैंने पहले भी कहा है।

[अनुवाद]

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, मेरे पास कोई अनुवादक नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जो भी नोटिस सूचना कार्यालय को दिया है तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है केवल वही रिकार्ड में शामिल किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एम. शिवन्ना: सर, लगभग छ: महीने से *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप जो मुंहजबानी कह रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री एम. शिवन्ना: सर, यह कर्नाटक सरकार *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं।

[हिन्दी]

बाद में एड किया हुआ रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, कृपया मेरी बातों को सुनें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं क्या कर सकता हूं? नियम हमें इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

...(व्यवधान)

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, मैं एक भाषांतरकार की मांग कर रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा कन्नड़ में बोलता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जो आप कह रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है। मैं हिन्दी में सुन रहा हूं।

श्री एम. शिवन्ना: सर, राज्य सभा से कन्नड़ इंटरप्रेटर बुलाया गया है, जो हिन्दी में इंटरप्रटेशन कर रहा है, लेकिन हमें अपनी स्पीच की अंग्रेजी में कापी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। यहां का जो इंटरप्रेटर था वह रिटायर हो गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह माननीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपके भाषण का जब हिंदी इंटरप्रिटेशन सुन रहा हूं, तब कैसे मानूं कि आपके भाषण का इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

यदि आपके साथ कोई समस्या है, तो आप अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

(ग्यारह) सोलहवीं शताब्दी के असम के वैष्णव संत श्रीमन शंकर देव के जन्म दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर): मैं सरकार का ध्यान असम के 16वीं शताब्दी के वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जयंती को राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में घोषित करने संबंधी असम के लोगों की एक बहुत लोकप्रिय मांग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमंत शंकर देव का जन्म 1449 में हुआ था। वह गुरुनानक के समकालीन थे। उन्होंने वैष्णववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा भारत के उत्तर-पूर्व भाग में नव-वैष्णव आन्दोलन को चलाया। वह अंतर्निहित सार्वभौम प्रेम से ओत प्रोत थे और उन्होंने धार्मिक तथा नस्लीय समूहों सहित समाज के सभी वर्गों को एकजुट किया तथा उनमें महान भारतीय राष्ट्रवाद की भावना भरी। वे केवल मध्यकालीन वैष्णव गुरु ही नहीं थे बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक दार्शनिक तथा सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में श्रीमंत शंकर देव में स्थानीय शासन की इकाई के रूप में गांव को एक स्पष्ट सामाजिक संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जो आज की पंचायती राज संस्थाओं से काफी मिलती है। वह नृत्य, नाट्य, साहित्य, कला तथा संस्कृति में निष्फल थे तथा इसके बल पर उन्होंने भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर बनाने में सभी वर्गों के हितों को समन्वित करने में सफलता प्राप्त की जिसे अब यूनेस्को की 'वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी' द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसे महान व्यक्तित्व के योगदान को राष्ट्र द्वारा समुचित रूप से मान्यता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। ताकि इससे न केवल देश के युवा वर्ग के मार्गनिदेशन प्राप्त हो बल्कि एक क्षेत्र को भी संवेदनापूर्वक एकजुट किया जा सके। अतएव, मैं सरकार से उनकी जयंती को राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में घोषित करने के लिए विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह सुनिश्चित करने की अपील भी करता हूं कि सरकार के अधिकारिक प्रकाशनों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी उनके योगदान को उचित स्थान मिले।

(बारह) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं देर से उपस्थित होने के लिए क्षमा चाहता हूं। इसे आप मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए कि मैं जिस महंगाई के मुद्दे को उठाना चाहता हूं, उसी पर आज सदन में बहस होने जा रही है।

महोदय, वर्तमान में देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। इस समय जनता को बड़ी परेशानी हो रही है और उपभोक्ताओं की सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके साथ-साथ डीजल और पैट्रोल के दाम भी एक वर्ष में तीन से चार बार बढ़ा दिए गए हैं, जिससे गरीब जनता को इन सभी चीजों से वंचित होना पड़ रहा है। अगर इस महंगाई पर रोक नहीं लगायी गयी और ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में गरीब जनता को अपना निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि बढ़ती महंगाई को रोकने के तुरन्त उपाय करे, जिससे गरीब जनता अपना जीवन निर्वाह कर सके।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी महंगाई को रोकने के बारे में उत्तर दें।

अपराह्न 1.56 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद संख्या 11 पर विचार करेंगे। डा. चिंता मोहन ने आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर चर्चा शुरू करनी है। सबसे पहले मैं डा. चिंता मोहन को चर्चा शुरू करने के लिए कहूंगा।

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): उपाध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोग मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाने जा रहे हैं। सामान्य मूल्य वृद्धि आम आदमी को चोट पहुंचा रही है। यह केवल हमारे देश की ही स्थिति नहीं है बल्कि ऐसा अन्य एशियाई देशों में भी हो रहा है।

हाल में, तेल के मूल्य बढ़े हैं। पहले, इसकी कीमत 28 डालर प्रति बैरल थी। अब यह 78 डालर प्रति बैरल तक चली गई है। तेल की कीमत में इस वृद्धि का सीधा असर मूल्य वृद्धि पर हुआ है। यहां यह मैं कहना चाहूंगा कि मेरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी कांग्रेस पार्टी मध्यमवर्ग के प्रति प्रतिबद्ध है। मेरी पार्टी किसानों, युवकों, महिलाओं तथा देश के हर व्यक्ति के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता तथा दर्शन को ध्यान में रखते हुए मेरी पार्टी की नेता श्रीमती गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई तथा मूल्य वृद्धि पर चर्चा की। वह मूल्य वृद्धि से बहुत चिंतित हैं। तत्पश्चात् कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जो अन्य कोई पार्टी नहीं कर पाई। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया तथा मूल्य वृद्धि पर चर्चा की। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों पर दबाव बनाया कि मूल्यों को नियंत्रण में रखा जाये। माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जो खुद एक अर्थशास्त्री हैं, इस देश के बारे में सब कुछ जानते हैं। वे इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए तथा मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की यह मूल्य वृद्धि कोई नई घटना नहीं है।

अपराह्न 2.00 बजे

यह तब भी था जब 1950 में पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे। उस समय मुद्रास्फीति की दर 2.8 प्रतिशत थी। फिर 1960 में भी मूल्य वृद्धि हुई थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी। उस समय, जब 1960 में पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, कामरेड पी. सुन्दरैया संसद सदस्य थे जिन्हें 'पीएस' कहा जाता था और वे मूल्य वृद्धि को दर्शाने के लिए साइकिल पर संसद आए। आज कल अधिकांश संसद सदस्य बड़ी-बड़ी कारों में संसद आ रहे हैं किंतु दिवंगत कामरेड पी. सुन्दरैया निक्कर (हाफ-पैंट) पहनकर साइकिल पर संसद आए। वे सब्जियां लेकर संसद में आए और उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को टमाटर और आलू दिखाकर मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया। यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने सररकार की आलोचना की क्योंकि उस समय दालों की कीमतें काफी अधिक थी।

1970 में भी यह समस्या थी। उस समय, 1 अगस्त, 1985 को स्वर्गीय मधु दंडवते ने मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दूध और दालों की मूल्य वृद्धि का उल्लेख किया था। उस समय मूल्यों में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

तत्पश्चात्, स्वर्गीय इंद्रजीत गुप्त ने माचिस का मुद्दा उठाया था। उन्होंने लोक सभा में माचिस का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि पहले माचिस का मूल्य लगभग 10 पैसे था और अब इसका मूल्य बढ़कर 30 पैसे हो गया है। वे आम जनता के प्रति इतने कर्त्तव्यनिष्ठ थे कि उन्होंने माचिस की मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया। इन दिनों कोई भी सदस्य लोक सभा में माचिस के मूल्य का मुद्दा नहीं उठाता है। 1985 में माचिस का मूल्य 30 पैसे था और अब यह 50 पैसे है।

वर्ष 1990 में हमने मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया था। वर्ष 2006 में विपक्षी नेताओं ने खाद्य तेल, दालों आदि के मूल्य में वृद्धि का मुद्दा उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत से सीमेंट, स्टील और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है।

आज, आम आदमी की रुचि लगभग 70 आवश्यक वस्तुओं में है। इनमें से कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है। हम भी इस बारे में आप ही की तरह चिंतित हैं। हमारी सरकार कीमतों को नियंत्रण में लाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए हमने कई उपाय किए हैं।

आज इस देश में काफी बढ़िया सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ऐसी प्रणाली संसार में और कहीं विद्यमान नहीं है। हमारे पास पूरे देश में 4,83,000 उचित दर की दुकानें हैं और प्रत्येक उचित दर दुकान के अंतर्गत लगभग 465 परिवार हैं। इस प्रणाली से हम इस सरकार के निर्धन से निर्धन व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं।

'अन्त्योदय योजना' के माध्यम से सरकार दो करोड़ से अधिक परिवारों की सहायता कर रही है। हमारी सरकार इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या को बढ़ाकर ढाई करोड़ करने की योजना बना रही है। इस योजना के माध्यम से हम 3 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल दे रहे हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति किसी उचित दर की दुकान को 100 रुपये देता है तो उसे 35 किलो चावल मिलेंगे. यह एक गरीब समर्थक उपाय है।

यूपीए सरकार ने यह देखने के लिए कई उपाय किए हैं कि मूल्य नियंत्रण में रहें और आम आदमी सुरक्षित रहे। लगभग साढ़े सात करोड़ परिवार गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चल रही उचित दर की दुकानों के माध्यम से उन्हें बाजार मूल्य से आधे मूल्य अर्थात् किफायती दर पर चावल दे रहे हैं। हम उन्हें बाजार मूल्य से आधे मूल्य पर गेहूं उपलब्ध करवा रहे हैं। हम उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से तेल और चीनी दे रहे हैं।

यह सरकार गरीबी की रेखा के ऊपर रहने वाले लगभग 13 करोड़ लोगों को इस श्रेणी के अंतर्गत सुविधा दे रही है। हम उन्हें उचित दर की दुकानों के माध्यम से किफायती दर पर चीनी और तेल प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर, हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 23 करोड़ परिवारों को यह सुविधा दे रहे हैं और इसलिए हम गरीब लोगों और आम लोगों की रक्षा कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि मूल्य वृद्धि का उन पर कोई प्रभाव न पड़े।

अब मैं एक और गरीब समर्थक कार्यक्रम की बात करता हूं जो एक अच्छा कार्यक्रम है और जो किसी अन्य सरकार ने पहले नहीं किया है। इसे भी वर्ष 1995 में कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। यह कार्यक्रम 'मध्याह्न भोजन' कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम भी इस देश के गरीब लोगों के लिए है। प्राथमिक स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक के लगभग 12 करोड़ बच्चों को बढ़िया मध्याह्न भोजन मिल रहा है। हम बच्चों को गेहूं और चावल के रूप में 2400 कैलोरी उपलब्ध करा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ स्थानों पर हम इन बच्चों को मछली दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हम उन्हें प्रतिदिन एक अंडा दे रहे हैं। यह सरकार लोगों को इस प्रकार का गरीब समर्थन कार्यक्रम उपलब्ध करा रही है।

जहां तक ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम का संबंध है, इसी यूपीए सरकार ने गरीब लोगों को लाभ देने के लिए लगभग 200 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया है। यह 100 दिन रोजगार देने का रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। हम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले तथा काम चाहने वाले एक परिवार को लगभग 100 रुपये दे रहे हैं। हम प्रति परिवार एक वर्ष में लगभग 10,000 रुपये दे रहे हैं। इस प्रकार हम ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम पर लगभग 13,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।

केवल यही नहीं अपितु किसानों की सहायता करने और मूल्य वृद्धि का प्रभाव उन पर न पड़ने देने के लिए हम उन्हें राजसहायता जैसे यूरिया पर राजसहायता आदि प्रदान कर रहे हैं। हम आयातित और स्वदेशी दोनों प्रकार की यूरिया पर लगभग 11,500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि मूल्य वृद्धि का प्रभाव आम आदमी पर न पड़े। एनपीके, के अंतर्गत हम एनपीके राजसहायता के माध्यम से लगभग 5,200 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। यह यूपीए सरकार उर्वरकों पर राजसहायता के माध्यम से किसानों पर लगभग 16,700 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।

जहां तक रसोई गैस सिलेंडर और मिट्टी के तेल का संबंध है, हम टाटा से लेकर आम आदमी को रसोई गैस सिलेंडर दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टोका-टाकी न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अभी बहस तो शुरू नहीं हुयी और ये जवाब दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. चिन्ता मोहन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपका नंबर आएगा, तब आप अपनी बात कहिएगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: स्वाईं जी कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

डा. चिन्ता मोहन: महोदय हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हर गरीब आदमी को राजसहायता प्राप्त दरों पर मिट्टी का तेल दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. चिन्ता मोहन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, आप हमारे द्वारा गरीब आदमी को दी जा रही राजसहायताओं पर नजर डालें। हम इस देश के हर व्यक्ति को एलपीजी सिलिन्डर के मूल्य पर लगभग 80 प्रतिशत राजसहायता दे रहे हैं।

इस अवस्था में सरकार को क्या करना चाहिए? मैं यह चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि दालें भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल की जाए। आम आदमी की सहायता के लिए हमें दालों को निश्चित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल करना होगा। जब हम लोक सभा के इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर मानसून सत्र में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। जुलाई-अगस्त के महीनों में दाल के मूल्य बढ़ जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि दालों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि हर गरीब आदमी को दालें उचित दर पर मिलें।

मिड-डे-मील कार्यक्रम के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मानवेन्द्र सिंह जी, उनको आपकी असिस्टेन्स की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: केवल डा. चिन्ता मोहन का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा और इसके अतिरिक्त कोई बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: हांडिक जी, आपके मैम्बर्स हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. मोहन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: चिन्ता मोहन जी, आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मोहन सिंह जी, जब आपका बोलने के लिए नम्बर आयेगा तब आप खूब बोल लेना लेकिन अभी उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन: मैं यह चाहता हूं कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करे। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए। हमारे पास लगभग 4,83,000 उचित दर दुकानें हैं। कम से कम उन्हें उचित दर दुकानों की संख्या बढ़ाकर लगभग छ: लाख कर देनी चाहिए। इसमें उन्हें देश के अधिक से अधिक लोगों सबसे गरीब लोगों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शामिल करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: पंजाब में भी और उचित दर की दुकानें खोली जानी चाहिएं।

डा. चिन्ता मोहन: जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सवाल है पहले 79 आवश्यक वस्तुएं थी: सरकार ने ये कम करके 50 कर दी हैं। अब सरकार को पुन: 79 आवश्यक वस्तुएं कर देनी चाहिएं। हालांकि उनके लिए यह कठिन है फिर भी उन्हें इसे पुन: 79 आवश्यक वस्तुएं करना सुनिश्चित करना चाहिए।

साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजसहायता प्राप्त चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल तथा जो भी लाभ हम गरीब लोगों को दे रहे हैं वह सीधे उन तक पहुंचे, सतर्कता तथा अनुवीक्षण समितियां बनाई जानी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ दलाल न उठा सके। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम में हमें उन्हें और अधिकार देने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काला बाजारी आदि से गरीब तथा आम आदमी प्रभावित न हो सके। साथ ही मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहूंगा कि वह एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाने के लिए लालायित हो सकती है परन्तु उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी स्थिति में एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के दाम न बढ़ाएं जाएं। ये लोगों की पहुंच तक होने चाहिएं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम आदमी के हितों की रक्षा हो सके।

कुछ दिन पहले विपक्ष के कुछ सदस्य कह रहे थे कि मूल्य वृद्धि के इस छोटे से मुद्दे पर वाम दलों को अपनी आवाज उठानी चाहिए तथा अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि वाम दल अपना समर्थन वापस नहीं लेने वाले। वे संप्रग के समर्थन देना जारी रखेंगे और यह सभा पांच वर्ष तक चलेगी। संप्रग सरकार जारी रहेगी तथा यह पांच वर्ष की अपनी पूरी अवधि तक चलेगी।

मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध करूंगा कि आम आदमी तथा गरीबों के हितों की रक्षा हो। मैं सरकार से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि गरीब आदमी मूल्य वृद्धि से प्रभावित न हो।

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। *...(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): मल्होत्रा जी, क्या आप महंगाई बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में न बोलें।

[हिन्दी]

यादव जी, जब श्री चिन्तामोहन जी बोल रहे थे, मैंने विपक्ष की ओर से किसी को बोलने नहीं दिया था।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें व्यवधान न पहुंचाएं। कृपया उनकी बात सुने।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर यह सदन चर्चा कर रहा है। श्री चिन्ता मोहन जी का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने सरकार की बहुत सी वण्डरफुल और महत्वपूर्ण योजनाओं तथा कांग्रेस पार्टी ने क्या-क्या किया, उनका उल्लेख किया है। मैं उनकी बातों का ज्यादा उत्तर देने की जरूरत नहीं समझता हूं। उन्होंने कहा कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम चला रहे हैं, मैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

उन्हें बताना चाहूंगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम सेकेण्ड वर्ल्ड वार के बाद से अर्थात् वर्ष 1944 से ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी में कितनी वृद्धि की है, अगर उन्होंने इसका जिक्र किया होता तो बात समझ में आती। आज महंगाई कितनी और महंगाई की क्या स्थिति है, इसके बारे में हजारों अखबारों की कटिंग्स हैं, मैं उनमें से केवल कुछ कटिंग्स को आपके सामने रखना चाहूंगा। ''मनमोहन के राज में महंगाई मार गयी'' इस हेडिंग के साथ अखबार ने लिखा है कि ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): मल्होत्रा जी, आप हमेशा अखबारों का सहारा क्यों लेते हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: गोयल जी कृपया पहले अपनी सीट पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जिन्दगीयापन करना कठिन कर दिया है, उनकी जिन्दगी बर्बाद कर दी है, उसके बाद भी यहां पर इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है।

''मनमोहन के राज में महंगाई मार गयी, सरकार ने छोड़ा गरीब का साथ।''

और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के समर्थक अखबार, जिसे पार्टी का मुखपत्र माना जाता है, नेशनल हेराल्ड ने भी लिखा है, उसने भी इसी तरह की टिप्पणियां की हैं:

''महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का जायका।''

''एक वर्ष में महंगाई ने सभी कीर्तिमान तोड़े।''

हिन्दुस्तान टाइम्स, जिसकी एडिटर कांग्रेस की ही एक मेम्बर हैं, ने लिखा है:

''कांग्रेस के आम आदमी को आघात''-

''पेट्रोल, डीजल तथा यहां तक कि आम आदमी के मुख्य भोजन-आटा और दाल की कीमतों में वृद्धि से कांग्रेस की आम आदमी के लिए चिंता में वृद्धि हुई है।''

''मुद्रास्फीति: इससे दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है।''

''आम आदमी अपने आप में एक लक्ष्य बन सकता है।''

''आपके बजट पर मुद्रास्फीति घर कर चुकी है।''

[हिन्दी]

''सरकार ने छोड़ा गरीब का हाथ।''

''गरीब के साथ विश्वासघात''

[अनुवाद]

''आम आदमी अपने आप में एक लक्ष्य बन सकता है।''

''बुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी।''

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, इनके अतिरिक्त और भी अखबार हैं जिनका मैं यहां जिक्र कर सकता हूं। हिन्दुस्तान का कोई भी ऐसा अखबार नहीं है, जिसने इस बात का उल्लेख न किया हो कि महंगाई से देश किस प्रकार प्रभावित है और लोग किस प्रकार महंगाई से पीड़ित हैं। यहां पर महंगाई के आंकड़ों के बारे में बताया गया और कहा गया कि महंगाई तो फिनोमिनन है और पता नहीं कब से चल रही है। यह भी कहा गया कि नेहरू जी के समय में भी कोई माचिस लेकर आ गया था, जबकि उस समय दूध की बात का जिक्र हो रहा था। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के छः साल के कार्यकाल का आप रिकार्ड देख लें, सिवाय प्याज की कीमत के अलावा और किसी वस्तु के दाम नहीं बढ़े थे। यहां भी सिर्फ प्याज के अलावा और किसी भी वस्तु की कीमत पर चर्चा नहीं हुई थी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): उस समय भी आलू, टमाटर आदि चीजों के दाम बढ़े थे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मानवेन्द्र सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यहां पर देवेन्द्र प्रसाद यादव जी बैठे हैं। उस समय ये सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसद की स्थाई समिति के सभापति थे। उस समिति ने तब यह सिफारिश की थी कि अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं

है इसलिए इसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। उस समय इस स्टेंडिंग कमेटी ने यहां सिफारिश की थी कि लोगों को मुफ्त में अनाज बांट देना चाहिए या समुद्र में फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसका किराया ज्यादा लग रहा है। एक वे हालात थे कि गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और लेने वाला नहीं था। उस समय सरकार ने घोषणा की थी कि कोई भी राज्य सरकार चाहे तो मुफ्त में अनाज ले जाए और अपने राज्य में उसे फूड फार वर्क के तहत उसका इस्तेमाल करे। राजस्थान सरकार ने कहा था कि हमारे पास तो ले जाने के लिए किराया तक नहीं है, मुफ्त में कैसे ले जाएं। इस पर सरकार ने कहा कि किराया भी हम दे देंगे, आप अनाज को यहां से ले जाएं। एक वह समय था। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हमेशा महंगाई रही है, यह तो हमेशा का फिनोमिनन है, वर्ल्डवाइज फिनोमिना है, इससे आपकी बात का पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, इन दिनों सभी पेपर्स में महंगाई के बारे में आंकड़े आए। 24 मई, 2004 को जब यह सरकार बनी और चिदम्बरम साहब ने मंत्री पद की शपथ ली, उस दिन लेकर 10 जून, 2006 के बीच आप वस्तुओं के दामों का मुकाबला करें तो मालूम होगा कि कितनी महंगाई बढ़ी है। कोई दो, चार या पांच प्रतिशत किसी चीज के दाम बढ़ जाते, तो बात समझ में आती, लेकिन आप देखें कि जो गेहूं पहले दस रुपए प्रति किलो बिक रहा था, आज वह बढ़कर 15 रुपए प्रति किलो हो गया है। इसी तरह से आटा दस रुपए प्रति किलो की जगह 17 रुपए प्रति किलो हो गया है। डबलरोटी पहले आठ रुपए की थी, अब 12 रुपए की मिल रही है। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं खुद खरीद कर लाया हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: गोयल जी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से मंत्री जी जवाब देंगे और भी सदस्य बोलेंगे। आपको इन्हें भी सुनना चाहिए और जब जवाब दिया जाए तो उस समय अपनी बात कह लें या अपने अन्य सदस्यों से एड करा लें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, अगर ये इस तरह टोका-टाकी करेंगे तो फिर मैं बोलना बंद कर देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। आप बोलिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दूसरों को डिस्टर्ब न करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, अभी मैंने बताया कि 22 मई, 2004 से लेकर 10 जून, 2006 के बीच होलसेल प्राइस, सुपर बाजार और अन्य बाजारों के दामों कितना फर्क आ गया है। चीनी जो पहले 14 रुपए प्रति किलो थी, अब 25 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। इसी तरह से चाय जो पहले 135 रुपए प्रति किलो थी, अब उसका दाम बढ़कर 180 रुपए प्रति किलो हो गया है। चावल की कीमत पहले दस रुपए प्रति किलो थी, अब वह 20-30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दालें जो पहले 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो थी, अब बढ़कर 50 रुपए से 75 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि 200-300 प्रतिशत तक कीमतों में वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि भारत के इतिहास में कब हुई, सरकार को यह भी एक्सप्लेन करना चाहिए।

पेट्रोल पहले 33 रुपये प्रति लिटर था, अब 47 रुपए से 51 रुपए प्रति लिटर के बीच मिल रहा है। यह भी कह दें कि मैं पेट्रोल लेकर आया हूं, पता नहीं आपके घर में इसकी क्या जरूरत होगी! डीजल पहले साढ़े 22 रुपए प्रति लिटर था, अब 32-33 रुपए प्रति लिटर के बीच मिल रहा है। सीमेंट की बोरी जो पहले 125 रुपए थी, अब 180 रुपए से 205 रुपए के बीच मिल रही है। इसी तरह से ईंटों का दाम भी काफी बढ़ा है।

मुझे मालूम है कि कुछ चीजों की कीमतें कम भी हुई हैं। वे चीजें कौन सी हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। कारों की कीमतों

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

में कमी आई है। इसी तरह से ए.सी., स्काच व्हिस्की की कीमतें कम हुई हैं और शराब की कीमत कम हुई है, परन्तु दूध, आटा, चावल और चाय की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसलिए इसका हिसाब लगाना चाहिए। शराब पर ड्यूटी कम करके, स्काच को हिंदुस्तान में लाने के लिए उसकी कीमतें कम की गयी। रैफ्रीजिरेटर की कीमत कम हुई है। अय्यासी की चीजों की कीमतें कम हुई हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

अगर आप सरकार की तरफ से दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो वे भी आपको बोलने नहीं देंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं पूछना चाहता हूं कि ये कीमतें बढ़ी क्यों हैं? क्या कोई दैवी विपत्ति आई, जलजला आया, कोई लड़ाई हो गयी। कीमतें बढ़ी क्यों, इसका हिसाब लगाने की जरूरत है। पहली बात जिसका जिक्र सब करते हैं वह यह है कि सात बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गयी, 58 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाई गयी और कहा गया कि दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, 60 हजार करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से आता है। एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये में से साठ हजार करोड़ रुपया केवल एक्साइज ड्यूटी से आता है और जब कीमतें बढ़ती हैं तो एक्साइज भी बढ़ती है। इस हिसाब से यह राशि कहां पहुंचेगी? हिंदुस्तान में सारी दुनिया से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। हमारे नजदीक पाकिस्तान और बंगला देश हैं और वे भी दुनिया से पेट्रोल और डीजल लेते हैं, उनके यहां भी पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है। जब दुनिया के देश अपने यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? यह जो कीमतें बढ़ाई गयी हैं यह कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए कीमतें बढ़ाई गयी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया टीका-टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, जब किसानों को मिनिमम प्राइस देकर गेहूं खरीदने का टाइम आया तो फसल आने से पहले इन्होंने घोषणा कर दी कि हम 650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम देंगे। बाजार में 1000-1100 रुपये पर गेहूं बिक रहा था लेकिन एफसीआई ने घोषित भाव पर भी गेहूं नहीं खरीदा और सारा गल्ला स्टोरियो और कालाबाजारियों ने 700-750 रुपये पर किसान से इसलिए खरीद लिया कि गवर्नमेंट तो 650 रुपये के भाव पर ही खरीदेगी। मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जानबूझकर एफसीआई ने अनाज नहीं खरीदा ताकि व्यापारी खरीदकर ले जाएं। व्यापारियों ने जब पूरा का पूरा अनाज खरीद लिया तब एफसीआई बाजार के अंदर आई। आप समझ सकते हैं कि 650 रुपये में इन्हें कौन अनाज देगा। उसके बाद ये घोषणा करते हैं कि अब हम पांच लाख टन अनाज आयात करेंगे। उपाध्यक्ष जी, क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कोई हो सकता है जहां जानबूझकर गेहूं न खरीदा जाए और जब अनाज कम हो जाए और जमाखोरों के गोदाम भरे हों तब सरकार कहे कि अब हम गेहूं आयात करेंगे। ...*(व्यवधान)* अगर इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो हम बोलना नहीं चाहेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह परम्परा बहुत गलत है। जब दूसरी पार्टी का सदस्य बोल रहा है, तो उसे बोलने दें। नहीं तो मेरे लिए यह संभव नहीं होगा कि जब आपके नेता या आप बोलना चाहें तो उन्हें कंट्रोल कर सकूं। श्री हान्डिक जी आप इन्हें चुप रहने के लिए कहें कि ये बिना मतलब डिस्टर्ब न करें। जब कोई बोल रहा है तो उसे सुनने की कोशिश करें। जब आपको बोलने का समय देंगे, तब आप जो कहना चाहते हैं, कह दीजिएगा, लेकिन दूसरे को सुनने का जज्बा रखना चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि इससे भयंकर भ्रष्टाचार संभव नहीं है कि आप इस तरह से मैनुपुलेट करें कि किसान का अनाज पौने सात सौ या सात सौ रुपए बिके और वही अनाज बाजार में 1300-1400 रुपए बिके। इन्होंने घोषणा की कि हम पांच लाख टन अनाज इम्पोर्ट करेंगे और वह गेहूं भी आस्ट्रेलिया की बदनाम कम्पनी से, जिस पर फूड फार आयल मामले का आरोप है। जिस प्रकार का आरोप हिंदुस्तान के एक मंत्री और कांग्रेस पार्टी पर लगा है, उसी प्रकार का आरोप आस्ट्रेलिया में उस कम्पनी पर लगा, जो फूड फार आयल मामले में आरोपी है, उससे इम्पोर्ट किया और इम्पोर्ट की क्या कीमत दी गई, अपने देश के किसान को 650 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए कहा और मैक्सीमम 50 रुपए का बोनस और दूसरे देश का गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पड़ा। आप वहां के किसान को एक हजार रुपए देंगे और अपने देश के किसान को 650 रुपए प्रति क्विंटल से 50 रुपए ज्यादा देने में कोताही कर रहे हैं। 15 लाख टन इम्पोर्ट किया गया। पहले अनाज नहीं खरीदा, जब बाद में व्यापारी ने खरीद लिया और अपने जखीरे भर लिए, उसके बाद इम्पोर्ट की घोषणा कर दी। स्केयरसिटी क्रियेट कर दी, फिर यह कहा कि हम जीरो ड्यूटी पर भी इम्पोर्ट कर लेंगे और विदेशों में भी गेहूं की कीमतें बढ़ गईं। वहां भी कीमतें बढ़ीं, क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदुस्तान को गेहूं की जरूरत पड़ गई है। यह कारण है, जिसकी वजह से इस देश में गेहूं महंगा हुआ।

दूसरा यहां पर सट्टा बाजार, वायदे का बाजार, कोमोडिटी एक्सचेंज और फारवर्ड ट्रेडिंग है। यह ठीक है कि उस समय शुरू हुई थी। ...*(व्यवधान)* मैं उसी बात पर आ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा की स्पीच के अलावा कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जिस समय इसे शुरू किया गया था, उस समय सारी पार्टियां इससे सहमत थीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम सहमत नहीं थे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब आपका मौका आएगा, तब आप बताइएगा। हिंदुस्तान के सारे मुख्य मंत्री इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, जब मैं आपसे कह रहा था कि श्री देवेन्द्र प्रसाद की कमेटी ने कहा कि अनाज को कहीं भी फैंक दो। फिर यह हुआ कि यदि इतना अनाज है तो इसे आने-जाने पर पाबंदियां हटा ली जाएं। अगर अनाज इतना है और रखने की जगह नहीं है, तो इस किस्म की पाबंदियां दूर कर दो। आपको आए हुए दो साल हो गए। आपके आने के दो साल बाद, जब इसकी फार्वड ट्रेडिंग के अंदर तीन महीने तक अनाज कितना चला जाए, अगर सारे हिंदुस्तान में कुल-मिलाकर जितनी यहां पर चीनी या दालें होती हैं, उससे ज्यादा फार्वड ट्रेडिंग में लोग खरीद लें। फारवर्ड ट्रेडिंग कर दें तो क्या स्केयरसिटी नहीं होगी? स्केयरसिटी होगी। दूसरे देशों से दालें 10-12 रुपए में आकर यहां 50-60-70 और 75 रुपए में बिक रही हैं। अगर हमने शुरू किया था तो दो साल से इसे खत्म करने में क्या दिक्कत थी। उस समय दालों की कीमतें नहीं बढ़ रही थीं। उस समय एक्सचेंज किया गया था तो किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ी थी। आपने दो साल में बंद क्यों नहीं किया? हम लगातार दो साल से शोर मचा रहे है। आपके पास कमोडिटी एक्सचेंज और फारवर्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। मैंने पहले भी कहा कि जितनी कुल पैदावार होती है उससे ज्यादा खरीद लिया और खरीदने के बाद घोषणा की कि जीरो ड्यूटी पर इम्पोर्ट करेंगे। यह दूसरी घोषणा थी। वहां जो दालें बेचने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि जीरो ड्यूटी पर आ रही है, उन्होंने कहा कि 15 रुपए में नहीं देंगे, 40-45 रुपए में देंगे। वहां के किसान मालामाल हो रहे हैं। वहां के ट्रेडर्स और सत्तारूढ़ पार्टी की मिलीभगत से सट्टेबाजी और वायदा सौदे की वजह से यह स्थिति पैदा हो रही है। चीनी और चाय की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? आप किन चीजों का इम्पोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं? इन कारणों में जाएंगे तो आपको दिखायी देगा कि सरकार की नीतियां इसके लिए किस प्रकार जिम्मेदार हैं?

अभी श्री चिन्ता मोहन ने यह जिक्र किया कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक मीटिंग बुलायी और बहुत भारी घोषणा की कि वह महंगाई से बहुत चिंतित हैं और हैडिंग भी था कि कीप वाच आन प्राइसेज: सोनिया गांधी। ठीक बात है कि उन्होंने मीटिंग बुलायी थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलायी थी, थोड़ा वह समय याद करें, उस समय देश भर में चुनाव हो रहे थे, सब जगह सोनिया जी का दौरा हो रहा था, किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, कीमतें बढ़ रही थीं, इम्पोर्ट में भ्रष्टाचार हो रहा था। आज किसानों के आत्महत्या का विषय नहीं है। श्री मनमोहन सिंह के विदर्भ आने के बाद 50 के करीब किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वहां रोज के तीन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सत्ता में आई पार्टी के पिछले दो साल के कार्यकाल में करीब 3-4 हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन यह विषय दूसरा है कि उन्हें अपनी उपज की कीमत मिल रही है या नहीं? मैं महंगाई की बात करना चाहता हूं। उन्होंने मीटिंग बुला कर कहा कि महंगाई पर काबू पाना चाहिए। उन्होंने एक लैटर श्री मनमोहन सिंह को लिखा और कहा कि डीजल और पैट्रोल की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। अगले दिन मंत्री महोदय ने कहा कि नो रोल बैक। सोनिया जी कह रही हैं कि कीमतें मत बढ़ाइए और मंत्री

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

महोदय कह रहे हैं कि कोई रोल बैक नहीं होगा और कीमतों में कोई कमी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब क्या करें? उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों से कहा कि सेल्स टैक्स और वैट कम कर दो। एक पैसे, दो पैसे, चार पैसे कम कर दिए और बात खत्म कर दी। सोनिया जी ने पैट्रोल, डीजल और आम वस्तुओं की कीमतों के बारे में कहा लेकिन क्या हुआ? क्या कीमतें कम हो गईं? उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स का नया फार्म नहीं चलेगा। गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, गवर्नमेंट सर्वेन्ट के लिए सरल फार्म को चेंज करके छः पेज का बना दिया। अगर ऐसा हो जाता तो हर आदमी पर एक-दो हजार रुपए का बोझ पड़ जाता और वह सीए के पास जाकर भरवाना पड़ता। उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पार्लियामैंटरी कमेटी की मीटिंग में कहा था कि नया सरल फार्म वापस लेना चाहिए। अभी वही फार्म चल रहा है। जो खराब फार्म है, उसे बंद कर रहे हैं। मैं दो-तीन बातें जानना चाहता हूं। चिदम्बरम जी बैठे हैं। सोनिया जी ने जो इतनी बातें कही लेकिन उनकी बातें मानी नहीं गईं। क्या यह माना जाए कि सोनिया जी की अब चलती नहीं है? सोनिया जी की भृकुटि तन जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, यह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः क्यों नहीं? ...*(व्यवधान)* मैंने कोई अनपार्लियामैंटरी बात नहीं कही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह असंसदीय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंहः आप जो मर्जी आये कहते जाएं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। ...*(व्यवधान)* महोदय, इसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मैं देखूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः मिस्त्री जी, कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः उपाध्यक्ष महोदय, सोनिया जी भृकुटि तन जाए तो मंत्रिमंडल का हर आदमी हट जायेगा। उनकी भवें तन जाएं तो यह होता है। परंतु आप यह कहें कि सोनिया जी कुछ कहें और वह न हो, मैं पूछ रहा हूं क्यों?

[अनुवाद]

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वह वास्तविक प्रधानमंत्री हैं और वह कांग्रेस पार्टी की नेता भी हैं।

[हिन्दी]

वह कहें कि कीमतें कम हो, डीजल के प्राइस न बढ़ें, आपने क्यों कम नहीं किए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मिस्त्री जी, आप बैठ जाएं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः मैं यह जानना चाहता था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः प्लीज साइलेंस।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः यह मैंने इसलिए जिक्र किया है, चूंकि चिंतामोहन जी ने उसका नाम लिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नेता ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने यह बात कही थी कि महंगाई पर काबू पाओ। लेकिन महंगाई पर फिर भी काबू नहीं पाया गया। इकोनोमिक टाइम्स ने इस बात को लिखा-

[अनुवाद]

इकानामिक टाइम्स के एक लेख में यह उल्लेख किया गया है:

"कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) की बैठक में केंद्र के साथ संघर्ष का नाटक किया गया-कांग्रेस चाहती है कि यू.पी.ए. सरकार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करे, आम आदमी की मदद करे। यह लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए किया गया है।"

[हिन्दी]

यह स्टेबल लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। यह इकोनोमिक टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इकोनोमिक टाइम्स लिख रहा है कि या तो सोनिया गांधी जी का निशाना श्री शरद पवार जी हैं कि शरद पवार जी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं, वह इन्हें कंट्रोल नहीं कर सके, क्या वह उन पर निशाना साध रही हैं। क्या सोनिया जी, डा. मनमोहन सिंह जी पर निशाना साध रही हैं या वह माक फाइट कर रही हैं। देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां कांग्रेस की अध्यक्ष कह रही हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर डा. मनमोहन सिंह जी कहें कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, चिदम्बरम जी कहें कि महंगाई नहीं होनी चाहिए-यह आप किसको कह रहे हैं? जो महंगाई कर रहा है, वही कह रहा है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। यह महंगाई के कारण मैंने आपको बतायें और इन कारणों से इसका ध्यान रखने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इंटरैस्ट रेट बढ़ाये जा रहे हैं। गरीब आदमी के मकान के ऊपर पहले तो चिदम्बरम साहब ने सर्विस टैक्स लगा दिया, इंटरैस्ट रेट बढ़ा दिया। यदि एक झुग्गीवाला एक छोटा सा मकान बनाना चाहे तो उसके लिए संभव नहीं है कि वह एक छोटा सा मकान भी खड़ा कर सके। आपने लोन की कीमतें बढ़ा दीं, जमीन की कीमतें बढ़ गईं या बढ़ा दी गईं। उपाध्यक्ष महोदय, इस राज में क्या हो रहा है? मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं यहां आराम से हूं, मुझे दिल्ली में रहते हुए इतने साल हो गये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल दिल्ली में एक एकड़ का प्लाट 173 करोड़ रुपए में बिका है। क्या आपको मालूम है कि जब नई दिल्ली बन रही थी तब मान सिंह रोड का प्लाट किसानों से लिया गया था, वह पांच पैसे गज के हिसाब से लिया गया था और वह प्लाट आज 173 करोड़ रुपये में बिकता है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के एक एम.पी. ने एक प्लाट 178 करोड़ रुपये में खरीदा। एक तरफ तो ये 178 करोड़ रुपये में प्लाट खरीदने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिछले दिनों अखबार में क्या आया है कि 56 करोड़ रुपये की घड़ी है और हिन्दुस्तान में ऐसे लोग भी है जो 56 करोड़ रुपये की घड़ी खरीदते हैं। कई-कई करोड़ रुपये की कारें खरीदी जाती हैं। मैंने आपसे कहा कि एक तरफ तो पैसे का ऐसा वल्गर डिमोंस्ट्रेसन है और दूसरी तरफ गरीब आदमी तथा किसान आदमी को आप देखिए कि उसे मुआवजे में क्या मिलता है।

मैं जब 1948 में आया था। उस समय मकान चार आने गज में बनाया था क्योंकि उस समय आने चला करते थे। किसान की ली हुई जमीन होती है और उसके बाद उसे कोई रोजगार नहीं दिया जाता। उसका अनाज, उसकी पैदावार का उसे कोई मूल्य नहीं दिया जाता और उसकी जमीन को यहां पर दो-दो सौ करोड़ रुपये में चार-चार सौ करोड़ रुपये में बेची जाती है। एक प्लाट जो यहां पर झुग्गी-झोंपड़ी बनाने के लिए रखा हुआ था, उसे डीएलएफ को 2000 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। यह जो भयंकर स्थिति पैदा हो रही है, उसी के कारण यह महंगाई की स्थिति पैदा हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांति बनाए रखे। सदन में किसी टीका-टिप्पणी की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अब मैं रोटी, कपड़ा और मकान पर आता हूं। रोटी के बारे में मैंने बता दिया। कपड़े के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि खादी बोर्ड में लाखों ही नहीं करोड़ों आदमी काम करते थे। उस खादी बोर्ड को बर्बाद करके रख दिया गया है। खादी बोर्ड के अंदर आज कोई काम नहीं हो रहा है। आज खादी बोर्ड का कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है। फिर गरीब आदमी रोटी कहां से खाए? गरीब आदमी कपड़ा कहां से ले? जब हालत ऐसी है तो मकान बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार जो इस समय देश में भयंकर महंगाई के लिए जिम्मेदार है, अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है क्योंकि जो ये नारे लगाये जाते थे, आम आदमी पूछता है क्योंकि आपने आम आदमी की बात की थी। इस समय सारे देश में एक ही शिकायत है कि आम आदमी को क्या मिला? सारे देश के लोगों का आज यह गिला है कि इन दो सालों के अंदर आम आदमी को क्या मिला है? मुझे यह देखकर बहुत शर्म आती है कि सारी जनता महंगाई पर रोती है और यहां पर सदस्य हंसते हैं। जब-जब कांग्रेस सत्ता में आई है, महंगाई लाई है और महंगाई लाना, ज्यादा टैक्सेज लाना और यहां पर आकर जनता के लिए इस प्रकार के हालात पैदा कर देना कांग्रेस का इतिहास रहा है। इसलिए अगर इस महंगाई पर अगर आप काबू नहीं पा सकते, इस महंगाई को अगर आप नहीं रोक सकते तो जो सरकार महंगाई नहीं रोक सकती, वह सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है, उसे बदलना है, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इस सभा के पिछले सत्र में भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि से संबंधित

[श्री बसुदेव आचार्य]

मुद्दे पर वाद-विवाद हुआ था। उस समय माननीय वित्त मंत्री ने वाद-विवाद में एक संक्षिप्त उत्तर देते हुए कहा था कि:

> "जहां तक आवश्यक वस्तुओं का संबंध है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पास मौजूद हर शक्ति का उपयोग करेंगे कि न केवल ये वस्तुएं उपलब्ध हों बल्कि ये वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर भी उपलब्ध हों।"

इन्होंने कहा था कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न केवल आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों बल्कि ये वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे हर शक्ति का उपयोग करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि वाद-विवाद का उत्तर देते हुए वे इसके बारे में बताएंगे। मैं इस बिन्दु पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने 23 मई को इस मुद्दे पर इस सभा में उत्तर दिया था और दो माह के बाद हम इस सभा में पुन: इस पर चर्चा कर रहे है। यह सभा जानना चाहती है कि इन्होंने आवश्यक वस्तुओं को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए किन शक्तियों का उपयोग किया है अथवा किन शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि 23 मई से 23 जुलाई की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

महोदय, मेरे पास आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मेरे पास 7 जनवरी और उसके पश्चात् 17 जून तक के सभी वस्तुओं के थोक मूल्यों के आंकड़े है। लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है। हमें कहीं से भी नहीं लगा कि केन्द्र सरकार ने मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस उपाय किया है।

महोदय, आज स्थिति इतनी विषम हो गई है कि लोगों को खाने पर अपनी आय का 60 से 70 प्रतिशत तक खर्च करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र अर्थात् 37 करोड़ कृषि मजदूरों की स्थिति की ओर देखिए। वह कितना कमाते है? वह प्रतिदिन अधिक से अधिक 60 रुपए कमाते हैं। उन्हें एक किलोग्राम चावल खरीदने के लिए 16 रुपए और एक किलोग्राम आटा खरीदने के लिए 17 रुपए और किसी भी प्रकार की दाल अथवा दलहनों को खरीदने के लिए 60 रुपए खर्च करने पड़ते है। यदि उन्हें अपनी आय का 60 से 70 प्रतिशत महज खाने पर खर्च करना पड़ता है तो वे जिन्दा कैसे रहेंगे? आज उनकी स्थिति इतनी खराब है कि लाखों लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आज यही स्थिति है।

स्थिति इतनी खराब क्यों हुई? पिछले सत्र में भी इस पर वाद-विवाद हुआ था और हमने अनेक सुझाव दिए थे। हमने उस समय पाया था कि खाद्यान्नों की खरीद उचित ढंग से नहीं की गई थी। प्रो. मल्होत्रा ने कहा था कि इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य 650 रुपए है। जिसके साथ 50 रु. बोनस दिया जाता है जिससे कुल कीमत 700 रुपए हो जाती है। लेकिन व्यापारी और कारोबारी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य देकर किसानों की उपज खरीद रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप खरीद में गिरावट आई है। अगले वर्ष स्थिति और भयावह हो जाएगी जब हमारे देश में कोई खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगी। हम इसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा खरीद करनी चाहिए ताकि लोग अपना खाद्यान्न और उपज को भारतीय खाद्य निगम को बेचें। भारतीय खाद्य निगम को किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य देना चाहिए। हम 10,000 रुपए प्रति टन की दर से गेहूं का आयात कर रहे हैं जबकि हमारे किसानों को केवल प्रति टन पर 7,000 रुपए मिल रहे हैं। इस प्रकार प्रति टन पर 3,000 रुपए का अंतर है।

जबकि ऐसा हो रहा है तो क्या वास्तव में हमारे यहां गेहूं का अभाव है। गेहूं के उत्पादन में ठहराव आ गया है। इस वर्ष 78 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। हमारी घरेलू मांग 3 मिलियन टन है यदि हम इससे इसकी तुलना करें तो यह उत्पादन हमारे लिए पर्याप्त है। देश में गेहूं के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है और न ही देश में गेहूं की कमी है। जबकि हमारे देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है तो सरकार ने पहली खेप में 5 लाख टन, दूसरी खेप में 30 लाख टन और अब 50 लाख टन गेहूं को आयात करने का निर्णय क्यों लिया?

इस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का एक अन्य कारण कमजोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है।

[हिन्दी]

हम मल्होत्रा जी का भाषण सुन रहे थे, उन्होने एक भी बात पीडीएस के बारे में नहीं कहीं। उनके जमाने में क्या हुआ था?

[अनुवाद]

हमने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कहा था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस बात का वचन दिया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा और इसका सार्वभौमिकरण किया जाएगा।

संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शासनकाल के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया था। इसमें एक महीने में 350 रुपए से कम आय वाले लोगों को गरीबी

रेखा से नीचे रहने वाले लोग मानकर गरीबी की एक काल्पनिक रेखा तैयार की गई थी। संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शासनकाल के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे दोनों प्रकार के लाभार्थियों से संबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए लागत मूल्य से आधा मूल्य तय किया गया था जबकि गरीबी रेखा से ऊपर लोगों लिए पूरा लागत मूल्य तय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर हुई तथा बाजार खाद्यान्नों की कीमतों का निर्धारण करने लगा।

इसलिए यह सच नहीं है कि उस समय केवल प्याज के मूल्य में ही वृद्धि हुई थी। संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन शासनकाल के दौरान तेरहवीं लोक सभा में हमने कम से कम चार बार मूल्य वृद्धि से संबंधित मुद्दों को उठाया था। अभिलेखों से यह पता चल जायेगा। संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के कारण उस समय में भी मूल्यों में वृद्धि हुई थी। हम आज सरकार से कहते हैं कि वह इन नीतियों को बदल दे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके कारण हमारे देश में मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अपराह्न 3.00 बजे

हमारे पास आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 है। अनेक वस्तुओं को आवश्यक वस्तु माना गया है। 1989 में इनकी संख्या 70 थी। लेकिन राजग शासन के दौरान इसे कम करके 15 कर दिया गया। उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं के लिए अनुज्ञप्ति की परिहार्यता, भंडार सीमा और आवाजाही पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। सभी अनुज्ञप्तियों को समाप्त कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप इन पर न तो कोई नियंत्रण और न ही कोई प्रतिबंध रह गया था तथा कोई भी व्यक्ति बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के गेहूं, मोटे अनाज, चीनी, खाद्य तेल के बीजों तथा खाद्य तेल का कितनी भी मात्रा को आसानी से खरीद सकता था, उनका भंडारण कर सकता था उसकी बिक्री कर सकता था। उसे इधर-उधर भेज सकता था एवं संवितरित और उनका निपटान कर सकता था। खाद्य पदार्थों की और मदों, दालों, गुड़, मैदा, आटा, वनस्पति के संबंध में सभी प्रतिबंध 2003 में हटा दिए गए थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के इसी तनुकरण के कारण अब केंद्र सरकार का आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी, भंडारीकरण पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: लेकिन कीमतें कम नहीं हुईं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम दो साल से मांग तो कर रहे हैं। क्या करें, आपने जो किया वही ये लोग भी कर रहे हैं। इनमें और आपमें कोई अंतर नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एन.डी.ए. ने जो किया और वो ये भी कर रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, जब ये सरकार से इतने दुखी हैं, तो इन्हें अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए. *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सिर्फ श्री आचार्य का भाषण रिकार्ड किया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: एन.डी.ए. सरकार ने जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तियों एवं मूल्यों के साथ विध्वंसकारी खेल की अनुमति दी थी। इस नीति को पलट दिया जाना चाहिए। अब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में जानना चाहता हूं कि जमाखोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जनवरी से ही विगत छः महीनों के दौरान मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मेरी मांग यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। एन.पी.एल. और बी.पी.एल. के बीच कृत्रिम रेखा हटाई जानी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए। इसमें और वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए। न सिर्फ चावल, गेहूं, आटा और चीनी की, बल्कि दालों, खाद्य तेलों जैसे आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा की जानी चाहिए ताकि अधिकांश लोगों को लाभ मिले। 8 प्रतिशत लोग पहले से ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकांश लोग आवश्यक वस्तु सस्ते दाम पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर सरकार को कुछ हजार करोड़ रुपए व्यय करना पड़े तो हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए सरकार को व्यय करना होगा। प्रो. मल्होत्रा ने वायदा कारोबार और अग्रिम कारोबार का उल्लेख किया है, जिसे उन्होंने 2003 में आरम्भ किया था। इसके परिणामस्वरूप क्रेता और विक्रेता के बीच आपूर्ति अनुबन्ध होता था।

[श्री बसुदेव आचार्य]

गत वर्ष गेहूं का मूल्य इस वर्ष गेहूं के मूल्य की अपेक्षा कम था। एक अनुबन्ध किया गया था; और गत वर्ष गेहूं नहीं उठाया गया, लेकिन इस वर्ष उठाया गया। अत:, किसानों को वह मूल्य मिलता है जो एक साल पहले था। यह क्रेता और विक्रेता के बीच अग्रिम अनुबंध है-क्रेता भविष्य की एक विशेष तिथि को पूर्व निर्धारित मूल्य पर निर्धारित मात्रा में वस्तु को क्रय करने के लिए बाध्य होता है और विक्रेता उसे बेचने के लिए बाध्य होता है। अग्रिम एवं वायदा कारोबार का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है जो वाणिज्यिक कारणों से वस्तु की बड़ी मात्रा रखते हैं। वायदा अनुबंध का उपयोग सट्टेबाजी पूर्ण लाभों के लिए जानबूझकर स्टाक एकत्रित करने के लिए भी किया जाता है। यह हमारे देश में गत तीन वर्षों से हो रहा है। चूंकि अग्रिम एवं वायदा कारोबार में सट्टेबाजी की गतिविधियों का बोलबाला होता है और इससे वस्तुओं के मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, अत: 1952 के अग्रिम संविदा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के ऐसे कारोबार को प्रतिषिद्ध कर दिया गया था। इसे प्रतिषिद्ध कर दिया गया था।

लेकिन जब एन.डी.ए. सत्ता में थी तो उन्होंने इस प्रतिषेध को वापस लेने का आदेश जारी किया और वायदा एवं अग्रिम कारोबार की अनुमति दी। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इसे ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और क्या सरकार वह आदेश वापस लेगी जिसे 2003 में जारी किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप आज हमारे देश में बाजार में सट्टेबाजी पूर्ण क्रियाकलापों का बोलबाला है?

इसमें दो वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है और इसके साथ ही वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। तथापि, किसानों एवं छोटे कारोबारियों, जिनकी कमोडिटी एक्सचेंजों तक पहुंच नहीं है, को मूल्य वृद्धि से फायदा नहीं हुआ है। किसान और छोटे कारोबारी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं, जबकि बड़े कारोबारियों का मुनाफा बढ़ रहा है। अत:, उस आदेश को वापस लेने की आवश्यकता है जिसे पिछली सरकार द्वारा जारी किया गया था। इस सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के कृत्य को अकृत कर दिया जाना चाहिए।

कृषि उत्पादन में कमी आयी है। यह हाल की घटना नहीं है। विगत कई वर्षों से वृद्धि में पूंजी सृजन पर्याप्त नहीं रहा है। इसके परिणामस्वरूप, हमारे देश में सिंचाई एवं सिंचित क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ है। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। केवल पिछले वर्ष लगभग 2-2$^1/_2$ प्रतिशत की कुछ वृद्धि हुई है, जबकि सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर आठ प्रतिशत निर्धारित है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि मात्र लगभग 2.5 प्रतिशत है। हमारे देश में उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर दलहनों की। 30 वर्षों के दौरान दलहनों के उत्पादन में मात्र 10 लाख टन वृद्धि हुई है। चूंकि इन वर्षों में दलहनों का उत्पादन कम हुआ है, अत: सरकार ने दालों के आयात का निर्णय लिया। हमारे देश के गरीब लोगों के लिए दाल प्रोटीन हैं लेकिन प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता में निरंतर कमी आ रही है।

एक अन्य समस्या अन्त्योदय योजना, बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के लिए आबंटनों के संबंध में है। अन्त्योदय योजना निर्धनों में निर्धनतम की मदद करने के लिए शुरू की गई थी। उन्हें एक किलो चावल दो रुपए में मिलता है। अन्त्योदय योजना के लिए आबंटन की मात्रा 2.81 लाख टन से घटाकर 2.51 लाख टन कर दी गई है। इस आबंटन में कमी क्यों की गई है? बी.पी.एल. परिवारों के लिए आबंटन की मात्रा भी 5.25 लाख टन से घटाकर 4.46 लाख टन कर दी गई है। ए.पी.एल. परिवारों के लिए भी आबंटन की मात्रा 15 लाख टन से काफी घटाकर 1.94 लाख टन कर दी गई है।

ए.पी.एल. और बी.पी.एल. दोनों परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा में कमी किए जाने का भी प्रस्ताव है। अत:, एक ओर तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा में कमी की जा रही है और दूसरी ओर इन खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि की जा रही है। इसका मुख्य प्रयोजन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बर्बाद करना और समाप्त करना है। अगर हमारे देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त एवं बर्बाद किया जाता है तो हमारे देश के गरीब एवं निम्न मध्य वर्ग लोगों का क्या होगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाए जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी इस बहस का उत्तर देते समय यह निश्चित रूप से बताएंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने के बारे में सोच रही है।

हमने पिछले सत्र में उस समय विस्तारपूर्वक चर्चा की थी जब हमने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि पर बहस में भाग लिया था। यह सदन लगभग एकमत था, मैंने लगभग सभी सदस्यों के भाषण को सुना कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम मूल्यवृद्धि का विरोध क्यों कर रहे थे? हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे थे। हमने कई सुझाव दिये थे। एक सुझाव शुल्कों एवं उपकर में कमी करने अथवा इनकी पुनर्संरचना करने का था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, अब आप कन्क्लूड करें, आपकी पार्टी का टाइम 26 मिनट था।

श्री बसुदेव आचार्य: कन्क्लूड करेंगे। अभी मुझे 2-3 और महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप 26 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: ठीक है। टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। हाउस चलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अभी थोड़ा समय दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं मामले की गंभीरता को जानता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: हमने तो 15 मिनट बोला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप 26 मिनट से अधिक समय तक बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): हम सरकार को बोल रहे हैं, और कर क्या सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): आचार्य जी कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, मालूम नहीं पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: अभी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की पेट्रोलियम उत्पादों से प्रतिवर्ष राजस्व वसूली 1,32,000 करोड़ रुपये है। यह प्रतिदिन बढ़ रहा है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ता है, केन्द्र सरकार की वसूली भी बढ़ जाती है। हाल के 2 से 3 रु. की बढ़ोत्तरी से श्री चिदम्बरम 36,000 करोड़ रु. प्राप्त करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इस पैसे का वे क्या करेंगे। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के पश्चात् उन्होंने मुझसे कहा कि आम आदमी पर केवल 12,000 करोड़ रु. का भार पड़ेगा। लेकिन यह केवल 12,000 करोड़ रु. का ही भार नहीं है। आम आदमी पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भार कहीं ज्यादा है। मेरी गणना के अनुसार यह 30,000 करोड़ रु. से भी ज्यादा है।

जहां तक सब्जियों की कीमतों का संबंध है, यदि आप बाजार जाएं तो वहां पर सब्जियों की कीमत असामान्य पाएंगे क्योंकि परिवहन लागत में वृद्धि हुई है। हम परिवहन चालकों को दोष नहीं दे सकते हैं। कभी-कभी वे डीजल की कीमत में हुई वृद्धि के कारण से ज्यादा पैसे वसूल करते हैं लेकिन ऐसा सभी चीजों की मूल्य वृद्धि के कारण होता है। इसका प्रभाव परिवहन लागत पर पड़ता है तथा परिवहन चालक अपना भार आम आदमी पर डाल देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। यदि आप पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि के पहले तथा बाद के सब्जियों के भाव में तुलना करें तो आप अंतर पाएंगे।

अब वे राज्यों को बिक्री कर कम करने की सलाह दे रहे हैं। बांग्ला में एक कहावत है: 'आपनी आचारी धर्मो, अपोरेम शेखाई' जिसका अर्थ है कि 'पहले अपने पीछे पराए'। वे एक रुपया भी कम करने को तैयार नहीं हैं। श्री गुरुदास दासगुप्त तथा मेरी श्री मुरली देवरा के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। यह काफी पारदर्शक बैठक थी। यहां तक कि प्रेस को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। लेकिन हमारे एक भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया। हम लोगों ने कम से कम चार से पांच घंटे साथ बिताया लेकिन हमारे एक भी सुझाव श्री देवरा द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि वे लाचार हैं। वे किस प्रकार हमारी मदद कर सकते हैं? मैंने सोचा कि वे हमारे अच्छे मित्र हैं। हम 1980 में साथ थे। हमने सोचा कि कम से कम एक सुझाव जो हमारे नेता श्री सीताराम येचुरी तथा मैंने दिया था स्वीकार कर लिए जाएंगे लेकिन एक भी सुझाव स्वीकार नहीं किए गए।

दूसरा उपाय जो हमने सुझाया वह आयात समता को दूर करने का था। इससे किसे लाभ प्राप्त हो रहा है? इसके कारण एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंच रहा है। जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में थी तब इससे सरकारी मूल्य नियंत्रण तंत्र को समाप्त कर दिया।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सरकारी मूल्य नियंत्रण तंत्र को समाप्त कर दिया। यह सरकार इसे पुन: लागू क्यों नहीं

[श्री बसुदेव आचार्य]

कर सकती है? इसमें क्या कठिनाई है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन एक नहीं हैं। लेकिन यह सरकार इससे सहमत नहीं है।

महोदय, बजट प्राक्कलनों तथा राजस्व संग्रहणों के आधार पर तैयार किया गया था। लेकिन जब देश के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं, राजस्व बढ़ रहे हैं तब अतिरिक्त धनराशि की क्या आवश्यकता है? अतिरिक्त राशि को गरीब लोगों तथा मध्यम वर्ग के लोगों के बीच वितरित कर दिया जाना चाहिए।

हमें 2004 के आम चुनावों के जनादेश को ध्यान में रखना चाहिए। जनादेश पिछली सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों के खिलाफ था न कि किसी राजनीतिक संरचना या संयुक्त रचना के पक्ष में। यह पिछली सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों के खिलाफ था। इस सरकार को उन्हीं नीतियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। यह सरकार कभी-कभी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सिद्धांतों को भूल जाती है। हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम को समर्थन दे रहे हैं। हमारी चिंता इस देश के अधिकांश व्यक्तियों को लेकर है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज हजारों लोग खाली पेट सोते हैं। ऐसी परिस्थिति है। ...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के समय भी ऐसी स्थिति थी। अब पिछली सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस सरकार को देश में लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है तथा यदि कुछ ठोस उपाय नहीं किए गए तो यह बिगड़ती ही जाएगी।

माननीय वित्त मंत्री ने इस सभा को आवश्यक वस्तुओं के संबंध में क्या आश्वासन दिया? मैं उन्हें पुनः यहां उद्धृत करना चाहूंगा। ''आवश्यक वस्तुओं के संबंध में हम अपनी सभी शक्तियां लगा देंगे।''

मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई शक्ति उनके पास नहीं है तो वे उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर रोक लगाई जा सके। सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के संबंध में जारी किए गए आदेश को वापस ले लेना चाहिए। सरकार को वायदा तथा 'फारवर्ड ट्रेड' की अनुमति देने संबंधी शक्ति को वापस ले लेना चाहिए। यह माननीय वित्त मंत्री के हाथ में है तथा वे तुरंत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना होगा। इसका उल्लेख न्यूनतम साझा कार्यक्रम में था, बल्कि यह प्रतिबद्धता दर्शाई गई थी कि यह सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएगी तथा सर्वव्यापीकरण करेगी। इसकी सूची में और वस्तुओं को जोड़ा जाना चाहिए तथा लोगों को सस्ते दाम पर इसकी आपूर्ति की जानी चाहिए। खाद्य राजसहायता को कम न करें। खाद्य राजसहायता को कम करने के लिए आप कीमतें बढ़ा रहे हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा कम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, महंगाई जैसे बहुत गंभीर मुद्दे पर यह सदन चर्चा कर रहा है। चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं जिससे पूरे-पूरे देश में लोगों की परेशानी बढ़ी है। आज आवश्यक चीजें आम उपभोक्ता की पकड़ से बाहर हो रही हैं। हमारे मित्र श्री चिन्ता मोहन जी ने जब महंगाई पर चर्चा शुरू की, तो मैं समझता था कि वे कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ ठोस सुझाव देंगे। आज दोषारोपण से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आम व्यक्ति को राहत कैसे मिले। अगर प्रतिपक्ष के सकारात्मक सुझाव हैं, तो सरकार उसे स्वीकार करे। सरकार महंगाई रोकने के लिए क्या सार्थक प्रयास कर रही है, इसकी जानकारी दे। लेकिन चिन्ता मोहन जी ने ठोस प्रयासों की सलाह देने के बजाए यह कहा कि जो महंगाई बढ़ी है, वह कोई नयी बात नहीं है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में, यानी 1950 में भी महंगाई बढ़ी थी। इसी तरह वर्ष 1960 में भी महंगाई बढ़ी थी।

अपराह्न 3.26 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन* हुए]

जब श्रीमती इंदिरा जी प्रधान मंत्री थी तब भी महंगाई बढ़ी थी। चिंता मोहन जी, यह कोई तर्क नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उसी महंगाई की यह उपज है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: यह कोई आधार नहीं है। न सिर्फ चिंता मोहन जी बल्कि भारत के रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी पहली बार नहीं हुई है। वर्ष 1974 में जब श्रीमती गांधी देश की प्रधान मंत्री थी, उस समय भी 24 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई थी। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: उनको यह बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। उनका बयान अखबारों में छपा कि महंगाई के सवाल पर नाहक हाय तौबा हो रही है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्र यहां बैठे हैं। उनसे जरूर कोई न कोई गलती रही होगी जिसकी वजह से ये लोग विपक्ष में आये। इस समय सरकार में जो लोग हैं, उनसे लोग अपेक्षा करते हैं कि इनसे बेहतर सरकार चलायें। यह कोई तर्क नहीं है कि महंगाई पहले भी रही है, लिहाजा अब भी महंगाई होनी चाहिए। इसलिए मैं चिदम्बरम साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार में हैं, कितने दिन रहेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जितने दिन आप सरकार में हैं, मेहरबानी करके अच्छी तरह से सरकार चलाइये। आप ऐसी सरकार चलाइये जिससे लोगों को अहसास हो कि आप जन कल्याण में लगे हैं और आम व्यक्ति के हितों के लिए काम कर रहे हैं। वरना जिस तरह से आप उठकर यहां आये हैं उसी तरह ज्यादा देर नहीं लगेगी कि आप उठकर फिर वहां चले जायेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): हम वहां आ जायेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: आपके आने की संभावना नहीं है। हम मिल-जुलकर सरकार बना लेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सरकार कितने दिन चली है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार के चलने की दिशा क्या है? मेरा आपसे आग्रह है कि मेहरबानी करके सरकार के चलने का अहसास यह होना चाहिए कि आप आम व्यक्ति को राहत दे रहे हैं। यहां भिन्न-भिन्न पार्टियों के लोग हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इसी तरह कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। लेकिन जो पोलिटिकल पार्टीज है उनसे भी एक अलग हिन्दुस्तान है। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता आप इकट्ठा कर लें, तो पूरे देश में 10 या 12 करोड़ लोग होंगे लेकिन 100 करोड़ का हिन्दुस्तान ऐसा है जो किसी पार्टी में नहीं है।

चिदम्बरम जी, आप जब जवाब देंगे तो आंकड़े का उल्लेख करेंगे, लेकिन यह राज आंकड़ों से नहीं चलता है, राज जनता के भरोसे से चलता है। इसलिए लोग जो एहसास करते हैं उससे बड़ा कोई आंकड़ा नहीं हो सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि महंगाई के सवाल पर आपकी सरकार असफल रही है और अब आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। महंगाई रोकने के लिए आपकी तरह से आज तक कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया है। मैं सरकार की शक्ति और सामर्थ्य को समझता हूं। चाहे ये सट्टा बाजार या काला धंधा करने वाले लोग हों, ये माफिया लोग हों, अगर सरकार की इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया जा सके। मेरा आरोप है कि इस सरकार की इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है। यह जो बार-बार कहा गया कि महंगाई पहले भी थी और यह कोई नयी बात नहीं है, यह विशुद्ध रूप से एक नकारात्मक सोच है। कुछ ठोस और मजबूत प्रयास आपको महंगाई के सवाल पर करने होंगे। राज्य सभा में महंगाई पर चर्चा हुई और महंगाई पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री जी ने जो फरमाया वह यह था कि मूल्य वृद्धि का मूल कारण उत्पादन में कमी है। मैं समझता हूं कि यह कोई ठीक जवाब नहीं है। यह इन्टरप्रिटेशन भी ठीक नहीं है। इन तथ्यों को अगर कसौटी पर रखा जाए तो कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। एक जून, 2006 को भारतीय गोदामों में चावल और मोटे अनाज का भण्डार एक जून, 2005 की तुलना में ज्यादा था। यह बात सही है कि गेहूं अवश्य कम था, लेकिन जून, 2005 में चावल का भण्डार 115.85 लाख टन था और जून, 2006 में 119.50 लाख टन था। मोटे अनाज का भण्डार जून, 2005 में 6.06 लाख टन था और जून, 2006 में यह 10.27 लाख टन था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गेहूं में जरूर कमी थी और आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, वह सरकार की गलत नीतियों के चलते पैदा हुई है। फरवरी में सरकार ने यह एलान कर दिया कि हम गेहूं का आयात करेंगे। उस समय रबी की नयी फसल आने वाली थी और यह भी संदेश लोगों में गया कि सरकार बाहर से जो गेहूं आयात करने वाली है वह लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगा तो किसानों ने सोचा कि हम 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अपना गेहूं क्यों दें। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान ने अपने हाथ खींच लिए। किसान के पास और देश में गेहूं की कमी नहीं थी क्यों रबी की फसल में जो गेहूं का प्रारम्भिक आकलन था वह लगभग 73 लाख टन का था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में तीन लाख टन ज्यादा था। लोगों में एक गलत संदेश चला गया और किसानों को समझ में आने लागा कि गेहूं के दाम बढ़ने वाले हैं और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार का जो खरीद का लक्ष्य 160 लाख टन का था, उसके सापेक्ष केवल 92-93 लाख टन की ही सरकारी खरीद हो पाई। इस देश में छोटी-मोटी पांच सौ कम्पनियां हैं। उन्होंने किसानों से लेकर मण्डियों तक, 60 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक गेहूं खरीदा। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सरकार की गलत नीति के चलते आठ वर्ष बाद यह पहला मौका था जब सरकार 100 टन से कम गेहूं की खरीद कर पाई। सभापति महोदय, गेहूं किसने खरीदा, यह गेहूं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जैसे आईटीसी, ग्लैनकोर, आस्ट्रेलियाई व्हीट बोर्ड, रुचि, सोया, एमके ट्रेडर्स और अदानी आदि ने खरीदा।

माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार का इन कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ये कंपनियां अपनी सुविधानुसार गेहूं बेचेंगी-

[श्री रामजीलाल सुमन]

यही मेरा आरोप है। सरकार ने निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मौका दिया है कि अपनी शर्तों पर गेहूं खरीदें और बेचें। सरकार को आयात करने की घोषणा से देश में यह संदेश गया परिणामस्वरूप सरकार जितना गेहूं खरीदना चाहती थी नहीं खरीद पाई।

सभापति जी, आज किसान को उसकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के अखबार में छपा कि 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर गेहूं पैदा करने पर खर्च होता है और 16,500 रुपये प्रति हैक्टेयर आमदनी होती है। इस तरह से गेहूं पैदा करने वाला किसान घाटे में रहता है। सरकार ने किसान से तो 650-700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की बात की और 1000 रुपये प्रति क्विंटल आयात करने की बात होती है और 800-850 रुपये प्रति क्विंटल पर निजी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां गेहूं की खरीद कर रही हैं। यह सब सरकार की गलत नीतियों के चलते हुआ है। यह स्थिति जान-बूझकर पैदा की गयी है। सब जानते हैं कि पहले की जो सरकार थी उसके जमाने में भी गेहूं का आयात हुआ था और जिसकी चर्चा अखबारों में भी हुई थी। मैं कहना चाहूंगा कि अपने किसानों से गेहूं न खरीदकर गेहूं के आयात करने में सरकार की रुचि रहती है और उस आयात के पीछे सरकार की दिलचस्पी क्यों रहती है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ...*(व्यवधान)* पिछले चार सालों में सरकार ने क्या किया? पेट्रोल का दाम 27 रुपये से बढ़कर 53 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 17 रुपये से बढ़कर 40 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल का दाम बढ़ गया है इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाना हमारी मजबूरी है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमारी निर्भरता कब तक रहेगी? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पिछले कई वर्षों से हमारा उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा है? एक अजीब तमाशा है। दुनिया के तमाम देश पेट्रोल और डीजल के प्रयोग की जगह वैकल्पिक ईंधन की तलाश कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार का ध्यान उस ओर बिल्कुल नहीं है, बायो-डीजल की ओर बिल्कुल नहीं है। पिछले दिनों पेट्रोल उत्पादों की कीमतें 16 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ी हैं और उससे आम उपभोक्ता को नुकसान हुआ है लेकिन राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की आय इससे बढ़ी है। वर्ष 2005-2006 में पेट्रोल क्षेत्र से 62873 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और इससे पिछले वर्ष 56358 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा राजस्व की वसूली हुई है। हमारे देश का बजट लगभग साढ़े पांच लाख हजार करोड़ रुपये का होता है और उसमें सबसे ज्यादा आय का क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र है। लगभग एक-तिहाई दौलत सरकार को पेट्रोलियम क्षेत्र से मिलती है। करीब 160 करोड़ रुपये प्रतिदिन भारत सरकार को पेट्रोल और डीजल से मिल रहा है। मैं माननीय चिदम्बरम जी से जानना चाहूंगा कि आप राज्य सरकारों को नसीहत देते हैं कि वे अपने कर कम करें, अपनी कीमतें कम करें।

भारत सरकार अगर अपने करों में कटौती नहीं कर सकती है, तो भारत सरकार को राज्य सरकारों से कीमतें कम करने के लिए कहने का कोई नैतिक हक नहीं है। राज्य सरकारों के अपने सीमित संसाधन होते हैं और उन संसाधनों के हिसाब से राज्य सरकारों को काम चलाना पड़ता है। पेट्रोल, डीजल के दामों के प्रति अगर यह सरकार जरा भी गंभीर है, तो सरकार को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और सबसे पहले केन्द्रीय सरकार को कम करने का काम करना चाहिए। भारत सरकार इन्हें कम करना नहीं चाहती है।

सभापति महोदय, हमारे देश में 60 बिलियन हेक्टेयर बेकार भूमि है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। 30 बिलियन हेक्टेयर भूमि में अगर संभव हो तो हम रत्न ज्योति की खेती करें, तो उससे 60 बिलियन बायो डीजल पैदा हो सकता है, लेकिन इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो कैसे हम पेट्रोल, डीजल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और कैसे अपने पैरों पर खड़े होंगे? हमारे पास और कोई वैकल्पिक ईंधन नहीं है। हमें बायो डीजल मिल सकता है। इन चीजों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार कहती है कि तेल कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। यह सब भ्रामक प्रचार है। तेल कम्पनियां मुनाफा कमा रही हैं। सरकार तेल कम्पनियों के घाटे की बात कहती है। तेल शोधक कारखाने और तेल उत्पादक कंपनियां रिकार्ड लाभ कमा रही हैं, लेकिन आम उपभोक्ता को लाभ नहीं पहुंच रहा है।

सभापति महोदय, चीजों के दाम बढ़े। जैसा मैंने गेहूं के सिलसिले में कहा। किसान जो चीजें पैदा करता है, उन चीजों के सिलसिले में कहा। दाम बढ़ते हैं, लेकिन कमाई बिचौलियों ने की है। अभी दिल्ली में जब टमाटर 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, तब टमाटर उत्पादक किसान को उसका दाम 11 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। जो पैदा करता है, उसे हर जगह मारा जा रहा है। उसे कहीं से राहत नहीं दी जाती है। मेरे पास जून 2005-06 के दाम बढ़ने के आंकड़े हैं। दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। साबुत उड़द की दाल जून 2005 में 27 रुपए प्रति किलो थी और जून 2006 में 50 रुपए प्रति किलो हो गई। उड़द की दाल 30 रुपए से 52 रुपए, मूंग साबुत की दाल 21 रुपए से 45 रुपए, अरहर की दाल 24 रुपए से 37 रुपए, आटा 10 रुपए से 16 रुपए, चीनी 15 रुपए से 25 रुपए हो गई। श्री चिन्ता मोहन जी क्या आप कभी इन चीजों को नहीं खरीदते हैं? किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। सरकार ने कुछ कदम उठाए, रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट 14 जुलाई, 2006 को आई है,

उसमें मुद्रा प्रसार की दर 18.8 प्रतिशत बताई गई है। सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए गेहूं, चीनी, दाल के आयात का निर्णय लिया। राज्य व्यापार निगम ने विदेशों से 35 लाख टन आयात करने के सौदे पर दस्तखत कर दिए और आर्डर दे दिया। लेकिन उसमें से 1 लाख 61 हजार 5 सौ टन माल ही जुलाई के अंत तक दक्षिण बंदरगाह पर आने की खबर है।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं। कुल मिलाकर जो समस्या है उसके मूल में जाना होगा। उत्पादकों पर कहां से मार पड़ रही है? उनके स्रोत बंद करने होंगे। स्वामीनाथन जी ने ठीक कहा कि खेती की पैदावार को बढ़ाना और किसानों को वाजिब मूल्य देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार जब आंकड़े प्रस्तुत करती है और जवाब देती है तो उसे समझना चाहिए कि थोक बाजार और खुदरा बाजार के मूल्य में जमीन आसमान का फर्क होता है। वह थोक बाजार मूल्य के आंकड़े देते हैं। खुदरा बाजार में आम आदमी को वह चीज किस कीमत पर मिल रही है, उस जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहिए।

अपराह्न 3.46 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

देश के विभिन्न राज्यों में न्यूनतम वेतन अलग-अलग है। वह कहीं 58 रुपए है और कहीं 60 रुपए है। बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय 1880 रुपए, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति मासिक आय 1633 रुपए, आंध्र प्रदेश में 1634 रुपए, उड़ीसा में 1062 रुपए और राजस्थान में 1698 रुपए है। वह कुल मिलाकर दो हजार रुपए से कम है। इस आय में से 22 रुपए लीटर दूध, 25 रुपए किलो चीनी, 15 से 17 रुपए किलो आटा और 50 से 60 रुपए किलो दाल, 20 रुपए किलो टमाटर खरीदकर आम आदमी अपनी जिन्दगी कैसे बसर कर सकता है इस पर निश्चित रूप से आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए। इन्दिरा आवास योजना के लिए 25 हजार रुपए सरकार से मिलते हैं। ईंट, सीमेंट और लोहे के भाव आसमान छू रहे हैं। आज आम आदमी अपना घर नहीं बना सकता। मेहरबानी करके आप आंकड़ों में जाने और तथ्यों को छुपाने की बजाय जमीनी हकीकत को समझे बगैर कुछ ऐसे ठोस प्रयास करें जिससे हिन्दुस्तान की अवाम यह महसूस करे कि सही अर्थों में ईमानदारी से सरकार ने महंगाई को रोकने का काम किया है। सट्टाबाजारी पर रोक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और कालेबाजारी द्वारा चीजों का कृत्रिम अभाव हो जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। कहीं न कहीं किसी स्तर पर इन कालाबाजारियों की सरकार से एक अंडर स्टैंडिंग होती है। उनके साथ कोई न कोई रिश्ता होता है वरना बड़े से बड़ा कालाबाजारी सरकार के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता। सरकार अगर चाहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सरकार के हाथ इतने लंबे हैं कि कालाबाजार का गोरखधंधा लंबे समय तक नहीं चल सकता है।

इस बहस पर सभी लोगों को सुनने के बाद चिदम्बरम जी कुछ ऐसे सकारात्मक प्रयास करें जिससे महंगाई पर रोक लग सके। सोनिया जी बैठी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्वयं चिन्ता व्यक्त की, लेकिन सोनिया जी, यह सरकार आपकी है, प्रधान मंत्री जी आपकी पार्टी के हैं। जब आप यह बात कहती हैं कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा किसी ने कहा कि "मैं खाली जाम रख कर इसलिए आंसू बहाता हूं तुम्हारी बात रह जाए मेरा पैमाना भर जाए"। मैं समझता हूं कि वह काम नहीं होगा। सरकार निश्चित रूप से ठोस प्रयास करेगी, यही मुझे निवेदन करना था।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर सदन में चर्चा हो रही है और बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं समझता हूं कि इस बहस को दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर आगे बढ़ाना चाहिए और विचार करना चाहिए क्योंकि यह मामला पूरी तरह से अवाम के जनहित से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आज महंगाई बढ़ रही है, उससे सभी परेशान हैं, इसलिए महंगाई पर आज दिल खोलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों की कठिनाई बढ़ रही है। यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं। प्लानिंग कमीशन के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का ऐस्टीमेट आपके काल में क्या था। अभी मल्होत्रा जी यहां नहीं हैं, वह इसी दल को इंगित कह रहे थे, लेकिन यहां दल का सवाल नहीं हैं, यह दिल का सवाल है। वह दल की तरफ इशारा कर रहे थे कि जब कांग्रेस आती है, तो महंगाई बढ़ती है। इसमें चाहे कोई भी दल हो, चाहे वह यू.पी.ए. हो या एन.डी.ए. हो - आप जरा विचार कीजिए कि 26 परसैन्ट बी.पी.एल. की फिगर जब आई थी, वह सैम्पल सर्वे प्लानिंग कमीशन से किसने करवाया था, और किस समय वह हुआ था। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वे वर्ष 1996-97 में हुआ था।

मैं यहां कुछ बेसिक सवाल उठाना चाहता हूं कि महंगाई की मार आज किस पर सबसे ज्यादा पड़ रही है। जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, आज उन्हीं पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है, लेकिन जो अपर क्लास हैं, जिनके पास साधन, सुविधाएं हैं, उन्हें क्या पता चलेगा कि बाजार में चीजों के क्या भाव हैं, आलू और टमाटर का क्या भाव है। जब बाजार में एक लीटर मिट्टी का तेल लेने के लिए जाते हैं तो क्या हालत होती

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

है, यह उन्हें महसूस नहीं हो सकता। जिन्होंने गरीबी को देखा नहीं है, जिस कौम ने गरीबी को झेला नहीं है, वह गरीबी पर सिर्फ बहस कर सकते हैं, गरीबी और भूख का अहसास नहीं कर सकते। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि वर्ष 1996-1997 में 35.90 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, लेकिन वर्ष 2000-2001 में ऐसा क्या मैजिक हो गया कि उसमें से दस परसैन्ट लोग घट गये, जबकि गरीबी नहीं घटी, पावर्टी एलिविएशन नहीं हुआ, रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, गरीबों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ी, लेकिन गरीबी घट गई, गरीबों की संख्या घट गई। 26 परसैन्ट का आपने एक पैमाना बना दिया और इसी को मान लिया गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की बात को भारत सरकार मानती है, लेकिन इन 26 परसैन्ट गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के साथ क्या-क्या हो रहा है, मैं इस बात को यहां छेड़ना चाहता हूं। इस बेसिक सवाल पर मैंने पहले भी निवेदन किया है। सौभाग्य से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी सदन में उपस्थित हैं। इस सदन में उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है। हमने अखबारों में देखा है और कांग्रेस कार्य समिति में भी इस पर चिंता जाहिर की गई है, लेकिन सिर्फ चिंता जाहिर कर देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए पूरी तरह से सक्षम होकर, चिंतन करके, कोई पालिसी बनाई जाए, क्योंकि जो प्राइस राइस है, वह एक अनुपात में बढ़े। हमने यह नहीं कहा कि मूल्य वृद्धि को स्टाप कर दिया जाए, लेकिन मूल्य वृद्धि लोगों को हताश करके आसमान छू ले, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आज मूल्य वृद्धि के आसमान छूने की स्थिति पैदा हो गई है। प्रत्येक सामान का दाम बहुत ऊपर चला गया है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। आंकड़ों के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि आंकड़ों की क्या स्थिति है। यह मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं, वही बतायेंगे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी हुई है, कमजोर वर्गों में प्रति व्यक्ति क्रयशक्ति कितनी हो गई, पर कैपिटा इन्कम कितनी हुई तथा विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार की दीर्घकालीन आर्थिक नीति का फ्यूचर प्लान क्या है। इस महंगाई के चलते किसानों के काम आने वाले डीजल, मिट्टी का तेल और कृषि उपकरणों के जो दाम बढ़े हैं, इन सबको कैसे कंट्रोल किया जायेगा, इसके लिए क्या मैकेनिज्म है, आगे की क्या रणनीति तथा पालिसी है, इस बारे में सरकार बतायेगी। लेकिन हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि दामों का बढ़ना और घटना किसी नियम के तहत होगा या नहीं। इसके लिए कोई नई नीति बनाई जायेगी या नहीं। एक साल में कारखानों के माल के दाम कितने बढ़ने चाहिए और कृषि उत्पादन के दाम कितने बढ़ने चाहिए। उपभोक्ता पर कितना बोझ पड़ना चाहिए? प्रति साल या पांच साल या दस साल, कम से कम कोई मानक तैयार हुआ या नहीं हुआ है? इस बारे में कोई पैरामीटर बनाया जाएगा कि नहीं बनेगा? मैंने अभी डिबेट देखी थी। इस देश के महान दार्शनिक और चिंतक डा. राम मनोहर लोहिया ने इस विषय पर चर्चा उठायी थी और उन्होंने कहा था कि मूल्य डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कारखाने में जिस मूल्य पर उत्पादन होता है, उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते उस वस्तु का मूल्य डेढ़ गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक रुपये का माल है तो डेढ़ गुना बढ़ जाए। दाम कहीं तो रुके, कोई तो सीमा हो। जो दामों का बढ़ना-घटना है, जो कृषि उत्पादन है, गांवों में जो माल है, उसका बढ़ना टका-सेर के अंदर दाम रहना चाहिए। जो किसानों का उत्पादन है, वह जब बाजार में उपभोक्ता तक जाता है, उसके टका और सेर के अंदर तक उसका दाम होना चाहिए। एक नीति की बात उन्होंने कही थी। इसीलिए मैं यहां डा. राम मनोहर लोहिया साहब का जिक्र किया। लेकिन आज गरीबों की कमर टूट रही है। ये कौन जमाखोर लोग हैं? ये जो स्पेकुलेटर्स हैं और जो बेईमान होर्डर्स हैं, इनको क्या पकड़ा नहीं जा सकता?

कानून तो बहुत हैं, जैसे ऐसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 है और एडलटरेशन प्रीवेंटिव एक्ट, 1980 है, जो होर्डर्स को पकड़ने के लिए है। इस प्रकार से कानून तो हैं, लेकिन कानून दंडित इन लोगों को दंडित नहीं कर पा रहा है। कानून को बदल दिया जाए क्योंकि सरकार के पास तो दामों का रिव्यू करने के लिए कई कमेटीज है। प्राइस का हमेशा रिव्यू होता है। कमेटी आफ सैक्रेटीज, हाई-पावर्ड प्राइस मोनीटरिंग बोर्ड एंड कैबिनेट कमेटीज आन प्राइसेज। ये जो इतनी कमेटीज हैं, क्या ये कमेटीज फैसला नहीं ले सकतीं? फैसला लेकर जो भी प्रक्रिया है, उसको अपनाकर 'दाम बांधो नीति' करके सरकार क्या कोई नहीं बना सकती? मैं यही बेसिक सवाल आज उठाना चाहता हूं। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूं कि कितने दाम बढ़े हैं। यदि उस पर जाऊंगा तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। 2005-06 की ही स्थिति को ही देखा जाए तो आप पाएंगे कि बहुत ही खराब स्थिति है। इसीलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जो कुछ कहा उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मोटे तौर पर अभी पच्चीस प्रतिशत तक एक साल के अंदर दाम बढ़े हैं, चाहे वह गेहूं से लेकर दाल, आटा, मैदा, चीनी, मसूर, सबका मैं डिटेल में दे सकता हूं कि किस तरह से दाम बढ़े हैं। आखिर इसका कारण क्या है? महंगाई

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से आम आदमी का दम घुट रहा है। सरकार कड़े फैसले लेती है, महंगाई पर भी कड़ा फैसला लिया जाए। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तथा महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। इसमें समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आम आदमी की जिंदगी और उसकी आम परेशानी का सवाल है। इसीलिए अगर यह कड़ा फैसला नहीं लिया जाता है तो इस महंगाई के दम से हमारी सरकार को भी कहीं खामियाजा भुगतान न पड़े। ये तो भुगत चुके। मैं दल से ऊपर उठकर बोलना चाहूंगा। मैं यू.पी.ए. के घटक दल में हूं। सरकार आम आदमी की तकलीफ का एहसास करे और मैं समझता हूं कि यदि 'दाम बांधो नीति' और दाम पर यदि कोई नीति नहीं बनाई गई तो सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और जब सरकार को नुकसान होगा और तब सरकार सोचने लगेगी, तब तक बात उसके हाथ में नहीं रहेगी। इसी वर्ष 2006 में सरकार को इस बारे में कोई नीति मूलक फैसला लेना चाहिए। यह गंभीर सवाल है। इस बारे में अभी हमारे राम कृपाल जी बता रहे थे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यह सट्टेबाजी, सौदेबाजी बेलगाम हो रही है। ठीक है, कुछ मामले हैं, हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटरी आथोरिटी में किस तरह से हो रहा है, इस बारे में जांच हो रही है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल हो चाहे, आईपीसी हो, या ग्लेनकोर हो या आस्ट्रेलियन हिट बोर्ड हो या रची सोया हो या एम.के. ट्रेडर्स हो या अदानी समूह हो।

अपराह्न 4.00 बजे

अभी तक हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाजारों में गेहूं की करीब एक तिहाई खरीद हो पाई है। प्राइवेट ट्रेडर्स गेहूं खरीद रहे हैं जबकि एफ.सी.आई. के सैन्ट्रल पूल में गेहूं नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि कुछ बेसिक सवाल मैं उठाना चाहता हूं क्योंकि किसानों को कठिनाई हो रही है। एफ.सी.आई. प्रोक्योर करता है, लेकिन उसका दाम 650 रुपये है और 50 रुपये बोनस, कुल मिलाकर 700 रुपये क्विंटल किसानों का समर्थन मूल्य है। प्राइवेट लोग 700 के बदले 710 रुपये या 750 रुपये प्रति क्विंटल दे देते हैं। 25-30 रुपये ज्यादा पर किसानों पर सारा माल होर्डिंग किया जा रहा है और उसी को वे 1400 रुपये या 1500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेचते हैं। 1050 रुपये तो आपने फारवर्ड मार्केट ट्रेडिंग में दिसंबर तक का दाम सुनिश्चित करके रखा है - यह कैसा खेल किया है? इससे किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। जो किसान अनाज का उत्पादन करता है, उसे एक आना फायदा मिलता है और बिचौलिये 16 आने फायदा उठा रहा है। इसलिए बिचौलियों को खत्म करना चाहिए और ब्लैक मार्केटियर्स तथा होर्डर्स को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इसके लिए जो भी सख्त कानून बनाने पड़ें, वे बनाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, अभी केन्द्र सरकार की आर्थिक नीति के कारण उत्तर प्रदेश में दो लाख टन गेहूं खरीदने का बाकायदा लाइसैंस दिया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बाजार में खुली छूट मिल चुकी है। मैंने इसलिए इसका जिक्र किया कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अभी सरकार का एक वक्तव्य आया जिससे मुझे तकलीफ हुई। बयान यह आया कि राशन में मिलने वाले खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ाए जाएंगे और कोटा घटाया जाएगा। यह चिन्ताजनक बात है। इस बयान में कितनी सच्चाई है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* जो पेपर्स में है, मैं उसके विषय में कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं श्री स्वामिनाथन की बात क्वोट करना चाहता हूं, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा है:

[अनुवाद]

"एम.एस. स्वामीनाथन का कहना है कि अनाज की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हो।"

"यह पोषण सुरक्षा तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष श्री एम.एस. स्वामीनाथन ने सोमवार को पोषण सुरक्षा तथा उत्पादकता बढ़ाने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्र की आर्थिक सततता के लिए स्थायी रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने को कहा है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, नयी नीति के तहत देश में 50 प्रतिशत आबादी कुपोषण की शिकार हो चुकी है। माताओं और गरीब महिलाओं को, जिनके पेट में बच्चे हैं, उन्हें पोषण न मिलने से, जो बच्चा देश का भविष्य है, वह देश की संतति कैसी पैदा होगी? क्या होगा इस देश का? मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि जो गरीब मजदूर हैं, जिनकी उम्र 80-90 होनी चाहिए, वे 50-55 की उम्र में ही कुपोषण के शिकार होकर मर जाते हैं। मुम्बई में आतंकवादियों द्वारा जो बम ब्लास्ट किये गये या दिल्ली में ऐसी कोई घटना घट जाए तो चारों तरफ बहुत कोहराम मच जाता है, लेकिन गरीबों के शरीर को बैलेन्स्ड डाइट नहीं मिलती, जिसके

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

चलते खून नहीं बनता, इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। जो कोर्स ग्रेन है, सीरियल्स हैं, मरुआ, ज्वार, बाजरा, रागी हैं, ये सब गरीबों के लिए पौष्टिक हैं, अमीर लोग इसे नहीं खाते है। इसे बिलो पावर्टी लाइन के लोग ही खाते हैं। इन्हें भी पीडीएस में इंट्रोड्यूस किया जाए। सरकार सब्सिडी क्यों घटाती है? अमेरिका में कितनी प्रतिशत सब्सिडी किसानों को है, यूरोप और दूसरे देशों में कितनी है? क्या तीसरी दुनिया के देश में आप गरीबों को दी हुई सब्सिडी घटाएंगे? मैं रिकार्ड पर यह बात कहना चाहता हूं कि यदि बैलेन्स्ड डाइट के अभाव में गरीबों का डैथ रेट बढ़ता रहा, तो राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा, चाहे वह गेहूं का हो, धान का हो, मरुआ का हो या मोटे अनाज का हो। जब इनका राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा तो भुखमरी की समस्या पैदा होगी। जब भुखमरी की समस्या पैदा होगी तो महामारी आएगी। अकाल की स्थिति को आपको भुगतान पड़ेगा और सिर्फ राहत से अकाल की समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि अनाज और खेती का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। देश में गरीब लोगों को पीडीएस के थ्रु भोजन जुटाकर, इन लोगों के शरीर में राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लायक क्षमता बननी चाहिए। इनकी जो श्रमशक्ति है, इनके शरीर में जो खून न बनने देने वाली व्यवस्था है, उसके खिलाफ सरकार को कोई न कोई नीतिगत फैसला लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अमेरिका में शिक्षा बहुत महंगी है, भारत में भी शिक्षा महंगी है। अमेरिका में निजी कम्पनियों का बोलबाला है, भारत में भी निजी कम्पनियों का वर्तमान नीति के अंतर्गत बोलबाला होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निजी कम्पनियों और मुनाफाखोरों का जो आदर्श है, उन्हें आम जनता से क्या मतलब है। उसके प्रभाव को सरकार झेले, उसे रोके। अमेरिका में, विकसित देशों में हैल्थ केयर बहुत महंगा है और यहां भी एस्कोर्ट आदि बड़े लोगों के इलाज करवाने के लिए है। भारत दो तरह का न बनने दिया जाए। यहां एक भारत वह है, जो इंडिया गेट के बाहर है और इंडिया गेट के भीतर इंडिया है। इसलिए देश को इंडिया और भारत न बनने दिया जाए। असल में महंगाई की सबसे ज्यादा मार भारत में है। इंडियागेट हो या बाम्बे का गेटवे आफ इंडिया हो। आप यहां से बाहर चले जाएं तो आपको गरीबी दिखाई देगी। आप विदर्भ में चले जाइए, वहां आपको किसान मिलेगा। इसमें भी इंडिया और भारत में महंगाई का असर सिर्फ भारत पर है, इंडिया पर महंगाई का ज्यादा असर नहीं है। यहां सैलेरी वाले लोग हैं, सुविधा भोगी लोग रह रहे हैं। उन्हें वित्तीय परेशानी की जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि डब्ल्यूटीओ से जो सरकार लड़ रही है, डब्ल्यूटीओ के प्रस्ताव को हमने नहीं माना है, यह आपने अच्छा काम किया है। आपने यह किसानों और देश के व्यापक हित में एक अच्छा कदम उठाया है। इन्होंने कहा कि तुम सब्सिडी घटाओ, हम समर्थन मूल्य घटाएंगे। डब्ल्यूटीओ ने कहा कि यह जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, भारत का एमएसपी है, वह ट्रेड डिस्टोर्टिंग सपोर्ट प्राइस है, ऐसा डब्ल्यूटीओ का भाषण है। इस तरह की मानसिकता हमारे किसानों को कमजोर करने के लिए, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिले, इसके लिए सारा इंतजाम किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव कृपया अपनी बात समाप्त करें। इस प्रकार हम कभी भी अपनी चर्चा पूरी नहीं कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का अनुपालन करते हुए अब खास बिन्दु पर बोलना चाहता हूं कि फूड सिक्योरिटी के लिए क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं। फूड सिक्योरिटी की आज इस देश के लिए कितनी जरूरत है। फूड सिक्योरिटी, स्टाक लिमिट को एनडीए के शासन काल में अनलिमिटेड कर दिया गया। आप स्टाक कितना भी रख सकते हैं, अनलिमिटेड स्टाक रख सके हैं। उस समय जो तर्क था, वह ठीक था। मल्होत्रा जी ने सही कहा कि हमने अपनी समिति में स्ट्रौंग रिपोर्ट दी थी। फूडग्रेन ज्यादा था, स्टाक ज्यादा था और उस पर सरकार का ज्यादा खर्च हो रहा था, तभी हमने कहा कि इसका जल्दी डिस्पोजल कर दो, चाहे आक्शन कर दो, फ्री दे दो, लेकिन, इसके लिए कोई रास्ता निकालो। खाद्यान्न इतना अधिक था, हमने कहा कि इसे चाहे समुद्र में मछलियों को डाल दो, लेकिन सरकार पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में सुझाव देना चाहता हूं कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, उन्हें जो प्रोक्योरमेंट का परमिट दिया गया है, उसकी कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसे बंद किया जाना चाहिए। जब हमारे सभी किसानों का अनाज डायरेक्ट एफसीआई के द्वारा प्रक्योर होगा और सेंट्रल पूल में जाएगा, सभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत हो सकता है। हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों पर ध्यान दें न कि गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों पर।

[हिन्दी]

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि एपीएल को निश्चित रूप से पीडीएस सिस्टम से निकाल देना चाहिए। जो राज्य सरकार अपने इंटर्नल रिर्सोसेस से एपीएल चलाना चाहती है, रेशनल पीडीएस चलाना चाहती है, उन्हें इसकी छूट हो और छूट है ही, लेकिन कम से कम भारत सरकार की तरफ से एपीएल में जो सब्सिडी एलिमेंट जा रहा है, उसे बंद करना चाहिए और इसे टोटल बीपीएल पर फोकस करना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बहुत से लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, कृपया सहयोग करें। आपने आबंटित समय से लगभग दोगुना समय लिया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जो जमाखोर हैं, उनके लिए निश्चित रूप से कड़ा कानून बना कर, उन्हें गिरफ्त में लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सभी होर्डर्स की सूची सभी राज्यों को देनी चाहिए और राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक महीने में कितने होर्डर्स को गिरफ्तार करेंगे। इसकी मानीटरिंग केंद्र से हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इसकी मानीटरिंग केन्द्र से नहीं होगी, तब तक प्राइस मैकेनिज्म लागू नहीं हो सकता है। जब तक दाम-बांधो की नीति लागू नहीं की जाएगी, तब तक प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया इसे समझें। यदि प्रत्येक दल अपने लिए आबंटित समय से दोगुना समय लेगा तो आधी रात तक कार्यवाही चलेगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अब श्री पलनिसामी, आपके पास आठ मिनट हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आप अपनी बात कब पूरी करेंगे।

***श्री के.सी. पलनिसामी** (करूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह सम्माननीय सभा मूल्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कर रही है। मुझे द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि के सृजक व्यापारी और खुदरा विक्रेता नहीं हैं। छोटे व्यापारी और खुदरा विक्रेता इस संकट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वस्तुत:, मूल्य वृद्धि के अन्य कारणों में वास्तविक कारण बड़े व्यापारियों, धनवान लोगों जो तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं, काला बाजारियों और जमाखोरों द्वारा की गयी हेर-फेर है। मूल्य रूझानों का निर्धारण वे करते हैं और बाजार रूझानों का मार्गदर्शन वे करते हैं। इनसे तो कुछ अपने लाभ के लिए और उपभोक्ताओं और आम जनता के हितों के विरुद्ध कतिपय लाभकारी योजनाओं का भी उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ आनलाइन ट्रेडिंग सुविधा का बड़े व्यापारिक समुदायों तथा बड़े व्यापारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। यह तो अति है कि वे पंजीकरण के लिए मात्र 5 लाख रुपए देते हैं और वे 5 करोड़ रुपये के मदों का आनलाइन व्यापार करने के पात्र हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपनी मनमानी के अनुसार खरीददारी करते हैं और मूल्यों को निर्धारित करते हैं। जिससे अनाज, दाल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से खाद्यान्नों का व्यापार किया जा रहा है और इस प्रकार की प्रणाली की अनुमति देना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इससे केवल बिचौलियों को लाभ होता है, फसल उगाने वाले और इनकी खेती करने वाले किसानों को नहीं। जब तक और अगर-सरकार हस्तक्षेप कर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित नहीं करती, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं केन्द्र सरकार से मात्र 5 लाख रुपए के निवेश से 5 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्न के मूल्यों को नियंत्रित करने का लाइसेंस देने की इस सुविधा को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। आवश्यक वस्तुओं के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की किसी प्रकार की आनलाइन ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए।

केन्द्र में हमारी संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद ही, बहुप्रवेश बिक्री कर को वापस ले लिया गया और इससे खाद्यान्न के मूल्य में 300 रुपए प्रति थैले की गिरावट आई है। अभी हाल में संपन्न चुनावों के बाद हमारे नेता डा. कलाईंगार करूणानिधि द्वारा नई सरकार का गठन करने के बाद ही अनाजों, दालों, खाद्यान्नों एवं खाद्य तेल पर से बिक्री कर को वापस ले लिया गया। इससे मूल्य में कम से कम 100 रुपए प्रति थैले की गिरावट आई।

अत: मैं केन्द्र सरकार से इस पर गौर करने का अनुरोध करता हूं कि खाद्यान्नों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएं। सरकार आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर खाद्य वस्तुओं को नियंत्रण में रखने हेतु कर राहत भी उपलब्ध कराए। खाद्यान्न क्षेत्र को आवश्यक छूट दी जाए और आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि मूल्य वृद्धि से उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़े।

[श्री की.सी. पलनिसामी]

इसी प्रकार, सब्जियों के मामले में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्यों में अनिश्चितता एवं उतार-चढ़ाव होता है। एक बाजार से दूसरे बाजार में इसके मूल्यों में कम से कम दस गुणा तक का अंतर होता है। तमिलनाडु में उपजाई गई तीन रुपए प्रति किलो लागत वाली सब्जी का मूल्य उत्तरी राज्यों और मुम्बई तथा दिल्ली जैसे विपणन केन्द्रों पर तीस रुपए प्रति किलो होता है। मैं केन्द्र सरकार से सब्जियों के मूल्यों विशेषकर अनिवार्य सब्जियों के मूल्यों को नियंत्रण में रखने का अनुरोध करता हूं। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, जहां डा. कलाईगार करूणानिधि मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने 'उझावर संथाई' (किसानों का बाजार) नामक एक अद्भूत योजना आरंभ की। उन्होंने खेतों से सीधे ताजी सब्जियों की बिक्री करने हेतु कई नगरों और छोटे शहरों में विपणन केन्द्र स्थापित किए थे। गांवों से इन विपणन केन्द्रों तक ढुलाई में राज सहायता दी गई है। किसान अपने कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्यों पर बेच सकते हैं जोकि उपभोक्ताओं के लिए सस्ता पड़ता है। इस प्रकार उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को इस नई योजना से व्यापक लाभ पहुंचा था। मैं केन्द्र सरकार से उक्त लाभकारी योजनाओं का अध्ययन करने और इस सुविधा को समूचे देश के सब्जी उत्पादकों और किसानों तक पहुंचाने का अनुरोध करता हूं। खरीददार बेईमान बाजारू ताकतों द्वारा निर्धारित मूल्यों से बहुत कम मूल्य पर ताजी और गुणवत्ता पूर्ण सब्जियों को खरीद सकता है। इस योजना को पूरे देश में क्रियान्वित करने से सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि को कम करने में सहायता मिलेगी।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, विशेषकर डा. कलाईगार करूणानिधि के सत्ता में आने के बाद, खाद्यान्न के मूल्यों पर नियंत्रण में आ गए हैं। हाल में संपन्न चुनावों के दौरान उन्होंने वायदा किया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निर्धनों को 2 रुपए प्रति किलो की दर पर चावल मिलेगा। वह अब इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लाभार्थ जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त मूल्य पर चावल वितरित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है। तमिलनाडु में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की रोकथाम करने हेतु जमाखोरों के विरुद्ध पर्याप्त नजर रखी जा रही है। काला बाजारियों और बेईमान व्यापारियों, विशेषकर जन वितरण प्रणाली में बाधक लोगों के विरुद्ध 'गुंडा अधिनियम' जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग किया गया था। इससे खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर करने में सहायता मिली है। मैं केन्द्र सरकार से इस प्रकार के उपायों का अध्ययन करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्नों के मूल्यों का प्रबंधन और उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

जब जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अच्छी किस्म के चावल का वितरण किया जाता है तो बाजार में चावल का मूल्य निश्चित रूप से उल्लेखनीय स्तर पर स्थिर हुआ है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं और हमने पाया है कि लोगों को राहत मिली है। इसे पूरे देश में लागू किया जाए और मैं सरकार से इसे गंभीरता से लेन का अनुरोध करता हूं।

जहां तक तेल मूल्यों का संबंध है, जब केन्द्र सरकार को असहाय होकर इसमें वृद्धि करनी पड़ी थी। हमारे नेता डा. कलाईगार करूणानिधि के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने डीजल पर लगने वाले बिक्री कर को वापस लेकर परिवहन क्षेत्र और उद्योग को राहत दी जिससे इसके मूल्य में 26 पैसे प्रति लीटर की कमी आई।

जहां तक भवन सामग्री का संबंध है, इसमें 25 प्रतिशत तक की जबर्दस्त वृद्धि हुई है। वे कहते हैं कि यह तेल मूल्यों में हुई वृद्धि का प्रघातकारी प्रभाव है। यदि हम कारण पूछते हैं तो वे कहते हैं कि उत्पादन और परिवहन सहित सभी चीजों की लागत में भारी वृद्धि हुई है। भवन सामग्री की मूल्य वृद्धि का निर्माण उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ा है। कई ठेकेदार अपने को छीन-झपट के बीच पाते हैं। सरकार के लिए कार्य कर रहे कई ठेकेदार बीच में ही अपना कार्य छोड़ रहे हैं क्योंकि लागत में अत्याधिक और असहाय वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में कतिपय वस्तुओं के मूल्यों में 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार निर्माण उद्योग उलझन में है। मैं सरकार से निर्माण उद्योग और निर्माण कार्यकलापों पर जीवन यापन करने वाले इस क्षेत्र के कामगारों को बचाने के लिए कुछ प्रभावी उपाय करने का अनुरोध करता हूं ताकि निर्माण कार्यकलाप जारी रहे।

इस प्रकार, मैं अपने प्रगतिशील माननीय वित्त मंत्री से मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने हेतु व्यवहार्य योजनाओं और उपायों को क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री और लब्ध प्रतिष्ठ अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह से समाज के मध्यम वर्ग और निर्धन वर्गों की सहायतार्थ उपयुक्त राहत उपाय करने का अनुरोध करता हूं। मुझे आशा है कि संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी गठबंधन एवं इस गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार को मूल्यों को नियंत्रण में रखने हेतु सही मार्ग निर्देश देगी जिससे कि आम आदमी पर और बोझ न पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत ही गम्भीर विषय पर सदन चर्चा कर रहा है। महंगाई से

आम जनता, गरीब जनता की कमर टूट जाती है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हम महंगाई पर लगाम नहीं लगा सके हैं। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से चुनकर आता हूं, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभायी। वहां से महान स्वतंत्रता सेनानी श्री चन्द्रशेखर आजाद हुए और हमारे देश के महान कवि शुक्ल जी भी हुए हैं, जिन्होंने लिखा है - "भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।"

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश की अस्मिता का सवाल है, यदि हम गरीबों को उनके हक की, उनके जरूरत की चीजें नहीं दे पाएं, तो हिन्दुस्तान पर राज करने का किसी को अधिकार नहीं है, फिर चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों, या उधर के बैठने वाले लोग हों।

महोदय, हमने आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि गरीब जनता को पेट्रोल पचास रुपये लीटर और दालें 52 रुपये किलो मिलें। ये चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर चली जाएं और हम सीता के बंद मर्तबानों में सहज कर रखते जाएं। हम भी मजबूर हैं, क्योंकि हम इस प्रक्रिया को रोक नहीं पा रहे हैं, इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं।

लोग वोट देते हैं, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। इनकी सरकार आयी और चली गयी। जिसे आना है, उसे जाना भी है - यही प्रकृति का नियम है। कोई रोक नहीं सका है, उन बिचौलियों और व्यापारियों को, जो हमारे बीच में घुन का काम करते हैं, हमारी आम जनता की कमर को तोड़कर घुन की तरह खोखला कर रहे हैं।

हमारे देश में गेहूं इतना पैदा होता है कि हम विदेशियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। हमारे राज्य में केन्द्र और राज्य सरकार ने गेहूं खरीदने के लिए केन्द्र स्थापित किए हैं, लेकिन वहां से विदेशी कम्पनियों ने आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा और उसी कम्पनी से हमने आस्ट्रेलिया से एक हजार और ग्यारह सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं आयात किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती है।

जब तक किसी सरकार की, पांच साल बाद, इस सदन में जनता जिम्मेदारी तय करती है, तब तक ट्रेन बहुत आगे निकल चुकती है। ट्रेन पलटकर दोबारा उसी स्टेशन पर उसी समय नहीं आयेगी, तो समय निकल चुकता है, जनता खिलाफ मोहर मारती है, लेकिन तब तक दूसरे लोग आ जाते हैं और वे दूसरी बन्दरबांट में लग जाते हैं। इसलिए हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ लोग हैं, जिन्होंने विदेशी कम्पनियों को गेहूं खरीदने दिया। माननीय सुमन जी ने भी कहा, सभी सदस्यों ने कहा कि वे कौन लोग थे, जिन्होंने विदेशी लोगों को इस धरती पर सस्ता गेहूं खरीदने दिया, विदेश से महंगा गेहूं मंगाया और हमारी गरीब जनता पर वह भारी पड़ा, क्योंकि जनता का पैसा है, हम लोग राजा नहीं है, यह राजतंत्र नहीं हैं, सब कुछ जनता का है। जनता का कमाया हुआ धन जनता के हित में ही लगा देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हम इस दिशा में कोई मजबूत कदम नहीं उठा पाये। हमारी जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, मुख्य मुद्दा पैट्रोलियम पदार्थों का है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो दाल की, गेहूं की, सीमेंट की, सरिये की, ईंट की, गरीब आदमी जो चीजें उपयोग करता है, उनके दाम बढ़ जाते हैं।

मैं अब अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बोलने का समय आप बहुत कम देते हैं और जो मेरा दिल कहेगा, वही मैं कहने जा रहा हूं। जब राजा निकलता था तो उसके चेहरे से कुछ बातें झलकती थीं। आप आज कुर्सी पर बैठे हैं, सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, आपके चेहरे पर हमारे प्रति प्यार झलकता है तो गुस्सा भी झलकता है, मैं चेहरे से पढ़ सकता हूं, लेकिन दुख का विषय है कि जिन हाथों में आज महंगाई रोकने की क्षमता है, उनके चेहरे से आप नहीं जान सकते कि उनके चेहरे पर क्या लिखा है और दिल में क्या लिखा है - यह दुर्भाग्य का विषय है। यह मैं अपने दिल की बात कहता हूं। संसद सदस्य लाखों वोट लेकर, लाखों जनता के वोट लेकर यहां आते हैं। यह लोगों का सदन है, लोगों की आवाज लेकर जब हम जैसा कोई व्यक्ति सरकार के पास जाता है, हुकूमत के पास जाता है तो उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। चिट्ठी का जवाब आता है कि चिट्ठी प्राप्त हो गई है, चिट्ठी उचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर महंगाई का मुद्दा सामने आता है, पैट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि के सवाल पर पीछे बड़ा आन्दोलन हुआ, सब लोगों ने अपनी बातें रखीं, मजबूती के साथ रखीं, लेकिन अगर सरकार पैट्रोल के दाम नहीं बढ़ाती, एक्साइज ड्यूटी घट जाती, क्योंकि शराब के दाम घटाये गये, कम्प्यूटर के दाम घटाये गये, मोबाइल के दाम घटाये गये - इसकी क्या आवश्यकता थी? हम मोबाइल खाकर जिन्दा नहीं रह सकते, हम कम्प्यूटर पढ़कर जिन्दा नहीं रह सकते। जब तक किसानों को मजबूत नहीं किया जायेगा, आम आदमी को मजबूत नहीं किया जायेगा, एक दिन हिन्दुस्तान में ऐसा आयेगा, जब आम जनता, आम नौजवान खड़ा होकर एक दूसरे की गरदनें काटेगा, क्योंकि उसे पता है कि कल को हमारा नम्बर लूटने में नहीं आना वाला है। आज हिन्दुस्तान का नौजवान शान्त इसलिए बैठा है, उसे पता है कि बृजेश पाठक की तरह हम भी हाउस में जीतकर जाएंगे

[श्री ब्रजेश पाठक]

और मेरा नम्बर भी लूटने में आयेगा। यह दुख का विषय है। इन सब चीजों पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और जब तक कंट्रोल आपके माध्यम से नहीं होगा, सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए आयोग नहीं बनाएगी, क्योंकि कुछ पता नहीं है, साबुन पांच रुपये से 12 रुपये, पैट्रोल 27 रुपये से 52 रुपये, दालें 25 रुपये से 42 रुपये हो गईं जिन्हें आम आदमी खरीद नहीं सकता। तोरई की सब्जी 10-15 रुपये किलो है। हमारी समझ में जितने लोग सदन में बैठे हैं, ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन जीतकर आने के बाद, मैं सभी सदस्यों से माफी मांगता हूं, सभी सदस्य दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सब्जी और दालें, दूध खुद खरीदने नहीं जाते - या तो उनके सर्वेंट्स लाते हैं या हमारे कुछ सदस्य जो काफी व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वे होटलों में खाना खाते हैं। उनको पता नहीं, गुरुदेव, जब दाम बढ़ते हैं तो किसी बच्चे की फीस मारी जाती है, कोई मां अपने बच्चे को दूध नहीं दे पाती है, कोई बूढ़ा बगैर दवा के मर जाता है, कोई मां अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाती है।

माननीय वित्त मंत्री जी, बड़े ही अहम सवाल पर आज चर्चा हो रही है। अगर आदमी की आवाज पर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इन सब बिचौलियों पर कड़ाई होनी चाहिए। हमारा आलू दो रुपये किलो विदेशी कम्पनी खरीद लेती हैं और हम 300 से 500 रुपये किलो वही आलू बच्चों को खरीदकर देते हैं। हमारा आलू अंकल चिप्स के रूप में बदल कर विदेशी कम्पनियां पूरा पैसा विदेश ले जा रही हैं, मालामाल हो रही हैं, लम्बी-लम्बी गाड़ियों में चलती हैं और आलू पैदा करने वाला किसान बर्बाद हो रहा है। हमारे यहां फर्रुखाबाद में आलू होता है, हरदोई में आलू होता है, उन्नाव में आलू होता है, लेकिन सड़क पर सड़ जाता है। विदेशी कम्पनियां वहां जाती हैं, दो रुपये, चार रुपये, आठ रुपये, आठ आने के मोल और फ्री के भाव आलू खरीदकर ले आती हैं और वही आलू हम अंकल चिप्स के रूप में 300 रुपये किलो खरीदते हैं। जब हमारे बच्चे रोते हैं कि हमें दिला दो तो हमें दिलाना पड़ता है। क्या इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं बन सकता, माननीय वित्त मंत्री जी? आपको कानून बनाना पड़ेगा, हम आपसे इसके लिए पूरे सदन की तरफ से जिद करेंगे कि राष्ट्रीय मूल्य आयोग कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बनाना चाहिए। जिससे गरीबों का शोषण न हो सके और उन्हें बिचौलियों से बचाया जा सके। कोई खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुएं - साबुन, तेल, कंघा, आदि जो छोटी-छोटी चीजें हैं, दवाई जैसे डिस्पेंडल पहले दो रुपए में मिलती थी, वह अब चार रुपए की हो गयी है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी कैसे दवा खरीदेगा? अगर इन सब चीजों पर गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तो एक दिन हम लोग भी खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। पहले राजा जनता की आवाज को जानने के लिए कंबल ओढ़कर, वेष बदलकर निकलता था और देखता था कि हमारे राज में जनता खुश है या नाखुश है। आज हमारे पास खूफिया तंत्र है। इस संबध में सरकार के पास रिपोर्टें आती होंगी कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो या बिहार की या पश्चिम बंगाल की या हिंदुस्तान का कोई सूबा हो, हर राज्य में महंगाई को लेकर हाहाकार है। हम सब भी दुखी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार मूल्यों को नियंत्रित करे। जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उन पर कड़ाई से नियंत्रण हो, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बिल्कुल न बढ़ाए जाएं। यदि दाम बढ़ाने ही हैं, तो कम्प्यूटर और मोबाइल के बढ़ाइए और शराब के दाम इतने बढ़ा दिए जाएं कि कोई इसे पी न सके, यदि कोई पिए, तो उसका घर ही बिक जाए। बिचौलिए या बीच के ट्रेडर बंद होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जितने हाथों से एक पेन गुजरेगा, अगर दो रुपए का यह बना है और पांच हाथों में गया, तो इस पेन का दाम दस रुपए होना तय है। हमारा कहना है कि सीधे-सीधे माल बने और बिके। किसानों का गेहूं खरीदने के लिए दलाल खेत में ही पहुंच जाते हैं। हमारा कहना है कि सीधे-सीधे माल उपभोक्ता तक पहुंचे, गरीब आदमी तक पहुंचे, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आप महंगाई और गरीबों को जानें। एक बार रोम में अकाल पड़ा, तो वहां रानी के महल को रोम के लोगों ने घेर लिया, तब राजा साहब ने उनसे कहा कि क्या तुम लोग ब्रेड-बटर भी नहीं खा सकते, जो मेरा महल घेरने चले आए? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप गरीब आदमी की बात को समझिए, उन्हें नजदीक से जानिए। इससे जरूर आपको जनता का आर्शीवाद और आशीष मिलेगा और पुनः सत्ता में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अगले वक्ता हैं, श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया बाधा न डालें। सभा में एक गंभीर मामले पर चर्चा हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सदस्यगण अत्यंत गंभीर मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सभा में किसी हास्यापद मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, हम आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के मुद्दे पर इस सभा में चर्चा कर रहे हैं। यह एक काफी गम्भीर मामला है तथा हम इसी मुद्दे पर पिछले सत्र में भी चर्चा कर चुके हैं। तथापि, जैसा कि अनुमान था, सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। जिससे इस सत्र में भी इस मुद्दे पर पुन: चर्चा करना आवश्यक हो गया है।

इस देश का आम आदमी कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के विश्वासघात व धोखे का शिकार हुआ है क्योंकि वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही है तथा इस सरकार का आम आदमी का नारा मजाक साबित हुआ है। केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोकने में बुरी तरह विफल रही है जिससे गरीब व्यक्ति काफी प्रभवित हुए हैं। सरकार इसका मूल्य वृद्धि को रोकने के बजाय इसे स्वीकार करने हेतु लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर रही है। वस्तुत: सरकार देश में मूल्य नियंत्रण तंत्र पर से अपना नियंत्रण खो चुकी है।

चावल, गेहूं, चीनी, दाल, लाल मिर्च-मंत्री जी दक्षिण भारत के हैं जहां अधिकांश लोग लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं- औषधियों, दवाओं आदि सहित लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं। इससे मल्यों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। यह दयनीय स्थिति है कि सरकार खाद्य वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही सतत वृद्धि पर कोई चिन्ता नहीं दिखा रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार खाद्य नीति में गोलमाल कर रही है तथा खाद्यान्नों में फारवर्ड ट्रेडिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता और जमाखोरी मूल्य वृद्धि कुछ मुख्य कारण है। सरकार मात्र राजस्व प्रबंधन में ही नहीं पिछड़ रही है बल्कि लोग यह भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि यह सरकार जमाखोरों और कालाबाजारियों की मुट्ठी में है।

तीन नेशनल कामोडिटी एक्सचेंज, एनसीडीईएक्स, एनएमसीई और एमसीएक्स काफी सट्टेबाजी के बीच भारी कारोबार देखते रहे हैं। वस्तु बाजार में उतार-चढ़ाव के एक भाग का कारण नए निवेशक व ऋण कारोबारी है। शेयर बाजार में आम रूप से पाए जाने वाले निवेशकों का यह वर्ग भारी मुनाफा का अनुमान करके वस्तु बाजार में अपना पैसा लगाता है। ऋण कारोबारी भारी मांग की स्थिति पैदा करके मूल्यों को बढ़ा देते हैं और एक दिन में अपना मुनाफा बचा लेते हैं। इसके अलावा, गेहूं का आयात किया गया है जिससे किसान समुदाय में आक्रोश है जिन्होंने करीब 73.6 मिलियन टन गेहूं उत्पादित किया है। गेहूं उत्पादक राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। परन्तु इस सरकार ने जानबूझकर गेहूं उत्पादन अनुमान 71.54 मिलियन टन लगाया है ताकि गेहूं के आयात को उचित ठहराया जा सके। इसके अलावा उच्च कीमतों पर तथा फाइटो-सेनिटरी मानदंडों को ढीला करके घटिया किस्म के गेहूं का आयात किया जा रहा है।

यह सरकार खाद्यान्न सहित सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भण्डार और स्थिर बाजार स्थिति के साथ केन्द्र में सत्ता में आयी है। किसी नियंत्रण राज की आवश्यकता नहीं थी। अब मात्र दो वर्षों के अंदर देश का परिदृश्य बहुत बदल गया है। आम आदमी जिसके लिए कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही थी, को पूरी तरह से विश्वासघात का शिकार बनाया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): यह सब न कहें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बाधित न करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: कुछ आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक काफी ऊंचा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका समय पहले ही समाप्त हो चुका है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मैं मात्र कुछ उदाहरण दे रहा हूं। 5 जून, 2005 को गेहूं का मूल्य 900 रु.-1000 रु. प्रति क्विंटल था और वर्तमान में यह 1,175 रु.-1,525 रु. है। 5 जून, 2005 को चावल का मूल्य 1000 रु.-1060 रु. था, आज यह 1,125 रु.-1,175 रु. है। जहां तक उड़द दाल और मूंग दाल का प्रश्न है उनका मूल्य क्रमश: 2,150 रु. और 2,700 रु. था तथा वर्तमान में इनका मूल्य क्रमश: 4,100 रु. और 3,900 रु. प्रति क्विंटल है। मसूर दाल 2,100 रु. प्रति क्विंटल थी और अब यह 2,700 रु. प्रति क्विंटल है। एक वर्ष पहले चने का मूल्य 1,500 रु. प्रति क्विंटल था जो आज 2450 रु. प्रति क्विंटल है। चीनी जो 1,750 रु. प्रति क्विंटल थी आज 2,060 रु. प्रति क्विंटल है। सरसों तेल जो 3,800 रु. प्रति क्विंटल था, वर्तमान में 3,950 रु. प्रति क्विंटल है। जहां तक रिफाइन्ड आयल का प्रश्न है, इसका मूल्य जो 3,100 रु. था वह आज 4,050 रु. है।

मात्र इन वस्तुओं की कीमतें ही नहीं बढ़ी है बल्कि अखाद्य वस्तु श्रेणी में कपास का बीज दो प्रतिशत महंगा हुआ है तथा कोपरा, कच्चा कपास और मूंगफली के बीज में से प्रत्येक के मूल्य में एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। बोर्ड पेपर 5 प्रतिशत महंगा हुआ है, सप्ताह के दौरान जिंक के मूल्य में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है तथा अन्य अल्युमिनियम धातुओं के मूल्यों में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। मशीनरी और मशीन उपकरण श्रेणी, विद्युत-करघा (स्वचालित), क्रेनों तथा विद्युत चालित पम्पों के मूल्य क्रमश: चार प्रतिशत, दो प्रतिशत और एक प्रतिशत बढ़े

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

हैं। सीमेन्ट का मूल्य भी नाटकीय ढंग से बढ़ा है और सरकार अपनी असमर्थता जता रही है।

यदि आप वर्तमान मूल्यों की तुलना वर्ष 2004 के संबंधित मूल्यों से करे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि खाद्य पदार्थों, दालों और सब्जियों के मूल्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि से आम आदमी कितनी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना सुझाव दीजिए कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। आपका समय पहले ही समाप्त हो चुका है। आपने अपने दल को प्राप्त समय के दुगुने से भी ज्यादा समय ले लिया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं दालों के मूल्यों की तुलना दो वर्ष पहले के उनके मूल्यों से कर रहा हूं जब यह सरकार सत्ता में आई थी। उड़द दाल 20 रु. प्रति कि.ग्रा. थी जो आज 48 रु. प्रति कि.ग्रा. है। उरद धुली 25 रु. प्रति कि.ग्रा. थी, अब 60 रु. प्रति कि.ग्रा. है। मूंग दाल 21 रु. प्रति कि.ग्रा. थी अब 44 रु. प्रति कि.ग्रा. है। जहां तक चना का प्रश्न है, यह 22 रु. प्रति कि.ग्रा. था अब 32 रु. प्रति कि.ग्रा. है। अरहर दाल 15 रुपये प्रति किलो ग्राम थी, जो कि अब 36 रुपये प्रति किलोग्राम है। मसूर 18 रु. प्रति कि.ग्रा. था अब 29 रु. प्रति कि.ग्रा. है। ये सरकारी आंकड़े हैं। पिछले दो वर्षों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में 100 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में बुरी तरह विफल रही है।

आग में घी डालने के समान, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भी बढ़ोत्तरी की है। इसने डीजल के मूल्य में 4 रु. प्रति लीटर और पेट्रोल के मूल्य में 2 रु. प्रति लीटर की वृद्धि की है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी का एक कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोत्तरी करने का सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार मात्र पेट्रोलियम उत्पादों से करीब 57 प्रतिशत राजस्व वसूल करती है। इसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत और राज्यों की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है। डीजल पर 30 प्रतिशत का कुल राजस्व वसूल किया जाता है जिसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत है।

वर्ष 2002-03 में केन्द्र ने 64,595 करोड़ रुपये तथा सभी राज्यों ने कुल मिलाकर 32,156 करोड़ रुपये वसूल किए थे। वर्ष 2003-04 के दौरान केन्द्र तथा राज्यों की वसूली क्रमश: 69,195 करोड़ रुपये और 35,180 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2004-05 में यह धनराशि क्रमश: 77,692 करोड़ रुपये और 43,252 करोड़ रुपये रही। वर्ष 2005-06 में केन्द्र और राज्यों को मिलाकर सिर्फ करों से 1,36,000 करोड़ रुपये की वसूली रही। इस वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि से केन्द्र सरकार को 36,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है।

जबकि सभी लोग पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हुई वृद्धि से चिन्तित है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है। वे इसलिए प्रसन्न है कि वे आनुपातिक रूप से करों का अपना हिस्सा प्राप्त करेंगे। यद्यपि आम आदमी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण परेशान है। मुद्रा स्फीति की दर बढ़कर करीब 5.4 प्रतिशत हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको आपके लिए नियत समय से दुगुना समय दे दिया है। कीमतें बढ़ रही हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके लिए नियत समय भी बढ़ रहा है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मेरा सुझाव है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्तर की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए और इसे रोकने हेतु उपाय करने चाहिए। यदि मूल्य वृद्धि को रोकना है तो सरकार को जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। सरकार को किसानों से गेहूं और चावल भी खरीदने चाहिए। यदि ये सारे उपाय एक साथ किए जाएं तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। केन्द्र तथा राज्यों में सरकारों को मौद्रिक अनुशासन के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं आंकड़ों का वर्णन परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसका यहां पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। मेरे विचार से इस सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था का गलत ट्रिगर दबा दिया है जिसके परिणामस्वरूप आज हम ऐसी स्थिति में हैं।

सरकार की गलत नीतियों में से एक पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लोगों के लिए असहाय स्तर तक बढ़ाना है। दूसरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति उनकी नीति है।

खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा में कटौती की गयी है। मूल्य बढ़ रहे हैं। जब देश उत्पादन कर रहा हो, मैं

यह नहीं कहता पर्याप्त मात्रा में किन्तु ठीक-ठाक मात्रा में खाद्यान्न क्षेत्र में उत्पादन हो रहा हो तब खाद्यान्नों का आयात एक विनाशकारी बात है। इसकी खरीद के स्थान पर, किसानों को बेहतर मूल्य देने और उनकी सहायता करने के स्थान पर सरकार आयात करने में इच्छुक थी और इस प्रकार आयात किया कि इसका देश पर इसकी पारिस्थितिकी पर दूरगामी प्रभाव होगा। भविष्य में हमें कई समस्याएं होंगी।

फारवर्ड ट्रेडिंग मजे से चल रही है। वित्त मंत्री के फारवर्ड ट्रेडिंग के बारे में बार-बार दिए गए वक्तव्यों के बावजूद यह कालाधन को निकालने में विफल रहा है। इन सबके इकट्ठा होने से हम ऐसी स्थिति में आ गये हैं जहां अब बाजार कालाबाजारियों, जमाखोरों और अत्यधिक पैसा जमा करने वाले लोगों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। हम मूल्य वृद्धि के प्रश्न को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में शास्त्रीय चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि एक आम आदमी के जीवन में इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहां बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं। यदि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पूर्णता से देखा जाए तो हम सर्वाधिक गरीब लोगों वाले देशों में से एक हैं। इस मूल्य वृद्धि के कारण वे गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। कल वे जितना खाते थे उससे कम खा रहे हैं। कल वे जितना पहनते थे उससे कम पहन रहे हैं। वे और बेरोजगार हो रहे हैं विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जब हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा करते हैं तो हमें इन कुछ चौकाने वाले प्रभावों पर ध्यान देना चाहिए।

सरकार के सामने आई कुछ सिफारिशों तथा इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की, इसकी बात करते हैं। सरकार ने प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की नियुक्ति जिनके बारे में उद्धरण दिए गए थे-कृषि आयोग के अध्यक्ष के रूप में की है। हमारे देश की साठ प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। वे किसान हैं या कृषि मजदूर हैं अथवा कुछ और हैं। प्रो. स्वामीनाथन ने उनके अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि वे ऋण दे रहे हैं और ऋण बढ़ाया जा रहा है। दुर्भाग्यवश किसानों द्वारा आत्महत्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सरकार के पास कार्यक्रम होने पर भी, विशेष पैकेज की घोषणा होने पर भी आत्महत्या बढ़ रही है, विदर्भ में भी जहां प्रधानमंत्री गए थे और पैकेज की घोषणा की थी। ऋण देने के बजाए-बजाएं नहीं, ऋण अच्छी बात है-कम ब्याज दरों पर ऋण दिया जाना चाहिए जिससे बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। प्रो. स्वामीनाथन ने सिफारिश की है कि ऋण को चार प्रतिशत के दर पर दिया जाना चाहिए। हम उन्हें सस्ता ऋण देने को इच्छुक हैं जो बड़े भवन बना रहे हैं और कार खरीद रहे हैं। उन गरीब किसानों का क्या जो अर्थव्यवस्था सम्भाले हुए हैं और जो इस देश में सर्वाधिक रोजगार दे रहे हैं, जिनके उत्पाद देश को खाद्य में आत्म निर्भर बनाते हैं, वे इतने उत्पाद उत्पादित करते हैं, जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहायता देते हैं।

ये वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि आप किसानों को चार प्रतिशत पर ऋण दें। किन्तु इन्होंने इस पर कभी विचार नहीं किया। यह समय है जब आपको इस पर विचार करना चाहिए। हम इस पर विचार क्यों न करें? कुछ देशों ने ऐसा प्रयास किया है। यदि किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया जाए तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा क्योंकि आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। विकास दर नौ प्रतिशत है, आप नौ प्रतिशत से भी अधिक पाना चाहते हैं। यदि हम वह सफलता पा लेते हैं और उसे जारी रखते हैं तो आप शायद किसानों को खुश कर सकते हैं और उन्हें और निर्णायक ढंग से कार्य करने दे सकते हैं। यदि आप उन्हें शून्य ब्याज दर पर ऋण देते हैं तो हम आत्महत्या समस्या का भी हल पा सकते है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था में भारी योगदान भी करेंगे, इस प्रकार हम दस प्रतिशत वृद्धि दर भी छू सकते हैं।

इसके बाद विपणन है। जब आप कहते हैं और उत्पादन करो, गरीब किसान और उत्पादन कर रहा है किन्तु विपणन शून्य है। श्री स्वामीनाथन सुझाव देते हैं कि आप प्रणाली तैयार कर सकते हैं, संस्थागत गारंटी इत्यादि, ताकि कृषि उत्पादों का विपणन बेहतर हो और किसानों को लाभ पहुंचे। मैं किसानों पर बल दे रहा हूं क्योंकि वे हमारे देश की आबादी के 60 प्रतिशत से भी अधिक है। उनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महान योगदान है।

अब तक किसी प्रकार हम इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने में विफल रहे हैं अत: हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहे हैं। भारत में अर्थव्यवस्था को सहायता देने का अर्थ है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सहायता देना, उन्हें हर प्रकार की सहायता देना तथा देश को ज़ीवंत बनाना।

एक बात और कहनी है उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। गरीबी उपशमन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना में कई शिकायतें आ रही हैं और मैं शिकायतों को बढ़ा-चढ़ा नहीं कह रहा हूं और इस योजना के महत्व को घटा नहीं रहा हूं। यह योजना बहुत अच्छी है। किन्तु यह केवल 200 जिलों में है। इसके क्रियान्वयन का अनुभव क्या है? इससे कीमतों पर असर पड़ रहा है क्योंकि यदि गरीब आदमी को जो बेरोजगार है उसे 60 रु. प्रतिदिन की आय दी जाए तो उसका लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का इसे हमारे देश

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

के 600 जिलों में शीघ्र से लागू करने की योजना है? इस प्रकार यदि सरकार इस समस्या को और रचनात्मक ढंग से निपटाती है तो संभवत: हम मूल्य वृद्धि पर तार्किक रोक लगा पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी। कृपया अपने स्थान से बोलिए।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): अध्यक्ष जी, अभी इस चर्चा की शुरुआत डा. चिंता मोहन जी ने की। डा. चिंता मोहन जी ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है और जो दाम बढ़ रहे हैं उनके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सदन में बैठे हुए जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सभी जनता द्वारा चुनकर आये हैं और अपने-अपने क्षेत्र के प्रति वे जवाबदेह हैं और जनता से जो''...

महोदय, वर्ष 2004 के लोक सभा के चुनाव के समय कांग्रेस ने नारा दिया था ''कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ'' और यही नहीं जब-जब बजट आया, उस बजट के अंदर भी यही कहा गया। मुझे खुशी है कि इस समय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और इस बजट के लिए भी कहा था कि यह बजट आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाया है और यह आम आदमी के हितार्थ बजट है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस बजट को पेश किए चार महीने भी नहीं हुए हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके के दाम बढ़ते जा रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि हम सभी का घरेलू बजट अपने आप में गड़बड़ा गया है। मंत्री जी ने जो बात कही थी कि यह बजट आम आदमी का बजट है और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है, यह जनता के साथ धोखा है, विश्वासघात है। आज जनता पूछ रही है कि उसने वोट देकर अपना विश्वास व्यक्त किया था, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिए आज जब चर्चा हो रही है तो मैं यह भी देख रही हूं कि बहुत से दल, जो घटक दल हैं, जिन्होंने अपना समर्थन देकर संप्रग की सरकार बनाकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वे भी अपनी बात करने से नहीं चूके क्योंकि यह चर्चा पूरा देश देखेगा, हमारा कथन सुनेगा। देश को पता चलेगा कि हम अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। ये मगरमच्छ के आंसू हैं। महंगाई 20 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक बढ़ गई है। सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इन्होंने कहा था कि हम 13 दिन से 19 दिन तक महंगाई के विरोध में धरना देंगे और ठीक 11 तारीख को कह देते हैं कि हम कोई धरना नहीं दे रहे हैं। वे बंद कमरे में बैठ कर हरी झंडी दिखाते हैं और सड़कों पर लाल झंडा दिखाते हैं कि वे महंगाई का विरोध कर रहे हैं और महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। इनका दोहरा चरित्र देश के सामने आ चुका है। आज जनता अच्छी तरह से जानती है कि इनकी क्या कथनी है और क्या करनी है। यह बात जनता की समझ में आ चुकी है। यह जो महंगाई बढ़ रही है और जो आंकड़े हमारे कुछ मित्रों ने यहां पर रखे, उनको ध्यान में रख कर मैं कहना चाहती हूं कि मैं एक सांसद के साथ-साथ गृहणी भी हूं। मैं अभी अनुभव करती हूं कि महीने की तनख्वाह जितनी थी, उतनी ही है, लेकिन जो घर का बजट था, वह गड़बड़ा गया है।

अपराह्न 4.54 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन* हुए]

वह बजट इसलिए गड़बड़ा गया, क्योंकि उतनी ही तनख्वाह से जब मैं बाजार से सामान लेने जाती हूं, तो पहले जितना सामान आता था, आज उससे आधा सामान आता है। ...*(व्यवधान)* मैं सोचती हूं कि उसकी परवाह आपको नहीं हो सकती है। यह संवेदनशील मामला है और आप हंस रहे हैं। देश की जनता रो रही है, उसकी आपको चिंता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: महोदया, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। मैं माननीय सदस्या से अध्यक्षपीठ को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं ताकि व्यवधान न हो।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: बीच में टोका-टाकी को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कहा गया कुछ भी रिकार्ड करने की जरूरत नहीं है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: श्रीमती सोनिया गांधी, जो यूपीए की चेयरपरसन हैं, ने माना है कि महंगाई वास्तव में बढ़ रही है और महंगाई को कम करना चाहिए। लेकिन यूपीए सरकार के मंत्री कहते हैं कि कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है और हम किसी भी चीज की कीमतें वापिस लेने वाले नहीं हैं, ये कीमतें ऐसी ही रहेंगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे समझ नहीं आता कि यह किस तरीके का दोहरा चरित्र है। हम स्टेटमैंट कुछ देते हैं और सरकार चलाते समय हमारी भाषा दूसरी होती है। यह बात हमें समझ में नहीं आ रही है। बढ़ी कीमतों के बारे में, मैं यहां एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। वैसे कीमतों हर चीजों की बढ़ी हैं, खाद्यान्न आइटम्स की कीमतें काफी बढ़ी हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें अंकित करना चाहती हूं। शक्कर के दाम, जो मई 2004 में मात्र 15 रुपए थे, वह आज बढ़ कर 40 रुपए हो गए हैं। गेहूं के दाम भी बढ़ गये। दालें जो पहले 25 रुपए किलो थीं, वे बढ़ कर आज 60 रुपए किलो हो गई हैं। ...*(व्यवधान)* यह उन्हें सुनना पड़ेगा। इनकी सरकार के रहते, ये दाम बढ़े हैं। जिन चीजों के दाम बढ़े हैं, उनके आंकड़े सुने हुए नहीं हैं क्योंकि मैं उन्हें खरीदकर लाई हूं। अगर आप चाहें, तो मैं विक्रेता थोक भंडार का बिल भी दे सकती हूं। चाय की पत्ती, जो 80 रुपए किलो मिलती थी, वह आज 180 रुपए किलो मिल रही है। चाय महंगी, शक्कर महंगी, दाल महंगी और यहां तक रसोई गैस जो लेकर आते थे, वह पिछले दो साल में 50 रुपए एक सिलैंडर महंगी हो गयी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए। आपके पास सिर्फ पांच मिनट का समय था। आप कृपया मुख्य मुद्दे पर ध्यान केन्द्रीत कीजिए।

[हिन्दी]

आपकी पार्टी से दूसरे सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: वे भी बोलेंगे। मेरी पार्टी ने मुझे बोलने के लिए कहा है। आप मेरी बात सुनिए। अगर मेरी पार्टी को आपत्ति नहीं है, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बढ़ने के पीछे जो कालाबाजारी हो रही है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। एनडीए सरकार के समय में जब गैस का सिलैंडर लेकर हाकर्स हमारे घर आता था और कहता था कि बहन जी, गैस ले लीजिए, लेकिन आज यह स्थिति है कि हम गैस बुक कराते हैं और उसे पाने के लिए एक-दो महीने इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर सिलैंडर घर में आता है। कालाबाजारी के बढ़ने से इस सरकार बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न लग रहा है।

सभापति महोदय, मैं सरकार में बैठे सारे मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि इस विषय पर चिन्ता करने की जरूरत है कि कालाबाजारी को बढ़ाने में किन-किन लोगों का हाथ है—आप इस पर चिन्ता करिए।

श्री चिन्ता मोहन ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से जो चर्चा शुरू की है, आप उस पर चिन्ता करें। आज बहुत से लोग, जो महंगाई की मार से आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, उनकी चिन्ता करने की जरूरत है।

हमारे कुछ मित्रों ने यहां पैट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों की बात की है। हम भी रोज पैट्रोल और डीजल अपनी गाड़ी में भरवाते हैं। हमें पता है कि पैट्रोल 50 रुपए लीटर पहुंच गया है। इस सरकार के आने के बाद सातवीं बार पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। एनडीए सरकार ने जब पैट्रोल और डीजल का दाम एक रुपये बढ़ाया, तो हमने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना उसी का परिणाम है। एक रुपए पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, तो सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा दिया गया। पूर्व में जो एनडीए की सरकार चल रही थी, उसने देश का इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया लेकिन कीमत केवल एक रुपये बढ़ायी। इन्होंने सात बार कीमतें बढ़ा दी, लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर देश का कुछ नहीं बढ़ा। इतना ही नहीं, सोशल सैक्टर में कुछ नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप अब समाप्त नहीं करेंगी तो आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूं। आपको कुछ आंकड़े सुनने पड़ेंगे। जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, मैं उनको रखते हुए बताना चाहूंगी कि 2002 में अनाज का कितना भंडार होता था। जब एनडीए की सरकार थी, तो देश में अनाज के कितने भंडार थे।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप अब समाप्त नहीं करती तो आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। मैं बहुत तथ्यात्मक बात कह रही हूं, जो इस विषय से परे नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका भाषण रिकार्ड नहीं होगा, अब आप बैठ जाइये। आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गये हैं, जबकि आपको पांच मिनट का समय दिया गया था।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मैं कंक्लूड कर रही हूं। मैं कहना चाहती हूं कि यह सरकार चीजों की बढ़ी हुए दरों को वापस ले, नहीं तो आज से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह संसद में बैठे हुए सांसद नहीं, बल्कि आम जनता कह रही है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सभापति महोदय, मैं देश में मूल्य वृद्धि के बारे में चल रहे वाद-विवाद में कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहता हूं। माननीय सदस्य इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा राजनीतिक लाभ लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण का सारा भार केन्द्र सरकार पर नहीं डाला जा सकता है। राज्य सरकारों के पास ऐसे अनेक उपाय हैं जिसके द्वारा वे मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण कर सकती हैं।

हम सभी जानते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का आरम्भ 15 फरवरी, 2002 से हुआ है जब राजग सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी नियंत्रणात्मक आदेशों को रद्द कर दिया था, जिसके कारण किसी भी सरकार के लिए जमाखोरों, मुनाफाखोरों तथा कालाबाजारियों से निपटना मुश्किल हो गया। भाजपा का मुख्य निर्वाचन क्षेत्र बेईमान व्यापारियों का है तथा उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने सभी नियंत्रणात्मक आदेशों को रद्द करने का कार्य किया। भारी मात्रा में जमाखोरी करने के लिए फारवर्ड ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। निजी पार्टियों को बिना किसी नियंत्रण के कृषि उत्पाद खरीदने की अनुमति दे दी गई है। इससे जमाखोरी हुई है, जिससे हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई है जिसे अब हम देख रहे हैं। खरीद के लिए सरकार का अपना समय होता है तथा यह खरीद देश में विभिन्न मण्डियों तक ही सीमित है। इसलिए मेरा सरकार से यह आग्रह है कि राज्य सरकारों को जमाखोरों से निपटने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान करें तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण आदेश को लागू करें।

महोदय, इस सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु अनेक उपाय किए हैं। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने मामले में व्यक्तिगत रुची ली है जो इस बात से जाहिर है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए तरीके सुझाने हेतु सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। स्थिति से निपटने के लिए वे सरकार के लगातार सम्पर्क में हैं। भारतीय खाद्य निगम ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नीचे लाने के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग करने का प्रस्ताव दिया है।

सरकार बाजार में स्थिरता प्रदान करने हेतु दालों और गेहूं का आयात करने को तैयार है। वायदा बाजार में मार्जिन मनी को 5.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। मूल्य लाभ को कम करने के लिए क्रेता पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी लगा दी गई है। नैफेड पहले ही इस अन्तर को कम करने के लिए वस्तुओं के आयात में लगा है क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ति एवं मांग में अन्तर है। अब हमें इस अन्तर को कम करने के लिए एक तंत्र बनाना होगा ताकि स्थिति में सुधार किया जा सके। हम जानते हैं कि पाकिस्तान तथा बांग्लादेशों में चीनी की भारी मांग है। मात्रात्मक प्रतिबंध राजग सरकार के कार्यकलाप में हटा दिए गए थे तथा आयात एवं निर्यात कोई भी व्यापारी कर सकता है तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेशों में चीनी की भारी मांग से निर्यात बाजार बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप देश में चीनी की कमी हो गई। इसलिए सरकार ने सफेद चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। दूसरे, खुली बिक्री हेतु अतिरिक्त चीनी जारी की जानी चाहिए तथा सभी मिल मालिकों के लिए अपना कोटा एक महीने के भीतर बेचना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अन्यथा यह लेवी चीनी में परिवर्तित हो जाएगा।

इसलिए, गरीब लोगों की समस्याओं तथा दुर्दशा के मद्देनजर विभिन्न कदम उठाने के लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। कमजोर वर्गों की जीविका का स्तर किस प्रकार ऊपर उठाया जाए इसके लिए पहले से ही हम सामाजिक क्षेत्र पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना 200 जिलों में चल रही हैं, तथा सरकार ने इस शेष 400 जिलों में पांच वर्षों की अवधि के भीतर लागू करने का वायदा किया है। संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य यह बात नोट कर सकते हैं। यदि ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम सही परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित किया जाता है तो हमारे समाज के गरीब लोगों एवं कमजोर वर्गों को बहुत अधिक सहायता मिलेगी। हम जानते हैं कि आई.सी.डी.एस. मध्याह्न भोजन योजना तथा सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी अन्य योजनाओं का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार गहरी रुचि ले रही है। सरकार गरीब लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम लेकर आई है। कृषि ऋण बढ़ाकर 1,67,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। भारत निर्माण कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य हमारे देश में कृषि क्षेत्र सहित गरीब लोगों की आजीविका में सुधार करना है। जो इस सभा में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि गरीबों की स्थिति अब से नहीं अपितु उनकी सरकार के काल से ही बिगड़ रही है जब निर्देशित मूल्य प्रणाली और सार्वजनिक मूल्य वितरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। हमारी पूर्ववर्ती

सरकार द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं।

हम जानते हैं कि मूल्य वृद्धि मुद्रा स्फीति से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। देश में मुद्रा स्फीति तो है ही। अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि मुद्रा स्फीति उतनी ही पुरानी है जितनी कि बाजार अर्थव्यवस्था है। मुद्रा स्फीति को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: ये श्रेणियां हैं:- (1) निम्न मुद्रा स्फीति; (2) तीव्र मुद्रा स्फीति; तथा (3) अत्यधिक मुद्रा स्फीति। मैं समझता हूं कि हम निम्न मुद्रा स्फीति के दौर में हैं। निम्न मुद्रा स्फीति का अर्थव्यवस्था पर मामूली प्रभाव होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। यह एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हमारे उद्योग जगत का प्रदर्शन अच्छा चल रहा है, हमारे विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान मुद्रा स्फीति के पीछे अनेक कारण हैं। आधे मुद्रा स्फीति हेतु खाद्य क्षेत्र विशेषतया दालें और सब्जियां जिम्मेदार हैं। शेष मुद्रा स्फीति हेतु विनिर्मित माल के मूल्य में वृद्धि जिम्मेदार है।

इन दो प्रकार की मुद्रास्फीतियों के मूल्य अलग-अलग हैं। एक तरफ उत्पादन में कमी का कारण दालों तथा सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर विनिर्माण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का कारण अत्यधिक मांग होना है। आपूर्ति-मांग का दबाव है। इसलिए हमें आपूर्ति मांग की स्थिति से निपटना होगा।

तीसरा कारण बाहरी है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है जिससे पेट्रोल तथा डीजल जैसे घरेलू तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई है। इसलिए, इस सरकार के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने से पूर्व हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है और मैं आशावान हूं कि यह सरकार अपनी योग्यता से और अपने आर्थिक कार्य-निष्पादन के बल पर वर्तमान स्थिति से निकलकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करने में सफल होगी। थोक मूल्य सूचकांक पहले से ही कुछ सकारात्मक रुख दिखा रहा है। यह पांच प्रतिशत की सीमा में है। इसलिए मूल्य वृद्धि के मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की आवश्यकता नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि इस स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार सभी तंत्रों को सही करने में सक्षम होगी जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, तथा गरीब लोग, जो इस मूल्य वृद्धि की समस्या का सामना कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। हम मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर भी समान रूप से चिंतित हैं। लेकिन हमें तार्किक होना होगा, हमें वास्तविक होना होगा तथा हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कुछ सदस्य भावुक हो रहे हैं तथा भावनाओं से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसकी बजाए हमारी सोच तार्किक होनी चाहिए।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** (भटिंडा): इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरी मातृ-भाषा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए महोदय आपका धन्यवाद। 2004 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार केन्द्र में सत्ता में आई थी तो इसने एक आकर्षक नारा दिया था कि: "यूपीए सरकार आम आदमी के साथ है। आम आदमी दो वक्त की रोटी खाता है। वह दालें तथा रोटी खाता है। वह अपने खाने के साथ प्याज लेता है। वह अपने खाने में टमाटरों का उपयोग करता है। परन्तु महोदय, टमाटर 50/- प्रति किलो की दर से बेचे जा रहे हैं। प्याज 15/- प्रति किलो की दर से बेची जा रही है। अत: यूपीए सरकार द्वारा किया गया नारा अब बेमानी हो गया है। यह अपना अर्थ खो चुका है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। सरकार एक दिहाड़ी मजदूर को मात्र 60/- रु. प्रदान करती है। परन्तु दालें ही 60/- रु. प्रति किलो की भारी दरों से बेची जा रही हैं। यदि एक परिवार में पांच सदस्य हैं तो कम से कम आधा किलो दाल की आवश्यकता है। इसे तेल तथा मसालों का उपयोग करके बनाया जाता है। इन वस्तुओं के मूल्यों को भी जोड़िए। इन वस्तुओं के मूल्य में सरकार द्वारा लगाया गया वैट भी शामिल है। इन वस्तुओं का मूल्य भी लगभग तीस रुपए आएगा। अकेली दाल ही लगभग तीस रुपए की आएगी। इसका अर्थ हुआ कि एक दिहाड़ी मजदूर जो साठ रुपए कमाता है उसमें वह केवल दाल ही खा सकता है। फिर, वह अपने बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएगा, कपड़े अथवा दवाएं किस प्रकार खरीदेगा। उसे प्रतिदिन मात्र 60/- रु. मिलते हैं। उसके परिवार में पांच से अधिक सदस्य हो सकते हैं। तो फिर उसके परिवार का क्या होगा?

महोदय, यूपीए सरकार आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को रोकने में बुरी तरह विफल हुई है। इस सरकार की नीतियां तथा विचार दोषपूर्ण तथा ढुल-मुल हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान को छूते हैं तथा कालाबाजारियों की चांदी हो जाती है। घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस-सिलेंडरों (एलपीजी) का 200/- रु. से बढ़कर कुछ भी वर्षों में लगभग 400/- रु. हो गया है। ये सिलेंडर आसानी से उपलब्ध भी नहीं हैं।

पिछले एक वर्ष में औद्योगिक कामगारों के जीवनयपान का खर्च 3.6% से बढ़कर 6.1% हो गया है जबकि कृषि श्रमिकों के मामले में यह 3% से बढ़कर 6.4% हो गया है। इस सरकार ने

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्रीमती परमजीत कौर गुलशन]

एक जनप्रिय नारा दिया था। वास्तविकता से इसकी तुलना कीजिए। आम आदमी के लिए पिछले छह महीने बहुत पीड़ादायक रहे।

लगभग सभी वस्तुओं के खुदरा मूल्य दुगुने हो गए हैं। गेहूं का मूल्य 12/- रु. प्रति किलो से बढ़कर 15/- रु. प्रति किलो हो गया है। दाल का मूल्य 30/- रु. प्रति किलो से बढ़कर 60/- रु. प्रति किलो हो गया है। सरकार के पास इन सभी वस्तुओं की मूल्य सूची है। मुझे विस्तार से इन सभी वस्तुओं की मूल्य-सूची बताने की आवश्यकता नहीं है। गृहिणी बहुत परेशान है। वह नहीं जानती कि सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि को देखते हुए वह अपने बजट को किस प्रकार संतुलित करे। इसके परिणामस्वरूप आम आदमी निराश और हताश है। गरीबी के कुचक्र के कारण परिवार के परिवार आत्महत्या कर रह हैं। इलैक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया ऐसी आत्महत्याओं के समाचारों से भरे रहते हैं।

महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। यदि आप 10/- रु. का नमक का एक पैकेट खरीदते हैं तो आपको वैट के रुप में इस पर 3/- रु. का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 25 जुलाई को केरल में गेहूं का मूल्य 1750/- रु. था और जम्मू में यह 1700/- रु. की दर से बेचा जा रहा था। इस मूल्य वृद्धि के लिए बिचौलिए जिम्मेदार हैं। उनकी कुछ नौकरशाहों तथा अन्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत है। इन वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। दलाल लाभ कमा रहे हैं। इसलिए समय की मांग है कि इन बिचौलियों से पिंड छुड़ाया जाए।

सरकार का दावा है कि खाद्यान्न के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि हुई है। परन्तु, हमारे किसान बहुत परिश्रमी हैं। सरकार की दोषपूर्ण तथा ढुल-मुल नीतियों का परिणाम है— मूल्य वृद्धि। सरकार ने जब घोषणा की कि 1060/- रु. की दर से गेहूं का आयात किया जाएगा तो इसके परिणामस्वरूप आटे की कीमत आसमान छूने लगी।

निजी कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह गलत नीतियां चला रही है। हमारे देश में गन्ने की कोई कमी नहीं है, जबकि सरकार अधिक दरों पर चीनी का आयात कर रही है। इसके परिणामस्वरूप आम आदमी 25/- रु. से 30/- रु. प्रति किलो की दर से चीनी खरीदने को विवश है।

यदि सरकार, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को कम करने के बारे में वास्तव में गंभीर है तो उसे अपनी ढुल-मुल नीतियों में सुधार करना पड़ेगा। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना चाहिए। आप लोगों में से ईमानदार व्यक्तियों को डीलरशिप दी जानी चाहिए। खाद्यान्न की चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिएं। भंडारण की समस्या को सुलझाया जाना चाहिए। किसी भी वस्तु की बिक्री और खरीद में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। मूल्य वृद्धि के लिए बिचौलिए ही जिम्मेदार हैं। उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं में सीधे संपर्क होने चाहिएं, केवल तभी हम कीमतों को नीचे ला सकते हैं।

'उचित दर दुकानों' को खोला जाना चाहिए। केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाना चाहिए जिनका उत्पादन हमारे देश में सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। खाद्यान्न के पर्याप्त बफर स्टाक को सुनिश्चित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र में निजी कंपनियां मानदंडों तथा नियमों का उल्लंघन न करें।

कच्चे तेल पर उत्पाद तथा सीमा-शुल्क कम किया जाना चाहिए। किसानों को प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी चाहिए ताकि खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़े।

यदि सरकार आसमान छूते मूल्यों पर नियंत्रण करने में विफल रही तो इसके विनाशकारी परिणाम निकलेंगे और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। जो सरकार आम आमदी को उचित मूल्य पर रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): सभापति महोदय, आज सदन बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहा है। यह ऐसा विषय है जिससे सारा देश त्रस्त है। इस विषय पर आज दो बजे से चर्चा हो रही है। चर्चा में अनेक माननीय सदस्यों की कई महत्वपूर्ण बातें मैंने सुनीं। उन्हें सुनकर मुझे दुख इसलिए हुआ कि इतने गम्भीर विषय पर चर्चा करते हुए, माननीय सांसद दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए। कई लोगों ने एन.डी.ए. सरकार की चर्चा की। मैं पूछना चाहता हूं कि दो साल तो वर्तमान सरकार को भी शासन करते हुए हो गए। आप दूसरों का रोना क्यों रो रहे हैं। वित्त मंत्री जी, आप लगातार दो साल से इस देश में राज्य कर रहे हैं, आपका शासन चल रहा है। इन दो सालों में आपने क्या किया, उसका लेखाजोखा बताइए। आप पांच साल में दो साल पूरे कर चुके हैं।

महोदय, मैं इस संबंध में एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बच्चों के स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं का रिजस्ट निकलने वाला था। एक लड़का स्कूल से रिजल्ट सुनकर शाम को घर आया। उसके पिता ने पूछा कि रिजल्ट घोषित हो गया। लड़के ने कहां हां और उसने रिजल्ट सुनाना शुरू कर दिया कि फलां का लड़का फेल हो गया और फलां का लड़का भी फेल

हो गया। काफी देर तक सुनने के बाद जब पिता ने पूछा कि तुम्हारा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं भी फेल हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार भी फेल हो गई है। इस सरकार ने देश की जनता के साथ जो वायदा किया, उसे नहीं निभाया। यह सरकार जनता के साथ किए गए वायदे को निभाने में फेल हो गई। आपकी सरकार में जमाखोर शामिल हो गए हैं। आप उनके हक में नीति बना रहे हैं। आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए।

सभापति जी, मैंने वित्त मंत्री जी का प्रैस वस्तव्य पढ़ा था। उसमें इन्होंने कहा था कि होलसेल प्राइस-इंडैक्स मात्र 5 प्रतिशत बढ़ा है, जो मैनिजेबल है। सदन में कई चीजों की बढ़ी हुई कीमतों की काफी देर तक चर्चा हुई है। इसलिए मैं उसी को दोहराकर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल दो-तीन आयटमों के तुलनात्मक आंकड़े देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बतान्न चाहूंगा कि फरवरी में उनका क्या दाम था और अब क्या दाम है। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी आप टोटल मैनेजमेंट में फेल हुए हैं। आपने इस देश की जनता को दिग्भ्रमित किया है। फरवरी में अरहर की दाल की कीमत 36 रुपए थी और आज की तारीख में 45 रुपए प्रति किलो है। मूंग की दाल 30 रुपये प्रति किलो थी, आज 60 रुपये प्रति किलो है। चना 25 रुपये प्रति किलो था आज 40 रुपये प्रति किलो है। सब्जियों में, टमाटर 12 रुपये प्रति किलो था, जो 45 रुपये प्रति किलो तक बिका है, आलू 6 रुपये प्रति किलो था जो 14 रुपये प्रति किलो तक बिका है। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि पांच प्रतिशत होलसेल प्राइज राइज इंडेक्स बढ़ा है, जो कि मैनेजेबल है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यह कौन सा मैनेजमेन्ट है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की चर्चा कई लोगों ने यहां की है। क्यों घड़याली आंसू बहा रहे हैं और देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। जिस पार्टी का शासन हो, जिस पार्टी का वित्त मंत्री हो, उसकी वर्किंग कमेटी देश की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कहे कि हम सरकार को कह रहे हैं कि महंगाई पर नियंत्रण करे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो कहा, उसके बाद से अब तक क्या हुआ, उसका लेखा-जोखा देश की जनता को बताइए।

वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्राइज राइज में पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोत्तरी और उत्पादन में कमी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेट्रोल पर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। हमारे देश में जो कर निर्धारण पद्धति है, वह इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। इस सदन में कई बार चर्चा करके आपसे कहा है कि पैट्रोलियम पदार्थों के करों में आप कमी लाइए, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में कमी लाइए। पैट्रोलियम पर 130 प्रतिशत तक कर वसूल किए जाते हैं। पैट्रोल की रिफाइनिंग के बाद 20 रुपये प्रति लीटर लागत आती है। लेकिन वह 47 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। 20.10 रुपये प्रति लीटर डीजल की कास्ट है, लेकिन वह 30 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

महोदय, आप दुनिया के अन्य देशों में देख लीजिए। वित्त मंत्री जी तो कम्पनी अफेयर्स के ज्ञाता भी हैं। फ्रांस में पेट्रोल पर 65 प्रतिशत और डीजल पर 47 प्रतिशत टैक्स है, जर्मनी में पेट्रोल पर 60 प्रतिशत और डीजल पर 50 प्रतिशत टैक्स है, यूके में पेट्रोल पर 68 प्रतिशत और डीजल पर 60 प्रतिशत टैक्स है, जापान में पेट्रोल पर 45 प्रतिशत और डीजल पर 34 प्रतिशत टैक्स है। विकसित देशों को छोड़ दीजिए, छोटे से देश नेपाल में पेट्रोल पर 31 प्रतिशत और डीजल पर 22 प्रतिशत टैक्स है। बांग्लादेश में 24 प्रतिशत और डीजल पर 24 प्रतिशत टैक्स है, श्रीलंका में पेट्रोल पर 37 प्रतिशत और डीजल पर 5 प्रतिशत टैक्स है। लेकिन आप 130-135 प्रतिशत टैक्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है, वह इसके लिए जिम्मेदार है। पूरा सदन आपके साथ है। पूरा देश चाहता है कि आप पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को घटाएं।

खाद्यान्न के उत्पादन की चर्चा भी यहां हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन कभी इस देश में कम नहीं हुआ है। पिछले वर्ष को खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, इस वर्ष उससे कहीं कम नहीं हुआ है। आप प्रोक्योरमेंट के मामले में फेल हुए हैं। प्रोक्योरमेंट में आपकी गलत नीतियों के कारण आप फेल हुए हैं। आप कह रहे हैं कि खाद्यान्न की बहुत कमी है, इसलिए आप इम्पोर्ट करने लगे और यह मैसेज पूरे देश में चला गया कि देश में खाद्यान्न की कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने होडर्स पर कोई नियंत्रण नहीं किया। होडर्स को आपने बढ़ावा दिया।

कई विदेशी कम्पनियों की चर्चा यहां पर हुई है। मैं उसकी चर्चा करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आपकी गलत नीतियों के कारण होडर्स एन्क्रेज हुए और उनकी एन्क्रेजमेन्ट का परिणाम है कि आज सभी खाद्यान्नों का होर्डिंग हो गया है। उस पर उत्पादन में कमी की बात आप करते हैं। मैं आपको उत्पादन का डाटा दे सकता हूं कि इस देश में पिछले वर्ष से ज्यादा ही उत्पादन हुआ है। इसलिए आपकी गलत नीतियों के कारण ही यह सब हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप मार्किट मैनेजमेन्ट करें और पैट्रोलियम पदार्थों पर अपना जो टैक्स लगाए हुए हैं, उनमें कमी कीजिए। आप उसके बाद लांग टर्म एग्रीकल्चर डैवलपमेंट पालिसी बनाइये, तभी आप प्राइसेज पर नियंत्रण पा सकते हैं।

घड़ियाली आंसू बहाकर और अखबारों में गलतबयानी करके, इस देश की जनता को धोखा देकर आप अपने आपको संतुष्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है कि जब से यू.पी.ए. सरकार आई है, कमरतोड़ महंगाई है।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं आज के समय देश में बढ़ते मूल्यों की चिंता के बारे में इस सभा के अन्य सदस्यों के साथ हूं। इस तथ्य के बारे में कोई दो राय नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और यह कि मूल्यों में वृद्धि चाहे यह तेजी से होने वाली मूल्य वृद्धि हो अथवा धीमी वृद्धि अथवा अपेक्षाकृत थोड़ी तेज वृद्धि हो अथवा व्यक्तियों के जीवन पर विशेषकर निश्चित आय वाले व्यक्तियों के जीवन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। निश्चित आय वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यों में यह वृद्धि उनकी आय को लूटने और उन्हें निम्न जीवन स्तर पर धकेलने के समान है।

इसलिए, इस तथ्य के बारे में कोई झगड़ा नहीं है कि मूल्य वृद्धि हुई है और मूल्य वृद्धि से समाज के कमजोर वर्गों और आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परंतु इस अवधारणा में अंतर कहां आता है कि इस परेशानी का विश्लेषण कैसे किया जाए और बढ़ते मूल्यों की इस परेशानी के उपायों का सुझाव कैसे दिया जाए। यहां मुझे यह महसूस होता है कि सभा को एक सर्वसम्मति बनाकर देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कैसे नियंत्रित किया जाए इसके लिए उपायों का एक पैकेज वित्त मंत्री को दिया जाना चाहिए। अधिकांश मूल्य वृद्धि, विशेषकर लगभग पिछले छह महीनों के दौरान प्रत्यक्ष रूप से सरकार के नियंत्रण में नहीं है। परंतु अधिकांशत: गैर-सरकारी और बहिर्जात कारकों से मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसलिए, जब हमें समाधान ढूंढते समय इस मूल्य वृद्धि के कारणों को अवश्य ढूंढना चाहिए। जैसा कि अनेक माननीय सदस्य अपनी राय अभिव्यक्त कर चुके हैं, आज पेट्रोलियम उत्पाद थोक बिक्री मूल्य सूचकांक के लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा बनते हैं और हमारी 70 प्रतिशत आवश्यकताएं पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से पूरी की जाती हैं।

आज, भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार आयात, निर्यात आदि की जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिए हैं। एक बार जब हमने इस दार्शनिकता को स्वीकार कर लिया है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कुछ भी होता है उसका खामियाजा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी उठाना पड़ेगा। आज, हम सिर्फ कच्चे तेल का आयात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि धातुओं का खाद्य तेलों और कभी-कभी चीनी और दालों आदि का भी आयात कर रहे हैं।

अपराह्न 5.33 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और हम इससे बच नहीं सकते तथा इसका भारतीय मूल्यों पर तत्काल और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। यदि आप ट्रेड मल्टीप्लायर पर विचार करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की अपेक्षा कई गुणा है। इसलिए, देश में मूल्य संबंधी स्थिति का आकलन करते समय अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर विचार करना होगा।

दूसरे, हमें यह निर्णय भी लेना होगा कि हम उच्च विकास दर और उच्च मुद्रास्फीति चाहते हैं या कम विकास दर और कम मूल्य चाहते हैं। सभी देशों, चाहे वह विकासशील अथवा विकासशील देशों में मूल्य वृद्धि (मुद्रास्फीति) की सरल प्रणाली यह है कि, चाहे जब एक प्रतिशत विकास दर होती है, जब आप मूल्य शक्तियों पर मल्टिपल रिग्रेशन माडल बनाते हैं तो आप एक अर्थव्यवस्था की विकास दर में एक प्रतिशत तक की वृद्धि पा सकते हैं जिसके साथ सदैव मूल्य में सात प्रतिशत वृद्धि होती है। इसे विश्व में सभी देशों में पर्याप्त रूप से अनुभूतिमूलक साक्ष्यों से सिद्ध किया गया है।

आज क्या स्थिति है? गत दो वर्षों में इस संयुक्त प्रगितशील गठबंधन सरकार ने इस देश को 5.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत विकास के द्रुतगामी पथ पर लाने हेतु अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसनीय नवपरिवर्तनकारी उपाय किए हैं और इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में भारी धनराशि का अन्तर्प्रवाह किया गया है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया है, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम चलाया है, सरकार ने ऋण के रूप में जनता को 1,70,000 करोड़ रुपये दिए हैं और त्वरित जल कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इन सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का देश के आर्थिक विकास पर स्पष्ट लाभ होगा, परंतु ऐसे में सरकार ने धनराशि अर्थव्यवस्था में लगा दी है। महोदय, वर्ष में 1,70,000 करोड़ रुपये अर्थव्यवस्था में किसानों, बैंकिंग प्रणाली, कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ताओं आदि को जाते हैं और इससे जनता की क्रय शक्ति बनती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने गत वर्ष 14,000 करोड़ रुपये लगाए। यह कहां गया है। यह भूमिहीन किसानों, बाजार में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के पास गया है और उनकी क्रय शक्ति बढ़ गई है। इसलिए, अर्थव्यवस्था में धन के अन्तर्प्रवाह वृद्धि का तत्काल प्रभाव यह है कि इससे वस्तुओं, खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और दालों की मांग बढ़ती है। परंतु इन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समय लगता है। इन वस्तुओं का उत्पाद जादू की छड़ी से नहीं हो सकता, यह उत्पादन के कारणों के सम्मिश्रण द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया पूरी होती है और इन कार्यों में प्रकृति द्वारा सहायता की आवश्यकता है। हमने देखा है कि प्रकृति ने इस देश की शांति में खलनायक की भूमिका निभाई है।

जहां तक प्रकृति का संबंध है तो प्रकृति कंजूस रही है। प्रकृति इस देश के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं रही है। यदि प्रकृति ने इस देश की सही सहायता की होती तो शायद अपने बजट का लगभग 40 प्रतिशत भाग सूखे, अथवा बाढ़ अथवा प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च नहीं करता। दुर्भाग्यवश, भारत का भाग्य प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए, उत्पादन तत्काल रातों-रात नहीं हो सकता, परंतु धनराशि अर्थव्यवस्था में जाएगी और वस्तुओं को खरीदने की आवश्यकता होगी। इसलिए, मूल्यों पर तत्काल दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसा ही हुआ है। सभा को यह निर्णय लेना होगा कि क्या हमें अर्थव्यवस्था में अवसंरचना का सृजन करके, व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करके और जन सुविधाएं प्रदान करके अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत के इस विकास की आवश्यकता है। सभा को निर्णय करना होगा कि क्या हमें मूल्यों में थोड़ी वृद्धि करके इस विकास की आवश्यकता है। हमें वर्तमान मूल्य वृद्धि के संदर्भ में इसी का आकलन करना है। हम राजनीतिक उद्देश्यों को जिम्मेदार नहीं ठहराकर इन पर चर्चा नहीं कर सकते। यह पूर्णत: एक आर्थिक मुद्दा है। अर्थशास्त्र की मांग और पूर्ति की प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, मेरे विचार से वर्तमान मूल्य वृद्धि के लिए सरकार की नीतियों के कुप्रबंधन और सरकार की असफलता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता यद्यपि ऐसे कतिपय कारक हैं जिन्हें सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था यदि वह तत्काल कतिपय उपाय करती। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि संभव है कि सरकार की नीतियां सही काम ना आई हो, सिर्फ 5 प्रतिशत तक की सीमा तक ना पहुंची हो। इसलिए, इस परिदृश्य में इस वृहत मुद्दे के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था की इस समस्या और स्थिति का आकलन कर रहे हैं। यह एक धनापूर्ति का वृहत मुद्दा है।

यह सार्वजनिक व्यय का समष्टिगत मुद्दा है, यह घाटे के बजट का समष्टिगत मुद्दा है, यह राजस्व घाटे का समष्टिगत मुद्दा है। जब तक आप इन सभी घटकों को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर नहीं बनाते हैं तब तक आप देश में कीमतों में हो रही वृद्धि का आकलन नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को आज क्या करना चाहिए। सरकार अब भी मौद्रिक नीति अथवा वित्त नीति अथवा दोनों के संयोजन से मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगा सकती है। वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही ब्याज दर घटक का उपयोग करके पर्याप्त कार्य कर चुके हैं क्योंकि यह देश में मूल्यों पर अंकुश लगाने में बहुत महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर पहले से 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गई है। इसलिए, इसके अनुरूप ही सभी दरें बढ़ गई हैं। तब आप यह प्रश्न पूछेंगे कि कृषकों को ऋण उच्च दर अथवा कम दर पर दिया जाना चाहिए। शायद, सरकार आम व्यक्ति, भूमिहीन किसान और लघु किसानों आदि जो उच्च ब्याज दर अदा नहीं कर सकते हैं, उन्हें अलग ब्याज दर, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने पर विचार कर सकती है। आप अलग ब्याज दर पर विचार कर सकते हैं और आप ऋण आवश्यकता अनुपात, ऋण भण्डार अनुपात अथवा अर्थव्यवस्था में सांविधिक तरलता अनुपात पर भी विचार कर सकते हैं। क्या इन्हें आज की उभरती हुई स्थिति में भी आजमाया जा सकता है? किंतु मेरे विचार से मौजूदा माहौल में मौद्रिक उपायों के उपयोग के लिए बहुत कम संभावना है।

किन्तु इसके राजकोषीय पक्ष के बारे में क्या किया जा सकता है। हमारे पास देश में मुद्रास्फीति के कारक बलों में कमी करने के लिए अप्रत्यक्ष करों के राजकोषीय साधनों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त सम्भावना है। अब हम बहुत से निवेश क्रियाकलाप और परिव्यय क्रियाकलाप कर रहे हैं। हमें उत्पादक व्यय और गैर-उत्पादक एवं गैर-योजनागत व्यय में अन्तर करना होगा। हमें यह देखना होगा कि अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव की क्षति के बिना कुछ खर्चों में कटौती कैसे की जा सकती है। इसीलिए, सरकार को इस पर विचार करना होगा कि क्या व्यय पक्ष का उपयोग किया जा सकता है, दूसरी बात यह है, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में, निश्चित तौर पर मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार अप्रत्यक्ष करों विशेषकर आयातित तेल, पेट्रोलियम मूल्यों आदि में कटौती कर सकती है क्योंकि इसमें कटौती करने की पर्याप्त सम्भावना है। मैं कई सारे आंकड़े दे सकता हूं किन्तु दृष्टांत के लिए मैं केवल एक आंकड़ा दूंगा। पेट्रोलियम उत्पादों में हालिया वृद्धि से पहले, तेल शोधन कारखाने के स्तर पर पेट्रोलियम उत्पाद 20.423 रु. प्रति लीटर पर बेचा जाता था और खुदरा बाजार में इसे 43.49 रु. की दर पर बेचा जा रहा था। इसमें बिक्री कर के रूप में 7.248 रु., सुपुर्दगी प्रभार 0.044 रु.; शिक्षा उपकर 0.293 रु.; उत्पाद कर के रूप में 14.634 रु. शामिल होते हैं। सरकार अपने राजस्व आधार को प्रभावित किये बिना मूल्यों में कटौती करने पर विचार कर सकती है। क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर राजस्व में बहुत अधिक उछाल है और राजस्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए मौजूदा स्थिति में यदि आप चाहें तो आप वास्तव में मूल्यों में कटौती कर सकते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था पर तेल के मूल्यों का क्रमागत प्रभाव कम किया जा सके। आपको तेल से शिक्षा उपकर में कटौती, उत्पाद शुल्क में कटौती का कठोर निर्णय लेना होगा और राज्य सरकारों को कच्चे तेल पर से बिक्री कर में कटौती करने के लिए राजी करना होगा।

अन्त में, सरकार को जहां कहीं सम्भव हो, अपेक्षित वस्तुओं और जिनकी आपूर्ति रातोंरात बढ़ाई नहीं जा सकती उनका ही आयात करना चाहिए। इसके साथ ही हमें उन वस्तुओं का निर्यात नहीं करना चाहिए जिनकी आपूर्ति कम है। यह तर्क कि हम

[प्रो. एम. रामदास]

केवल बहुत कम मात्रा का निर्यात कर रहे हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। इसलिए, सरकार को वास्तविक उपाय, राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय करने चाहिएं और भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने का प्रयास करना चाहिए किंतु उच्च वृद्धि दर का बलिदान करके नहीं। ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): प्रो. रामदास, क्या आप बतायेंगे कि वास्तविक उपाय क्या है? ...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: उदाहरण के लिए फलों के रूप में वास्तविक उपाय हैं। फल और सब्जियां बहुत अस्थिर होते हैं। ये नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। यदि आप शीतागार सुविधाओं की श्रृंखला आदि उपलब्ध करवा सकते हैं और यदि आप उन्हें बफर स्टाक उपाय के रूप में सम्भाल पाए तो जब भी बाजार में अत्यधिक मांग होगी तो आप आपूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं और मूल्यों में कटौती कर सकते हैं जैसा कि हम चावल की खरीद और एफसीआई के प्रचालनों के मामले में करते हैं।

द्वितीय, हमें यह समझना चाहिए कि आज कई अन्य फसलों की उत्पादकता भारत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से कम है और इनके लिए हमें वृहत उपाय करने होंगे।

सभापति महोदय: अब, कुमारी ममता बैनर्जी।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): सभापति महोदय, हर कोई मूल्य वृद्धि के बारे में चिन्तित है। अनिवार्य मदों के मूल्य आसमान छू रहे हैं। यह खतरनाक स्थिति है। दालों के मूल्यों में वृद्धि की वजह से हमारी हृदय गति बढ़ जाती है। महोदय, यह तथ्य है कि

[हिन्दी]

अब अगर कोई व्यक्ति बाजार से कुछ लाने के बाद अपने थैले में हाथ डालता है तो ऐसा लगता है कि जैसे भूकम्प आ गया हो यानी चीजों के दाम ही इतने ज्यादा बढ़ गए हैं।

[अनुवाद]

सभी ने इसका उल्लेख किया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती क्योंकि सभी ने इसका उल्लेख किया है

[हिन्दी]

क्या चार्ज है क्या नहीं है।

[अनुवाद]

मेरे कई साथियों ने पहले ही इसका उल्लेख किया है। पिछले दो वर्षों में, गेहूं के मूल्यों में लगभग 35 प्रतिशत वृद्धि, चीनी के मूल्यों में लगभग 44 प्रतिशत वृद्धि, दालों के मूल्यों में लगभग 70 प्रतिशत वृद्धि, डीजल के मूल्यों में लगभग 49 प्रतिशत और पेट्रोल के मूल्यों में लगभग 58 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि कृषि मंत्री अभी यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था क्योंकि

[हिन्दी]

हम लोग जब प्राइज राइज के बारे में डिसकशन कर रहे हैं,

[अनुवाद]

तब उन्हें सभा में उपस्थित होना चाहिए था। उन्हें इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए। जब सम्पूर्ण देश मूल्य वृद्धि के बारे में चिन्तित है तो कृषि मंत्री इस बारे में चिन्तित क्यों नहीं हैं और वे यहां उपस्थित भी नहीं हैं? वित्त मंत्री यहां हैं। मूल्य वृद्धि मुख्यत: तीन मंत्रालयों अर्थात् कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से संबंधित है। वे एक छत्र की तरह मिलकर कार्य करते हैं।

महोदय, मैं आरम्भ से ही यह देख रही हूं कि कृषि मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं नहीं जानती कि वे मूल्य वृद्धि की स्थिति के बारे में गम्भीर हैं भी अथवा नहीं।

यद्यपि, प्रत्येक वस्तु के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य ने गेहूं के आयात के बारे में बोला है और सभापति महोदय आपने भी इसका उल्लेख किया था जब आपको अवसर मिला था। मैं नहीं जानती कि क्या आयातित गेहूं भारतीय गेहूं से अधिक स्वादिष्ट होता है। गेहूं के आयात का क्या कारण हैं? मैं गेहूं के आयात की व्यापक जांच किये जाने की मांग करती हूं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि गेहूं का आयात क्यों किया जा रहा है।

महोदय, हमारे किसान इतने सक्षम हैं कि गेहूं और अन्य चीजें पर्याप्त मात्रा में पैदा कर सकें किंतु दुर्भाग्य यह है कि हम इन किसानों का ध्यान नहीं रख रहे हैं।

महोदय, मैं कृषि भूमि के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। भारत में कृषि भूमि हमारे देश को सोने की खान है। किंतु वह तथाकथित कुछ पूंजीपतियों को क्यों दी जा रही है? हमारे किसान बिना कृषि भूमि के भूखे मर रहे हैं। यद्यपि कृषि मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं पुन: कहूंगी कि मूल्य वृद्धि सदा कृषि

मंत्रालय से संबंधित है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि कृपया भारत सरकार की किसी एजेंसी या जो कोई भी एजेंसी इन्हें उपयुक्त लगे, उससे यह पता लगवाएं कि क्या कृषि भूमि कम हो रही है और भूमिहीन श्रमिकों की संख्या घट रही है। क्या यह सच नहीं है कि कृषि भूमि कम हो रही है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देती हूं। यद्यपि, यह जगह इन सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए नहीं है फिर भी, मेरे पास कहीं और बोलने का कोई अवसर नहीं है। यह जनता का मंच है और मैं सोचती हूं कि आपको जानकारी देना मेरा कर्त्तव्य है। यदि मैं गलत हूं तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं और मैं आपके सुझावों का स्वागत करूंगी। मैं जानती हूं कि मेरे राज्य में छह लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि तथाकथित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही है। यदि छह लाख एकड़ भूमि कृषि भूमि किसी कृषि वस्तु या उत्पादन नहीं करेगी तो हम खाद्य उत्पादन की आशा कैसे कर सकते हैं? खाद्य उत्पादन कहां से आएगा। क्या यह आकाश से आएगा? नहीं। यदि प्रति वर्ष किसी विशेष राज्य में यदि आप 50,000 एकड़ भूमि तथाकथित प्रमोटर्स को दे देंगे तो निश्चित तौर पर खाद्य संकट होगा।

यह सत्य है और केन्द्र सरकार बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अपने उत्तरदायित्व से मुकरी नहीं है। मैं इसकी सराहना करती हूं। किन्तु साथ ही यदि हम निष्पक्ष हैं और हम गंभीर है तो केवल हम ही इस समस्या समाधान करने में समर्थ होंगे। मैं पूरी सभा से कहूंगी कि केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार को एक साथ कार्य करना होगा। कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ राज्य केन्द्र पर आरोप लगा रहे हैं और केन्द्र राज्यों पर आरोप लगा रहा है। इस तरह से समाधान नहीं निकलेगा।

मैं आपको बताती हूं कि मेरे राज्य में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेन्डर और अन्य चीजों पर बिक्री कर अन्य महानगरों की तुलना में सर्वाधिक है। पेट्रोल और डीजल उत्पादों के संबंध में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलौर से यह 30 प्रतिशत अधिक है। सरकार एक व्यापक और एकरूप नीति क्यों नहीं लाती। एक राज्य विशेष के लोग अधिक मूल्य क्यों वहन करें।

महोदय, वामपंथी लोग यहां धरना दे रहे हैं। मैं सभी वामपंथियों पर आरोप नहीं लगा रही हूं। मैं सीपीआई(एम) के वामपंथियों के बारे में कह रही हूं, विशेषकर ...*(व्यवधान)*। उनके दो चेहरे हैं।

ये आपके दो चेहरे ही हैं कि आप कह रहे हैं कि यहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मत दो। ...*(व्यवधान)*

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय, यहां किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: ठीक है, मैं नहीं लेती हूं। मैं उनकी पार्टी का नाम वापस लेती हूं। मैं आपकी पार्टी का नाम वापस लेती हूं। मैं राज्य सरकार का नाम लेती हूं।

सभापति महोदय: वह सरकार का नाम ले रही हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदय, ये लोग ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए, आप ऐसा करके मैडम की कोई मदद नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: यहां वे यह कह रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय, कृपया हमें सभा में सच्चाई बताएं। मैं नहीं चाहती कि आप सभा को सच्चाई न बताएं। आपको सभा में सच्चाई बतानी चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है। वे यहां पर खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का विरोध कर रहे हैं। हम उसकी सराहना करते हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूं। मित्रो, मैं आपके दृष्टिकोण का समर्थन कर रही हूं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. बसुदेव बर्मन: वहां पर खुदरा बाजार नहीं है। यह राज्य में नहीं बल्कि केन्द्र सरकार में है।

कुमारी ममता बैनर्जी: मैंने कहा 'राज्य सरकार' ...*(व्यवधान)*। मैंने उसे वापस ले लिया। चूंकि आप नाराज हैं, मैंने आपकी पार्टी का नाम वापस ले लिया। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी राज्य सरकार का नाम ले रही हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया टोका-टाकी न करें।

कुमारी ममता बैनर्जी: मैंने कहा: 'हमारी राज्य सरकार'।

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: यदि मैं सही नहीं हूं तो मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे मेरी बात में सुधार करें। मैं गलत हो सकती हूं। यदि मैं गलत हूं तो आप कृपया सभा को बताएं कि मैं गलत हूं। मैंने यह स्पष्ट रूप से कहा है। क्या यह सत्य नहीं है? यहां, मेरे अच्छे मित्र—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती—ठीक कह रहे हैं। मैं उसकी सराहना करती हूं। वे कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को अनुमति मत दे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खुदरा बाजार में निवेश करने की अनुमति मत दो। किंतु पश्चिम बंगाल में, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वे इसे खुदरा बाजार में और उद्योगपतियों हेतु कृषि बाजार में भी अनुमति दे रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है?

प्रो. बसुदेव बर्मन: यह सही नहीं है।

कुमारी ममता बैनर्जी: यह बिलकुल सही है। मैं इसकी चुनौती देती हूं। यदि यह बात सही नहीं है, तो मैं लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगी। यदि यह सही नहीं है तो मैं वित्त मंत्री से कहूंगी कि वे पश्चिम बंगाल से दस्तावेज मंगाएं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

कुमारी ममता बैनर्जी: आप यह नहीं कह सकते कि कृषि किसी राज्य विशेष का विषय है। आंध्र प्रदेश में लोग भूख के कारण मर रहे हैं। आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। मैं इसका उल्लेख नहीं कर सकती कि मेरे राज्य में किसान आन्दोलन कर रहे हैं। आप उनकी जमीनें ले रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैं आपसे शिक्षा नहीं लूंगी। आप मेरे मार्ग-निर्देशक या दार्शनिक या मित्र नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुमारी ममता बैनर्जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, आप असहनशीलता देख रहे हैं। जब वे बोले, मैंने बाधा नहीं डाली। मैं विपक्ष से एकमात्र सदस्य हूं। 42 सीटों में से मैं विपक्ष से एकमात्र सदस्य हूं। वे मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। जब आपका मौका आता है, आप बोलते हैं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, क्या मैं किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकती? मैं किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकती। मैं मूल्य वृद्धि की चर्चा नहीं कर सकती। मैंने आंध्र प्रदेश का नाम लिया है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: उन्होंने मुझे पांच मिनट परेशान किया है। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्यों समाप्त करूं।

सभापति महोदय: आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

कुमारी ममता बैनर्जी: आंध्र प्रदेश में किसान मर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री ने स्वयं विदर्भ को लगभग 1450 करोड़ रु. का पैकेज दिया है। क्या यह गलत है? *...(व्यवधान)* मैं भारत की आम नागरिक हूं। इसीलिए मुझे सारी खबरें पता चलती हैं। वास्तविकता यही है। अन्यथा हम ये बातें क्यों कह रहे हैं?

हां, सरकार को अपना निगरानी प्रकोष्ठ मजबूती से बनाना होगा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, खाद्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से एक निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। समन्वय की कमी के कारण ही कीमतें आसमान छू रही हैं।

हमारा ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त है। हमारे किसान यह कर सकते हैं। किन्तु उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है।

उन्हें उनका समर्थन मूल्य उचित रूप से नहीं मिल रहा है। उनके उत्पादों के भण्डारण के लिए शीतागार नहीं हैं। शिमला मिर्च, मिर्च, टमाटर, आलू इत्यादि सब्जियों को ही लें। इन सभी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उत्पादों की कीमतें बढ़ गयी हैं। लोग कहां जाएंगे? वे सरकार से न्याय मांगते हैं। इस समय आपको सोचना चाहिए कि हम यह सब बातें केवल सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सुझाव भी दे रहे हैं। ये रचनात्मक सुझाव हैं। हम रचनात्मक चर्चा कर रहे हैं। आप कृपया हमें विश्वास में लीजिए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि सरकार अनिवार्यत: ऐसा कानून बनाए कि कृषि भूमि के विनाश को अनुमति नहीं दी जाएगी। यह मेरी पहली बात है। कृपया किसानों को समर्थन मूल्य देकर उन्हें प्रोत्साहित भी करें। बिचौलियों को उनका कारोबार बंद न करने दें। कृषि बाजारों को बड़े व्यवसायियों के हाथों में नहीं जाने दें। अन्यथा गरीब लोग, आम आदमी भी देश से बाहर चले जाएंगे। वे भुखमरी का शिकार हो जाएंगे।

साथ ही, मैं आपकी ओर से एक जांच चाहती हूं। यदि आप उचित समझें तो यह जांच सीबीआई द्वारा हो सकती है। महोदय, मेरे विचार से मैं अपने राज्य का उल्लेख कर सकती हूं। क्या कोई आपत्ति है? *...(व्यवधान)* मुझे गर्व है कि, हां, मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। मैं एक बात का उल्लेख कर रही हूं। आप आबादी के आंकड़े देख रहे हैं। आबादी कम है और राशन कार्ड ज्यादा हैं। *...(व्यवधान)* आप यहां से खाद्य पदार्थ खाद्य विभाग से भेज रहे हैं। *...(व्यवधान)* जनगणना के अनुसार कोलकाता की आबादी 85 लाख है। किंतु वहां 1.02 करोड़ राशन कार्ड हैं। केन्द्र सरकार गेहूं, चीनी, चावल इत्यादि भेज रही है। किंतु कोई जवाबदेही, लेखापरीक्षा नहीं है। कुछ भी नहीं है। राशन कार्ड की संख्या से आबादी कम है।

सभापति महोदय: ममता जी, अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: यह कोई स्कैण्डल नहीं है? यह वित्त से जुड़ा मामला है। इसके वित्तीय प्रभाव हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि एक जांच करवाएं और नकली राशन कार्डों के संबंध में सच्चाई को स्वयं देखें।

मैं कुछ सुझाव दे रही हूं। खुदरा बाजार और कृषि बाजार में बड़े व्यावसायिक घरानों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अन्यथा कृषि आधारित उद्योग, गरीब लोग, किसान इस व्यवसाय को नहीं झेल पाएंगे। निगरानी प्रणाली बहुत मजबूत होनी चाहिए। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए नियंत्रण प्रमाली होनी ही चाहिए। भिन्न-भिन्न बाजारों में कीमतें अलग-अलग हैं। अगर आप मुम्बई जाते हैं तो अलग-अलग कीमतें हैं। मुम्बई में भी एक बाजार की कीमत दूसरे बाजार से भिन्न है। अत: इस संबंध में निगरानी या नियंत्रण प्रणाली होनी ही चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री यहां हैं। इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं। सरकार को एक 'भूमि बैंक' की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक राज्य में इतनी अधिक गैर-कृषि भूमि है। यदि आप उसे कृषि योग्य भूमि बनाएं जो आसानी से उपलब्ध है तो अच्छी बात होगी। वहां कुछ भी नहीं है। वह केवल शुष्क भूमि है। फिर आप कुछ भूमि को किसानों से खाद्यान्न उत्पादन हेतु देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसे 'भूमि बैंक' के लिए हमारा अनुरोध है।

यदि आप कुछ और बाजार बनाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भूमि मानचित्र और भूमि बैंक होना चाहिए ताकि हमारे किसानों को उससे सहायता मिल सके तथा उन्हें पता भी चले कि यह किसकी भूमि है और किसकी भूमि उन्हें दी जा रही है। *...(व्यवधान)* मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दें। जहां गम्भीर समस्या है जैसाकि मुम्बई में है वहां अवश्य ही ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि भूमि का मामला मूल्य वृद्धि से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: इसका संबंध है क्योंकि इससे किसान जुड़े हुए हैं। आप भूल गए हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सायं 6.00 बजे

कुमारी ममता बैनर्जी: भूमिहीन किसानों के बारे में मैं कहूंगी कि वे बेरोजगार हो गए हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ममता बैनर्जी जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया। जो मुझे बीच में रोक रहे थे, आप उन्हें कहिए।

[अनुवाद]

मैं सरकार से यह अनुरोध भी करूंगी कि समस्त कृषि भूमि को फसल बीमा योजना के दायरे में जाएं। मेरे राज्य में पांच

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[कुमारी ममता बैनर्जी]

प्रतिशत वाली बात नहीं है। वे बात बहुत करेंगे किन्तु करेंगे कुछ नहीं। वे पश्चिम बंगाल में कुछ कहेंगे, जबकि दिल्ली में कुछ और कहेंगे। वे सच नहीं कह सकते हैं। वे धरने पर जा सकते हैं किन्तु मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है किन्तु सीपीआई(एम) रिमोट कंट्रोल है। वे सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं और वे सरकार से हर प्रकार से लाभ उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने राजनीतिक बात नहीं की थी। उन्हें एहसास होना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप 18 मिनट बोल चुकी हैं। यह आपकी पार्टी के समय से भी ज्यादा समय है और आप चेयर को अड्रेस करके भी नहीं बोल रही हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैं इधर बोल रही हूं तो दूसरे सदस्य उधर से बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सदस्यों को भी प्रवोक कर रही हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: सभापति महोदय, मैं भारी मन से आपको बता रही हूं....

सभापति महोदय: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: नहीं, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, अभी छह बजे हैं। नियम 193 के अधीन इस चर्चा में बोलने वाले बीस और लोगों के नामों की सूची मेरे पास है। यदि सभा सहमत हो तो चर्चा का समय एक घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्यगण: जी, हां।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मुझे केवल एक बार बोलने का मौका दीजिए। मैं सिर्फ अपना स्पष्टीकरण देना चाहती हूं कि मैंने किसी को प्रवोक नहीं किया है, बल्कि लोगों ने मुझे प्रवोक किया है।

[अनुवाद]

इस सभा को ऐसे नहीं बांटा जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा): महोदय, मैं बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं।

सभापति महोदय: इजाजत है।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश: धन्यवाद, महोदय।

महोदय, सत्तापक्ष की ओर से मूल्य वृद्धि जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलना मेरे लिए आसान बात नहीं है। चाहे कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी हो उसकी ओर से विपक्षी पार्टी की तरह बोलना कोई आसान बात नहीं है।

सभापति महोदय: आप सभा की एक सदस्या के रूप में बोल सकती हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश: महोदय, किंतु आज मैं मूल्य वृद्धि के बारे में अपनी सरकार को बचाने के लिए खड़ी हुई हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी सरकार का काम बहुत ही पारदर्शी है, स्पष्ट है, और वह इस देश के आम आदमी के हितों की रक्षा के प्रति वचनबद्ध है। इसीलिए मैं अपनी सरकार को बचाने के

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए दृढ़संकल्प के साथ खड़ी हूं। हालांकि, मैं सरकार के रुख का बचाव कर रही हूं किंतु मैं उन मलिन बस्ती वासियों, गरीब किसानों, गृहणियों, बेरोजगार युवकों के चेहरों को नहीं भूली हूं जिन्होंने बेहतर भविष्य के सपने संजोकर हमें सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। उन्हें अपने बेहतर भविष्य के बारे में हमसे काफी अपेक्षाएं हैं।

इसी दृढ़ विश्वास के साथ, मैं अपने वास्तविक और लक्ष्यपरक तर्कों से यह सिद्ध करना चाहती हूं कि डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली मेरी यूपीए सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से लोगों के हितों की रक्षा करके किस प्रकार न्याय कर रही है। महोदय, अन्य सदस्यों की तरह मैं भी इस बात से स्तब्ध और चकित थी कि हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु हस्तक्षेप क्यों किया? मुझे इस बात पर आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि यह हमारी अपनी सरकार है किंतु मुझे पता चला कि उन्होंने किसी को भी नहीं बक्शा है। इस मुद्दे पर बात करते समय ना तो उन्होंने नीतियों पर ध्यान दिया और ना ही किसी व्यक्ति के हित पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव पर। उन्होंने केवल जनता के हित पर ध्यान दिया है।

महोदय, कई वक्ताओं ने इस सभा में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा हस्तक्षेप करने का उल्लेख किया है। मैं उन सभी बधाई देती हूं और दो बातों को स्पष्ट करने का अवसर देने के लिए उनका धन्यवाद करती हूं। ...*(व्यवधान)* पहली बात है—श्रीमती सोनिया गांधी के हस्तक्षेप का उल्लेख करके उन्हें मुझे यह विश्वास दिलाने का अवसर दिया है कि मेरी नेता का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सरकार में पूर्ण विश्वास है और उन्होंने उन्हें कोई भी जनसमर्थक नीतिगत निर्णय लेने और स्वतंत्र सरकार चलाने की पूरी आजादी दे रखी है। विपक्षी दल सदैव यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी का इस सरकार पर नियंत्रण है और इस सरकार पर कांग्रेस पार्टी का नियंत्रण है। सरकार का यह स्टैंड संसार को यह बताने और दर्शाने का अवसर देता है कि मेरी सरकार इस प्रकार के किसी नियंत्रण से मुक्त है।

दूसरे, उनके हस्तक्षेप से एक और बात सिद्ध होती है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): क्या आप यह कहना चाहती हूं कि इस सरकार पर कांग्रेस पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं है?

सभापति महोदय: स्वाईं जी, कृपया अपनी सीट पर बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, नहीं, कृपया मुझे इस बात को स्पष्ट करने की अनुमति दें। उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है। इसलिए मैं यह बात कह रही हूं। निश्चित तौर पर, इस यूपीए सरकार को ना केवल कांग्रेस पार्टी का अपितु यूपीए के सहयोगी दलों का भी विश्वास प्राप्त है। मैं सदैव यह कहती हूं कि यह यूपीए सरकार है। मुझे यह बात अपने दोस्तों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे यह बात पहले ही जानते हैं।

दूसरे, इसने मुझे इस बात का उल्लेख करने का अवसर दिया है। हमारी सरकार को चलाने में मैडम ने हस्तक्षेप क्यों किया? उन्होंने ऐसा देश को पुन: आश्वस्त करने तथा इस देश की आम जनता को पुन: यह भरोसा देने के लिए किया कि यदि सरकार चलाते समय हमारी नीतियों से कोई असुविधा होती है और कठिनाई या परेशानी होती है तो हम उसे देखने के लिए यहां पर बैठे हैं। हम घमंडी नहीं हैं। हम विनम्र और सीधे-सादे हैं। हम संसार को यह दिखाने के लिए वचनबद्ध हैं कि हम स्व-आलोचक हैं और हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने तथा आत्मविश्लेषण करने के लिए तैयार हैं। हम उन गलतियों को सही करने तथा सरकार को सही मार्ग पर चलाने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं विपक्षी दल के उन सदस्यों को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने मुझे राष्ट्र को यह दो चीज स्पष्ट करने का अवसर दिया।

श्रीमती सोनिया गांधी एक सच्ची जनवादी नेता हैं जो सदैव लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देती हैं। हरेक को आम जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए। हमारी यूपीए सरकार किसी अहंकार के बिना आम आदमी की मांग का आदर करती है और उसे प्रदर्शित भी करती है। मैं अपने यूपीए के सहयोगियों को भी बधाई देती हूं क्योंकि वे सदैव आम आदमी के लिए विनम्रता और प्रतिबद्धता के साथ लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हम जहां तक संभव होता है वामदलों की मांग का आदर करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: क्या आप यह कहना चाहती हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया किंतु सरकार में उनकी किसी न नहीं सुनी?

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: नहीं, श्रीमान्। क्या हमें यह मूल्य वृद्धि सभी जगह देखने को मिलती है? आम तौर पर यह चावल, प्याज, दाल, सब्जियों, तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं में होती है। अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय व्यक्ति सहित सभी लोग अपने उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं चाहते हैं। किसी भी उत्तरदायी सरकार की यह सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि वह इन वस्तुओं के मूल्य को काबू में रखें।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

किंतु, मैं गर्व के साथ यह कहूंगी कि हमारी सरकार ने चावल, सब्जी, तेल आदि वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोका। यह सही है और मैं यह मानती भी हूं कि दाल और गेहूं के मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। किंतु मैं इस सम्माननीय सभा में एक बात पूछना चाहती हूं। इन वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से प्राप्त धन किसे मिलेगा? यह धन किसानों को मिलेगा, बिचौलियों को नहीं। यह धन किसानों को मिलेगा। यदि गेहूं के मूल्य में कोई वृद्धि होती है तो इसका लाभ केवल किसानों को ही मिलेगा। एक उपभोक्ता होने के नाते मेरे पास कई विकल्प हैं किंतु किसानों के पास आजीविका हेतु कोई अन्य विकल्प नहीं हैं क्योंकि वे पूरी तरह से अपने कृषि उत्पाद पर आश्रित हैं। अत: हमें उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों के हितों की भी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। लाल मिर्च, दाल और गेहूं की मूल्य वृद्धि से किसान भाइयों को लाभ मिलेगा और हमें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि इससे किसानों के हितों की रक्षा हो रही है।

तीसरे, मैं महसूस करती हूं कि ऐसे संकट से निपटने हेतु सरकार को बफर स्टाक रखना चाहिए। इन वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने हेतु हमारे पास सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) होने चाहिए। मुझे पता है कि चावल के मामले में ऐसा किया जाता है, परन्तु गेहूं के मामले में कटौती की जाती है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले पर गौर करे। उन्हें गेहूं के भंडार की भी जांच करनी चाहिए।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का प्रश्न है, इस देश का प्रत्येक दल इस संबंध में आश्वस्त कर चुका है। इसलिए, हमें इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करना चाहिए तथा हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुचित क्रियान्वयन के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं कड़ी निगरानी के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु सरकार से अनुरोध करती हूं।

कच्चे तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि के मामले में विपक्ष के मेरे मित्र सरकार को किस प्रकार से दोषी ठहरा सकते है? राजग के मेरे मित्रों ने नीम के पेड़ लगाए, परन्तु वे इन पेड़ों से आम पाने की उम्मीद कर रहे हैं। आप नीम का पेड़ लगाकर आम पाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मेरे सहयोगी और वाम दलों के मित्र अपनी संबंधित सरकारों से करों का थोड़ा त्याग करने के लिए कह सकते हैं ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। कांग्रेस शासित राज्यों में हम ऐसा कर रहे हैं। वाम दलों के संसद सदस्यों ने इस संबंध में नकारात्मक जवाब दिया है। ...*(व्यवधान)* वे मेरी बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, परंतु यह मेरा तर्क है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं, परन्तु यह मेरा तर्क है।

जहां तक सीमेन्ट और इस्पात का मामला है, मूल्य वृद्धि कहां हुई है? आज आप देश में काफी अवसंरचनात्मक विकास और प्रगति देख सकते हैं। आपको विशेषकर भारत और चीन की वृद्धि दर को देखना होगा। जब इस प्रकार की त्वरित वृद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से मांग अधिक होगी, परन्तु हमें सर्वप्रथम घरेलू आपूर्ति का ख्याल रखना होगा और इसे प्राथमिकता देनी होगी। घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के बाद ही हम अन्य को प्राथमिकता दे सकते हैं।

सायं 6.12 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

यदि आप राजग सरकार के छह वर्षों अर्थात् 1998-2004 के कार्यकाल के दौरान की वृद्धि दर को देखें तो पाएंगे कि इस दौरान आर्थिक विकास दर धीमा रहा है। जहां तक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रश्न है, उनके कार्यकाल अर्थात् वर्ष 1998-2004 के दौरान प्रतिदिन एक किलोमीटर की दर से सड़क तैयार होती थी। वर्तमान में संप्रग सरकार के अधीन चार से छह कि.मी. सड़क प्रतिदिन बनायी जा रही है। हमें गति के अनुसार परिस्थिति से तालमेल बैठाना पड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से सीमेन्ट और इस्पात के मूल्य बढ़े हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ने और अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं और ग्रामीणों को धनार्जन करने में समर्थ बनाया है। आज, बढ़ई, नलसाज (प्लम्बर) और पेन्टर लगभग 250 रु. प्रति दिन अर्जित कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा। यहां तक कि कृषि श्रमिक भी 100 रु. प्रति दिन कमा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से बचत दर बढ़ रही है। शेयरों, सोना और भूमि संबंधी बचतें यह दर्शाती हैं कि लोग अधिक धन अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा, वैश्वीकरण के जमाने में हम किसी सभ्यता के अच्छे और बुरे प्रभावों से बच नहीं सकते।

इसलिए यह सरकार सभी सकारात्मक और अच्छे सुझावों को स्वीकार करते हुए विपक्षी दलों की कड़ी निन्दा करती है यदि ये मूल्य वृद्धि के इस मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं जिससे हर व्यक्ति दिग्भ्रमित हो सकता है। इस तर्क के साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमारी सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी 20 से अधिक सदस्य बोलने के लिए शेष हैं। मैं चाहता हूं कि सदस्यगण संक्षेप में बोलें। मैं आशा करता हूं कि वे अपना-अपना भाषण पांच मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। अब मैं डा. एम. जगन्नाथन को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): समादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले के वक्ताओं को अधिक समय दिया गया था। इसलिए ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। पूर्वाह्न में भी मेरे साथ अन्याय हुआ। मुझे पूर्वाह्न में अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय: हम असहाय हैं। कृपया अब अपना समय बर्बाद न करें।

डा. एम. जगन्नाथ: उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार की चाहे केन्द्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार—यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों हेतु वहनीय मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसलिए, मूल्य वृद्धि हो अथवा न हो, समाज के गरीब तबके को आवश्यक वस्तुएं मुहैया करायी जानी चाहिए।

हमारे देश की करीब 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और ये लोग निर्धन हैं वे मुख्य रूप से कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। अपने दल की ओर से चर्चा की शुरूआत करते हुए माननीय सदस्य, डा. चिन्ता मोहन ने मूल्य वृद्धि को एक आम घटना बताया। महोदय; उनके अपने नाम में 'चिन्ता' शब्द शामिल है। तथापि, उन्हें गरीब लोगों की दुर्दशा के संबंध में कोई चिन्ता नहीं है जबकि इतने कम समय में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दुगुनी हो गयी हैं।

संप्रग सरकार के सत्ता में आने से पहले आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धन लोगों के लिए वहनीय थे। मैं यह दर्शाने के लिए कि जुलाई, 2003 और जुलाई, 2006 के बीच आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कैसे बढ़े मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जुलाई, 2003 में चावल 12 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से बिक रहा था। अब यह 21 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से बिक रहा है। *...(व्यवधान)* ये सभी तथ्यात्मक जानकारी सरकार द्वारा दी गयी है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों की सत्यता की जांच की जा सकती है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टीका-टिप्पणी न करें।

डा. एम. जगन्नाथ: जब से संप्रग सरकार सत्ता में आयी है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य चिन्ताजनक दर से बढ़ने शुरू हो गए। यह स्थिति विशेषकर आंध्र प्रदेश में रही है। आंध्र प्रदेश से मेरे माननीय मित्र इस बात से पूरी तरह अवगत हैं। वस्तुत: कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

संप्रग सरकार के 26 महीनों के शासन के दौरान, केन्द्र तथा राज्यों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में करीब 100-150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रतिशतता में वस्तु दर वस्तु अंतर हैं।

खाद्य तेलों, दालों, इमली और सब्जियों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़ गए हैं कि ये निर्धन व्यक्ति की तो बात छोड़ें आम आदमी की क्रय क्षमता के बाहर हो गए हैं। निर्धन व्यक्ति तो वर्तमान में इन वस्तुओं का स्वप्न भी नहीं देख सकता है। *...(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश के मेरे मित्रों को अच्छी तरह मालूम है कि आंध्र प्रदेश में इमली 60 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से बिक्री है। उनकी अपनी नेता, श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और उनसे मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। *...(व्यवधान)*

महोदय, वे मेरे भाषण में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। कृपया इन व्यवधानों को मेरे समय में से न काटें।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में डा. जगन्नाथ के भाषण के अलावा और कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

डा. एम. जगन्नाथ: सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली इमली जैसे खाद्य पदार्थ को भी नहीं छोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश में पत्ची पुलूसू नामक व्यंजन तैयार किया जाता है। जब किसी निर्धन व्यक्ति के पास किसी दिन करी जैसा भोजन पकाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो वह थोड़ी सी इमली को पानी में भीगो कर इसे करी जैसा पकाते हैं और इसे करी जैसा खाते हैं। आंध्र प्रदेश में इमली जैसी मूलभूत वस्तु 60 रुपए प्रति किलो की दर पर बेची गई थी। इसका मूल्य अभी तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। *...(व्यवधान)*

गत दो वर्षों के दौरान डीजल और पेट्रोल के मूल्य में छह बार वृद्धि की गई थी जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल पर प्रति लिटर 17.06 रुपए और डीजल पर प्रति लिटर 11.70 रुपए की निवल वृद्धि हुई। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस पर 36 प्रतिशत बिक्री कर लगाया। कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि इसका राजकोष और आम आदमी पर कितना बोझ पड़ेगा। क्या इससे परिवहन प्रणाली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? मूल्यों में इसी प्रकार वृद्धि हो रही है।

इस्पात, सीमेंट और बालू की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर आंध्र प्रदेश में एक आम आदमी आजकल अपना घर बनाने की कभी नहीं सोच सकता है। यह कहा जाता है कि यही रुझान पूरे भारत में हैं। ऐसा केवल कृषि अभाव को बनाने और सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसीलिए सीमेंट, इस्पात और बालू के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

[डा. एम. जगन्नाथ]

स्थिति ऐसी हो गई है कि गरीब और आम आदमी अपना मकान बनाने का सपना भी नहीं देख सकता है। गेहूं और चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। गत वर्ष गेहूं की बिक्री 1,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर की गई थी वही गेहूं इस वर्ष जून में 1,525 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेची जा रही है। दाल के संबंध में, गत जून में इसे 2,250 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेचा गया था और इस जून में इसकी दर 4,100 रुपए प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार आटा, चीनी, लाल मिर्च के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। मूल्यों में तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं? इसके कारणों में से एक सरकार का गलत निर्णय है।

आवश्यक वस्तुओं की कम खरीद इसके कारणों में से एक है। सरकार यह दावा करती है कि वह किसानों की हितैषी सरकार है। इसने किसानों के लिए काफी कुछ किया है। फिर मूल्यों में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? *...(व्यवधान)* कम खरीद से सरकारी गोदामों में अभाव पैदा होगा। निजी पक्ष इन आवश्यक वस्तुओं की खरीद करेंगे और इनका मूल्य काफी अधिक होने तक इनकी जमाखोरी करेंगे। यदि सरकार ने बड़े पैमाने पर इन आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर सुधारात्मक कदम उठाए होते और बफर स्टाक रखा होता, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। कम खरीद से वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं हो पाएगी। स्वाभाविक रूप से कम खरीद से घरेलू बाजार में अभाव पैदा होगा। और स्वाभाविक रूप से मूल्यों में वृद्धि होगी। इसके अलावा, पैट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि से परिवहन प्रणाली पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, जोकि मूल्यों के ऊंचे स्तर के कारणों में से एक है। इस मूल्य वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी।

महोदय, यह संदेह किया जाता है कि महत्वपूर्ण प्राथमिक वस्तुओं और विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने का अनुमान है और यह आशंका है कि मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित 5.6 प्रतिशत से अधिक होगा।

अर्थशास्त्रियों द्वारा यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि प्राथमिक वस्तुओं में दृढ़ मूल्य रुझान और मार्च 2005 में निम्न थोक मूल्य सूचकांक आधार के कारण, मार्च, 2007 में मुद्रास्फीति के 5 से 5.6 प्रतिशत के ऊंचे स्तर में रहने का अनुमान है। *...(व्यवधान)* मेरा समय बर्बाद किया गया है। मुझे और पांच मिनट की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह संभव नहीं है।

डा. एम. जगन्नाथ: जो भी सरकार सत्ता में हो उसे गंभीर होना चाहिए और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से परिणाम मिलने चाहिए। वर्तमान संप्रग सरकार मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के अपने प्रयासों के प्रति गंभीर नहीं है। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने हेतु कानूनों को लागू करने में सख्ती नहीं की गई है। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने हेतु कई अधिनियम और कानून है। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम भी है। वर्तमान सरकार इसकी रोकथाम नहीं करना चाहती है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी का उल्लेख करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। हम भी उनका सम्मान करते हैं। इसका क्या परिणाम निकला? हाल में उन्होंने कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करने के लिए विशेष रूप से कहा जो कि एक सख्त कानून है, और यह भी देखने के लिए कहा कि जमाखोरी नहीं हो। किस सरकार ने इस पर गौर किया है? किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है? *...(व्यवधान)* महोदय, कृपया उन पर नियंत्रण कीजिए और जब उन्हें उनका मौका मिले तब उन्हें बोलने दीजिए।

अपने नेता के हस्तक्षेप के बावजूद, मूल्यों में वृद्धि हुई है। *...(व्यवधान)* आज क्या मूल्य दर है? कोई यह कह रहा था कि आटा 60 रुपए की दर पर बेचा जा रहा था, कोई आम आदमी अथवा रिक्शा चालक कैसे इसे खरीद सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय: वह अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, उन्होंने मेरा समय बर्बाद किया है, मुझे अवश्य और तीन मिनट दिया जाना चाहिए।

संप्रग सरकार की दो वर्षों की लघु अवधि के अन्दर मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है और ये आम आदमी, मध्यम वर्ग के लोगों, निम्न वर्ग के लोगों और आम आदमी की पहुंच में नहीं है। संप्रग सरकार को इस कारक को ध्यान में रखना चाहिए और उसे गंभीर कदम उठाना चाहिए।

अपने राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में, मेरे दोस्त यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रिथु बाजार आरंभ किए हैं। उन्होंने रिथु बाजार के माध्यम से वस्तुओं को कब से उपलब्ध कराना शुरू किया था? जब हमने लोगों के ध्यान में यह बात लाई और हमने कदम उठाए और तब सरकार ने महसूस किया। अब, वे रिथु बाजार के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं।

मैं मूल्य वृद्धि की बात करूंगा जोकि जुलाई 2003 में आंध्र प्रदेश में हुई थी और विद्यमान मूल्यों की भी बात करूंगा। जुलाई, 2003 में चावल 12 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचा जा रहा था और अब इसका मूल्य 21 रुपए प्रति किलो है। तूर की दाल 20 रुपए प्रति किलो की दर पर बेची जा रही थी और अब यह 36 रुपए प्रति किलो है। मूंग दाल 24 रुपए प्रति किलो की दर पर बेची गई थी और अब इसका मूल्य 58 रुपए प्रति किलो है। उरद की दाल 22 रुपए प्रति किलो की दर पर बेची गई थी और

अब इसका मूल्य 55 रुपए प्रति किलो है। चने की दाल 22 रुपए प्रति किलो की दर पर बेची गई थी और अब इसका मूल्य 30.85 रुपए प्रति किलो है। इमली 29 रुपए प्रति किलो की दर पर बेची जा रही थी और अब इसका मूल्य 60 रुपए प्रति किलो है। *...(व्यवधान)* मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बाधित न करें। डा. जगन्नाथ जी, आप भी अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. एम. जगन्नाथ: यदि मूल्यों में वृद्धि होती रही तो मैं वस्तुओं की खरीद नहीं कर पाऊंगा।

जब हम जुलाई, 2003 में विद्यमान मूल्यों की तुलना आज के मूल्यों से करते हैं तो कुछ वस्तुओं में 120-130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह गरीब लोगों के प्रति यू.पी.ए. सरकार के कठोर और लापरवाह रुख को दर्शाता है।

मुझे दो मांगें करनी है। तेलगु देशम पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया? आंध्र प्रदेश में चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि यह मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए स्थिरीकरण राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए आरक्षित करेगी। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने ऐसा किया है। आंध्र प्रदेश में $2^1/_2$ वर्षों के शासन के बाद भी क्या उन्होंने एक रुपया भी आबंटित किया है? तेलगू देशम पार्टी के शासनकाल में हमने इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए आबंटित किए थे और जब कीमतें बढ़ रही थीं, तब हमने मदों को खरीदकर उन्हें वहनीय मूल्यों पर जी.सी.सी., मार्कफेड और रिथु बाजारों के जरिए उपलब्ध कराया।

अपनी मांगों पर आते हुए मैं यह कहूंगा कि मूल्यों में वृद्धि और ऋण उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके दो वर्षों के शासनकाल के दौरान लगभग 4000 किसानों ने आत्महत्या की।

अंतत:, मैं भारत सरकार से अपनी मांग पर आता हूं। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े वायदे किए और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने में असफल रही, अत: मैं मांग करता हूं कि:

1. मूल्य स्थिरीकरण और विनियमन के लिए पृथक निधियां आबंटित की जाएं और भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद की जाए।

2. समाज के सभी वर्गों को एकल सिविल सप्लाई आर्गेनाइजेशन के दायरे में लाया जाए।

3. सभी उपभोक्ता मदों का वितरण केवल सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए।

4. मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए विशेष कोष का सृजन।

5. राजसहायता प्राप्त राशन को पुर्नबहाल किया जाए और *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके नेता 37 मिनट बोल चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ: अंतत: महोदय, देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एन.एन. कृष्णदास, अब आपकी पार्टी को केवल तीन मिनट मिलेंगे।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं अपनी बात तीन मिनट में कैसे कह सकता हूं? मुझे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं। मैं अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा और अपना भाषण दस मिनट में समाप्त कर दूंगा।

महोदय, हम इस विषय पर वाद-विवाद कर रहे हैं, आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि और किसानों द्वारा आत्महत्या के संबंध में लगभग प्रत्येक सत्र में बहस होती है। हम एक ही मुद्दे पर बार-बार चर्चा करते हैं। मैं आपकी सलाह के अनुसार बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

आरंभ में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में नियंत्रण के लिए बाजार को नियंत्रित करना एवं बाजार में हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं। देश के सभी भागों में एकरूपता होनी चाहिए और केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार सभी राज्य सरकारों को कार्य करना चाहिए। अत:, बाजार के नियंत्रण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त हस्तक्षेप होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में केंद्र सरकार का बाजार में हस्तक्षेप काफी कम है। अब, केंद्र सरकार द्वारा यह कम हस्तक्षेप भी वापस लिया जा रहा है।

मैं केरल से हूं। हमारा राज्य एक जाना-माना उपभोक्ता राज्य हैं। देश में सबसे सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली केरल में है। दुर्भाग्यवश, केंद्र सरकार हमारे राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहायता नहीं दे रही है। अपनी गलत नीतियों के द्वारा यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अस्त-व्यस्त कर रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे राज्य में माननीय खाद्य निगम के द्वारा

[श्री एन.एन. कृष्णदास]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गेहूं की आपूर्ति की जाती है और अपने सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के माध्यम से इसे आटा में परिवर्तित कर नियंत्रित मूल्यवाली दुकानों को आपूर्ति किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश, भारत सरकार ने राज्य सरकार को यह सूचित किया है कि यह आटा नहीं बना सकती है और नियंत्रित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से केवल गेहूं का वितरण किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का रवैया यह है। अत:, मैं यह पुन: दोहराऊंगा कि बाजार में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप काफी कम था और यह कम हस्तक्षेप भी अब वापस ले लिया गया है। यह काफी चिन्ताजनक है। हमारे राज्य में काफी सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी लेकिन उसे भी अब अस्त-व्यस्त कर दिया गया है।

केन्द्र सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह उल्लेख किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को महत्व दिया जाएगा और इसे सुदृढ़ बनाया जाएगा, लेकिन दो वर्ष के अपने कार्यकाल में केंद्र सरकार ने हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के अपने वायदे को पूरा नहीं किया है।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह हमारे देश में होने वाली आश्चर्यजनक घटना है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। धान का मूल्य कम हो रहा है, जबकि चावल के मूल्य में वृद्धि हो रही है; कच्चे कपास की कीमत कम हो रही है, जबकि कपास निर्मित वस्त्र का मूल्य बढ़ रहा है; गेहूं का मूल्य कम हो रहा है, जबकि आटे का मूल्य बढ़ रहा है; और गन्ने का मूल्य कम हो रहा है जबकि चीनी का मूल्य बढ़ रहा है। किसान समुदाय एवं उपभोक्ताओं का यह दोहरा शोषण हो रहा है। यह सब बाजार हस्तक्षेप में एकरूपता की कमी के कारण हो रहा है। मुझसे पहले के वक्ताओं ने भी स्थिति की गंभीरता पर बल दिया है। सब्जी, अनाजों, खाद्यान्नों, दवाओं, रसोई गैस आदि जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। ये देश के आम आदमी के लिए वहन करने योग्य नहीं हैं। इस देश में लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, यह भी आश्चर्यजनक है। अत:, मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को यू.पी.ए. सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। इसे बाजार को नियंत्रित करना चाहिए और राज्य सरकारों को भी आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए। अन्यथा, इस देश में आम आदमी और गरीब आदमी गुजारा नहीं कर सकता है। स्थिति गंभीर है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आप सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए।

• **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या हमारे समर्थन वापस लेने से मूल्यों में कमी आएगी? आपके समय में मूल्यों में वृद्धि हुई। आप मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री एन.एन. कृष्णदास: तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप वर्ष-दर-वर्ष आंकड़ों को देखेंगे तो यह पाएंगे कि कृषि क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा निवेश हम होता जा रहा है। कृषि क्षेत्र में कोई अवसंरचनात्मक विकास नहीं हो रहा है। सरकार की इस प्रकार की गलत नीतियां आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अवहनीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। इस देश के लोग आंदोलित हो रहे हैं। यह देश के आम लोगों की सर्वोच्च संस्था है। अत:, हमें आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए और सरकार को बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आगे आना चाहिए। इस आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती गीता घटैरिया (सिवनी): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग यह भूल जाते हैं कि उन्हें भी जनता के बीच वापस जाना है और जवाब देना है कि जब आप सरकार में बैठे थे तो जनता इतनी बदहाल क्यों थी? इतनी महंगाई क्यों थी? आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप महंगाई पर काबू पाएं। रक्षा मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि महंगाई का क्या है, महंगाई तो इन्दिरा जी के समय भी बढ़ी थी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि महंगाई पर देश में हाय-तौबा जबरदस्ती मचाई जा रही है। चिन्तामोहन जी का नाम तो चिन्तामोहन है, लेकिन उन्होंने जो बात कही, वह उसके विपरीत भाव में है कि कोई चिन्ता की बात ही नहीं है, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती रहे। इन सब बातों को देखकर जनता का यही कहना है कि यू.पी.ए. सरकार महंगाई रोकने में पूर्णतया असफल है और इसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

इस सरकार पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आजकल कांग्रेस में माननीय सोनिया गांधी जी की भी नहीं सुनी जाती। सोनिया जी ने कार्यसमिति की बैठक में कहा, लेकिन किसी ने उसे सुना नहीं। एक पी.एम. है तो एक सुपर पी.एम. है, कब किसकी चलेगी, यह तय नहीं है और देश का हाल बदहाल होता जा रहा है। आज पूरे गली कूचों में जनता बेहाल है और एक ही आवाज हर तरफ से आ रही है:

'गली-गली में गूंज उठी, जन-जन की आवाज उठी,
दाल-रोटी मुश्किल है, महंगा लोहा पैट्रोल है।
महंगाई सुरसा सी बढ़ गई, चाय का स्वाद फीका कर गई,
खाना-पीना मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है।
अब सरकार चलना भी मुश्किल है।'

हम यू.पी.ए. सरकार से कहना चाहेंगे कि आम जनता को महंगाई मार ही न जाये और निर्णय लेने में कहीं देर न हो जाये, उसके पहले महंगाई पर अंकुश लगाया जाये, सट्टाबाजारी, वायदा सौदा बंद किया जाये और गेहूं, दाल, शक्कर, चाय के दामों को नियंत्रित किया जाये। केन्द्र में जब से कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आई है, दो वर्ष के कार्यकाल का सबसे काला अध्याय महंगाई के रूप में याद किया जायेगा। आम जनता महंगाई से त्रस्त है। गरीब जनता को दो वक्त की दाल-रोटी भी नहीं मिल पाती है। एक कहावत है कि दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, लेकिन अब लगता है कि यह कहना पड़ेगा कि भूखे भजन न होय गोपाला। महंगाई घरों में रोटी की जगह भूख दे रही है। गरोबों को दाल-रोटी कमाना-खाना दुश्वार हो गया है। आम नागरिक कष्ट भरा जीवन जीने के लिए मजबूर है।

सत्ता में सहयोग कर रहे घटक दल संसद में तो कांग्रेस का साथ देते हैं और सड़क पर जनता के क्रोध का सामना न करना पड़े, इसलिए जनता के साथ खड़े होकर बाहर उनके जैसी बातें करने लगते हैं और दोहरा चरित्र दिखाकर दोहरा चेहरा प्रकट कर रहे हैं।

अनाज की बढ़ती कीमतों में आम घरों के बजट को तो बिगाड़ा ही है, साथ में जो अनाज पैदा करने वाले किसान हैं, वे भी त्रस्त हैं। हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या कर ली है और अनाज की कीमतों में डेढ़ गुना वृद्धि हो गई है। महंगाई से आम जनता बेहाल और किसान बदहाल है, फिर इस सरकार में कौन मालामाल हो रहा है? जब रबी की फसल खलिहान में आ चुकी थी, तब सरकार ने महंगे दामों में गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया। लोग जानते हैं, गेहूं तो महंगा है, लेकिन उसके वाजिब दाम हमारे किसानों को नहीं मिल पाये और इस सब का कारण है, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार, यू.पी.ए. सरकार के सत्ता में आने के बाद महंगाई बढ़ती है, कालाबाजारी बढ़ती, जबकि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अर्थशास्त्र चौपट है। अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन बहुतायत की अर्थव्यवस्था की जगह कमी वाली अर्थव्यवस्था में बदल गया है।

एन.डी.ए. के शासन में 6 साल तक मूल्य स्थिर थे, महंगाई पर लगाम थी। किसी रिक्शे में बैठकर जाओ, आटो में बैठकर जाओ तो वे भी इसकी चर्चा करते हैं कि एन.डी.ए. की सरकार में हम महंगाई की मार से बचे थे और यह चिन्ता नहीं रहती थी कि कल पैट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं या तमाम चीजों के, गेहूं, दाल, चावल के दाम बढ़ने वाले हैं। उस समय गोदामों में अनाज भरा था और निर्यात करने की स्थिति थी। वहीं दो साल में गेहूं का आयात होने लगा, वह भी किसानों को दिये जाने वाले समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर और इसका कारण कांग्रेस सरकार द्वारा निजी कम्पनियों को गेहूं का भण्डारण करने की छूट देकर निजी स्वार्थों की पूर्ति करना है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

अटल जी की सरकार ने गरीबों के लिए सस्ता गेहूं, चावल देने की भी योजना बनाई थी। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, जो कांग्रेस के हाथ गरीब के साथ था, वह आज जनता को छल नहीं सकता है। माननीय अटल जी की सोच थी कि किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से न हो। इसीलिए सरकार ने सस्ती दरों पर गेहूं, चावल और शक्कर उपलब्ध करायी, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय खाद्य निगम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने का काम कर रही है। यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई सुरसा के मुख की तरह बढ़ रही है और घटक दलों को संतुष्ट करना ही इनका काम रह गया है। प्याज के नाम पर आंसू बहाने वाली कांग्रेस आज क्यों शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रही है? क्यों नैतिकता के आधार पर सत्ता छोड़ने का साहस नहीं कर पा रही है, जबकि नमक के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था, वह भी अज महंगा है। गरीब नमक-रोटी भी नहीं खा सकता। महिलाओं को जेवर सबसे प्रिय होते हैं, लेकिन आज मध्यम वर्गीय महिलाएं न सोने के जेवर खरीद सकती हैं और न गरीब महिलाएं चांदी के जेवर खरीद सकती हैं, क्योंकि सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहां प्रकृति ने हर तरह की जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज संपदा दी है, फिर आखिर क्यों कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण करती, जिससे किसान और कृषि पर निर्भर ग्रामीण आबादी खुशहाल रहे? पेट्रोल और डीजल की कीमतें कब बढ़ जाएं, इस बात की आशंका हर समय बनी रहती है। विगत दो सालों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें छः बार बढ़ीं, जिसके कारण माल ढुलाई महंगी हुई, किसान को ट्रैक्टर और पंप में डीजल डालना महंगा हुआ और उससे खाद, बीज महंगे हुए हैं। यही कारण है कि देश भर में किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब पेट्रोल आर डीजल की कीमतें बढ़ी, उससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इन्होंने जब पेट्रोल और डीजल पर देश में पचास प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगाया, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। यूपीए सरकार के पास महंगाई रोकने के किसी कार्यक्रम के लिए या विकास के लिए पैसा नहीं है। इन्होंने जो पैसा दिया, चाहे वह रोजगार गारंटी के लिए हो या अन्य योजनाओं के लिए हो, वह जनता का पेट काटकर, उसे भूखों मारकर, सरकार पैसा दे रही है और यह जता रही है कि वह विकास के लिए पैसा दे रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने कितने प्रतिशत टैक्स अपने देश में लगाया है?

[श्रीमती नीता पटैरिया]

केंद्रीय रेलवे बोर्ड द्वारा कई ट्रेनों को सुपर फास्ट का दर्जा देने के नाम पर किराए में वृद्धि की गयी, जबकि न ट्रेनें तेज हुयीं, न रास्ते बदले गए, न यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ायी गयीं, पर बढ़ा हुआ किराया वसूला जाने लगा। इससे आम व्यक्ति और प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों में असंतोष व्याप्त है। रोटी, कपड़ा और मकान, जो इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसमें से लोग फटा कपड़ा तो जैसे-तैसे पहन रहे हैं, लेकिन उनके पास न अब रोटी-दाल है, न मकान बनाने के लिए कम दर पर लोन है और न लोहा, सीमेंट और ईंटें हैं, जिससे वे अपना घर अच्छी तरह से बना सकें। इसलिए यूपीए सरकार पूर्णतया असफल है और इसे नैतिकता के आधार पर सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, आपकी परमीशन से बढ़ी हुयी महंगाई के मुतल्लिक मैं भी कुछ कहना चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा। महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर महंगाई नहीं बढ़ी होती, तो मैडम सोनिया जी क्यों इन्हें कहतीं कि महंगाई रोको। इसका मतलब यह है कि आपको इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए, अभी हम जाने वाले नहीं हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि कहीं न कहीं प्लानिंग में कमी है। जब किसान को मारने की साजिशें चल रही हों, जब किसान को प्रौपर रेट न मिले, तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? किसान की फसल पैदा होती है, तो उसका कोई रेट नहीं होता, उसका कोई सपोर्ट प्राइज नहीं होता और कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा तब होता है जब किसान की फसल बिक जाती है, असली बात यह है। बुनियादी तौर पर किसान को समझने वाला और किसानों को अंडरस्टैंड न करने वाला इंसान किसी भी रुतबे में होगा, कहीं भी होगा, उसके गलतियां होंगी और हम इल्जाम तराशी कर दें कि एनडीए ने यह किया या हम कहें कि हमने वह किया, लेकिन असली बात यह है कि जो करेगा, वह भुगतेगा।

महोदय, एनडीए वालो, आपने इंस्पैक्टर राज खत्म कर दिया था। आपने कहा था कि कोई इंस्पैक्टर नहीं रहेगा, जितना मर्जी गल्ला लगा लें, जितने मर्जी स्टाक कर लें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। यदि किसी निर्धारित चीज को तोड़ दें और स्टाक रखने की कैपेसिटी अनलिमिटेड कर लें तो क्या होगा। अब एफसीआई के पास भी इतना माल नहीं है जितना कैपिटलिस्ट्स के पास पहुंच गया, सरमाएदारों के पास पहुंच गया। बड़ी-बड़ी स्पीच देने की बजाए मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक्शन लें कि कल क्या करेंगे, किन होटलों को पकड़ेंगे, कौन सरमाएदार हैं जिन्होंने इस देश की दालों को छिपाकर रखा है, जिन्होंने तेल महंगा कर दिया। पहले कोई सरसों नहीं खरीद रहा था, किसान की सरसों कोई नहीं उठा रहा था, फिर तेल का भाव कैसे बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जो किसान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अभी हम सब लोग यहां हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई माने या

सायं 6.51 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

न माने, इसे पन्द्रह मिनट में ठीक किया जा सकता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ रेड डालने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रेड पहले हो जाएगी। ...*(व्यवधान)* मेरी बात सुन लें। ...*(व्यवधान)* एनडीए वालो, आपका बोया हुआ बीज हम काट रहे हैं और हम बोएंगे तो आप उसे काटेंगे, आप इसकी चिन्ता क्यों करते हैं। ...*(व्यवधान)* मेरा कहने का मतलब है कि आपसी तालमेल नहीं है। कन्ज्यूमर कहां है, प्रोड्यूसर कहां है और दलाल आकर दलाली खा रहे हैं। जब बिचौलिए और दलाल पैसा कमाएंगे तो कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर मरेंगे। असली बात यह है कि प्रोड्यूसर को कैसे बचाया जाए। हम फूड सिक्युरिटी की बात बहुत करते हैं। जो फूड पैदा कर रहे हैं, जब उनकी सिक्युरिटी नहीं होगी तो फूड की सिक्युरिटी बन्दूक रखकर थोड़े ही हो पाएगी। मेरा सबमिशन है कि इन्होंने जो गलती की है, गलती यह रही कि इन्होंने खुला छोड़ दिया। इनका कोई कसूर नहीं है, जहां आदमी पैदा होता है उसकी बनावट वैसी ही हो जाती है। जो सरमाएदार के घर पैदा होता है, उसका स्टाइल सरमाएदारी जैसा होता है, उसे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वर्ल्ड दिखाई देता है। मेरे भाई, यह थर्ड वर्ल्ड की दुनिया है, हिन्दुस्तान अभी थर्ड वर्ल्ड में है, अभी इसे ऊपर उठाने की बात है। अभी आप हवा में बैठकर काम नहीं कर पाएंगे। किसान की पालिसी नहीं बन पाई। यह ठीक है इरीगेशन दे दें, भारत निर्माण में बहुत अच्छी स्कीम्स आईं, लेकिन अभी किसान को बनाने, बचाने और आगे बढ़ाने के लिए स्कीम चाहिए। किसान इसे प्रैक्टिकली भोग रहा है। इस बारे में मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद प्याज सेल किया है, मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं। आप कह रहे हैं 15 रुपये किलो, मेरा प्याज 2 रुपये किलो बिका। मेरी अपनी व्हीट साढ़े छः रुपये किलो बिकी और आप 60 रुपये किलो मंगवा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। जब किसान को देने की बात आती है तो सबकी जान निकलती है। आप पैट्रोल के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्या आपको गाड़ी चलानी है, कार चलाने का बड़ा मन कर रहा है, मेरा तो हल नहीं चल रहा है, मैं कहता हूं कि पहले हल चला लें। ...*(व्यवधान)* मेरे प्रिय सभापति जी, मेरी थोड़ी बात सुन लें। आप इतने बढ़िया हैं- ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, आपने हमेशा किसानों के पक्ष में बात की है। आपने हमेशा देश की बात की है। ...*(व्यवधान)* आप मेरा

भी सुनिये। पीडीएस को इम्प्रूव नहीं किया गया। इसे तबाह कर दिया गया। मेरा कहना है कि अब आप इसको बनाओ, मजबूत करो। इसके साथ कुछ भी कम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इसे सख्ती से लागू करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

किसी जमाखोर, किसी कालाबाजारी करने वाले अथवा किसी दलाल से समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

आप इसका एक एजेंडा बनाइये। आप गरीबों को सब्सिडी दीजिए। उन गरीबों को दाल पर सबसिडी दीजिए जो डाउन ट्राडन हैं, पुअर हैं, बीपीएल हैं। आप उनको सबसिडी क्यों नहीं देंगे? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दाल महंगी है लेकिन ज्यादा पैसा देकर जितनी मर्जी दाल ले लो। जब दाल है, तो उसका रेट क्यों बढ़ रहा है, यह समझने की बात है। आप थोड़ी अंग्रेजी और गणित समझें कि कौन सा इंसान है, जो ऐसा कर रहा है? आप 60 रुपये किलो दाल जितनी मर्जी ले लो। लेकिन वह दाल सस्ते दामों में क्यों नहीं बिक रही? इसका मतलब यह है कि दाल है। अगर नहीं है, तो अगले तीन महीने में दाल कैसे पैदा करनी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप सारी दालें कैसे बढ़ायेंगे? अगर दाल बढ़ानी हैं, तो उसमें कमी क्या है और कौन उन लोगों की मुश्किल हल नहीं कर रहा है, यह भी देखना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. सी. कृष्णन, कृपया अपना भाषण शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: चौधरी जी, कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: मुझे इस बात की इंतहा खुशी है। मैं सब माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप सब महंगाई के खिलाफ बोलिये। जो इसके खिलाफ बोले, उन्होंने अच्छा किया। जिससे यह जिम्मेवारियां नहीं संभल पाती, वे लोग कम से कम अपने आपको बदल लें। अंत में, मैं कहंगा कि जब कुर्सी पर बैठकर आप इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो क्या आपको परमात्मा की कुर्सी लेनी है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सत्ता का उचित प्रयोग कीजिए और दबे-कुचले लोगों को न्याय प्रदान करिए।

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, मैं डीएम और तमिलों के प्रसिद्ध नेता श्री वाइको के नेतृत्व वाले मरूमलारची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की ओर से बोल रहा हूं।

हम लोग देश में हुई मूल्य वृद्धि के बारे में बोल रहे हैं। आम आदमी के दिन-प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। जो उसके लिए गंभीर चिंता तथा उसकी रोज की रोटी पर बोझ है।

डीजल और पेट्रोल में मूल्य वृद्धि से माल-भाड़े में वृद्धि होती है। इससे सब्जियों तथा अन्य वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। खाद्य-सामग्री को उत्तर से दक्षिण भेजने में 2000 रु. प्रति ट्रक की वृद्धि हुई है। मूल्य वृद्ध पर नियंत्रण के लिए सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। परन्तु साथ ही साथ पेट्रोल तथा डीजल में मूल्य वृद्धि का आरोप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर लगाने से बचना चाहिए। राज्य सरकारों के बिक्री कर को घटाया जा सकता है तथा इन पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को कम किया जा सकता है।

हमें श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पूरा विश्वास है। हम सरकार के समर्थक होने के साथ-साथ ही यूपीए सरकार का अभिन्न हिस्सा भी हैं, हालांकि सरकार में हमने मंत्री पद नहीं लिया है।

सायं 7.00 बजे

साथ ही साथ मैं यहां एक बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह दिनांक 2 मई, 2006 को एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित एक समाचार पर आधारित है।

समाचार यह था कि....*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। मूल्य वृद्धि से इसका क्या संबंध है? *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: उन्हें यह मुद्दा उठाने दीजिए।

...(व्यवधान)

डा. सी. कृष्णन: ''द इंडियन एक्सप्रैस'' में समाचार प्रकाशित हुआ था कि वर्षों पुराने प्रसिद्ध राष्ट्रीय कारपोरेट घराने टाटा ...*

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, यह इससे किस प्रकार संबंधित है? इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं इस पर विचार करूंगा।

...(व्यवधान)

डा. सी. कृष्णन: यह भी समाचार था कि मंत्री जी ने स्वयं.....मांगी थी। *...(व्यवधान)**

अभी तक न तो सरकार और न ही टाटा समूह के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) ने इस समाचार का खंडन किया है। *...(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: मूल्य वृद्धि से इसका क्या संबंध है? अप्रासंगिक है। *...(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन: इसलिए इसे एक सच्ची घटना माना जा रहा है। महोदय, माननीय मंत्री जी का यह कृत्य एक मंत्री के रूप में आचार का खुला उल्लंघन है। *...(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, मूल्य वृद्धि से इसका संबंध कैसे है? यह अप्रासंगिक है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं इस पर विचार करूंगा और आवश्यक संशोधन करूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री कृष्णन कृपया अब समाप्त कीजिए।

डा. सी. कृष्णन: ...*

1917 से देश में प्रमुख उद्योगों के विकास के पथ प्रदर्शक रहे टाटा कंपनी समूह को धमकाना ...*

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यदि कोई आपत्तिजनक वक्तव्य है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यदि कोई आपत्तिजनक वक्तव्य हुआ तो मैं उसे देखूंगा और आवश्यक संशोधन कराऊंगा?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, यह प्रासंगिक किस प्रकार से है? यह प्रासंगिक नहीं है।

डा. सी. कृष्णन: माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षित है कि वह अपने निजी लाभ के स्थान पर देश के हितों को वरीयता देंगे। ...*

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, वह डा. मनमोहन सिंह तथा श्रीमती सोनिया गांधी का समर्थन कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

यह प्रासंगिक कैसे है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने यह पहले ही बिलकुल स्पष्ट कर दिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने यह पहले ही बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। आप सदस्य की तरह व्यवहार कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: आप उन्हें अनुमति कैसे दे रहे हैं? आप उन्हें अनुमति कैसे दे रहे हैं?

सभापति महोदय: मैं यह पहले ही बिलकुल स्पष्ट कर चुका हूं। यदि कोई आपत्तिजनक वक्तव्य हुआ तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, यह प्रासंगिक किस प्रकार से है? यह अप्रासंगिक है। इसे हटा दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप अपना भाषण जारी रखें किन्तु इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: अब सात बज रहे हैं। मेरे पास बोलने वाले 14 सदस्यों की सूची है। यदि सभा सहमत हो, तो हम समय बढ़ा सकते हैं। अथवा, हम स्थगित करेंगे।

...(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: हम चर्चा कल जारी रख सकते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं मानता हूं कि सभा को आठ बजे तक बढ़ा दिया जाए। क्या सभा में सभी सहमत हैं?

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: हम यह चर्चा कल भी कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, यह निर्णय लिया गया था कि वाद-विवाद को आज ही पूर्ण किया जायेगा और कल केवल उत्तर दिया जायेगा। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: हम यहां कब तक बैठेंगे? क्या हम सारी रात बैठे रहेंगे? महोदय, आपने बताया है कि आपके पास बोलने के लिए 14 सदस्यों की सूची है। पहले ही सात बज चुके हैं। अगर पंद्रह सदस्य बोलते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हमें रात के दस बजे तक बैठना होगा।

श्री पवन कुमार बंसल: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: माननीय सदस्य यहां 'शून्य काल' का मुद्दा उठाने के लिए बैठे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: दो माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। पीठ की ओर से बारम्बार अनुरोध होने के बावजूद भी, वे रुक नहीं रहे हैं। यह सही नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: किन्तु आप उन्हें असंबंधित बातें बोलने के लिए कैसे अनुमति दे रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति महोदय, दोनों यूपीए से संबंधित हैं। तो वे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अध्यक्षपीठ की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जायेगा। परन्तु आप दोनों बोले जा रहे हैं। क्या सभा में व्यवहार का आप लोगों का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

डा. सी. कृष्णन: महोदय, यूपीए सरकार के मंत्रियों को अमीर बनने के लिए अपने निजी व्यापारिक हितों से लाभ कमाने की योजना बनाने के बजाय अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों की कटौती में रुचि दिखानी चाहिए।

सभापति महोदय: आज सभा का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सर, जीरो आवर शुरू कीजिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, आज कोई 'शून्य काल' न किया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जो विपक्ष की पहल पर आरम्भ की गई थी।

सभापति महोदय: यदि सभी सदस्य ठीक से व्यवहार करें तो मैं इसे 8 बजे तक पूरा करवा दूंगा। किन्तु दोनों माननीय सदस्य लगातार बोले जा रहे हैं। हमारे तमिलनाडु के मित्र ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं।

डा. सी. कृष्णन: महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी थी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह तमिलनाडु नहीं है, यह लोक सभा है। पीठ की ओर से बार-बार जोर देकर यह कहे जाने के बावजूद कि किसी भी आपत्तिपूर्ण टिप्पणी को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जायेगा, आप दोनों लगातार बोले जा रहे हैं। यह सही नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, क्या आपने लड़ने के लिए भी समय बढ़ा दिया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आज कोई भी 'शून्य काल' नहीं होगा। सभा आठ बजे तक बैठेगी किन्तु उसके बाद कोई भी विस्तार नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कृपया आज आप सभा को स्थगित कर दें। यह चर्चा कल जारी की जाए। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यदि आप अभी सभा को स्थगित करते हैं तो इसका यह अर्थ होगा कि वाद-विवाद आज पूरा हो गया है।

सभापति महोदय: यदि आप सब अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करते हैं तो हम वाद-विवाद को आज समाप्त कर सकते हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): सभापति महोदय, हमें इस वाद-विवाद को आज ही पूरा करना होगा। अगर आज और चर्चा नहीं होती तो कल मंत्री जी उत्तर देंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम 8 बजे तक वाद-विवाद को समाप्त करना चाहते हैं और कैसी भी स्थिति में समय को और नहीं बढ़ाया जायेगा। कृपया सहयोग करें और संक्षेप में बोलें।

श्री शैलेन्द्र कुमार अब बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति जी, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत बहस में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ना समय का फेर व हालात का नतीजा है, सरकारी नीतियों की इसमें कोई खामी नहीं है, जबकि सही मायने में सरकार की नीतियों में ही खामी है। डा. चिंता मोहन जी ने इधर से महंगाई पर चर्चा की शुरूआत की लेकिन मैं चाहता था कि विपक्ष से शुरूआत होती तो अच्छा होता। गरीब आदमी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद करता है और यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं और हमारी चिंता भी स्वाभाविक है। हमारी चिंता है कि जो गरीब, मजलूम और दबे-कुचले लोग हैं उनको किस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया हो। लेकिन दु:ख की बात है कि महंगाई के झमेले में एक वर्ष पहले ही लोगों की जेबें खाली हो चुकी हैं। अब लगा कि सरकार की कनपटी पर महंगाई की जूं रेंगी है, जबकि यह बात बहुत पहले से चल रही थी। वित्त मंत्री जी ने पहली बार स्वीकार किया कि हां, देश में महंगाई बढ़ रही है। वित्त मंत्री मानते हैं कि महंगाई बढ़ने के तीन कारण हैं। उन्होंने कहा कि लागत बढ़ गई है, इस्पात और पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं। यह भी कहा गया कि कुछ चीजों के दाम बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ी है। तीसरा, उन्होंने यह कहा कि आपूर्ति के मामले में अर्थव्यवस्था को कुछ झटके झेलने पड़े हैं। उनका इशारा कृषि की तरफ था जबकि पिछले 10 वर्षों से कृषि क्षेत्र में कोई नई तकनीक नहीं आई और न ही कोई बड़ा निवेश हो पाया है। आज उत्पादन में बढ़ोत्तरी की दर थम गई है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चौथाई फीसदी की बढ़ोत्तरी करके महंगाई रोकी जा सकती है। सरकार इस संबंध में पहल कर रही है, लेकिन देखना है कि इसमें कितनी सफलता मिलती है। फिर भी दूसरी तरफ देखा जाए तो मुद्रा आपूर्ति को कम करके महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन यह कोई नया तरीका नहीं है। इसके उलटा असर विकास की दरों पर पड़ेगा। जैसा सुनने में आया है कि विकास दर साढ़े सात फीसदी से आठ फीसदी के बीच रहेगा। लेकिन अभी हाल में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में महंगाई पर चर्चा हुई, उसमें स्वीकार किया गया कि देश में महंगाई बढ़ी है और इसे 20 जुलाई तक खत्म कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। मैंने श्री शिवन्ना का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। लेकिन इस बारे में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। जो 70 फीसदी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं, उसके कारण महंगाई बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार कड़ाई से महंगाई पर रोक लगाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शिवन्ना के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): महोदय, मैं कन्नड़ में बोल रहा हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया या तो अंग्रेजी अथवा हिन्दी में बोलिए। यहां भाषान्तरण की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, मैंने पिछले छह महीनों के दौरान पहले ही कई पत्र लिखे हैं। मुझे कन्नड़ में न बोलने देना अनुचित है। मैं हमेशा कन्नड़ में बोलता हूं। उन्होंने भाषान्तरकार की व्यवस्था क्यों नहीं की? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इस मुद्दे को यहां नहीं उठा सकते हैं। मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: उन्हें भाषान्तरकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। यह बहुत अनुचित है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कन्नड़ में कैसे बोल सकते हैं जब कोई भाषान्तरकार उपलब्ध नहीं है?

...(व्यवधान)

श्री एम. शिवन्ना: मैं कन्नड़ में ही बोलूंगा, कृपया भाषान्तरकार की व्यवस्था कीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं और स्थिति के बारे में अवगत करा सकते हैं। मैं इस मामले में असहाय हूं क्योंकि भाषान्तरकार उपलब्ध नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, मैंने पहले ही माननीय अध्यक्ष महोदय को पत्र लिख दिया था और कन्नड़ में बोलने के लिए भी नोटिस दे दिया था। कृपया मुझे कन्नड़ में बोलने की अनुमति दें। *...(व्यवधान)* यह बहुत अनुचित है। *...(व्यवधान)* मैंने नोटिस भी दिया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहते हैं तो मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री विजय हान्डिक: महोदय, कृपया उन्हें बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें या तो हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बोलना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री एम. शिवन्ना: मैंने केवल कन्नड़ में बोलने का निर्णय लिया है। मैं अंग्रेजी और हिन्दी में भी बोल सकता हूं परन्तु मैं कन्नड़ में बोलूंगा। भाषान्तरकार की व्यवस्था करना आपका कर्त्तव्य है। मैंने कन्नड़ में बोलने का नोटिस भी दिया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको यह समझना चाहिए कि मलयालम के लिए कई महीनों तक कोई भाषान्तरकार नहीं था!

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: लगभग एक साल तक मलयालम के लिए कोई भाषान्तरकार नहीं था जिससे हमें परेशानी हुई। आपको कन्नड़ में बोलने का अधिकार है पर इसके लिए कोई भाषान्तरकार नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री विजय हान्डिक: अध्यक्ष महोदय, मैंने उनकी शिकायत को नोट कर लिया है। इसलिए वह जिस भाषा में भी बोलना चाहते हैं, इन्हें बोलने दें। मैं इनकी शिकायत को नोट कर रहा हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा।

सभापति महोदय: नहीं यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं मजबूर हूं। मातृभाषा के लिए मेरी भावनाएं भी आपकी तरह हैं। मुझे मातृभाषा में बोलने का अधिकार मिलना चाहिए; परन्तु स्थिति ऐसी ही है। मैं क्या कर सकता हूं?

*...(व्यवधान)**

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): आपको एक भाषान्तरकार नियुक्त करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भारतीय भाषाओं के लिए काफी समय तक कोई भाषान्तरकार नहीं था।

...(व्यवधान)

श्री के.एस. राव (एलूरू): शिवन्ना जी, कृपया आज अंग्रेजी में बोलें। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कन्नड़ के लिए भाषान्तरकार आने वाले हैं, यह प्रक्रिया में है। उनकी भर्ती की जाएगी तथा उन्हें यहां स्थान दिया जाएगा। वैसे ही जैसे जब मलयालम भाषान्तरकार उपलब्ध नहीं था और एक नए आदमी की भर्ती तथा उसकी नियुक्ति की गई। हमें परेशानी हुई थी। अब मलयाली लोगों की तरह कन्नड़ लोगों को भी परेशानी होनी चाहिए। हम मलयाली लोगों ने महीनों इस परेशानी का सामना किया। कोई भाषान्तरकार नहीं था परन्तु मैं अंग्रेजी में बोला। यह प्रक्रिया में है।

श्री एम. शिवन्ना: यह उनका कर्त्तव्य है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कृपया उन्हें अनुमति दें कि वह अपना भाषण सभा पटल पर रखें।

सभापति महोदय: क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए?

...*(व्यवधान)*

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: उन्हें अपना भाषण सभा पटल पर रखने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एम. शिवन्ना: मैंने कन्नड़ में बोलने का निर्णय ले लिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यदि भाषण कन्नड़ में है, तो वह इसे सभा पटल पर रख भी नहीं सकते।

सभापति महोदय: हमने कार्य 8 बजे तक समाप्त करने का निर्णय लिया है। यदि आप सहयोग नहीं देंगे तो हम यह समाप्त नहीं कर पायेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री एम. शिवन्ना: ठीक है, महोदय, मैं कन्नड़ में अपना भाषण सभा पटल पर रखता हूं। इसका अनुवाद किया जाए।

*महोदय, ढाई साल पहले चुनावों के समय हमने देश के लोगों को दो दर्जन आश्वासन दिए थे। दुर्भाग्यवश इनमें से एक भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमने किसानों का संरक्षण करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने का भी आश्वासन दिया था। परन्तु बुनकर और किसान अभी भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। उनकी क्रय क्षमता घट गई है। गरीब मजदूर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दैनिक मजदूर, यहां तक कि मध्यम वर्गीय लोग भी अपनी आजीविका नहीं कमा पा रहे हैं।

कम्प्यूटर के दाम कम कर दिए गए हैं। कई अन्य चीजें भी सस्ती हुई हैं। परन्तु हर बार की तरह आवश्यक वस्तुओं के दाम आकाश छू रहे हैं। रागी, ज्वार तथा अन्य अनाजों के दाम 12 रुपये प्रति कि.ग्रा. से अधिक है। तूअर दाल, उड़द तथा अन्य दालों का मूल्य 70 रुपये प्रति कि.ग्रा. था उससे अधिक है। खाद्य तेल का मूल्य 100 रुपये प्रति कि.ग्रा. से ऊपर हो गया है। इसी तरह सभी अन्य आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गई हैं। राजग तथा संप्रग दोनों सरकारें मूल्य वृद्धि को रोकने में असफल रही हैं। यह बड़े दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 59 वर्ष बाद भी हम इस देश की गरीब जनता को शांतिपूर्वक जीवन बिताने में मदद करने में असफल रहे हैं।

एक किलो सेब की कीमत 45 रुपये है। आम भी 35 रुपये किलो या इससे अधिक है। आज गरीब लोग कोई फल खाने की सोच भी नहीं सकता है। टमाटर भी महंगा है। महंगाई से लोगों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और उनका अस्तित्व ही संकट में है। सीमेन्ट, लोहा आदि जैसी निर्माण से जुड़ी चीजों के मूल्य भी बढ़ गये हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 48 रुपये प्रति लीटर है तथा यही पेट्रोल बंगलौर, कोलकाता, चेन्नै तथा मुम्बई जैसे अन्य शहरों में 56 रुपये पर बेचा जा रहा है। हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं और गरीब लोगों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

किसान अपनी उपज के लिए समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर कृषि उपज की कीमतें काफी अधिक हैं। इसका सारा लाभ मध्यस्थों को जा रहा है। किसानों के इस प्रकार के शोषण को तत्काल रोका जाना चाहिए। इस देश में बैंक कृषि ऋण पर 6 से 8 प्रतिशत की दर से ब्याज लेते रहे हैं परन्तु चीन में इन ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। तमिलनाडु में किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। यही वे तरीके हैं जिनसे हमें इस देश के किसानों और गरीब जनता की मदद करनी होगी।

यह उचित समय है कि केन्द्र सरकार आगे आये और महंगाई कम करने के लिए तत्काल कदम उठाये। शुरूआत में सरकार को प्याज, लहसुन, मिर्च, ब्रिजल, दालों, खाद्य तेल तथा दालों जैसी आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर गरीबों को उपलब्ध करानी चाहिए। 2000 रुपये प्रति माह कमाने वाले मजदूरों को भी सभी आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर तथा इसे सभा पटल पर भी रखा गया।

शान्तिपूर्ण तथा अच्छा जीने का अधिकार है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले को गम्भीरता से लेकर सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों को कम करके देश के गरीब लोगों की मदद करेगी। इन शब्दों के साथ महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण पूरा करता हूं।*

सभापति महोदय: अब श्री गणेश सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापति महोदय, आज देश की सबसे ज्वलंत समस्या महंगाई पर यहां चर्चा हो रही है। जब से यूपीए सरकार देश में राज करने आई, तब से चौथी बार हम लोग महंगाई के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो चौंकाने वाली है कि जैसे नदी में बाढ़ आती है, महंगाई उसी रफ्तार से यानी बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। सारा देश आश्चर्यचकित है कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? सतारूढ़ के साथी कह रहे हैं कि महंगाई पहले भी बढ़ी थी। निश्चित तौर पर पहले भी महंगाई बढ़ी थी लेकिन महंगाई पर कंट्रोल भी होता था। आज यह स्थिति है कि सरकार का बाजार से पूरी तरह नियंत्रण खत्म हो गया है और सभी चीजों के दाम मनमाने तौर पर बढ़ते नजर आ रहे हैं।

महोदय, इसी हाउस में हमारे एक साथी चर्चा कर रहे थे कि किसी भी चीज के दाम उत्पादन लागत से डेढ़ गुना ज्यादा नहीं होने चाहिए लेकिन इस सिद्धांत का कहीं पता नहीं है। महंगाई बेलगाम बढ़ती जा रही है। सभी को पता है कि देश को तीन बड़े अर्थशास्त्री चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, माननीय वित्त मंत्री जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जो चित्र अब के सामने है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कौन सी अर्थव्यवस्था है, कौन सी अर्थ नीति है जिससे महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। यह जो खुले बाजार की नीति है, उसके कारण आज बाजार में पूरी तरह से विदेशी सामान आ चुका है, लेकिन उसके क्या दाम होंगे, यह तय करने वाला कोई नहीं है। बाजार को आज पूरी तरह से दूसरों के हाथों में सौंप दिया गया है और इसीलिए सरकार कहती है कि यह हमारे हाथ में नहीं है। मैं समझता हूं कि कभी न कभी सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। आज महंगाई दो सौ गुना तक बढ़ चुकी है। यह एक रिकार्ड हो गया है। गरीब आदमी की स्थिति यह हो गई है कि वह बेचारा दाल, रोटी खाकर अपने जीवन को चलाता था, आज उसकी दाल और रोटी दोनों महंगी हो गई हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि लोग एक टाइम खाना खाने के लिए मजबूर हैं। जिन घरों में पहले दो टाइम रोटी बनती थी, आज उन घरों में एक टाइम रोटी बन रही है। आज लोग सप्ताह में एक दिन दाल और एक दिन सब्जी खा रहे हैं। क्या कभी वित्त मंत्री जी ने उनके घरों में जाकर देखने का प्रयास किया। आप उन घरों में जाकर देखिये जो दिन भर मेहनत करते हैं, आज उन्हें शाम को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। आप गरीबों के घरों में जाकर देखें, रिक्शा चलाने वाले, मिट्टी खोदने वाले और गिट्टी तोड़ने वाले के घर में जाकर देखें, जो दिन-रात खेत-खलिहानों में काम करते हैं, उनके यहां जाकर देखें। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के घर में जाकर देखें। अभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मुझे बाहर कह रहे थे कि आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं। यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार सरकार किस काम में लगी हुई है। इस सरकार का काम क्या है।

सभापति महोदय, यह वही देश है, जिस देश में कहा जाता था - टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। यह वही देश है जिसमें पहले वस्तु विनिमय होता था। यदि पहले एक किलो अनाज देते थे तो एक किलो दूध मिलता था। यह वही देश है जिसमें नमक बाजार में मुफ्त मिलता था। हम यदि कोई चीज बाजार से खरीदते थे तो उसके साथ हमें नमक भी मुफ्त मिल जाता था। आज नमक के दाम कहां हैं, नमक कहां से आ रहा है। यह विदेश से नहीं आ रहा है। यह हमारे देश का ही नमक है। आज यह इतना महंगा क्यों हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज बाजार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका है।

सभापति महोदय, यहां चर्चा हुई कि वर्ष 2004 और 2006 में कौन सी सरकारें थीं। वर्ष 2004 में एन.डी.ए. की सरकार थी और आज वर्ष 2006 में यू.पी.ए. की सरकार है। मैं यह बात निश्चित तौर पर सदन में इसलिए कहना चाहता हूं, ताकि यह बात लोगों के बीच में जाए। आज जो चीजों की कीमतें हैं, मैं उनके बारे में एक चार्ट बताना चाहता हूं। वर्ष 2004 में एन.डी.ए. की सरकार के समय में गेहूं का दाम नौ रुपये था, आज यू.पी.ए. की सरकार में गेहूं 12 रुपये से लेकर 18 रुपये किलो पर पहुंच गया है। पहले आटा 10 रुपये किलो मिलता था, अब यह 21 रुपये पहुंच गया है। चावल पहले दस रुपये किलो था, अब 16 रुपये से लेकर 22 रुपये तक पहुंच गया है। मैदा पहले 12 रुपये किलो था, अब 13 रुपये किलो हो गया है। ब्रैड का दाम पहले आठ रुपये था, अब दस रुपये हो गया है। रवा का दाम पहले 12 रुपये किलो था, अब 15 रुपये हो गया है। साबूदाने का दाम पहले 28 रुपये किलो था, अब 35 रुपये किलो हो गया है। छोटे पहले 30 रुपये किलो मिलते थे, अब 50 रुपये किलो मिलते हैं। चीनी पहले 14 रुपये किलो थी, अब 22 रुपये किलो हो गई है। चाय पहले 80 रुपये किलो थी, अब 120 रुपये किलो हो गई है। देशी

[श्री गणेश सिंह]

घी पहले 130 रुपये किलो था, अब 160 रुपये किलो हो गया है। सरसों का तेल पहले 40 रुपये किलो था, मूंग की दाल पहले 24 रुपये किलो थी, अभी इसी संसद का एक कर्मचारी मुझे बता रहा था कि वह आज ही मंगू की दाल खरीद कर लाया है, जिसके दाम 67 रुपये किलो हो गये हैं। अरहर की दाल पहले 26 रुपये किलो थी, अब 54 रुपये किलो हो गई है। मसूर की दाल पहले 22 रुपये किलो था, अब 28 रुपये किलो हो गई है। चने की दाल 25 रुपये किलो थी, अब 35 रुपये किलो हो गई है। गुड़ का दाम पहले 14.50 रुपये किलो था, अब 35 रुपये किलो हो गया है। दूध पहले 14 रुपये किलो मिलता था, अब 20 रुपये किलो मिल रहा है। पनीर का दाम पहले 62 रुपये किलो था, अब 110 रुपये किलो हो गया है। उड़द की दाल आज बाजार में 74 रुपये किलो बिक रही है।

इसी तरह से मिट्टी के तेल के दाम 18 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 25 रुपये प्रति लीटर हो गये हैं। रसोई गैस का सिलेंडर पहले 244 रुपये का था, अब 328.94 रुपये का मिल रहा है। पेट्रोल का दाम पहले 33.15 प्रति लीटर था, अब 51.33 प्रति लीटर हो गया है। डीजल पहले 22.50 रुपये प्रति लीटर मिलता था, आज 40 रुपये लीटर हो गया है। सीमेंट का दाम पहले 125 रुपये प्रति बैग था, अब यह 198 रुपये हो गया है। इस्पात के दाम पहले 23 हजार रुपए प्रति टन थे, अब यह 28 हजार रुपये प्रति टन हो गया है। इसी तरह सब चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का बाजारों के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है? मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 125 आवश्यक आइटम्स हैं, जो पूरी तरह से सट्टा बाजार के हवाले कर दिये गये हैं, इसलिए इनके दाम बढ़ रहे हैं। जब तक सरकार सट्टा बाजार से इन आवश्यक वस्तुओं को वापस नहीं लेगी, तब तक इनके दामों पर कंट्रोल नहीं होगा। विदेशी चीजों की जो बाजार में बढ़ती हुई मात्रा है, उस पर मैं चाहूंगा कि सरकार की नजर होनी चाहिए। राज्य सरकारों पर आरोप लग रहा है कि राज्य सरकारें इसे देखें और अपना दायित्व निभाएं। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का अखबार में एक बयान पढ़ रहा था। सोनिया गांधी जी ने तो बड़ी चिंता जाहिर की है, बहुत अच्छी बात है, महंगाई पर चिंता होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने कहा कि देश में पहली बार महंगाई नहीं बढ़ी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। राज्य सरकारों के हाथ में आज बाजार है ही नहीं। वे क्या जिम्मेदारी निभाएंगी? इसी तरह से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि महंगाई से हमारी सरकार निपटना जानती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां निपट रहे हैं?

सायं 7.26 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

अगर किसी एक भी चीज के दाम घटाने में आपने सफलता प्राप्त की हो तो बता दीजिए। देश के लोगों के सामने आज जो चित्र जा रहा है, मैं यूपीए सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपकी पहचान एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में है लेकिन जो चित्र सामने आया है, वह एक अच्छे अर्थशास्त्री का नहीं है। मुझे लगता है कि विद्यार्थी भी समझता है कि बाजार पर हमारा किस तरह का नियंत्रण होना चाहिए।

सभापति महोदय: अब आप कंक्लूड करिए।

श्री गणेश सिंह: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई पहले भी बढ़ती थी। मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। आज देश के तीस करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं। बीस करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नजदीक हैं। पचास करोड़ आबादी जिस देश की हो और मेरा मानना है कि लगभग पैंसठ फीसदी लोगों की जेब खाली है। उनकी जेब में आज रुपया नहीं है। आज वे बाजार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को आवश्यक चीजें के दाम घटाने के बारे में चिंता करनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान की बात कहते-कहते हम लोगों ने 58 साल बिता दिये। हम न तो लोगों को ठीक से रोटी दे पाए, न कपड़ा दे पाए और न ही मकान दे पाए। आखिरकार हमारी प्राथमिकता क्या है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सस्ते दर पर हम लोगों को चीजें उपलब्ध कराएं। लेकिन अगर लोकतंत्र के भीतर हमारी सरकार बने, हमारी ही सरकार हमें उचित दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध न करा सके तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? आज विदेशों से हम गेहूं आयात कर रहे हैं। हमारे देश का किसान 650 रुपये क्विंटल में गेहूं बेचने पर मजबूर है। लेकिन विदेश से हम हजार रुपये क्विंटल मंगाए, विदेशी चीजें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं। लोग कह रहे हैं कि उत्पादन घटा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। यदि किसानों की उपेक्षा की जाएगी तो उत्पादन घटेगा। किसानों को यदि उचित समर्थन मूल्य मिलेगा तथा उन्हें सुविधा सरकार देगी, अगर उनकी सब्सिडी को बढ़ाने का काम सरकार करेगी तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और ये सारी चीजें— दाल, आटा, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें हम अपने देश में पैदा करके लोगों को सस्ते दर पर खिलाने का काम कर सकते हैं।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि समय की सीमा है, यह विषय बहुत गंभीर है, इस विषय पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। जो सब्सिडी 150 अरब रुपये की कृषि के क्षेत्र

में जारी हो रही थी, उसमें सरकार को शायद पता नहीं है कि पचास अरब से ज्यादा रुपया भ्रष्टाचार और सट्टा करने वाले लोगों की जेबों में जा रहा है। वह लाभ खाद्यान्न उत्पादन करने वाले लोगों की जेब में नहीं जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब समाप्त करिए। अभी कई माननीय सदस्य बोलने के लिए हैं। सदन का समय आठ बजे से आगे नहीं बढ़ेगा।

श्री गणेश सिंह: सर, समाप्त कर रहा हूं। वर्तमान समय में सरकार के गोदाम खाली हैं। गोदाम खाली इसलिए हैं कि अन्त्योदय योजना के तहत जिन अति गरीब लोगों को हम 35 कि.ग्रा. अनाज देते थे, आज पिछले दो महीने से हम उन्हें अनाज नहीं दे पा रहे हैं।

सभापति महोदय: गणेश जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है तथा कई और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अब आप समाप्त करिए।

श्री गणेश सिंह: महोदय, गरीबी रेखा का जो चयन हुआ है, वह एकदम गलत हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहां हमारे साथियों ने कहा है कि गरीबी रेखा का जो चयन हुआ है, वह ठीक नहीं है। गरीबी रेखा का पुन: चयन होना चाहिए। अति गरीबी रेखा की सूची में जो लोग शामिल थे, उनका नाम भी उसमें से उड़ा दिया गया। आज उन्हें हम सस्ती दर पर अनाज नहीं दे पा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणालियां पूरी तरह से बंद हो गई। उनके पास खाद्यान्न नहीं है, वे किस तरह से उनका वितरण करने का काम करें? इसीलिए महंगाई बढ़ी है। दो बातें हम यूपीए सरकार से कहना चाहते हैं। पहली तो यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक तरह से चलाया जाए। जितना खाद्यान्न वे उनको दे सकते हैं, वह उनको दे। राज्य सरकारों से कोआर्डिनेट करें, सट्टा बाजार में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आएं। इस तरह से सरकार करेगी तो मेरा दावा है कि पूरी तरह से महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा और विदेश से भी जो सामान आ रहा है, उस पर भी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके बारे में हममें से प्रत्येक चिंतित है चाहे वह सरकार के पक्ष का है या विपक्ष में है। किंतु एकमात्र चीज यह है कि न तो राजग न ही अन्य कोई सरकार आलोचना में गर्व महसूस कर सकती है। सत्ताधारी सरकार की आलोचना करना उनका कर्त्तव्य है।

यही हो रहा है। लगभग प्रति वर्ष प्रत्येक सरकार में यही चर्चा चल रही है। जब हम विपक्ष में थे, हम इनकी आलोचना करते थे। अब वे विपक्ष में हैं और वे इस सरकार की आलोचना कर रहे हैं। किन्तु अंतत: गरीब आदमी ही प्रभावित हो रहे हैं, आम आदमी ही प्रभावित हो रहा है, सीमित आय वाला व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, और मध्यमवर्गीय आदमी प्रभावित हो रहा है। हम में से प्रत्येक को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।

हमें खुश होना चाहिए या कम से कम आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि यद्यपि श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष है, उन्होंने स्वयं कहा है कि यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की और उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक भी आयोजित की और अपना मत व्यक्त किया कि यह समय है कि हमें कीमतों को नियंत्रित करना है, चाहे हम कोई भी तरीका अपनाएं। इससे उनकी चिंता, हमारी चिंता और प्रत्येक व्यक्ति की चिंता झलकती है।

अब मैंने भाजपा के सदस्य को बोलते हुए सुना। वह भी किसानों को उनका लाभकारी मूल्य देने की बात कर रहे थे जिसके बारे में आपने भी कहा और हम सब कह रहे हैं। हमारी किसानों को सही मूल्य, लाभकारी मूल्य देने में रुचि है ताकि वह और अधिक पैदावार कर सके, जिससे कीमतें स्वत: नियंत्रित हो जाएंगी। निसंदेह, इस स्थिति में आम आदमी या उपभोक्ता के लिए कीमतें बढ़ेंगी।

इसी तरह, जब अर्थव्यवस्था में तेजी है—अब वर्तमान सरकार में जीडीपी में वृद्धि आठ प्रतिशत तक चली गई है—इससे भी कीमतों में वृद्धि होती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि अब इस देश में आर्थिक गतिविधियां उभर कर आ रही हैं। अत: निसंदेह मुद्रास्फीति और कीमतों की वृद्धि में उसका भी योगदान है। फिर भी हमें आप आदमी के लिए कीमतें नियंत्रित करनी है। अत: इस संबंध में मेरा विचार यह है कि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि सामान्यत: कीमतें मांग और पूर्ति के आधार पर बढ़ेंगी। जब उत्पादन घटता है या जब मांग बढ़ती है तो आमतौर पर कीमतें बढ़ेंगी। इसी प्रकार यदि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो उत्पादन घट जाएगा। अत: उसका भी ध्यान रखा जाना है।

किंतु हमारा निरपवाद रूप से यह अनुभव है कि सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल बोने या शुरू करने से पहले निर्धारित नहीं करती हैं। वे इसका निर्णय उसके बाद लेती हैं। इसका

[श्री के.एस. राव]

मतलब है कि एक बार धान किसान के हाथों से निकलकर व्यापारी के हाथ में पहुंच जाता है, तब कीमतें बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि लाभार्थी न तो उपभोक्ता है, न ही उत्पादक बल्कि बिचौलिया है। अत: इसे रोका जाना चाहिए और इसका शीघ्र ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसी प्रकार, कानून कठोर होने चाहिए। हममें से प्रत्येक ने इस बारे में कहा है। मूलत: मुख्य कारण उत्पादन का कम होना नहीं है। यह जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के कारण है। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कि पहले था, गैर-जमानती हुआ करता था। यदि यह पाया जाता था कि कोई व्यापारी विशेष आवश्यक वस्तुओं की अनुमति से ज्यादा जमाखोरी करता था, उसके विरुद्ध तुरंत मामला बनाया जाता था। सरकार पर किसी भी प्रकार का दबाव उसे सजा से नहीं बचा सकता था। यह गैर-जमानती था।

किंतु इससे प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को उदार बना दिया गया था; और फरवरी, 2000 में राजग सरकार के दौरान वे सभी कठोर नियंत्रण हटा दिए गए थे। अब, आपको यह स्वीकार करना होगा। पिछले भाजपा सदस्य कह रहे थे कि आज कालाबाजारी बढ़ गई है। यदि वास्तव में यह बढ़ गई है तो यह आवश्यक वस्तु अधिनियम को उदार बनाने के कारण है। अब भी सरकार को मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए कुछ कठोर कानून लाने पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

मेरा यह मत है कि निश्चित तौर पर आज एफसीआई ने पर्याप्त मात्रा की खरीद नहीं की है। किंतु मेरा मत यह है कि यदि खरीद का व्यवसाय महिलाओं के 'सेल्फ हैल्प ग्रुप', एसएचजी को दिया जाता, यदि स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं का आकलन किया जाता और इन 'सेल्फ हेल्प ग्रुप' को कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता और यदि आप उनसे खरीद करने, भंडारों तक ले जाने और पूरे वर्ष एक विनिर्दिष्ट कीमत पर जन वितरण प्रणाली को आपूर्ति करने के लिए कहते, तो इससे कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ती क्योंकि कीमतें नियत हैं। इस प्रक्रिया में, अगर किसी को धन लाभ होता तो वह गांव के गरीब लोगों को होता। अत: हम दोनों तरीकों से संतुष्ट हैं।

अत: हमें कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इस तरीके से सोचना होगा। एक अन्य मुद्दा ऊंची ब्याज दर का है। कीमतों में इस वृद्धि का एक कारण ब्याज दर भी है। मेरे मन से किसानों और सेल्फ हेल्प ग्रुपों—दोनों को और छोटे व्यापारियों को या तो शून्य ब्याज दर पर या तीन प्रतिशत की मामूली दर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त ऋण दिया जाना चाहिए। इससे उत्पादन की लागत घटेगी और इससे अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, और वे लोग प्रसन्न होंगे और उनकी आय बढ़ेगी। उद्योग जगत में चाहे कीमतें बढ़ें या ब्याज दर ऊंची हो, वे इसे उत्पाद में जोड़ देंगे. वे घाटे में नहीं रहेंगे। उद्योगपतियों या व्यापारियों पर चाहे कितने प्रतिशत भी ब्याज लगा दीजिए वे कभी प्रभावित नहीं होते। चाहे कीमतें भी बढ़ जाएं, वे प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे इसे उपभोक्ता पर थोप देंगे।

सभापति महोदय: श्री राव, कृपया समाप्त कीजिए। हमारे पास सीमित समय है। मुझे विश्वास है आप मेरी बात समझेंगे।

श्री के.एस. राव: जी महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात बताना चाहूंगा। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, यदि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मूलभूत वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं, जिनकी उन्हें आवश्यकता है, की वहन योग्य और निर्धारित कीमतों पर आपूर्ति करके, बिना किसी वृद्धि के जैसे कि खाद्य, कपड़ा, आश्रय यहां तक की आवास, शिक्षा स्वास्थ्यचर्या, बीमा आदि में भी, इनकी आपूर्ति कर उनका ध्यान रखा जाए तो इससे उन्हें सहायता मिलेगी। यदि हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को ये सारी चीजें प्रदान कर सकते हैं और बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन और अन्तत: सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं तब हमें इन चीजों पर यहां चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री के.एस. राव: जी महोदय। यदि कीमतें बढ़ेंगी तो वे केवल समाज के संपन्न वर्ग और वहन करने योग्य वर्ग पर लागू होंगी। अत: हम सभी को एक साथ, सरकार और समूचे कारपोरेट वर्ग को एक साथ कार्य करना चाहिए। वर्तमान सरकार गरीब लोगों को, उन्हें, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वहन योग्य कीमतों पर सभी आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान करने की इच्छुक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार अतिशीघ्र उनका ध्यान रखेगी और ये उपाय करने से भविष्य में कीमत वृद्धि की स्थिति पर चर्चा करने की जरूरत नहीं रहेगी।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बखला जी, समय कम है, आप अपना भाषण शुरू कर दीजिए। आठ बजे चर्चा को समाप्त करना है और आप समझ सकते हैं कि अभी दस माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। आप मुख्य सुझाव दे दीजिए, आप कारणों पर न बोल कर समाधान पर बोलिए।

श्री जोवाकिम बखला: सभापति महोदय, मैं इस बारे में कुछ शब्दों में ही बोलना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी शुरुआत है कि कम से कम सत्ता पक्ष से यह सोचने की कोशिश की गई है कि आज हमारे देश में महंगाई से आम जनता गुजर रही है। जैसे कहा गया कि यूपीए की अध्यक्षा ने इसे महसूस किया और सत्ता पक्ष को भी इस विषय पर विश्लेषण करने के लिए मजबूर किया गया, यह बहुत अच्छी बात है। इसमें दो चीजें सोचने की हैं। हम देख रहे हैं कि चीजों के दाम बढ़ जाने से आम जनता को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और उत्पादक को भी उसका बहुत कम दाम मिलता है। उस समय हम लोग इस विषय पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

सभापति महोदय, यहां जैसे उल्लेख किया गया, माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत सारी चीजों के दाम आकाश को छू रहे हैं। विशेषकर चाय, गेहूं, चीनी इत्यादि का यहां उल्लेख करते हैं। यहां जैसे कहा जाता है कि चाय का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसे आम आदमी खरीदने में असमर्थ है। चाय उद्योग की हालत बहुत खराब है। चाय उद्योग में जो कर्मचारी एवं मजदूर काम करते हैं, उनकी अलग किस्म की समस्या है। उनकी जो परचेजिंग पावर है, उन्हें जो वेतन मिलना चाहिए, चाय बागान बंद हो जाने की वजह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और इस कारण से वे राशन भी नहीं खरीद पा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए यह एक अलग किस्म की समस्या है। ये जो दोनों किस्म की समस्याएं हैं, उत्पादक की जो समस्या है, उसे भी सरकार को देखना पड़ेगा और जो कंज्यूमर्स हैं, उनके जीवन में इस्तेमाल में आने वाली जो चीजें हैं, उन्हें महंगाई की वजह से न खरीद पाने में जिन ताकतों का सामना करना पड़ रहा है, इस समस्या का भी निराकरण सत्ता पक्ष को करना है।

सभापति महोदय, सत्ता पक्ष द्वारा केवल चिन्ता व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में जमाखोर और बिचौलिए भरे पड़े हैं। उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। अब देश में कांग्रेस आधारित यू.पी.ए. सरकार है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी एन.डी.ए. की सरकार थी। पहले हम उस सरकार पर दोषारोपण करते थे। अब हम इस सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। इस सरकार का जिम्मा होता है कि वह महंगाई को कम करने का प्रयास करे और लोगों की कठिनाइयों का निरकारण करने हेतु उपाय ढूंढे। लोगों की कठिनाइयों को दूर करने और महंगाई को कम करने के लिए सरकार को कोई बहाना ढूंढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा कोई बहाना ढूंढ़ने से लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। गेहूं का आयात करने से देश में महंगाई कम नहीं होगी। किसी चीज का आयात करना, देश में महंगाई को कम करने का टैम्परेरी साल्यूशन हो सकता है, लेकिन परमानेंट साल्यूशन नहीं हो सकता। हमें महंगाई को कम करने और महंगाई को काबू में रखने के लिए परमानेंट साल्यूशन निकालना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में बड़े-बड़े अर्थविद् मौजूद हैं। हमारे वित्त मंत्री दुनिया के माने हुए इकनौमिस्ट हैं। हमारे प्रधानमंत्री अर्थनीति नीति के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि वर्तमान कांग्रेस आधारित यू.पी.ए. सरकार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार अच्छी प्रकार से काम करेगी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम को वामदल समर्थन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। हम यह भी चाहते हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत यू.पी.ए. सरकार ने जो वायदे किए हैं और आम आदमी के पक्ष में काम करने का जो निर्णय लिया है, उसे यह सरकार निभाएगी और महंगाई को कम करेगी। जब तक महंगाई को कम नहीं किया जाएगा, तब तक आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि यह सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत किए गए वायदों को पूरा करे और उस कार्यक्रम को लागू करे ताकि आम आदमी को राहत मिले। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, लेकिन समय बहुत कम दिया गया है। मेरा आग्रह है कि समय में थोड़ा कंसेशन कर दिया जाए।

सभापति महोदय: राम कृपाल जी, समय में कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। समय-सीमा के अन्दर अपने भाषण को समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, भारत में एक अरब से अधिक की आबादी है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। देश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में दो प्रकार के कल्चर हैं। देश में एक कल्चर केक खाने वालों और शैम्पेन पीने वालों का है और दूसरा कल्चर रोटी-दाल खाने और ताड़ी अथवा ठर्रा पीने वालों का है। आज तक हमारी सरकारों ने देश के दाल-रोटी खाने वाले तबके की तरफ ध्यान कम दिया है। चाहे वह वर्तमान यू.पी.ए. की सरकार हो अथवा इससे पहले की एन.डी.ए. की सरकार रही हो। दोनों सरकारों ने देश का जो दाल-रोटी खाने वाला तबका है, उसकी तरफ कम ध्यान दिया है।

महोदय, मैं सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज देश में दाल-रोटी खाने वाले लोगों की महंगाई के कारण बहुत भयावह स्थिति है। रोज मेहनत-मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लोगों को दाल-रोटी उपलब्ध

[श्री राम कृपाल यादव]

नहीं करा पा रहे हैं। जब तक दाल-रोटी खाने वाला खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। हम यहां बैठे हुए हैं, हम भी महसूस करते हैं कि हमें जो वेतन-भत्ता मिलता है, उसमें कितनी मुश्किल से गुजर होती है। जब तक देश के गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। आज किसी एक चीज के दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर चीज महंगी हो गई है।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जब तक उत्पादक को हम खुशहाल नहीं करेंगे तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। उत्पादन कौन करता है, उत्पादन किसान करता है, लेकिन किसानों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है। कम दर पर ब्याज नहीं मिल रहा है। परिणाम यह हो रहा है कि किसान कर्ज में लदे जा रहे हैं और कर्ज न उतार पाने के कारण वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है, लेकिन उसमें की गई सिफारिशों के अनुसार क्या हम किसानों के लिए कोई सुविधा दे रहे हैं? क्या उन्हें कोई फायदा पहुंचा रहे हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, यू.पी.ए. सरकार को जिसने किसानों को देने वाले ऋण पर ब्याज की दर में कुछ कमी की है। बहुत दिनों के बाद इन्होंने प्रयास किया है और 7 से 8 प्रतिशत ब्याज की दर कर दी है। लेकिन इसे अभी और कम किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी ने कहा है कि इसे चार प्रतिशत किया जाए। आप किसानों की मदद करने के लिए समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। किसान कब तक सहता रहेगा? किसान जब अपना उत्पादन बेचने के लिए बाजार में जाता है तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं होता है।

महोदय, आज कल नई परम्पराएं हो गई हैं। नई आर्थिक नीति के तहत नए बाजार खुल रहे हैं, लेकिन किसानों के समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। इसलिए किसान लोग अपना उत्पादन विदेशी कम्पनियों को बेच रहे हैं और वे उसका स्टाक जमा कर रही हैं। इकनोमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 20 लाख टन का उत्पादन कम हुआ है। यह अच्छा ट्रेंड नहीं है। मैं रिपोर्ट में लिखी बात को बताना चाहता हूं कि जून 2005-06 में गेहूं का स्टाक 15738 टन था, वह 2006 में घटकर 9620 रह गया। यह सब प्राइवेट होल्डरों को पता लग गया और उन्होंने पूरे बाजार से ऊंचे दाम दे कर गेहूं खरीद लिया और उसे अब 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल बेचने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से कृत्रिम अभाव पैदा करके महंगाई पैदा कर रहे हैं। गरीबी की मार छोटे किसान, रिक्शे वाला, ठेलेवाला, मेहनतकश लोगों पर पड़ती है। मैं समझता हूं कि सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन हमने भी खुल कर महंगाई की बात सरकार के सामने रखी है और सरकार को इसका कोई हल अवश्य निकालना होगा। जिस कमिटमेंट के साथ देश की जनता ने हमें यहां भेजा है उस कमिटमेंट को हमें पूरा करना होगा।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई। विपक्ष के हमारे साथी बहुत बोल रहे थे, लेकिन उनके समय में भी व्यापारियों के लिए जो हिसाब-किताब फिट किया गया था, उसे हमें आज तक भोगना पड़ रहा है। वायदा बाजार से जब आवश्यक वस्तुओं को निकालने का काम नहीं करेंगे तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है।

महोदय, इसके अलावा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि देश की जनता आपको देख रही है और यह सभी लोगों का दायित्व है। हम जनता से वायदा करके आये हैं कि आपकी आवाज उठाएंगे, आपके लिए लड़ने का काम करेंगे, आपके लिए महंगाई कम करेंगे, आपको बहुत तरह का सहयोग करने का काम करेंगे, लेकिन वह हो नहीं रहा।

सभापति महोदय: राम कृपाल जी, अब आपको भाषण का समय समाप्त हुआ, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आसन से आपके बोलने का समय समाप्त किया जाता है।

श्री राम कृपाल यादव: मैं अन्तिम बात कहकर बैठ रहा हूं। मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है, हमारा मोरल दायित्व है, नैतिक दायित्व है, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, सब चीजों से ऊपर उठिये, मंत्री जी। आपको तो गरीबों के लिए बहुत वेदना है, आप गरीबों के लिए बहुत बोलते रहे हैं, अब आप लोगों को क्या हो गया है, आप कुछ फील कीजिए और अन्दर से, हृदय से बोलिये, जो माननीय सदस्यों ने बोला है। आप दिल की गहराई में झांकिये और दिल की जुबान में बोलिये, गरीबों की तरफ देखिये और महंगाई को कम करने के लिए चाहे जितना भी कड़ा कानून बनाना पड़े, जितना भी कठोर कदम उठाने पड़ें, आप उठाइये और महंगाई को कम करके आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को आप राहत देने का काम कीजिए, अन्यथा हमारी स्थिति भी बहुत खराब हो जायेगी। जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी, इसलिए इस महंगाई को रोकिये।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति जी, हम बहुत आभारी हैं कि आपने माननीय चिन्तामोहन जी की इस चर्चा के विषय पर हमें बोलने का मौका दिया। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, खाली दो बातें मुझे कहनी हैं।

यह सरकार खुले बाजार की व्यवस्था से इतनी प्रभावित रही है और उनका लगा है कि हिन्दुस्तान की आर्थिक विकास की दर 8 सैंकड़ा पहुंची है। वे भूल गये कि यह जो वायब्रेंट इकोनोमी है, उसमें आठ करोड़ आदमी ऐसे हैं, जो उसके एक्टिव कम्पोनेंट हैं, बाकी के लोग तो अभी इन्तजार ही कर रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़ायी जाये, उसके लिए सरकार विशेष काम करे और शायद इसीलिए खुले बाजार की अर्थव्यवस्था से धोखा हो गया है। हमारे हिन्दुस्तान के बहुत से आदमी आज भी यह महसूस करते हैं कि उनको सरकार का संरक्षण चाहिए और अर्थव्यवस्था में उसके रोल को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। आज हमारी जो पी.डी.एस. प्रणाली है, उसके कारण एक बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि उसकी समूल समीक्षा करने का समय भी है। बाजार ऊंचा जा रहा है, लोग परेशान हैं। ताज्जुब वाली बात है कि जब सेंसैक्स हिलता है तो सरकार हिल जाती है, लेकिन जब महंगाई आती है तो विचार होता रहता है और लोग परेशान होते रहते हैं। हम बताना चाहते हैं, यह तो कहिये कि सोनिया जी ने आपको जगा दिया, वरना वह हाल होता कि आप सोच नहीं सकते थे। जिस तरीके से कड़ाही में पानी उबलता है, उस तरह से गृहिणी के दिल में आग जल रही है। एक महीना और बीतने दीजिए, परिणाम आपके सामने आ जायेगा, कहने की जरूरत नहीं है। यह महंगाई नहीं है, आदमी मर रहा है। गरीबी गुनाह होती है और यह हर आदमी जानता है, लेकिन अब गरीबी जिल्लत हो गई है। मेरे पास अखबारों की कटिंग रखी हैं, रोज खबरें आ रही हैं। काश्तकार तो आत्महत्या कर ही रहे थे, नगरीय क्षेत्रों में भी पूरे के पूरे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। कोई गोली खा रहा है, कोई गोली मारकर मर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई ट्रेन के सामने कूद रहा है। आप तो समाधान नहीं कर पाये, लोगों ने समाधान निकालना चालू कर दिया। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं, इसलिए जाग जाइये?

मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भूखे आदमी से डरिये, वह माफ नहीं करेगा। खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के पीछे दौड़ते-दौड़ते वक्त आ गया है, हम भूल गये कि हमारी जिम्मेदारियां उस आम आदमी के लिए क्या हैं जिस आम आदमी ने सरकार बनाई है, जिस आम आदमी ने पार्टीसिपेशन देकर इस संसद को रूप दिया है, लोकतंत्र बनाया है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पी.डी.एस. प्रणाली है, उसकी समूल समीक्षा करने का समय आ गया है। आप पूरे तौर पर देखिये कि क्या कमी उसके अन्दर आ रही है। करीब 27 हजार करोड़ रुपये की फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी देने के बावजूद भी आज हालत यह है कि कौन सा प्रान्त ऐसा है कि जहां से खबर नहीं आ रही है कि उसमें लूट हो रही है। फूड सब्सिडी बड़े पैमाने पर स्क्वेंडर की जा रही है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो। आखिर यही पी.डी.एस. प्रणाली थी, जिसके सहारे पर हिन्दुस्तान का गरीब आदमी जी रहा था। यह चुनौती आपके ऊपर है कि कम से कम समय के अन्दर एक बार अपनी समीक्षा करते हुए इस पी.डी.एस. प्रणाली को इतना मजबूत कर दीजिए कि हमेशा के लिए झंझट दूर हो जाये।

एक बात की जिस तरीके से खुले बाजार की अर्थव्यवस्था की वकालत के चलते एफ.सी.आई. को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, यह खतरनाक है। आप पुरानी बहस निकाल लीजिए, माननीय रफी अहमद किदवई साहब, जो कि एक जमाने में खाद्य मंत्री हुआ करते थे, जब फूड कारपोरेशन की स्थापना की गई थी तो कौन सा संकल्प लिया गया था। इसमें फूड सिक्टोरिटी क्रिएट करने की बात कही गयी है। खुला बाजार वह फूड सिक्योरिटी नहीं दे सकता। अभी हमारे यहां लगों की आमदनी उतनी नहीं हो पायी है कि खुले बाजार के सहारे उनका काम चल सके। आप पीडीएस में अनाज दे रहे हैं, मैं इस बात की पुरजोर वकालत करना चाहता हूं। अभी फिक्की की वार्षिक बैठक, जो 24 दिसंबर, 2005 को हुयी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर की, जीडीपी में पच्चीस से पैंतीस प्रतिशत भागीदारी होनी चाहिए। अगर हम खाद्य प्रसंस्करण की तरफ आगे नहीं पढ़े और हर गांव को उत्पादन और प्रसंस्करण की इकाई के तौर पर विकसित नहीं किया, तो हम किसानों का भला नहीं कर पाएंगे। आज हिन्दुस्तान में तकरीबन चालीस करोड़ नौजवान ऐसे हैं, जो काम तलाश रहे हैं। साढ़े चार से पांच करोड़ लोग इंप्लायमेंट रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं। इन लोगों को कारोबार चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि खाली कच्चा अनाज ही नहीं प्रसंस्कृत किए, प्रिजर्व किए हुए फूड आइटम्स को भी पीडीएस के माध्यम से जनता को दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि आज इसकी जबरदस्त आवश्यकता है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि महंगाई की मार जहां एक तरफ गृहणियां भुगत रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार भी इसकी मार भुगत रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि समय की चुनौती और आवाज को आप सुन लीजिए, वरना जो उबाल पतीली में आ रहा है, वह आप को बाहर निकालकर फेंक देगी।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें कहीं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। सच्चाई यह है कि यूपीए सरकार के शासन में जो महंगाई बढ़ी है, उससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। जो मजदूर लोग हैं और मजदूरों में भी गुमास्ता लोग हैं, जो व्यापारियों के पास दो-तीन हजार रुपए में काम करते हैं, वे कैसे जी रहे होंगे, वे कैसे किराया देते होंगे, कितना दूध पर व्यय करते होंगे? पहले यह अवश्य होता था कि दो-तीन हजार में आम आदमी जी लेता

[श्री पी.एस. गढ़वी]

था। यह महंगाई क्यों बढ़ी? महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? एनडीए की सरकार के समय एक दिन भी महंगाई के संबंध में चर्चा नहीं हुयी थी। यूपीए की सरकार के समय दो साल में चौथी बार इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कांग्रेस का नारा था- "कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ।" उस आम आदमी की आज कितनी बदतर हालत हो रही है? गांव के किसान की क्या हालत है मजदूर की क्या हालत है? मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पर किसानों के साथ मजदूर लोग भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, यह बहुत दुख की बात है। सरकार को खास तौर से आदमी के जीवन की जरूरी चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। केन्द्र सरकार और वामपंथी लोग आपस में मिलीभगत करके देश के आम आदमी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ससंद में वामपंथी दल सरकार के हर जन विरोधी निर्णय में मददगार साबित हो रहे हैं, परन्तु सड़क पर विरोध का नाटक कर रहे हैं। यह छल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पूरे दिन आप यहां उनकी वकालत करते हैं और फिर बाहर दूसरा व्यवहार करते हैं। यह धोखाधड़ी कब तक चलेगी? आज यह आम आदमी के साथ हो रहा है। महंगाई की बेतहाशा वृद्धि के कारण संप्रग सरकार के दो साल का कार्यकाल आम आदमी के लिए बोझ हो गया है। जिसे केंद्र सरकार का कामन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं, वह कांग्रेस कम्युनिस्ट महंगाई प्रोग्राम हो गया है। यह कामन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। सीएमपी की बात करने वाले हम सब लोग हैं, हम इससे जुड़े हैं। सीएमपी अब कांग्रेस कम्युनिस्ट महंगाई प्रोग्राम हो गया है। पिछले दो सालों के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि कांग्रेस कम्युनिस्ट महंगाई प्रोग्राम में आप साथ देते रहिए, जब आप साथ देते रहेंगे, तब लोगों की क्या हालत होगी, इस बात को आप जानते हैं, आप तो गरीबों के साथ रह रहे हैं, आप पिछड़े लोगों के साथ रह रहे हैं। आपको मालूम है कि वे लोग कैसा दुष्कर जीवन जी रहे हैं? आपको यह सोचना चाहिए कि कब तक यह सीएमपी का नाटक चलेगा। यह नाटक ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है।

रात्रि 8.00 बजे

यूपीए सरकार ने क्या किया, आम आदमी का बुरा हाल किया, दो साल में किया। मैं इस बात को फिर से दोहराना नहीं चाहता कि कितनी महंगाई हो गई, लेकिन गेहूं का दाम 9 रुपये किलो था जो बढ़कर 15 रुपये किलो हो गया, आटे का दाम दस रुपये किलो था, वह अब 17 से 20 रुपये किलो हो गया, दालें जो 20 से 25 रुपये किलो थीं वह 60-70 रुपये किलो हो गई। *...(व्यवधान)* जो गरीब लोग मूंग और उड़द की दाल की खिचड़ी खाते थे, लेकिन अब उन्हें खिचड़ी खाने के लिए मूंग की दाल नहीं मिल रही है। *...(व्यवधान)* मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि सब बातें हो गई हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। *...(व्यवधान)* हमारे क्षेत्र में बहुत सारा प्रोटीन मिलता था। आज गरीब लोगों को मूंग की दाल मिलना दूभर हो गया है जिसके कारण उसकी हैल्थ पर एडवर्स अफैक्ट हो रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य का भाषण समाप्त समझा जाए। अब तीन माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। इस चर्चा को आज समाप्त किया जाना है, इसलिए यदि सदन सहमत हो तो सदन का समय पन्द्रह मिनट के लिए बढ़ाया जाए।

कई माननीय सदस्य: ठीक है।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): महोदय, चूंकि मेरे दो वरिष्ठ साथियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है इसलिए मैं दो सुझाव देना चाहूंगा। मूल्य वृद्धि का मुद्दा चिंताजनक तथा अप्रत्याशित है। पहली बात तो यह है कि मूल्य क्यों पक्षियों की तरह ऊपर जा रहे हैं। ऐसा कम उत्पादन के कारण नहीं हो रहा है क्योंकि हम आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन करने में समर्थ हैं। मूल्य में यह वृद्धि बाजार में कमी के कारण है, जो बाजार में जमाखोरी तथा कालाबाजारी के कारण हुई है और यही आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हमारे पास इतने अधिनियम, नियम, विनियम इत्यादि हैं तथा राज्य सरकार उन्हें क्रियान्वित कर रही हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए गए हैं। पहले भी यह प्रथा चलन में थी लेकिन आजकल प्रत्येक व्यक्ति यह कार्य कर रहा है लेकिन उनके संबंध सत्तापक्ष अथवा इसके सदस्यों से हैं इसलिए वे यह सब कर रहे हैं।

सर्वप्रथम, मेरा यहां सुझाव है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी की इस प्रथा पर रोक लगाएं। कृपया इसे राष्ट्र के प्रति अपराध माना जाय ताकि हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को नियमित तथा नियंत्रित कर सकें।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार विगत अनुभवों से सीख ले रहे हैं। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, मैं यह जोर देकर कहना चाहूंगा कि हमें सीखना होगा तथा इसके दायरे को बढ़ाना होगा। हमारे देश में दो प्रकार के बाजार हैं—खुले तथा नियंत्रित। नियंत्रित बाजार

गरीब आदमी-आम आदमी को उपलब्ध है तथा इसका नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए। यह सरकारी मशीनरी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने में असफल रही है। हमें कुछ दलों को केरल भेजना चाहिए जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करने की सफलता के कई उदाहरण मौजूद हैं।

आंध्र प्रदेश के मामले में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल तीन वस्तुओं—चावल, चीनी तथा मिट्टी तेल की आपूर्ति करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 14 वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। अतएव, हमें पश्चिम बंगाल तथा केरल से सीख लेनी चाहिए। हमें आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों से सीख लेनी चाहिए क्योंकि वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपेक्षा की गई तथा उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा लोगों तथा उपभोक्ताओं की इच्छाओं तक प्रसार नहीं हो पाया है। अतएव, मैं कहूंगा कि हमें जमाखोरों तथा कालाबाजारियों को रोकना है तथा कुछ हद तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना है ताकि हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित कर सकें। हमारी प्रणाली में उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति में कोई सरकार मूल्य को पूरी तरह नियंत्रित या रोक नहीं सकती है। वह अधिनियमों, नियमों, विनियमों इत्यादि के माध्यम से कुछ हद तक ही नियंत्रित कर सकती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन्हें लागू करे तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करें।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, यहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा चल रही है। आज सदन और हमारी सरकार ने वस्तु स्थिति को देखते हुए, विषय की गंभीरता को देखते हुए यह चर्चा रखी है। विशेषकर माननीय वित्त मंत्री की चिंता और पक्ष-विपक्ष के लोगों के विचार मैंने सुने हैं। सच्चाई यह है कि आज तक निश्चित रूप से, हमारे राम कृपाल जी ने भी कहा कि देश में बहुसंख्यक लोग इस मार को झेल रहे हैं। एक ऐसा समुदाय है जिनका नेतृत्व करने के लिए हम यहां आये हैं, विशेषकर झारखंड, जहां से मैं आता हूं, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत जघन्य है। आज आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। आज भी लोग दिन भर मेहनत करने के बाद अपने बाल-बच्चों को पेट भर खाना नहीं खिला पा रहे हैं। आज गेहूं, चावल, आलू आदि जो भी कृषि सामग्रियां हैं, उनका उत्पादन तो हो रहा है लेकिन बड़ी-बड़ी मल्टी नैशनल कम्पनियां उस पर अपना अधिकार जमा कर बैठी हैं। आप चिप्स ले लीजिए, कुरकुरे ले लीजिए। सारी वस्तुओं को वेल्यू एड करके वे आठ रुपये किलो की चीज को 800 रुपये की दर से बाजार में बेचते हैं। यही स्थिति सारी सामग्रियों की है। आज बड़े-बड़े व्यवसायी बाजार में सब चीजों की कृत्रिम क्राइसिस बनाकर पूरे देश को तबाह करने पर लगे हुए हैं। ऐसे समय पर सरकार को स्ट्रांग कदम उठाने की जरूरत है जिससे हम आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दे पायें। जो लोग वस्तुओं का भंडारण कर रहे हैं, जो ब्लैकमार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। विशेषकर हमारे क्षेत्र में रोजगार आम लोगों का नहीं मिल रहा है। आज जो इंडस्ट्रीज हैं, वे गरीबों को 40 रुपये, 60 रुपये दे रही है। उन पर लेबर एक्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। वे लोग मजदूरों से इस रेट पर काम करवा रहे हैं। जो बंधुआ मजदूर हैं, उनको उचित पैसा नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार ने रोजगार गारंटी स्कीम देकर बहुत अच्छी पहल की है। यह स्कीम हर राज्य में दी गयी है। इसके तहत आधा खाद्यान्न भेजा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह खाद्यान्न कहां जा रहा है? राज्य सरकार उस खाद्यान्न को नहीं उठा रही है। इसके कारण आज लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। आज पीडीएस प्रणाली की स्थिति बहुत खराब है। गरीब लोगों को लाल कार्ड या पीले कार्ड के तहत कोई खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। वैसे भी झारखंड में अशिक्षित लोग बहुत हैं। जब वहां दुकान पर लोग जाते हैं, तो दुकानदार एक बार में ही तीन महीने की एंट्री कर देते हैं। इससे बेजार हो कर पूरे झारखंड में लोग उग्रवाद की तरफ पलायन कर रहे हैं। झारखंड के नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। वह पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 18-19 जिले उग्रवाद के कब्जे में आ गये हैं। आज केन्द्र सरकार निष्पक्ष होकर नहीं देख रही है। सरकार को खान-पान की वस्तुओं को ऐसे लोगों के हाथों से किसी तरह निकाल कर गरीब लोगों को देने के लिए कानून बनाना चाहिए। हमें उस कानून को मजबूत करना होगा और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। केन्द्र सरकार को, विशेषकर उग्रवाद क्षेत्र में रोजगार के संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने बैठे-बैठे मंत्री जी से कहा कि सबसे ज्यादा बेरोजगार झारखंड क्षेत्र में हैं। वहां आयरन ओर है, जो मशीन से खोदकर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। वहां मशीन से काम हो रहा है, संयंत्रों से काम हो रहा है। आम लोगों को आज काम नहीं मिल रहा है। आज मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इसलिए वहां स्थिति बहुत ही खराब है। हम चाहेंगे कि कानून को मजबूत किया जाये, जिसके तहत हम ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को राहत दे पायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री तापिर गाव, आप अंतिम वक्ता हैं।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): महोदय, कृपया मुझे यहां से बोलने की अनुमति दें।

[श्री तापिर गाव]

[हिन्दी]

महोदय, 100 करोड़ हिन्दुस्तानियों की आवाज को इन चार मिनट में मुझे कहना है, मैं इसके लिए कोशिश करूंगा।

महोदय, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी यह सरकार आती है, महंगाई बढ़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आज मार्केट आसमान छू रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसे कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने भी स्वीकार किया है। मेरा कहना है कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं,

[अनुवाद]

यदि यही आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का केन्द्र बिन्दु हैं तो भारत सरकार देश में संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं कर रही है? हमारे पास जल संसाधन, कोयला भंडार तथा यूरेनियम एवं अन्य संसाधन हैं।

[हिन्दी]

इन संसाधनों का उपयोग हम हिन्दुस्तान में अर्से से नहीं कर रहे हैं इसलिए हम पेट्रोल और डीजल पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए मैं इस सदन के सामने बार-बार यह बात रखता आ रहा हूं कि हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अकेले 5,000 मेगावाट पावर जेनरेट कर सकता है।

[अनुवाद]

अन्य देशों से तेल मांगने की बजाय

[हिन्दी]

हम क्यों हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम कोल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में मार खा रहे हैं और पंजाब जैसे एक एग्रीकल्चरल रिसोर्स स्टेट में भी आत्महत्याएं हो रही हैं। यह सब सरकार की गलत नीति का परिणाम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस टैक्स स्ट्रक्चर को बदला नहीं जाएगा और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट ड्युटी में कटौती नहीं की जाएगी, तब तक हम इस प्राइस राइज पर कोई सीमा नहीं लगा सकते हैं। तब तक आम जनता भूखे मरती रहेगी और हम नेता लोग इस सदन में यही चर्चा करते जाएंगे।

[अनुवाद]

जैसा कि सैकड़ों वक्ताओं ने भी कहा है और मुझे शक है कि कांग्रेस तथा सं.प्र.ग. सरकार इस पर सकारात्मक रवैया अपनाएगी क्योंकि इतिहास गवाह है

[हिन्दी]

कि कांग्रेस के द्वारा कभी इसका इलाज आज तक नहीं हुआ है। इसलिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाएं। सभी वक्ताओं ने इसके बारे में अपने विचार रखे हैं। हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्स हैं, अगर उनका सही इस्तेमाल करें तो इस बढ़ती महंगाई पर हम नियंत्रण कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं दिए गए इतने कम समय में कहना चाहूंगा कि .*... नक्सलाइट्स से देश के केवल 12 राज्य प्रभावित हैं, लेकिन इससे पूरा देश है और यह देश के 100 करोड़ लोगों के पेट पर लात मार रही है।...* इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो पार्टियां और दल इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उनकी रिस्पांसबिल्टी दोगुनी है। आप भी सोचिए कि हम ऐसी पार्टी और सरकार का सपोर्ट क्यों करें। *...(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, यह बात बहुत ही आपत्तिजनक है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं। इसमें जो भी आपत्तिजनक और असंगत बात होगी, उसे हटा दिया जाएगा। कोई भी असंगत बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, माननीय सदस्य सरकार और कांग्रेस पार्टी की तुलना आतंकवादी संगठनों से कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप क्यों बोल रहे हैं, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: प्रोसीडिंग में कोई बात नहीं जा रही है, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: प्रोसीडिंग में आपकी कोई बात नहीं जा रही है। माननीय सदस्य का भाषण समाप्त किया जाता है।

[अनुवाद]

अब नियम 193 के अधीन चर्चा समाप्त हो गई है तथा माननीय वित्त मंत्री कल उत्तर देंगे।

सभा कल 28 जुलाई, 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.15 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 28 जुलाई, 2006/6 श्रावण, 1928 (शक) तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री प्रबोध पाण्डा	61
2.	डा. एम. जगन्नाथ श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	62
3.	सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड श्री थावरचन्द गेहलोत	63
4.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री रामजीलाल सुमन	64
5.	श्री मोहन रावले	65
6.	श्री पी. मोहन श्री सज्जन कुमार	66
7.	श्री बालासाहिब विखे पाटील श्री हरिकेवल प्रसाद	67
8.	श्री के.एस. राव श्री सुग्रीव सिंह	68
9.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	69
10.	श्री गिरिधारी यादव श्री मनसुखभाई डी. वसावा	70
11.	श्री मो. ताहिर श्रीमती अर्चना नायक	71
12.	श्री बची सिंह रावत 'बचदा' श्री निखिल कुमार	72
13.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री रामदास आठवले	73
14.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	74
15.	श्री प्रभुनाथ सिंह	75
16.	श्री हितेन बर्मन श्री जी. करुणाकर रेड्डी	76
17.	श्री एम. शिवन्ना	77
18.	श्री ब्रजेश पाठक	78
19.	श्री पंकज चौधरी श्री के.सी. पलनिसामी	79
20.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री इकबाल अहमद सरडगी	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	459, 515, 536
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	479, 485, 512, 537, 552
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	420, 530
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	401, 488, 553, 583, 595
5.	आठवले, श्री रामदास	494, 504, 566, 587
6.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	537
7.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	510
8.	बैठा, श्री कैलाश	467, 473, 543
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	404, 440, 539, 579
10.	बर्मन, श्री रतेन	431
11.	बखला, श्री जोवाकिम	413
12.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	408, 540
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	519
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	417, 497, 557
15.	बोस, श्री सुब्रत	410, 527, 564
16.	चन्द्र कुमार, प्रो.	478
17.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	511
18.	चटर्जी, श्री सांताश्री	495, 517, 569
19.	चौरे, श्री बापू हरी	416
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	440
21.	चिन्ता मोहन, डा.	505
22.	चौधरी, श्री अधीर	521, 525
23.	चर्चिल, श्री अलीमाऊ	468

1	2	3
24.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	441, 526
25.	देवरा, श्री मिलिन्द	421, 501, 519
26.	धनराजू, डा. के.	456
27.	धोत्रे, श्री संजय	405, 489
28.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	422, 522
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	465, 538
30.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	476, 514, 567
31.	गमांग, श्री गिरिधर	466
32.	गंगवार, श्री संतोष	442
33.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	442, 496
34.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	519
35.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	426, 521
36.	हुसैन, श्री अनवर	520
37.	जगन्नाथ, डा. एम.	503, 560, 584, 596
38.	जयाप्रदा, श्रीमती	462, 537, 578, 593
39.	झा, श्री रघुनाथ	443, 535, 547
40.	जिन्दल, श्री नवीन	451, 524, 531
41.	जोशी, श्री प्रहलाद	419, 541
42.	कनोडीया, श्री महेश	482, 550
43.	खैरे, श्री चंद्रकांत	411
44.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	457, 467, 537
45.	खन्ना, श्री अविनाश राय	400
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	414, 500, 541, 565, 585
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	403, 449, 516
48.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	438, 517, 522

1	2	3
49.	कृष्ण, श्री विजय	541
50.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	449
51.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	446, 487
52.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	505
53.	कुप्पुसामी, श्री सी.	586
54.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	446, 481, 549
55.	महतो, श्री सुनिल कुमार	420, 472, 475
56.	महताब, श्री भर्तृहरि	428, 544, 580
57.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	406, 514, 522
58.	माने, श्रीमती निवेदिता	514
59.	मनोज, डा. के.एस.	461
60.	मसूद, श्री रशीद	442, 463, 564, 591
61.	मैक्लोंड, सुश्री इन्ग्रिड	504
62.	मेघवाल, श्री कैलाश	545
63.	मेहता, श्री आलोक कुमार	456
64.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	439
65.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	457
66.	मोहन, श्री पी.	506
67.	मो. ताहिर, श्री	435, 452, 454, 532
68.	मोहिते, श्री सुबोध	402, 528, 572
69.	मुर्मू, श्री हेमलाल	446, 529, 573
70.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	430, 507, 561
71.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	438, 517, 522
72.	नायक, श्री अनन्त	424
73.	निखिल कुमार, श्री	525
74.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	415, 514, 537, 545

1	2	3
75.	पलनिसामी, श्री के.सी.	492, 555, 592, 601
76.	पाण्डा, श्री प्रबोध	502, 559
77.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	522
78.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	423, 512
79.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	440, 474
80.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	517, 546, 574, 591, 600
81.	पाठक, श्री ब्रजेश	432, 515, 568
82.	पाठक, श्री हरिन	439, 485
83.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	508, 562, 567
84.	पिंगले, श्री देविदास	442
85.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	444
86.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	480
87.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	437, 523, 571, 590, 599
88.	राजगोपाल, श्री एल.	591
89.	राजेन्द्रन, श्री पी.	433, 484
90.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	425, 524, 585
91.	राणा, श्री काशीराम	438, 475
92.	राव, श्री के.एस.	490, 563
93.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	433
94.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	511, 599
95.	रावले, श्री मोहन	406
96.	रावत, श्री अशोक कुमार	435, 452, 517, 532, 575
97.	रावत, श्री कमला प्रसाद	445
98.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	493, 556, 586, 598
99.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	471
100.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	409, 520, 565
101.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	448
102.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	529
103.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	441, 526
104.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	480
105.	साई प्रताप, श्री ए.	450
106.	सज्जन कुमार, श्री	519
107.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	434, 442
108.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	453, 534, 577, 591
109.	सेठी, श्री अर्जुन	432, 442, 509
110.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	413, 533, 576, 591
111.	शिवाजीराव, अधलराव पाटील	512, 564, 585, 597
112.	शिवन्ना, श्री एम.	548
113.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	435, 452, 517, 532, 575
114.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	541
115.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	460
116.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	530
117.	सिंह, श्री चन्द्र भूषण	506, 513, 517, 588
118.	सिंह, श्री दुष्यंत	447, 542
119.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	476, 514, 567
120.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	429
121.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	546, 582
122.	सिंह, डा. राम लखन	486

1	2	3
123.	सिंह, श्री रेवती रमन	464
124.	सिंह, श्री सुग्रीव	499, 574, 591, 600
125.	सिंह, श्री उदय	442, 521
126.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	482, 483, 518, 550, 551
127.	सुब्बा, श्री एम.के.	418, 498, 558
128.	सुगावनम, श्री ई.जी.	412, 440, 491, 554
129.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	470, 511
130.	सुमन, श्री रामजीलाल	505
131.	सुरेन्द्र, श्री चेंगरा	427, 511
132.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	407
133.	ठुम्मर, श्री वी.के.	474
134.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	406, 514, 522
135.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	477, 545, 581, 594
136.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	433, 570, 589
137.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	438
138.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	436
139.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	479, 485, 512, 537, 552
140.	विनोद कुमार, श्री बी.	458
141.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	472
142.	यादव, श्री बालेश्वर	519
143.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	435, 452, 532, 575, 586
144.	यादव, श्री मित्रसेन	455
145.	यादव, श्री राम कृपाल	469

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	68, 69, 80
संस्कृति	:	
रक्षा	:	62, 63, 71, 72, 74
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	66, 73, 76
रेल	:	61, 64, 65, 77, 78, 79
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	70
पर्यटन	:	67, 75

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	407, 414, 423, 434, 451, 460, 465, 472, 479, 484, 489, 491, 496, 501, 510, 553, 565, 567, 570, 577, 578, 585, 586, 596, 597, 598, 599, 600
संस्कृति	:	400, 417, 420, 430, 444, 457, 461, 476, 487, 494, 519
रक्षा	:	401, 404, 411, 429, 442, 443, 456, 468, 497, 512, 524, 525, 531, 534, 535, 542, 545, 547, 556, 559, 566, 568, 575, 588
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	440, 471, 503, 530, 541, 557, 574
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	425, 441, 449, 555, 564
अल्पसंख्यक मामले	:	492, 500, 502, 520, 581
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	410, 447, 448, 450, 452, 453, 455, 458, 463, 469, 474, 477, 480, 481, 482, 485, 490, 499, 505, 514, 521, 526, 527, 546, 550, 572, 589, 591
रेल	:	402, 403, 408, 409, 412, 415, 416, 419, 424, 427, 428, 431, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 445, 446, 459, 464, 466, 467, 470, 473, 478, 483, 486, 488, 493, 495, 506, 507, 508, 509, 513, 515, 516, 517, 518, 522, 523, 528, 532, 533, 536, 537, 538, 539, 540, 543, 544, 548, 549, 551, 552, 554, 558, 561, 562, 580, 582, 584, 592, 595, 601
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	405, 413, 422, 426, 504, 560, 573, 576, 583, 587, 593
पर्यटन	:	406, 418, 421, 432, 475, 498, 511, 529, 563, 569, 571, 579, 590, 594.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आईट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।